पंचदश माला, खंड 15, अंक 8

गुरुवार, 3 मार्च, 2011
12 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 82
Dated 30 Jan 2013

(खंड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

वन्दना त्रिवेदी
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेयसवाल
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय–सूची

पंचदश माला, खंड 15, सातवां सत्र, 2011/1932 (शक)

अंक 8, गुरुवार, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
★तारांकित प्रश्न सं. 101	1-4
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 102 से 120	4-70
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380	70-413
सभा पटल पर रखे गए पत्र	413-417
राज्य सभा से संदेश	417-418
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	418-419
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
लोक सभा की सभापति तालिका में नामांकन	419
गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
14वां प्रतिवेदन	419
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
15 से 18वां प्रतिवेदन	419-420
कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	420
अनुपूरक अनुदानों की मांगें–(रेल), 2010–11	420-421
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) दिल्ली की बैरवा और बलाई जातियों के लोगों को एक ही जाति के रूप में मानने तथा उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।	
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	421-422
(दो) कोट्टापुरा–मंगलौर राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण शुरू कराए जाने की आवश्यकता।	
श्री एम.के. राघवन	422

★ किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन) लक्षद्वीप के अन्द्रोथ द्वीप में एक हवाईअड्डे का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता।

श्री हमदुल्लाह सईद 422-423

(चार) बिहार के किशनगंज जिले और अन्य संलग्न क्षेत्रों में क्षय रोग तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को समुचित चिकित्सा सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता।

श्री मोहम्मद असरारूल हक 423

(पांच) सरकारी कार्यालयों और विभागों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता।

श्री हषवर्धन 424

(छह) मध्य प्रदेश में चंद्रपुरा से ओरछा तक सड़क और पुलों का निर्माण केंद्रीय सड़क निधि से कराए जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेंद्र कुमार 424-425

(सात) क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारे की तर्ज पर नागपुर–रायपुर–राउरकेला–पारादीप औद्योगिक गलियारे का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता।

कुमारी सरोज पाण्डेय 425

(आठ) राज्य के भीतर तथा बाहर प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार को पर्याप्त मात्रा में कोयले का आबंटन किए जाने की आवश्यता।

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा 425-426

(नौ) उत्तर–मध्य रेलवे में गुना–इटावा रेल परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

श्री अशोक अर्गल 426

(दस) झारखंड में कोनार बांध परियोजना के निर्माण के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 426-427

(ग्यारह) देश में खाद्यान्न भंडारण की सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती सुशीला सरोज 427

(बारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जापानी इंसेफलाइटिस के लिए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 428

(तेरह) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में डीआरडीओ का एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री आर. थामराईसेलवन 428-429

(चौदह) बिहार के बक्सर और चौसा क्षेत्रों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों के संरक्षण और विकास की आवश्यकता।

श्री जगदानन्द सिंह 429

याचिका का प्रस्तुतीकरण 434

अनुबंध–I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 439-440

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 440-450

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 451-452

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 451-454

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी. सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इंदर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी. के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरूवार, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

[अनुवाद]

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल/श्री राघवन।

....(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0¼ बजे

इस समय श्री के. चंद्रशेखर राव और श्रीमती एम. विजय शांति आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। अब प्रश्न काल शुरू करते हैं। कृपया वापस जाएं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की नियुक्ति को अवैध घोषित किया है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न सं. 101 श्री एम. के. राघवन।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नदियों को परस्पर जोड़ना

★101. **श्री एम. के. राघवन :**
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नदियों को परस्पर जोड़े जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है तथा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग हुआ है;

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) नदियों को परस्पर जोड़े जाने संबंधी परियोजनाओं से देश में जल संकट, बाढ़ और सूखे की स्थितियों का समाधान किस प्रकार होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 अंतरराज्यीय नदी संपर्कों (16 प्रायद्वीपीय घटक और 14 हिमालयी घटक के तहत) की पहचान की हैं। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के अंतर्गत (भारतीय हिस्सा) 2 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं।

प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत पांच अंतरराज्यीय नदी संपर्कों अर्थात (i) केन-बेतवा, (ii) पार्वती-कालीसिंध-चंबल, (iii) दमनगंगा-पिंजाल, (iv) पार-तापी-नर्मदा और (v) गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) को उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शुरू करने के लिए संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनाने हेतु प्राथमिकता संपर्कों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। एक प्राथमिकता संपर्क अर्थात केन-बेतवा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई थी और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकारों को परामर्श के लिए भेज दी गई थी। इसके बाद एनडब्ल्यूडीए ने संबंधित राज्यों की सहमति के बाद दो और प्राथमिकता संपर्कों अर्थात पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें शुरू कर दी हैं जिन्हें दिसंबर, 2011 तक पूरा कर लिये जाने की योजना है। एक अन्य प्राथमिकता संपर्क अर्थात गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना का भाग है। योजना आयोग ने पोलावरम परियोजना को निवेश स्वीकृति दे दी है और आंध्र प्रदेश

सरकार ने उनके प्रस्तावों के अनुसार संपर्क घटक सहित उपर्युक्त परियोजना का कार्य शुरू कर दिया है।

एनडब्ल्यूडीए को 7 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु से 36 अंतःराज्य नदी संपर्क प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त में से एनडब्ल्यूडीए द्वारा 12 अंतःराज्य नदी संपर्कों की व्यवहार्यता–पूर्व रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं।

(ख) एनडब्ल्यूडीए ने अंतरराज्यीय नदी संपर्क प्रस्तावों की व्यवहार्यता–पूर्व रिपोर्ट करने/व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, अंतःराज्य नदी संपर्कों की व्यवहार्यता–पूर्व रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार और इस संबंध में अन्य अध्ययन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 तक 316.93 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की तुलना में 1982–83 से जनवरी, 2011 तक 312.12 करोड़ रूपये का व्यय किया है।

(ग) अंतरराज्यीय नदी संपर्क प्रस्तावों का कार्यान्वयन सबंधित राज्यों की सहमति एवं सहयोग और पड़ोसी देशों के साथ समझौतों पर निर्भर करता है (हिमालयी घटक के अंतर्गत संपर्क प्रस्तावों के मामले में)। इसलिए किसी भी परियोजना के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित करना मुश्किल है। जहां तक अंतःराज्य नदी संपर्कों का संबंध है वे हाल ही में शुरू कर दी गई हैं।

(घ) एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार किए गए 30 अंतरराज्यीय नदी संपर्क प्रस्तावों में बाढ़ निग्रह, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्य क्षेत्र, लवणता, प्रदूषण नियंत्रण आदि के लाभों के अतिरिक्त सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई के, भूजल के अधिक उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई लाभ और 34000 मेगावाट के विद्युत सृजन की परिकल्पना की गई है।

श्री एम. के. राघवन : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से हमें यह समझ आता है कि देश में अंतरराज्यीय नदियों को जोड़ने हेतु ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं जिससे विद्युत उत्पादन के साथ–साथ भूजल की उपलब्धता में भी वृद्धि होती है....*(व्यवधान)* ये दोनों ही एक समृद्ध राष्ट्र के लिए अत्यावश्यक हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में संबद्ध राज्यों और पड़ोसी देशों की सहमति और सहयोग का ब्यौरा जानना चाहूंगा और क्या इसके संबंध में कोई प्रतिकूल पारिस्थितिकीय रिपोर्टें मिली हैं।....*(व्यवधान)* मैं यह भी जानना चाहूंगा कि समय–सीमा के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर सरकार का क्या रुख अपनाने का विचार है....*(व्यवधान)*

श्री विन्सेंट एच. पाला : अध्यक्ष महोदया, राज्य सरकारों की सहमति के अनुसार हमने पांच परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर शुरू की हैं....*(व्यवधान)* इन पांच परियोजनाओं में से, चार पर कार्य चल रहा है और एक परियोजना कर्नाटक में एनजीओ द्वारा समस्या के कारण लंबित है....*(व्यवधान)* सहमति के अनुसार, एक समिति गठित की है जो इन सभी परियोजनाओं की देखरेख करेगी, एक तो नदियों को जोड़ने के कार्य की निगरानी हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेश के संबंध में हैं....*(व्यवधान)* किसी ने पीआईएल दायर की है और मामला उच्चतम न्यायालय में है और उच्चतम न्यायालय नदियों को जोड़ने संबंधी कार्य की निगरानी कर रहा है....*(व्यवधान)*

श्री एम. के. राघवन : अध्यक्ष महोदया, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि एक सुदृढ़ कृषि आधार राष्ट्र को आर्थिक शक्ति प्रदान करता है....*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का आवंटन

★102. **श्री सी. आर. पाटिल :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप्ती गैस क्षेत्र से गैस आवंटित करने के लिए किसी अतिरिक्त विकास योजना की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने विद्युत परियोजनाओं को गैस आवंटित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार विद्युत परियोजनाओं को किन स्रोतों से गैस आवंटित करने का है;

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं को आपूर्ति हेतु केजीडी–6 क्षेत्र से गैस की उपलब्धता की समीक्षा और आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) ताप्ती गैस क्षेत्रों को पन्ना मुक्ता ताप्ती

(पीएमटी) संयुक्त उद्यम (जेवी) द्वारा विकसित किया जा रहा है। पीएमटी जेवी से हुए उत्पादन से 17 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) से अधिक का आवंटन विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को किया जा रहा है। वर्तमान में पीएमटी से होने वाले उत्पादन में कमी आई है। चालू वर्ष में (31.01.2011 तक) औसत उत्पादन 11.71 एमएमएससीएमडी रहा है। अतः पीएमटी से अतिरिक्त आवंटन की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) गुजरात सरकार केंद्र सरकार से गुजरात में विभिन्न गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को गैस आवंटित करने का अनुरोध करती रही है। गुजरात में 12 विद्युत परियोजनाओं को 70 प्रतिशत संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर प्रचालन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से गैस की आपूर्ति की जा रही है। ये संयंत्र निम्नानुसार हैं :

(एमएमएससीएमडी में)

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	गैस आपूर्ति/आवंटन
1.	एनटीपीसी गन्धार	2.42
2.	एनटीपीसी कवास	2.40
3.	यूट्रान सीसीजीटी	0.54
4.	हजीरा सीसीपीपी–(जीएसईजी)	0.58
5.	धुवारन सीसीपीपी–(जीएसईसीएल)	0.40
6.	धुवारन सीसीपीपी–(जीएसईएल) विस्तार	0.42
7.	वतवा सीसीजीटी (एईसी)	0.37
8.	जीपीईसी पगुथन सीसीजीटी	2.44
9.	जीआईपीसीएल–चरण–2 सीसीजीटी	0.60
10.	एस्सार सीसीजीटी आईएमपी	1.17
11.	टोरेंट सुजेन	4.00
12.	यूट्रान सीसीपीपी	1.40
	योग	16.34

इसके अलावा, इन विद्युत संयंत्रों को उनके पीएलएफ को और बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने के लिए इन्हें फालबैक आधार पर केजी डी 6 क्षेत्रों से गैस का आवंटन किया गया है।

(घ) से (च) अन्य बातों के साथ–साथ नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत गैस के वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में निर्णय लेने के लिए शक्तिप्रदत्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन किया गया है।

वर्ष 2010–11 (30.01.2011 तक) केजी डी6 क्षेत्र से हुआ उत्पादन 56.94 एमएमएससीएमडी है। अनुमोदित क्षेत्र विकास योजना के अनुसार 2012–13 में केजी डी6 क्षेत्रों से 80 एमएमएससीएमडी उत्पादन होने का अनुमान है।

चुनाव–सुधार

★103. **श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के संसदीय तथा विधान सभा चुनावों में धन–बल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन आयोग ने इसे रोकने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (घ) यद्यपि, यह उपदर्शित करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि निर्वाचनों में धन बल का प्रभाव बढ़ रहा है फिर भी सरकार और भारत निर्वाचन आयोग, संसदीय और सभा निर्वाचनों में ऐसी शक्ति के प्रभाव के बारे में गंभीर रूप चिंतित है। निर्वाचन आयोग ने, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ तारीख 4 अक्तूबर, 2010 को, निर्वाचनों में धन बल आदि के प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर बहस की है। आयोग ने, मुद्दे पर, हाल ही में हुए बिहार विधान सभा निर्वाचनों, 2010 और साथ ही बंका संसदीय क्षेत्र निर्वाचन के उप चुनाव में धन बल के उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए उसके द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में भाग लेने वालों को सूचित किया है। ऐसे उपायों में (i) निर्वाचन आयोग में निर्वाचन व्यय का निरीक्षण करने के लिए पृथक् प्रभाग खोलना, (ii) निर्वाचनों के दौरान रोकड़, लिकर और अन्य वस्तुओं के संचालन पर नजर रखने के लिए व्यय संप्रेक्षकों और उड़न दस्तों की नियुक्ति, (iii) मीडिया विज्ञापनों और संदत्त समाचारों पर निगरानी

रखने के लिए मीडिया मानीटरिंग सेल, (iv) लेखा दल द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतिच्छाया संप्रेक्षण रजिस्टर का रखरखाव करना, (v) व्यय की मुख्य मदों का निरीक्षण करने के लिए वीडियो प्रक्षेप दल और निगरानी दल, (vi) निर्वाचन व्ययों के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी द्वारा पृथक् बैंक खाता खोलने की अपेक्षा, और (vii) आयकर विभाग को अंतर्वलित करना, सम्मिलित थे, जिनकी राजनीतिक दलों ने प्रशंसा की थी। बिहार विधान–सभा निर्वाचन, 2010 में फीड बैक के रूप में यथा परिलक्षित, निर्वाचन व्यय के तंत्र के मानीटर करने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि आयोग ने धन बल के संत्रास से निपटने के लिए राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं पर विचार करते हुए असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचनों पर अधिक महत्त्व के साथ उसी मंत्र को क्रियान्वित करने का विनिश्चय किया है।

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

★104. **श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर के चिह्नित अल्पसंख्यक–बहुल जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत अनेक विकास–कार्य शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में एमएसडीपी के अंतर्गत मंजूर की गई तथा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृत, जारी तथा प्रयुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चिह्नित क्षेत्रों में कई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना अभी शेष है जबकि उन्हें काफी समय पूर्व ही मंजूरी दे दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) परियोजनाओं का अविलंब कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्याकदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अपर्याप्त विकास की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। स्वीकृत परियोजनाओं, जारी धनराशि और उन्हें उपयोग में लाए जाने संबंधी राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) कुछ परियोजनाएं सिद्धांततः स्वीकृत हैं और उन्हें तेयार करने तथा उनसे संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संबद्ध मंत्रालय/विभाग को मूल्यांकन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता का आश्वासन तथा स्थान–स्थिति के नाम सहित उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक आबादी की प्रतिशतता की सूचना दिया जाना भी अपेक्षित होता है, ताकि यह सुनिश्ति हो सके कि अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(च) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन और संबद्ध) केंद्रीय मंत्रालय/विभाग से लगातार आग्रह कर रही है कि वे ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत कराएं और उन्हें कार्यान्वित करें।

विवरण–I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और जारी कुल धनराशि (लाख रु. में)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि (लाख रु. में)	स्वीकृत परियोजनाएं और यूनिटों की संख्या कोष्ठक में
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	57976.73	24320.31	इंदिरा आवास योजना के मकान (80398), स्वास्थ्य क्षेत्र (941), आंगनवाड़ी केंद्र (8975), पेय जल आपूर्ति (11150), अतिरिक्त कक्षाएं (513), पॉलीटेक्नीक (16) इंटर कॉलेज सहित

1	2	3	4	5
				स्कूल भवन (53), आईटीआई (21), हाई स्कूल में शौचालय और पेय जल (76), छात्रावास (5), डायिंग यूनिट/सीएफसी (2)
2.	पश्चिम बंगाल	50752.25	26423.73	इंदिरा आवास योजना के मकान (37303), स्वास्थ्य क्षेत्र (743), आंगनवाड़ी केंद्र (7002), पेय जल आपूर्ति (6527), अतिरिक्त कक्षाएं (6396), स्कूल भवन (41), शिक्षण सहायता (40), छात्रावास (39), आईटीआई (1), पोलीटेक्नीक (2), प्रयोगशाला उपकरण (60), सोलर लालटेन (5000)
3.	असम	290070.04	8431.85	इंदिरा आवास योजना के मकान (76490), स्वास्थ्य क्षेत्र (98), आंगनवाड़ी केंद्र (1617), पेय जल आपूर्ति (4579), अतिरिक्त कक्षाएं (1883), हाई स्कूल में शौचालय और पेय जल (186), छात्रावास (2), सौर प्रकाश (9905)
4.	बिहार	19342.41	6183.44	इंदिरा आवास योजना के मकान (30298), स्वास्थ्य क्षेत्र (160), आंगनवाड़ी केंद्र (4107), पेय जल आपूर्ति (661), स्कूल भवन (134), अतिरिक्त कक्षाएं, प्रयोगशाला उपकरण (30), छात्रावास (14), हाई स्कूल में शौचालय और पेय जल (279), सौर प्रकाश (10765)
5.	मणिपुर	9387.28	3804.96	इंदिरा आवास योजना के मकान (5940), स्वास्थ्य क्षेत्र (152), आंगनवाड़ी केंद्र (75), पेय जल आपूर्ति (670), स्कूल भवन (364), समेकित वाटर सेड विकास कार्यनम (1), छात्रावास (13), आईटीआई (1)
6.	हरियाणा	2810.34	923.00	इंदिरा आवास योजना के मकान (2000), स्वास्थ्य क्षेत्र (6), आंगनवाड़ी केंद्र (71), अतिरिक्त कक्षाएं (128), स्कूल भवन (8)
7.	झारखंड	9114.37	3585.00	इंदिरा आवास योजना के मकान (9215), स्वास्थ्य क्षेत्र (199), आंगनवाड़ी केंद्र (1335), अतिरिक्त कक्षाएं (7), सौर प्रकाश (1124), छात्रावास (4), आईटीआई (1)
8.	उत्तराखंड	2076.52	251	स्वास्थ्य क्षेत्र (24), आंगनवाड़ी केंद्र (455), पेय जल आपूर्ति (17), अतिरिक्त कक्षाएं (69), स्कूल भवन (2), पोलीटेक्नीक (1), हाई स्कूल में शौचालय और पेय जल (17)

1 2	3	4	5
9. महाराष्ट्र	2899.22	683.79	इंदिरा आवास योजना के मकान (11030), आंगनवाड़ी केंद्र (626), छात्रावास (6)
10. कर्नाटक	2003.14	261.23	इंदिरा आवास योजना के मकान (4400), स्वास्थ्य क्षेत्र (35), आंगनवाड़ी केंद्र (443), अतिरिक्त कक्षाएं (50), छात्रावास (26)
11. अंडमान और निकोबार	622.76	0	आंगनवाड़ी केंद्र (35), आधुनिक शिक्षण सहायता (25), आईटीआई (1)
12. उड़ीसा	2598.48	899.64	इंदिरा आवास योजना के मकान (5740), स्वास्थ्य क्षेत्र (15), आंगनवाड़ी केंद्र (151), अतिरिक्त कक्षाएं (11), आईटीआई (2), हाई स्कूल में शौचालय और पेय जल (64)
13. मेघालय	2394.07	798.17	इंदिरा आवास योजना के मकान (5000), आंगनवाड़ी केंद्र (81), पेय जल आपूर्ति (1301), स्कूल भवन (1), अतिरिक्त कक्षाएं (54), छात्रावास (5)
14. केरल	718.13	0	स्वास्थ्य क्षेत्र (10), प्रयोगशाला सुविधा सहित अतिरिक्त कक्षाएं (38), पेय जल आपूर्ति (3)
15. मिजोरम	1308.71	351.5	इंदिरा आवास योजना के मकान (2270), स्वास्थ्य क्षेत्र (35), आंगनवाड़ी केंद्र (22), पेय जल आपूर्ति (10), अतिरिक्त कक्षाएं (50), स्कूल भवन (4), छात्रावास (9)
16. जम्मू और कश्मीर	599.58	0.00	आंगनवाड़ी केंद्र (40), पेय जल आपूर्ति (82), अतिरिक्त कक्षाएं (43), आईटीआई (1)
17. दिल्ली	155.00	0.00	अतिरिक्त कक्षाएं (80), पेय जल आपूर्ति (1)
18. मध्य प्रदेश	915.16	700.00	इंदिरा आवास योजना के मकान (1000), आंगनवाड़ी केंद्र (200), अतिरिक्त कक्षाएं (484)
19. सिक्किम	514.31	0	स्वास्थ्य क्षेत्र (1), आंगनवाड़ी केंद्र (56), अतिरिक्त कक्षाएं (10), पेय जल आपूर्ति (4), स्कूल भवन (9)
20. अरूणाचल प्रदेश	2738.87	0	इंदिरा आवास योजना के मकान (4287), स्वास्थ्य क्षेत्र (27), आंगनवाड़ी केंद्र (104), अतिरिक्त कक्षाएं (214), स्कूल भवन (42), छात्रावास (14), हाईस्कूल में शौचालय और पेय जल (2)
योग	197921.36	77617.62	

स्वास्थ्य क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र, वार्ड हेल्थ यूनिट, लेबर रूम और महिला वार्ड शामिल हैं।

विवरण–II

	अनंतिम परियोजना लागत (लाख रु. में)
उत्तरी 24 परगना	
बदुरिया थाना में 2 छात्रावासों के साथ आईटीआई भवन का निर्माण	560.00
कोलकाता	
सामुदायिक शौचालय का निर्माण	860.90
साउथ 24 परगना	
डायमंड हार्बर और बरूईपुर उप–मंडल में आईटीआई की स्थापना	1120.00
हावड़ा	
बउरिया अलबेरिया उप–मंडल में नए आईटीआई का निर्माण	550.00
मालदा	
कलायीचाट में आईटीआई का निर्माण	560.00
मुर्शिदाबाद	
सैखपाड़ा पोलीटेक्नीक का उन्नयन	704.00
उत्तर दिनाजपुर	
कलियागंज में 2 छात्रावासों वाला आईटीआई कॉलेज का निर्माण	560.00
शाहिबगंज	
बालिकाओं के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावास का निर्माण और अन्य सुविधाओं का प्रावधान	11.05
मामित	
मामित में आईटीआई का निर्माण	315.00
लांगटलाई	
गांव में पेय जल स्वच्छता सुविधा	720.00
लांगटलाई में आईटीआई की स्थापना	316.98
मोरीगांव	
हाई स्कूल में विज्ञान उपकरण	1.35
चंदेल	
स्कूल भवन, जलाश्य और शौचालय का निर्माण	900.00
तमेंगलोंग	
एक आईटीआई छात्रावास का निर्माण	65.00
चार छात्रावास	108.00
बारपेटा	
कलगछिया में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए मॉडल छात्रावास का निर्माण	45.00
गोवालपाड़ा	
गोवालपाड़ा में नए आईटीआई का उन्नयन	101.13
हैलाखांडी	
बालिका छात्रावास का निर्माण	45.00
धुबरी	
चोटोगीरीगांव में आईटीआई का निर्माण	625.00
पूर्णिया	
महिला कॉलेज में कम्प्यूटर लैब सुविधा	26.25
पोलीटेक्नीक कॉलेज का उन्नयन, पूर्णिया	225.00
बालिका आईटीआई के लिए प्रशासनिक भवन कक्षा–कक्षों, कार्यशालाओं का निर्माण	290
कार्यशाला के लिए उपकरण	50
अररिया	
बॉयस आईटीआई के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावास का निर्माण	120.00
दरभंगा	
हेल्थ सब–सेंटर के लिए नए भवन का निर्माण	605.63
किशनगंज	
कॉलेजों में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और भूगोल विषयों के उपकरण और आवश्यक प्रबंध वाली प्रयोगशाला का निर्माण	100.00
बरेली	
बरेली में आईटीआई भवन का निर्माण और छोटे औजारों तथा उपकरणों की आपूर्ति	446

वर्तमान सरकारी आईटीआई का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण सरकारी इंटर कॉलेज के लिए भवन का निर्माण	63.50
सरकारी इंटर कॉलेज के लिए भवन का निर्माण	168.75
शाहजहांपुर	
आईटीआई भवन का निर्माण	280
सहारनपुर	
देवबंद में सरकारी आईटीआई का निर्माण	250.00
सरकारी इंटर कॉलेज का निर्माण (4 यूनिट)	568.6
बलरामपुर	
आईटीआई भवन का निर्माण	250.00
बहराइच	
नानपाडा में आईटीआई भवन का निर्माण	292.63
सरकारी इंटर कॉलेज	62.69
छात्रावास का निर्माण	183.78
श्रावस्ती	
जमुनाह में नए आईटीआई भवन का निर्माण	394.93
सिद्धार्थ नगर	
भवानपुर में आईटीआई भवन का निर्माण (डुमरियागंज)	280.00
जे.पी. नगर	
अलमोड़ा में आईटीआई भवन का निर्माण	220.13
हसनपुर में आईटीआई भवन का निर्माण	375.45
सरकारी इंटर कॉलेज में परिवर्तित होने वाले हाई स्कूल भवन का निर्माण	250.80
सामान्य सुविधा केंद्र	324.71
बदायूं	
बदायूं और लिल्सी आईटीआई में अवसंरचना विकास का उन्नयन	135.32
बुलंदशहर	
बराना, सिकंदराबाद तहसील में 2 छात्रावासों वाले सरकारी पोलीटैक्नीक संस्थान का निर्माण	1230
गाजियाबाद	
मूक एवं बधिर छात्रों के लिए स्कूल	34.58
नेत्रहीन छात्रों के लिए स्कूल	33.93
बागपत	
डायिंग यूनिट का निर्माण	116.00
कम्पयूटर साजो–सामान	26.00
बिजनौर	
डायिंग यूनिट का निर्माण	116.00
पीलीभीत	
सौर स्ट्रीट प्रकाश	192.00
नोर्थ ईस्ट दिल्ली	
नंदनगरी आईटीआई के लिए उपकरण, कार्यशाला, भवन का निर्माण	400
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल वैन की खरीद	578.00
राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम	300.00
उधम सिंह नगर	
किच्छा में अभिनव स्वीकृत आईटीआई का भवन का निर्माण	192.5
जैसपुर आईटीआई में हिटर एवं एलेक्ट्रीशियन फेड के लिए औजार, मशीनें और उपकरणों की खरीद	35.00
कासीपुर में वाशिंग और फिनिसिंग प्लांट की स्थापना	17.49
बुनाई केंद्र की स्थापना	13.80
बुनाई केंद्र की स्थापना	13.00
कलरिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग केंद्र की स्थापना	18.00
हरिद्वार	
आईटीआई भवन का निर्माण (3 यूनिट)	703.1
हैंड पंप का लगाना	0.390
पोलिटेक्नीक का निर्माण, रोशनारा	1230

पपुमपारा	
सरकारी सेकेंडरी स्कूल में स्कूल भवन का निर्माण, पारंग	27
बरून एमई स्कूल में दो मंजिला भवन का निर्माण	45
पपू गांव तथा मॉडल गांव में प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण	36
दोमुख में स्कूल/छात्रावास भवन का निर्माण	90
सिरसा	
कौशल विकास प्रशिक्षण	50.00
पोलिटेक्नीक संस्थान का निर्माण/उन्नयन	
लेह	
पोलिटेक्नीक उन्नयन	120
वेयनाद	
पोलिटेक्नीक का उन्नयन	75.00

[हिन्दी]

यात्री डिब्बे

★105. **श्री राधामोहन सिंह :**
श्रीमती मीना सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में यात्री डिब्बों में विनिर्धारित सुविधाएं/सुरक्षा मानक उपलब्ध कराए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में शयनयान श्रेणी के डिब्बों सहित सवारी डिब्बों की दशा संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सवारी डिब्बों की दशा सुधारने के लिए रेल विभाग द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी हां, यात्री गाड़ियों के सवारी डिब्बों में निर्धारित संरक्षा मानदंड को सुनिश्चित करने के अलावा, निर्धारित सुविधाएं एवं साज-सज्जा मुहैया कराए जाते हैं। ये निम्नानुसार हैं :

★ सभी मुख्य लाइन सवारी डिब्बों में गद्देदार सीट/शायिकाएं, प्रदीप्यमान प्रकाश, पंखे और शौचालय तथा वाश वेसिन सुविधाएं इत्यादि।

★ सभी आरक्षित डिब्बों में आईने, स्नेक टेबल्स, मैगजिन बैग्स, वाटर बोतल होल्डर्स, कोट हुक्स, छोटे सामान के लिए रेक, सामान की सुरक्षा की व्यवस्था, मोबाइल/लैपटॉप चार्ज करने के सॉकेट्स इत्यादि।

★ सभी वातानुकूलित सवारी डिब्बों में गलियारे/खिड़कियों के लिए पर्दे, बर्थ पर पढ़ने के लिए प्रकाश और डस्ट बिन इत्यादि।

सवारी डिब्बों में संरक्षा मानदंड

★ संरक्षा में वृद्धि करने के लिए सवारी डिब्बे के सेल का ढांचा "एंटी-टेलिस्कोपिक" होना

★ कड़े अग्निरोधी मानदंडों के अनुरूप कोच फर्निशिंग सामग्री होना

★ सवारी डिब्बों के आंतरिक फिटिंग्स/फर्निशिंग्स का डिजाइन "इंजरी-फ्री" होना

★ आपातकाल अलार्म चेन उपकरण होना

★ शीघ्र निकास/खाली करने के लिए सभी सवारी डिब्बों में आपातकालीन खिड़कियों का होना।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित सवारी डिब्बों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव की सतत आवश्यकता होती है और यह ओपन लाइन में निर्धारित अनुरक्षण अनुसूची के दौरान और कारखानों में आवधिक ओवरहॉल तथा मरम्मत के दौरान किया जाता है, जहां सवारी डिब्बों की निष्पक्ष जांच एजेंसी द्वारा जांच की जाती है एवं प्रमाणित भी किया जाता है। इसके अलावा, सवारी डिब्बों के जीर्णोद्धार के लिए उनका "मिड लाइफ" पुनर्स्थापन भी किया जाता है। सवारी डिब्बों में यात्री सुविधाओं और संरक्षा मदों निगरानी के लिए विशेषज्ञ अभियान चलाए जाते हैं और औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं।

डिजाइन, सौंदर्य और बेहतर यात्री सुविधाओं में सुधार लाने हेतु अधिक से अधिक नए कोचों को शामिल करने के लिए नई कोच विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने की भी योजना है।

सवारी डिब्बों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी मानकों में सुधार लाने के लिए गहन यांत्रिकीकृत सफाई, ऑन-बोर्ड साफ-सफाई सेवाएं और "क्लीन ट्रेन स्टेशनों" पर उनके ठहराव के दौरान गाड़ियों की सफाई का अभियान आदि भी शुरू किया जाता है।

[अनुवाद]

जलभराव और जल निकासी प्रणाली

★106. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलभराव और दोषपूर्ण जल निकासी प्रणाली के कारण देश के कई भागों में बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरन जल निकासी प्रणाली सुधारने के लिए आरंभ की गई योजनाओं तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस सहायता–राशि का कितना उपयोग हुआ;

(घ) योजनाओं का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद निगरानी तंत्र क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)★ : (क) और (ख) जी, हां। जल निकास में कमी से जलजमाव होता है। जब अधिक वर्षा होती है तो इसके कारण जलग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। कृषि मंत्रालय द्वारा 1984–85 में किए गए आकलन के अनुसारेश में 8.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलग्रस्त है।

(ग) XIवीं योजना के दौरान देश के जलनिकास की समस्या वाले क्षेत्रों में जलनिकास में सुधार के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के अंतर्गत बिहार (9.40 करोड़ रुपये) जम्मू एवं कश्मीर (3.87 करोड़ रुपये) और उड़ीसा (4.61 करोड़ रुपये) राज्यों को 17.88 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्यों द्वारा दिए गए उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के अनुसार अब तक 11.85 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के अंतर्गत भी जल निकास में सुधार संबंधी कार्य किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) कार्यों का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनकी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी केंद्रीय जल आयोग द्वारा नियमित रूप से की जाती है। निधि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गई किस्तों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही केंद्रीय सहायता की नई किस्त जारी की जाती है।

भू–जल का कृत्रिम संवर्धन

★107. **श्री आधि शंकर** :

श्री एस. अलागिरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कूप–खुदाई के करिए भू–जल के कृत्रिम संवर्धन' की योजना तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत अब तक राज्य–वार क्या–क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(घ) विगत दो वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित तथा प्रयुक्त की गई; और

(ङ) आवंटित धनराशि का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र है?

जल संसाधन मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा वर्ष 2008 में 1798.71 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से ''डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण'' संबंधी एक स्कीम शुरू की गई थी। स्कीम को 31.03.2010 तक कार्यान्वित किया जाना था। स्कीम में कृषि क्षेत्रों से अपवाह वर्षा जल का उपयोग करते हुए भूमि के नीचे कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों में वर्तमान डगवेलों के पुनर्भरण के उद्देश्य से सात राज्यों अर्थात तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान को शामिल किया गया।

(ग) और (घ) इस स्कीम के अंतर्गत मार्च, 2010 तक लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 263.58 रुपए, राज्यों को सूचना और शिक्षा और संचार (आईईसी)/क्षमता निर्माण क्रियाकलापों के लिए 17 करोड़

★ वाद–विवाद दिनांक 03.03.2011 में तारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में सभा में 14.03.2011 को दिए गए शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से बाद में शुद्धि की गई। तदनुसार अंतिम पंक्ति के आंकड़े को 8.53 लाख हेक्टेयर के बजाय शुद्धि कर 8.53 मिलियम हैक्टेयर कर दिया गया है।

रुपये और जागरूकता हेतु 0.2417 करोड़ रुपये और नाबार्ड को प्रचालन लागत के रूप में 2.6358 करोड़ रुपये (निवल सब्सिडी राशि का 1 प्रतिशत) सहित 283.457 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्ध संलग्न विवरण-I में दी गई है और जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (एनपीएमसी) के माध्यम से इस स्कीम की संपूर्ण प्रगति की निगरानी की थी। सहभागी राज्यों ने भी राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) और जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समितियों (डीएलआईएमसी) के रूप में राज्य और जिला स्तर पर उपयुक्त निगरानी तंत्र बनाए हैं। चूंकि योजना समाप्त हो गई है इसलिए इसका मूल्यांकन करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

राज्य-वार उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधि का ब्यौरा (रुपये करोड़ में)			
		आईईसी		सब्सिडी	
		2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1.	तमिलनाडु	2.00	3.75	86.97	16.86
2.	मध्य प्रदेश	2.00	0	0	40.14
3.	महाराष्ट्र	2.00	0	9.32	4.72
4.	गुजरात	2.00	1.25	34.71	13.70
5.	कर्नाटक	2.00	0	0.19	26.19
6.	राजस्थान	2.00	0	0.16	30.32
	कुल	12.00	5.00	131.34	132.23

विवरण-II

जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	इकाइयों की सं. जिनके लिए सब्सिडी जारी की गई	जारी की गई सब्सिडी (रुपये करोड़ में)	आईईसी के अंतर्गत जारी की गई निधि (रुपये करोड़ में)	31.12.2010 तक पूरी की गई डगवेल पुनर्भरण संरचनाओं की सं.
1.	आंध्र प्रदेश#	0	0	0	0
2.	गुजरात	141381	48.41	3.25	7142
3.	कर्नाटक	72148	26.68	2.00	12254
4.	मध्य प्रदेश	93857	40.14	2.00	12463
5.	महाराष्ट्र	44632	14.04	2.00	38023
6.	राजस्थान	91162	30.48	2.00	4312
7.	तमिलनाडु	276256	103.83	5.75	21055
	कुल	719436	263.58	17.00	95429

न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार

★108. **श्री तकाम संजय :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय न्यायाधीश कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जांच के दायरे में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करने हेतु एक तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या न्यायाधीशों के लिए कोई न्यायिक मानदंड निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (छ) सभापति राज्य सभा ने न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सेन और न्यायमूर्ति श्री पी. डी. दिनाकरन के संबंध में अवचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए दो समितियों का गठन किया है।

न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सेन, न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति श्री बी. सुदर्शन रेड्डी, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और उसने अपनी रिपोर्ट सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत कर दी है।

न्यायमूर्ति श्री पी. डी. दिनाकरन के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति श्री आफताब आलम, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने चंडीगढ़ में विशेष न्यायाधीश न्यायालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 2008 का मामला सं. आर सी एसी 2 सं. रजिस्ट्रीकृत किया है जिसमें उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की भूमिका का, अन्वेषण किया जा रहा है।

उच्चतर न्यायपालिका में बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए "न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010" नामक विधेयक, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए तंत्र को समाविष्ट करता है, जो, न्यायाधीशों को आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करने और न्यायाधीशों द्वारा पालन किए जाने वाले न्यायिक मानकों को अधिकथित करने में समर्थ बनाता है, लोक सभा में 01.12.2010 को पुरःस्थापित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

रेल–सुरक्षा

★109. **श्री मोहम्मद असरारुल हक :**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेल की सुरक्षा के संबंध में किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है तथा इस धनराशि का कितना उपयोग हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किए गए सुरक्षा–संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्याप्त सुरक्षोपायों के बावजूद रेल–दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुई रेल–दुर्घटनाओं तथा उनके कारणों का वर्ष–वार तथा जोन–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बजट आवंटन योजना और गैर–योजना व्यय, जिसे रेलों में सामान्य कार्य संचलन व्यय कहा जाता है, के लिए किया जाता है। हालांकि आवंटन के लिए संरक्षा नामक कोई विशिष्ट शीर्ष नहीं है, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए मुख्यतः संरक्षा से संबंधित अनुदान के लिए विभिन्न मांगों के अंतर्गत उपयोग की गई राशि और बजटीय आवंटन निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक
2007–08	22382	20490
2008–09	25143	27150
2009–10	31596	30656
2010–11	31616	

(ख) उपर्युक्त अवधि में किए गए संरक्षा संबंधी कार्यों में रेलपथ और पुलों, रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और मालडिब्बों, सिगनलों, शिरोपरि उपकरणों इत्यादि का अनुरक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, सड़क ऊपरी पुलों/सड़क निचले पुलों, सीमित ऊंचाई वाले सब–वे, पुलों का निर्माण समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था, रेलपथ नवीकरण, सिगनल तकनीक का उन्नयन, अनुरक्षण कारखानों का उन्नयन, संरक्षा उपकरणों जैसे, टक्कररोधी उपकरणों, सतर्कता नियंत्रण उपकरणों, गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए भी किए जाते हैं।

(ग) भारतीय रेलों पर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई है।

(घ) वर्ष 2008–09 और 2009–10 तथा चालू वर्ष के दौरान अप्रैल, 2010 से फरवरी, 2011 तक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की जोनवार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है। 2008–09, 2009–10 और चालू वर्ष के दौरान अप्रैल, 2010 से फरवरी, 2011 तक दुर्घटनाओं का कारण–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) भारतीय रेलों पर संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और संरक्षा को बढ़ाने के लिए रेलों द्वारा सतत आधार पर सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर प्रतिस्थापन, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल एवं अंतर्पाशन प्रणाली के उच्चयन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीक अपनाना, संरक्षा अभियान चलाना, पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर और सुरक्षित कार्य पद्धति के अनुपालन की निगरानी के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण करना तथा कर्मचारियों को शिक्षित करना शामिल है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले संरक्षा उपकरणों/प्रणालियों में टक्करोधी उपकरण (एसीडी) गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली (डीपीडब्ल्यूएस), ब्लॉक प्रुविंग एक्सल काउंट (बीपीएसी), सहायक चेतावनी प्रणाली (एडब्लयूएस), एलईडी सिगनल और सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) इत्यादि की व्यवस्था शामिल है। टक्कररोधी उपकरण का 2011–12 में अन्य चार जोनों में विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार भारतीय रेलों पर 17 जोनों में से 8 जोनों पर यह व्यवस्था हो जाएगी।

विवरण–I

2008–09, 2009–10 और 2010–11 (फरवरी 2011 तक) के दौरान परिणमी दुर्घटनाओं की जोन–वार संख्या निम्नानुसार है :

रेलवे	टक्कर			गाड़ी का पटरी से उतरना			एमएलसी			आग			विविध			कुल		
	08–09	09–10	10–11	08–09	09–10	10–11	08–09	09–10	10–11	08–09	09–10	10–11	08–09	09–10	10–11	08–09	09–10	2011 (फरवरी, 2011)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मध्य	1	0	0	5	12	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	9	12	2
पूर्व	0	1	1	7	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	3	5
पूर्व मध्य	1	0	0	11	14	10	0	0	0	1	0	0	1	1	0	14	15	10
उत्तर	3	1	0	11	8	13	3	1	2	0	0	0	1	0	0	18	10	15
पूर्वोत्तर	0	0	0	7	2	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	9	3	4
पूर्वोत्तर सीमा	0	0	0	2	4	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
उत्तर पश्चिम	0	0	0	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2
दक्षिण	1	1	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3
दक्षिण मध्य	1	1	0	3	7	5	1	0	0	2	0	0	0	0	0	7	8	5
दक्षिण पूर्व	3	0	1	6	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	7
पश्चिम	0	1	0	2	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2
पूर्व तट	0	0	0	7	6	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	9
दक्षिण पश्चिम	0	0	0	4	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	4	4
पश्चिम मध्य	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	2	2
उत्तर मध्य	3	4	0	9	1	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	13	6	7
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
महानगर परिवहन परियोजना	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
कोंकण रेल निगम	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
कुल	13	9	4	85	80	77	7	5	4	3	2	1	7	4	0	115	100	86

विवरण–II

2008–09, 2009–10 और 2010–11 (फरवरी, 2011 तक) के दौरान परिणामी दुर्घटनाओं की कारण–वार सख्या निम्नानुसार है–

	2008–09	2009–10	अप्रैल, 2010 से फरवरी, 2011
1	2	3	4
रेल कर्मचारियों की विफलता	76	63	51
रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों की विफलता	13	10	10
उपकरण की खराबी	0	6	2
तोड़–फोड़	13	14	16
कारकों का मिश्रण	4	1	1
आकस्मिक	5	4	5
निष्कर्षतः निर्धारित नहीं किया जा सका	4	2	0
जांच की जा रही है	0	0	1
सकल जोड़	115	100	86

पंचायती संस्थाओं का सशक्तिकरण

★110. डॉ. संजय जायसवाल :
श्री खगेन दास :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंचायतों को दी गई स्वायत्तता से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका को और बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की आवधिक समीक्षा करती है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) :

(क) और (ख) संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, पंचायत एक राज्य विषय है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत, राज्य की विधायिकाओं द्वारा पंचायतों को ऐसे शक्तियां व प्राधिकार प्रदान किए जाते हैं और जो उन्हें स्व-सरकार की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने में सक्षम बनाएं एवं ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों समेत सामाजिक-आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में भी समर्थ बनाए। पंचायतों को शक्तियां अंतरित करने के परिणाम के मामले में राज्यों के बीच भिन्नता है। पंचायती राज मंत्रालय (एम ओ पी आर) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) को कोष, कार्य एवं कर्मियों (3क) का अंतरण करने के लिए सतत आग्रह करता रहा है। एम ओ पी आर ने पंचायत वित्त, पंचायतों के लिए मानव संसाधन तथा कार्यकलाप मूल्यांकन के जरिए 3 'क' के प्रभावी अंतरण हेतु क्रमशः दिनांक 9.4.2009, 23.4.2009 एवं 1.12.2009 के पत्रों के माध्यम से परामर्शिकाएं जारी की हैं। ये मंत्रालय के वेबसाईट www.panchayat.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) एम ओ पी आर ने सी एम एस के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका एवं जवाबदेही के संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों को दिनांक 19.1.2009 को विस्तृत परामर्शिका (मंत्रालय के वेबसाइट www.panchayat.gov.in पर उपलब्ध) जारी की है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों के साथ पी आर आई के कामकाज की आवधिक समीक्षा के अतिरिक्त, एम ओ पी आर पंचायत की स्थिति रिपोर्ट (एस ओ पी आर) तैयार करता है। प्रथम एस ओ पी आर का प्रकाशन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में कराया गया था। इसके उपरांत दो एस ओ पी आर का प्रकाशन क्रमशः वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कराया गया। एम ओ पी आर एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से तैयार किए गए अंतरण सूचकांक के आधार पर 3क के अंतरण में राज्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन भी करता है।

[अनुवाद]

रेल-नेटवर्क के साथ-साथ स्वास्थ्य परिचर्या-सुविधाएं

★111. **श्री ए. सम्पतः** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आधारभूत सुविधाओं को रेल-नेटवर्क के साथ-साथ विकसित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ जोन-वार किन-किन स्थानों को चिह्नित किया गया है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय अपने सेवारत एवं सेवानिवृत दोनों कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए देशभर में स्वास्थ्य केंद्र अवसंरचना का विकास किया है। 125 अस्पतालों, 586 स्वास्थ्य इकाइयों (डिस्पेंसरी) और लगभग 150 अन्य निजी अस्पताल जिन्हें चुनिंदा सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त हैं, का नेटवर्क है। रेल अस्पतालों का तृतीय श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सतत उन्नत किया जा रहा है।

रेल लाभार्थियों के अलावा अन्य लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए रेल मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से उस रेल भूमि जो रेलवे को तत्कालिक परिचालन के लिए अपेक्षित नहीं है, पर स्वास्थ्य केंद्र संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने की योजना बनाई जिनमें संलग्न विवरण में दिए गए विवरण के अनुसार 381 अदद बाह्यरोगी विभाग तथा जांच केंद्र, 101 द्वितीय श्रेणी के जेनरल स्पशलिटी अस्पताल तथा 40 तृतीय श्रेणी के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं। इस संबंध में रेल मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। चयनित स्थानों की अर्थक्षमता एवं व्यवहारिकता का विश्लेषण करने के लिए एक खाका तैयार करने हेतु रेल मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल करके एक उच्च अधिकार प्राप्त ग्रुप का गठन किया गया है। एक समुचित व्यवसायिक योजना बनाकर पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र संबंधी सुविधाओं का विकास करने की योजना बनाई गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में मैसर्स आईएल एंड एफएस को नियुक्त किया है।

विवरण

रेलवे	ओ पी डी एवं जांच केंद्र	द्वितीय स्तर के जनरल स्पेशलिटी अस्पताल	तृतीय स्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
1	2	3	4
मध्य रेलवे	अहमदनगर, अकोला, बडनेरा, बल्हारशाह, बेतुल, भुसावल, बुरहानपुर, चालीसगांव, चंद्रपुर, दौंड, देवलाली, घोराडोंगरी, गुलबर्गा, कल्याण, खंडवा, कोल्हापुर, कोपरगांव, कुर्डुवाड़ी, लोनावला, मलकापुर, मनमाड़, मथेरन, मिरज, मुंबई सीएसटी, मुंबई एलटीटी, नासिक रोड, सांगली, सेवाग्राम, शेरगांव, सिर्डी, सोलापुर, थाणे, और वर्धा	बल्हारशाह, बेतुल, चंद्रपुर, दौंड, खंडवा, कुर्डुवाड़ी, लोनावला, मिरज, सोलापुर	भुसावल, चालीसगांव, मिरज, वर्धा
पूर्व रेलवे	आसनसोल, बंडेल, ब्रह्मपुर, बैरकपुर, भागलपुर, बर्धमान, दुमका, दुर्गापुर, हावडा, जमालपुर, कल्याणी, कोलकाता स्टेशन, कृष्णानगर सिटी जं., मधुपुर, नैहाटी, रामपुरहाट, रानीगंज, साहिबगंज, सैंथिया, सियाल दह, सुल्तानगंज	आसनसोल, बल्ली, बल्लीगंज, बारासात, बज–बज, बर्धमान, कैनिंग, जादवपुर, मालदा टाउन, न्यू फरक्का, पगलाचंडी, रामपुरहाट, सुल्तानगंज, सिउरी	आसनसोल, दानकुनी, हावड़ा, कांचरापाड़ा, मालदा टाउन, न्यू फरक्का, पगलाचंडी, रामपुरहाट, रंगाघाट
पूर्व मध्य रेलवे	आरा, बगहा, बख्तियारपुर, बनमनखी जं. बरौनी, बाढ़, बरकाकाना, बेगुसराय, बेतिया, बिहार, शरीफ, बक्सर, चकिया, डाल्टनगंज, दानापुर, धनबाद, दिनदार नगर, गढ़वा रोड, गोमोह, हाजीपुर, हसनपुर रोड, झाझा, खगड़िया, क्यूल, कोडरमा, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मानसी, मोमा जं., मुगलसराय, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, नौगछिया, पारसनाथ, पटना, पटना सिटी, राजेंद्रनगर टर्मिनस, राजगीर, रक्सौल, रेणुकूट, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सिंगरौली, सीतामढ़ी, सोनपुर, सुगौली जं.	बरौनी, गया, खगड़िया, मानसी, नौगछिया	मुगलसराय

1	2	3	4
पूर्व तट रेलवे	बहुगांव, बालूगांव, भद्रक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, जाजपुरक्योझर, कांटाबंजी, केसिंगा, खुर्दा रोड, करेापुर, जं., रायगडा, सम्बलपुर जं., टिटलागढ़, विशाखापत्तनम, विजयनगरम	भद्रक, ब्रह्मपुर, जाजपुरक्योंझर रोड, कांटाबंजी, कोरापुट जं., पलासा, रायगडा, विशाखापत्तनम	कांटाबंजी
उत्तर रेलवे	अकबरपुर, अमेठी, अमृतसर, अमरोहा, अयोध्या, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, बाराबंकी, बरेली, ब्यास, भदोही, भटिंडा, चक्की बंक, चंदौसी, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली, शाहदरा, देवबंद, फैजाबाद, फरीदाबाद, फरीदकोट, फिरोजपुर, गाजियाबाद, गुड़गांव, हापुड़, हरदोई, हरिद्वार, हजरत निजामुद्दीन, जालंधर कैंट, जालंधर सिटी, जम्मू तवी, जंघई, जौनपुर, जींद, कालका, करनाल, कथुआ, कुरूक्षेत्र, लक्सर, लखनऊ, लुधियाना, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मुरादाबाद–मुजफ्फरनगर, नांगलोई, नई दिल्ली, पलवल, पानीपत, प्रतापगढ़, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा, प्रयाग, राय बरेली, रायवाला, रामपुर, ऋषिकेश, रोहतक, रुड़की, सहारनपुर, साहिबाबाद, शाहगंज, शकूरबस्ती, सोनीपत, सुल्तानपुर, उधमपुर, उना हिमाचल।	अम्बाला कैंट, चककी बैंक, चंडीगढ़, हापुड़, जींद, कुरूक्षेत्र, प्रतापगढ़, सोनीपत, सुल्तानपुर, उधमपुर	चंडीगढ़, रामपुर
उत्तर मध्य रेलवे	आगरा कैंट, अलीगढ़ जं., बबिना, बांदा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मिर्जापुर, मोरेना, ओरई, राजा की मंडी	अलीगढ़ जं., कानपुर, मथुरा	कोई नहीं
पूर्वोत्तर रेलवे	आजमगढ़, बलिया, बेलथरा रोड, भटनी, छपरा जं., देवरिया सदर, गाजीपुर सिटी, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज जं., खलिलाबाद, लखीमपुर, मैरवा, मंडुआडीह, मऊ जं., सलेमपुर, सिवान जं., सुरैमनपुर	आजमगढ़, मऊ जं., पलिआकलां, सीतापुर	कोई नहीं

1	2	3	4
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	अगरतला, अलीपुरद्वार जं., अररिया कोर्ट, बरसोई जं., बीनागुड़ी, बोंगाईगांव, भुपगुड़ी, डिब्रूगढ़ टाउन, दीमापुर, दीफू, इटानर, कटिहार, किशनगंज, कोकराझार जं., लमडिंग, न्यू अलपुरद्वार, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, रंगापाड़ा नॉर्थ, रंगिया जं., सिलचर, सिलीगुड़ी जं., श्रीरामपुर, तेजपुर, तिनसुकिया, न्यू मूल जं.	कूच बिहार, गुवाहाटी, कटिहार, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, रंगापाड़ा नॉर्थ, सिलीगुड़ी जं.	गुवाहाटी, कटिहार, न्यू बोंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू मॉल, रंगापाड़ा नॉर्थ, सिलीगुड़ी जं.
उत्तर पश्चिम रेलवे	फलना, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, लालगढ़, मेड़ता रोड, नागौर, पाली मारवाड़, रानी, देवनगर	लालगढ़	बांदीकुई, रेवाड़ी, सवाई माधोपुर
दक्षिण रेलवे	चेंगलपट्टू, एर्णाकूलम, इरोड जं., कन्नूर, करूर, जं., कसरगोड, कटपाडी जं., कोल्लम जं., कुम्भकोणम, नागरकोइल जं., रामेश्वरम, शोणानूर जं., तिरूवनंतपुरम सेंट्रल, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली जं., त्रिचूर, विल्लूपुरम जं., विरुधनगर जं., तिरूर	तिरूचिरापल्ली जं.	कोई नहीं
दक्षिण मध्य रेलवे	अदोनी, अनंतपुर, अन्नावरम, औरंगाबाद, बापटला, बसर, भद्राचलम, रोड, भीमावरम टाउन, भीमावरम जं., बिदर, चिराला, चित्तूर, कुड्डपा, धर्मावरम, धोने, दोर्णाकल, गूती, गुडूर, गुंतकल जलना, काकीनाडा टाउन, कवाली, काजीपेट, खम्माम, मचलीपतनम, महबूबनगर, महबूबाबाद, मनचिर्याल, मंत्रालयम रोड, मुदखेड, नाडीकुडी, नागरसोल, नालगोंडा, नांदेड, नंदयाल, नेल्लोर, नीडाडावोलू, निजामाबाद, अंगूल, पचोरा, पकाला, पलाकोल्लू, पर्ली वैजनाथ, पूर्णा, रायचूर, राजामुन्द्री, रेणिगुंटा, सिकंदराबाद सिरपुर, कागजनगर, श्रीकालास्थी, टाडपल्लीगुडम, तंदूर, तनुकू, तेनाली, तुनी	जलना, अदिलाबाद, औरंगाबाद, बसर, भद्राचलम रोड, भीमावरम जं., धर्मावरम, इलुरू, गूती, काकीनाडा पोर्ट, मछलीपटनम, महबूबनगर, नागरसोल, पकाला, पलाकोल्लू, पूर्णा, राचयूर, सिकंदराबाद, टनुकू, तिरूपति, विजयवाड़ा,	नलगोंडा, पूर्णा, विजयवाड़ा
दक्षिण पूर्व रेलवे	बालासोर, बोकारो स्टील सिटी, चक्रधरपुर, घाटसिला, हटिया, झारग्राम, झारसुगुडा, खड़गपुर, मिदनापुर, राजगंगपुर, रांची, राउरकेला, टाटानगर	बांकुड़ा, बोकारो स्टील सिटी, हटिया, झारग्राम, झारसुगुडा, मचेदा, मिदनापुर, पुरूलिया, रांची, उलूबेरिया	बोकारो स्टील सिटी, गार्डेन–रीच, लिदा, खड़गपुर

1	2	3	4
दक्षिण पश्चिम रेलवे	बंगलो सिटी बांगरपेट, बेल्लारी, भद्रावती, बिरूर, गडग, घाटप्रभा, हरिहर, हिंदूपुर, हॉस्पेट, होसुर टाउन, लोण्डा, मांड्या, श्री सत्य साई, प्रशांती, निलयम, तुमकुर, यशवंतपुर	बिरूर, धारवाड़, होसुर टाउन, हुबली	कृष्णराज नगर ओल्ड स्टेशन
पश्चिम रेलवे	कोई नहीं	कोई नहीं	भुज, राजकोट
पश्चिम मध्य रेलवे	भरतपुर, बीना, दमोह, गंगापुर सिटी, गंज बसोदा, गूना, होशंगाबाद, इटारसी, जबलपुर, कटनी, कोटा, मैहर, नरसिंगपुर, पीपरिया, रीवा, सागौर, सतना, सवाई माधोपुर, विदिसा	गंगापुर सिटी, इटारसी, कोटा	गंगापुर सिटी, इटारसी, कोटा

भारत–ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

★112. **श्री एंटो एंटोनी:**
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान–पाकिस्तान–भारत (आईपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में लाभार्थी देशों के साथ कोई सार्थक बातचीत की है या किसी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना की लागत का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) सरकार ईरान–पाकिस्तान–भारत (आईपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से ईरान सहित राष्ट्रपारीय गैस पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस का आयात सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। प्रतिभागी देशों के बीच महत्त्वपूर्ण मुद्दों अर्थात् गैस का मूल्य निर्धारण, गैस का सुपुर्दगी स्थल, परियोजना संरचना, परिवहन प्रशुल्क का भुगतान, पाकिस्तान होकर प्राकृतिक गैस के ले जाने के लिए मार्ग शुल्क और आपूर्ति की सुरक्षा आदि पर विचार–विमर्श किया जा रहा है। अभी तक परियोजना से संबंधित किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) परियोजना की लागत लगभग 7 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय जल नीति

★113. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में जल संसाधनों के संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित तथा खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय जल नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री तथा अल्पसंख्य कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, हां। जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन के संरक्षण, विनियमन एवं प्रबंधन से जुड़े सभी क्रियाकलाप संबंधित राज्यों द्वारा किए जाते हैं। तथापि, इस प्रयास में राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने की

दृष्टि से भारत सरकार ने निम्नलिखित संरक्षण एवं विनियामक उपाय शुरू किए हैं :

(i) पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक ''जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण (डब्ल्यूक्यूएए)'' की स्थापना की गई है।

(ii) भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया है।

(iii) भूजल के विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए मॉडल बिल का मसौदा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने इस संबंध में कानून अधिनियमित कर लिया है।

(iv) पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी अति दोहित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने/वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी उपाय करने और भवन उप–नियमों में छत के वर्षा जलन संचयन को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

(v) सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के लिए भी एक मॉडल बिल का मसौदा तैयार किया गया है और सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। 15 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए विशेष रूप से कानून अधिनियमित कर लिया है अथवा सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी के लिए अपने सिंचाई अधिनियमों में संशोधन कर लिया है।

(vi) भारत सरकार विभिन्न राज्यों में स्थित शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों की प्रदूषित एवं खराब स्थिति वाली झीलों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा प्रदूषित नदियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी स्कीम के माध्यम से जल संसाधन के स्थायी विकास एवं प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। भारत सरकार भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को भी प्रोत्साहन देती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार XIवीं योजना के लिए राज्य योजना एवं केंद्रीय योजनाक के अंतर्गत सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रों हेतु समग्र परिव्यय क्रमशः 1,82,050 करोड़ रुपये और 50,261 करोड़ रुपये है। 2007–08, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 के लिए परिव्यय क्रमशः 38630.25 करोड़ रुपए, 47794.79 करोड़ रुपये, 46003.73 करोड; रुपये एवं 52494.28 करोड़ रुपये है 2007–08 एवं 2008–09 के लिए वास्तविक व्यय क्रमशः 39833.12 करोड़ रुपये और 41030.25 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अप्रैल, 2002 में राष्ट्रीय जल नीति, 2002 अपनाई गई है। राष्ट्रीय जल नीति की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विधि में दी गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय जल नीति की मुख्य विशेषताएं, 2002

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 अप्रैल, 2002 को आयोजित की गई इसकी 5वीं बैठक में राष्ट्रीय जल नीति, 2002 अपनाई गई थी। राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

★ जल एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय मूल आवश्यकता तथा एक कीमती राष्ट्रीय सम्पत्ति है। जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत किए जाने की आवश्यकता है।

★ विद्यमान केंद्रीय और राज्य स्तर के अभिकरणों को एकीकृत और सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जल संबंधी आंकड़ों के वास्ते आंकड़ा बैंकों और आंकड़ा आधारों के नेटवर्क युक्त एक सुविकसित सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

★ देश में उपलब्ध जल संसाधनों को अधिकतम संभव स्तर तक उपयोज्य संसाधनों में लाया जाना चाहिए।

★ जल की उपयोगिता की गैर परंपरागत पद्धतियों जैसे अंत:–बेसिन अंतरण, भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा खारे और समुद्री जल का अलवणीकरण तथा परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियां जैसे वर्षा जल संचयन, जिसमें छत पर वर्षा जल संचयन भी शामिल है, को उपयोज्य जल संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। इन तकनीकों के लिए प्रमुख अनुसंधान और विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना आवश्यक है।

★ जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की आयोजना, जल वैज्ञानिक यूनिट के आधार पर की जानी चाहिए। नदी बेसिनों के नियोजित विकास और प्रबंधन के लिए उपयुक्त नदी बेसिन संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए।

★ जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जल अंतरित करके जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और एक नदी बेसिन से दूसरे बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल का अंतरण किया जाना चाहिए।

★ जहां तक संभव हो जल संसाधन के विकास के लिए परियोजना की आयोजना बहु उद्देशीय होनी चाहिए। यह आयोजना मानव व पारिस्थितिकीय पहलुओं और समाज के जो वर्ग लाभ से वंचित रह रहे हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एकीकृत एवं बहुविषयक दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए।

★ जल के आवंटन में पेय जल को सर्वप्रथम इसके पश्चात सिंचाई, जल–विद्युत, पारिस्थितिकी, कृषि–उद्योगों और गैर कृषि–उद्योगों, नौवहन और अन्य उपयोगों के क्रम में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

★ भूजल के दोहन को पुनर्भरण संभावनाओं तथा सामाजिक समानता के संबंध में विनियमित किया जाना चाहिए। भूजल के अति दोहन के हानिकर पर्यावरणीय परिणामों को प्रभावी ढंग से रोके जाने की जरूरत है।

★ विद्यमान जल संसाधन सुविधाओं के वास्तविक और वित्तीय स्थायित्व पर पर्याप्त बल दिए जाने की जरूरत है। विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभार सुनिश्चित किए जाने चाहिए ताकि प्रारंभ में कम से कम प्रचालन और रखरखाव दरें और बाद में पूंजीगत लागत का कुछ भाग प्राप्त हो सके।

★ विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रयोक्ताओं और अन्य पणधारियों सहित विभिन्न सरकारी अभिकरणों को शामिल करते हुए एक सहभागिता पद्धति को एक कुशल और निर्णायक रूप में अपनाया जाना चाहिए।

★ विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और प्रबंधन में, जहां व्यवहार्य हो, निजी क्षेत्र सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

★ सतही और भूजल की गुणवत्ता के लिए नियमित रूप से मानीटरिंग की जानी चाहिए। निस्सरणों को प्राकृतिक नदियों में बहाए जाने से पहले उनमें स्वीकार्य स्तरों और मानकों के अनुसार सुधार करना चाहिए। पारिस्थिति की को बनाए रखने के लिए बारहमासी नदियों में न्यूनतम प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

★ जल के विविध उपयोगों में उपयोग की कारगरता में सुधार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा, विनियमन, प्रोत्साहनों व दंड व्यवस्था करके जी संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

★ कम लागत में उपयुक्त उपाय अपनाकर समुद्र या नदी से होने वाले कटाव को कम से कम किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों एवं बाढ़ मैदान अंचलों में अंधाधुंध खेती को और आर्थिक क्रियाकलापों को विनियमित किया जाना चाहिए।

★ जल संसाधनों के विकास के लिए परियोजनाओं की आयोजना में सूखा प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों को विभिन्न उपायों के द्वारा सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

★ राज्यों के बीच जल बंटवारा/वितरण को जल संसाधन उपलब्धता और नदी बेसिन की जरूरतों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए।

★ जल संसाधन विकास के एकीकृत हिस्से के रूप में प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयास किए जाने चाहिए।

औषध–कंपनियों द्वारा कदाचार

★114. **श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भेषज कंपनियों ने नियंत्रण–तंत्र से बचने के उद्देश्य से ऐसी दवाओं, जो मूल्य नियंत्रण के दायरे में आती हैं, के उत्पादन को कथित तौर से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन विनिर्मित खाद्य एवं पोषक संपूरकों के रूप में परिवर्तित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के कदाचार में लिप्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) औषध–कंपनियों के कथित कदाचार पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को यह पता चला है कि कंपनियों ने औषधि निर्माण को खाद्व अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत खाद्य और पोषण पूरक आहारों के निर्माण के रूप में बदल दिया है। इससे वे अपने को मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर रख पाए हैं । इस संबंध में निम्नलिखित मामलों का पता चला है–मैसर्स मर्क का इवोन 400 एमजी, मैसर्स रेनबेक्सी को रिवाइटल, मैसर्स ट्रिक्यों का रिचार्ज प्लस, मैसर्स इन्डकेम का सॉफ्ट जेड गोल्ड आदि। एनपीपीए/सरकार ने डीपीसीओ, 1995 के दायरे से बचने के लिए मल्टीविटामिन कैप्सूलों/टेबलेटों को खाद्य सपूरकों के रूप में बढ़े हुए मूल्य पर बेचे जाने से संबंधित मामले पर विधि कार्य विभाग से कानूनी सलाह मांगी है।

चूंकि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन औषधियों के संरचना तथा औषधि अपवर्तन से संबंधित मामला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है इसलिए कंपनियों द्वारा अनुसरित उपर्युक्त कार्य की ओर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया गया है। एनपीपीए/सरकार ने उनसे अनुरोध किया कि वे इस मामले की जांच करके इसे रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम की धारा 22 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उत्पादों को विनियमित करने के उद्देश्य से खाद्य प्राधिकरण द्वारा नियम और विनियम बनाए जा रहे हैं। ऐसे उत्पादों को विनियमित करने हेतु नियम तथा विनियम बनाते समय खाद्य प्राधिकरण एनपीपीए के साथ परामर्श करेगा।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

★115. **श्री इज्यराज सिंह:**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितनी लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया गया;

(ख) राज्य–वार कितने गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना अभी शेष है;

(ग) क्या सरकार का उक्त योजना के तहत ग्रामों के अंदर भी सड़कें बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य–वार बनाई गई सड़कों की लंबाई को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ख) 'बसावट' पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क संपर्क मुहैया कराने की इकाई है। कवरेज के लिए पात्र बसावटों की राज्य–वार संख्या, ऐसी बसावटों की संख्या जिनके लिए संपर्कता प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं और ऐसी पात्र बसावटों की संख्या जिनके लिए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावों को अभी मंजूरी दी जाती है, को दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है।

(ग) से (ङ) कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क संपर्क विहीन पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। बसावट में संपर्कता उस स्थल तक मुहैया कराई जाती है जैसा कि राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी को उचित प्रतीत होता है। गांव के भीतर आंतरिक सड़कों के निर्माण को कार्यक्रम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है।

विवरण–I

#	राज्य	2007–08 में पूरी की गई लंबाई	2008–09 में पूरी की गई लंबाई	2009–10 में पूरी की गई लंबाई	2010–11 में पूरी की गई लंबाई (दिसम्बर 2010 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1656.80	1885.00	3092.00	1660.02	8293.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	271.90	317.43	622055	231.36	1443.24
3.	असम	1141.00	1985.11	2095.88	1093.21	6315.20
4.	बिहार (आरडब्ल्यूडी एंड एनईए)	1665.35	2532.20	2843.27	1626.13	8666.95
5.	छत्तीसगढ़	2719.36	2427.08	4020.44	1080.93	10247.81
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	830.24	1262.07	1511.02	390.47	3993.80
8.	हरियाणा	670.21	969.87	785.35	340.57	2766.01
9.	हिमाचल प्रदेश	1555.20	1360.10	1505.61	526.80	4947.71
10.	जम्मू व कश्मीर	140.69	469.80	661.54	451.78	1723.81
11.	झारखंड	277.15	214.97	1530.89	1224.87	3247.88
12.	कर्नाटक	1427.01	2099.13	3019.75	101.67	7562.56
13.	केरल	100.54	240.22	264.10	125.73	730.59
14.	मध्य प्रदेश	5231.45	7893.72	10398.01	5030.49	28553.67
15.	महाराष्ट्र	2942.19	4138.65	3111.50	2091.98	12284.67
16.	मणिपुर	265.99	78.95	879.68	226.44	1451.06
17.	मेघालय	52.47	30.80	97.92	58.40	239.59
18.	मिजोरम	207.43	195.18	202.71	97.72	703.04
19.	नागालैंड	398.42	298.53	273.66	64.50	1035.11
20.	उड़ीसा	1836.04	2641.00	3838.43	2557.90	10873.37
21.	पंजाब	1036.49	751.62	710.00	618.88	3116.99
22.	राजस्थान	9887.50	10349.93	4350.11	2280.47	26868.01

1	2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम	142.47	308.57	98.82	84.38	634.24
24.	तमिलनाडु	747.90	609.59	1940.49	1711.00	5008.98
25.	त्रिपुरा	59.51	361.27	519.93	152.37	1093.08
26.	उत्तर प्रदेश	3551.98	6461.02	9526.81	3187.99	22727.80
27.	उत्तराखंड	842.08	645.60	764.49	271.25	2523.42
28.	पश्चिम बंगाल	1573.81	1877.11	1452.04	760.95	5663.91
	कुल योग	41231.18	52404.52	60117.00	28963.27	182715.97

विवरण–II

#	राज्य	पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पात्र बसावटों की कुल संख्या	दिसम्बर 2010 तक जोड़ी गई बसावटों की सं.	सपंर्क विहीन बसावटों की सं. जिनके लिए प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं	जिनके लिए प्रस्ताव अभी मंजूर किए जाने हैं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1538	1176	388	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	804	231	119	454
3.	असम	10869	5939	2487	2443
4.	बिहार (आरडब्ल्यूडी एंड एनईए)★	10034	4166	12362	0
5.	छत्तीसगढ़	9855	5738	2035	2082
6.	गोवा	20	2	18	0
7.	गुजरात	3290	2181	351	758
8.	हरियाणा	1	1	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3742	1848	534	1360
10.	जम्मू व कश्मीर	2724	740	1037	947
11.	झारखंड	7770	2395	2880	2495
12.	कर्नाटक	269	269	0	0
13.	केरल	435	353	82	0

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	19615	9914	1903	7798
15.	महाराष्ट्र	1561	1001	202	358
16.	मणिपुर	654	150	236	268
17.	मेघालय	756	140	49	567
18.	मिजोरम	245	108	54	83
19.	नागालैंड	113	81	10	22
20.	उड़ीसा	18131	5423	3305	9403
21.	पंजाब	527	406	12	109
22.	राजस्थान	10850	10412	438	0
23.	सिक्किम	318	142	154	22
24.	तमिलनाडु	2203	1921	21	261
25.	त्रिपुरा	1952	1039	655	258
26.	उत्तर प्रदेश	13944	11.13	354	2577
27.	उत्तराखंड	2439	506	503	1430
28.	पश्चिम बंगाल	11805	7034	3356	1415
	कुल योग	136464	74329	33645	35110

★ बिहार को छोड़कर सभी राज्यों के लिए कोर नेटवर्क तैयार कर लिए गए हैं।

ग्रामीण विकास योजनाएं

★116. **डॉ. किरोड़ीलाल मीणा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु क्या तंत्र मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उनके समग्र प्रभाव के मूल्यांकन की कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में प्रशासनिक नियंत्रण की बेहतरी के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने का भी विचार है; और

(ङ) इन योजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बनाए गए तंत्र में शामिल हैं आवधिक प्रगति रिपोर्टें, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता, सुपुर्दगी निगरानी इकाई, निष्पादन बजट निगरानी, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद जैसे निकायों तथा अन्य स्वतंत्र निकायों और राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति द्वारा निगरानी।

(ख) और (ग) योजनाओं की निगरानी करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों तथा स्वतंत्र अनुसंधान एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, यद्यपि आकस्मिक विपथन हो जाता है, लेकिन इन सभी योजनाओं का समग्र प्रभाव एवं परिणाम संतोषजनक हैं।

(घ) योजना के कार्यान्वयन आवश्यकताओं के अनुसार निगरानी तंत्र को सतत रूप से सुदृढ़ बनाया तथा परिशोधित किया जाता है। इसके अलावा, निगरानी को सुगम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

(ङ) ग्रामीण विकास योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पांच–सूत्री कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है जिनमें योजनाओं के बारे में जानकारी देना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जन भागीदारी, (iv) जवाबदेही, सामाजिक लेखा–परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सतर्कता एवं निगरानी करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

ग्रामों में पेयजल

★117. **श्री पी. विश्वनाथन :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित तथा प्रयुक्त की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रमामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान है;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं की सफलता/उपलब्धियों का आकलन करने के लिए इनकी समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के गांवों में पेयजल की गुणवत्ता में कब तक सुधार हो जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) भारत सरकार ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना का संचालन करती है । इस कार्यक्रम में अंतर्गत भारत सरकार ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन, अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सक्षम हैं। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए चल रही योजनाओं की संख्या के संबंध में राज्यों द्वारा विभाग की ऑनलाइन प्रबंधन आसूचना प्रणाली पर प्रविष्ट किए गए आंकड़े सलंग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार आवंटन, रिलीज और राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) विभाग ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सचिवों की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा समिति की बैठकों, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की आवधिक रूप से समीक्षा करके निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी करता है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/तकनीकी अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों को प्राथमिकता आधार पर कवर न की गई तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने की दृष्टि से कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं, कार्यों और क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए और साथ ही ऑन लाइन समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली में लक्षित बसावटों को चिह्नित करने के लिए वार्षिक कार्ययोजनाएं बनाने की जरूरत होती है। कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की लेखा परीक्षा भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) विभाग ऑनलाइन आईएमआईएस और राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर कराई गई आवधिक समीक्षाओं के जरिए एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में एनआरडीडब्ल्यूपी की वास्तविक उपलब्धियां विवरण–III में दी गई हैं।

(च) एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का उपयोग पहुंच उपलब्ध कराने और बढ़ाने तथा इसके साथ ही रासायनिक एवं जैविक संदूषण समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। 85% निधियों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की मात्राा और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। परिमाणात्मक और गुणात्मक मुद्दों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और सतत आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण–I

2011–12 में चल रही ग्रामीण पेयजल योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	पाइप से जल आपूर्ति वाली योजनाएं	हैंडपंप/बोरवेल	अन्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	7681	68	3	2498.2983
2.	बिहार	335	16281	41	263.3947
3.	छत्तीसगढ़	1935	26942	382	460.9436
4.	गोवा	2	0	0	0
5.	गुजरात	1778	108	14	748.2037
6.	हरियाणा	1855	68	49	3611.1
7.	हिमाचल प्रदेश	2180	31	2	2477.1895
8.	जम्मू व कश्मीर	912	102	0	1407.0551
9.	झारखंड	1379	28213	1871	543.6293
10.	कर्नाटक	17379	6090	1698	2102.5138
11.	केरल	210	1	0	848.8336
12.	मध्य प्रदेश	1653	24464	479	475.2542
13.	महाराष्ट्र	10016	746	1258	5631.5095
14.	उड़ीसा	3517	12043	713	857.5668
15.	पंजाब	1432	432	72	452.6812
16.	राजस्थान	5058	7656	2473	3901.6873
17.	तमिलनाडु	9584	23	22	1487.1473
18.	उत्तर प्रदेश	786	54288	36	1715.5242
19.	उत्तराखंड	1549	1	0	307.6289
20.	पश्चिम बंगाल	955	1276	0	2339.2871
21.	अरुणाचल प्रदेश	1535	260	43	346.5789
22.	असम	1549	7552	3308	535.862
23.	मणिपुर	539	17	7	51.2774
24.	मेघालय	2168	81	782	805.3925
25.	मिजोरम	92	0	18	26.6623
26.	नागालैंड	154	0	2	43.3562
27.	सिक्किम	231	0	0	22.6036
28.	त्रिपुरा	819	226	116	164.8006
29.	अंडमान निकोबार	10	0	2	14.7192
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन व द्वीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	10	0	0	0.966
	कुल	77303	186969	13391	34142.6668

विवरण–II

विगत तीन वर्षों के दौरान एक आरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अथशेष, आवंटन, रिलीज और व्यय

		2007–08				2008–09			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	86.17	295.30	305.24	388.41	3.00	394.53	395.05	398.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.87	112.41	112.41	121.31	25.97	146.12	162.46	160.97
3.	असम	5.50	189.59	189.59	117.26	77.83	246.44	187.57	265.40
4.	बिहार	122.68	279.37	169.69	0.00	292.37	425.38	452.38	73.00
5.	छत्तीसगढ़	22.97	95.95	95.95	104.16	14.76	130.42	125.26	112.42
6.	गोवा	0.65	3.31	1.66	2.31	0.00	3.98	0.00	0.00
7.	गुजरात	19.85	205.89	205.89	219.12	6.62	314.44	369.44	289.33
8.	हरियाणा	16.13	93.41	93.41	109.53	0.00	117.29	117.29	117.29
9.	हिमाचल प्रदेश	2.03	117.46	130.42	132.46	0.00	141.51	1341.51	141.49
10.	जम्मू व कश्मीर	49.58	329.92	329.92	361.41	18.09	397.86	396.49	176.67
11.	झारखंड	33.06	113.88	84.46	117.51	0.00	160.67	80.33	18.85
12.	कर्नाटक	6.76	278.51	283.16	286.57	3.35	477.19	477.85	449.15
13.	केरल	0.00	82.93	84.25	83.46	0.79	103.33	106.97	106.56
14.	मध्य प्रदेश	37.58	251.62	251.62	267.56	21.65	370.47	380.47	368.61
15.	महाराष्ट्र	29.06	404.40	404.40	378.38	55.08	572.57	648.24	511.06
16.	मणिपुर	6.90	38.59	45.59	34.71	17.79	50.16	45.23	36.33
17.	मेघालय	12.62	44.46	55.29	56.61	11.30	57.70	63.38	74.50
18.	मिजोरम	0.00	31.86	38.88	30.16	8.72	41.44	54.19	45.46

(करोड़ रु.)

2009–10				2010–11			
अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय
0.00	437.09	537.37	359.79	147.58	491.02	407.84	365.58
27.47	180.00	178.20	198.91	6.76	123.35	114.91	80.27
0.00	301.60	323.50	241.77	81.77	449.64	437.48	192.77
671.45	372.21	186.11	284.87	572.68	341.46	0.00	358.42
27.59	116.01	128.22	104.07	51.75	130.27	116.10	70.59
0.00	5.64	3.32	0.52	2.82	3.34	0.00	
86.73	482.75	482.75	484.38	85.11	542.67	451.98	335.38
0.00	207.89	206.89	132.35	74.54	233.69	114.05	142.39
0.02	138.52	182.85	144.50	38.37	133.71	126.18	113.38
237.91	447.74	402.51	363.49	256.93	449.22	408.41	291.99
61.46	149.29	111.34	86.04	86.76	165.93	102.82	81.63
32.05	573.67	627.86	473.71	186.20	644.92	577.45	259.51
1.19	152.77	151.89	150.99	2.09	144.28	136.76	82.20
33.50	367.68	379.66	347.03	66.14	399.04	346.23	205.68
192.26	652.43	647.81	616.56	221.51	733.27	530.84	389.31
26.69	51.60	38.57	32.19	33.08	54.61	38.84	55.84
0.18	70.40	79.40	68.57	11.01	63.48	61.88	39.75
17.43	50.40	55.26	51.31	21.38	46.00	44.59	33.38

विवरण–II

विगत तीन वर्षों के दौरान एक आरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अथशेष, आवंटन, रिलीज और व्यय

		2007–08				2008–09			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय
19.	नागालैंड	14.32	32.72	39.75	27.39	26.68	42.53	42.53	39.60
20.	उड़ीसा	61.66	168.85	171.95	233.60	0.00	298.68	298.68	273.12
21.	पंजाब	5.14	52.91	51.80	40.28	16.66	86.56	96.68	6.54
22.	राजस्थान	12.95	606.72	606.72	619.67	0.00	970.13	971.83	967.95
23.	सिक्किम	1.96	13.42	20.13	15.36	6.73	17.45	32.45	28.85
24.	तमिलनाडु	0.00	190.90	190.90	190.90	0.00	241.82	287.82	230.58
25.	त्रिपुरा	13.71	39.43	54.43	54.30	13.84	51.25	41.01	36.99
26.	उत्तर प्रदेश	92.10	401.51	401.51	421.14	72.48	539.74	615.76	514.54
27.	उत्तरांचल	37.12	89.30	89.30	114.14	12.28	107.58	85.87	61.09
28.	पश्चिम बंगाल	42.35	191.37	191.37	230.55	318	389.39	389.39	371.62
29.	अंडमान निकोबार	35.50	0.00	0.00	4.72	30.78	0.00	0.00	30.78
30.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	1.00	0.31	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	804.24	4757.01	4699.67	4762.96	740.94	6896.72	7056.02	5998.28

(करोड़ रु.)

2009–10				2010–11			
अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय
2961	52.00	47.06	76.57	0.10	79.51	37.77	25.61
25.56	187.13	226.66	198.87	53.35	204.88	199.76	123.56
81.17	88.81	95.35	0.00	0.00	82.21	80.15	79.78
3088	1036.46	1012.16	680.00	336.04	1165.44	1070.35	639.49
10.33	21.60	20.60	30.58	0.36	26.24	12.47	15.62
57.24	320.43	317.95	364.21	10.98	316.91	308.99	161.27
17.85	62.40	77.40	76.51	18.74	57.17	55.66	48.43
173.71	959.12	956.36	974.14	155.93	899.12	776.97	508.79
37.06	126.16	124.90	63.83	98.13	139.39	136.41	24.29
20.94	372.29	394.30	390.76	24.48	418.03	408.67	26.381
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	
1798.69	7986.43	7989.72	7143.83	2644.57	8550.00	7103.56	

विवरण–III

2007–08 से अब तक एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत लक्ष्य और बसावटों की कवरेज

		2007–08		2008–09		2009–10		2010–11	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरज	लक्ष्य	कवरेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10094	7070	15889	15647	8500	5553	6673	3671
2.	अरुणाचल प्रदेश	1584	464	2390	905	2400	567	534	145
3.	असम	12792	5060	23099	8703	23000	12015	8157	4212
4.	बिहार	15863	6171	39956	25785	40508	27103	18749	7556
5.	छत्तीसगढ़	4342	3852	4408	8178	3551	12212	9948	4685
6.	गोवा	4	1	3	4	0	0	0	
7.	गुजरात	3771	3864	4232	2374	1396	1598	1100	590
8.	हरियाणा	1140	917	635	965	950	912	1007	529
9.	हिमाचल प्रदेश	4510	4510	5184	6390	5000	5256	5000	3494
10.	जम्मू व कश्मीर	2241	747	4704	2234	24700	433	962	514
11.	झारखंड	5479	6548	7179	6832	1552	14918	1099	6518
12.	कर्नाटक	9176	5418	12950	5586	13000	12538	8750	3214
13.	केरल	3258	906	4596	7650	395	254	744	236
14.	मध्य प्रदेश	10107	10035	3718	5302	4500	11414	13300	10264
15.	महाराष्ट्र	14975	9261	19877	17128	8605	7465	9745	6377
16.	मणिपुर	153	144	0	115	730	160	330	131
17.	मेघालय	1558	1205	1881	1116	500	407	840	201
18.	मिजोरम	145	191	306	46	300	124	124	50
19.	नागालैंड	379	420	170	584	200	84	105	46
20.	उड़ीसा	10361	11585	16492	13507	3452	9777	549	4948
21.	पंजाब	2845	588	4933	1523	1651	1881	2023	928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	19123	5353	25654	7434	10929	10770	7764	3711
23.	सिक्किम	307	299	300	27	300	110	175	75
24.	तमिलनाडु	9625	9832	4602	9097	7000	8238	8009	4149
25.	त्रिपुरा	784	179	138	555	3132	843	825	529
26.	उत्तर प्रदेश	3479	1979	1639	1190	2000	1877	2142	941
27.	उत्तरांचल	1451	2117	1450	1351	1199	1200	1565	749
28.	पश्चिम बंगाल	5896	6632	11460	2747	9093	4806	6630	3967
29.	अंडमान निकोबार	14		34	0	42	0	8	
30.	दादरा व नगर हवेली	15	15	0	0	0	0		
31.	दमन व द्वीव	0		0		0			
32.	दिल्ली	0	0	0					
33.	लक्षद्वीप	7		10		0		10	
34.	पांडिचेरी	21	52	18	15	4	40		
	कुल	155499	105415	217898	152990	158589	152555	121812	72430

★ 31/01/2011 को

निजी क्षेत्र की भागीदारी

★118. **श्री सी. शिवासामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रेलवे में प्रतिस्पर्धी भावना भरने, सुविधाएं बढ़ाने तथा रेलवे का समग्र कार्य-निष्पादन बेहतर बनाने की दृष्टि से, रेलवे बोर्ड से विभिन्न क्रियाकलापों में निजी भागीदारों के प्रवेश पर विचार करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस बात पर भी बल दिया है कि रेलवे, रेल यात्री परिवहन प्रणाली में निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा शुरू करने हेतु एक खाका तैयार करे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं। रेल मंत्रालय निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाता रहा है। निजी कंटेनर गाड़ियों के परिचालन के लिए 2006 में एक नीति आरंभ की गई थी। इस नीति के अंतर्गत, 16 परिचालकों (भारतीय कंटेनर निगम लि. सहित) को पहले से ही लाइसेंस प्राप्त है और गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय, राज्य पर्यटन निगमों तथा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के सहयोग से पहले से ही पर्यटक गाड़ियों का परिचालन कर रहा है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम, निजी पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम का गठन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने चल स्टॉक/कलपुर्जो आदि के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर भी विचार किया है। पूर्वी समर्पित माल गलियारे के दानकुनी--सोननगर क्षेत्र की सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से निष्पादित करने के लिए पहचान की गई है।

हाल के वर्षों में, अवसंरचना, चल स्टॉक या सेवाओं के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे रेलवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रीज इनिसिएटिव (आर 3 आई), प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी), स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स (एसएफटीओ), ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स (एएफटीओ), ऑटोमोबाइल एवं आनुषंगी केंद्र, किसान विजन (कोल्ड चेन्स), नई खानपान नीति, कोयला एवं लौह अयस्क खदानों के लिए रेल संपर्क (आर 2 सी आई) में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे द्वारा विशिष्ट व्यवसाय अनुकूल नीतियां बनाई गई हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन में इन पहलों पर ध्यान देते समय योजना आयोग ने उनमें तेजी लाने का सुझाव दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ईरान से तेल का आयात

★119. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान के बीच कच्चे तेल की आपूर्ति के संबंध में कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस रीति से भुगतान पर सहमति हुई है;

(ग) ईरान को इसके पूर्व कच्चे तेल के आयात का भुगतान किस प्रकार किया जाता था;

(घ) क्या कच्चे तेल की आपूर्ति के भुगतान के तरीके को लेकर दोनों देशों के बीच कोई असहमति थीं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस का समाधान किस प्रकार किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल), मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (एमआरपीएल) और एस्सार आयर लि. (ईओएल) कच्चे तेल के आयात के लिए नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) के साथ आवधिक संविदाएं करती हैं। इन कंपनियों द्वारा पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आयातित कच्चे तेल की मात्रा (मिलियन मीट्रिक टन में) नीचे सारणी में दी गई है :

वर्ष	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	एमआरपीएल	रिलायंस	ईओएल	जोड़
2008–09	1.8	0.4	1.4	8.0	4.4	5.3	21.3
2009–10	2.5	0.0	3.2	6.9	3.3	5.3	21.2
2010–11 (सितंबर, 2010 तक)	1.0	0.3	1.3	3.3	0.0	3.0	8.9

ईरान (एनआईओसी) को 22.12.2010 तक भुगतान एशियन क्लीयरिंग यूनियन (एसीयू) व्यवस्था के जरिए किया जा रहा था।

(घ) से (च) भातरीय रिजर्व बैंक द्वारा 23.12.2010 से एशियन क्लीयरिंग यूनियन व्यवस्था समाप्त करने के परिणामस्वरूप, कच्चे तेल के आयात के लिए ईरान को सभी भुगतान, एसीयू व्यवस्था से भिन्न किसी अनुमत मुद्रा में तय करनी होगी। भुगतान पद्धतियों का हल निकालने के लिए, विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों को मिला कर एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में 14–17 जनवरी, 2011 के दौरान ईरान गया था। इस प्रतिनिधि मंडल ने भारत द्वारा तेल के आयात के लिए भुगतान संबंधी मुद्दों को निपटाने हेतु ईरानी प्राधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया था। एनआईओसी की बकाया राशियां अब चुकाई जा रही हैं और 1.3.2011 तक सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को 1.5 बिलियन यूरो का भुगतान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस के मूल्य का निर्धारण

★120. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण की विद्यमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की प्रशासित मूल्य प्रणाली (एपीएम) में संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्राकृतिक गैस के मूल्य में संशोधन करने के संबंध में तेल कंपनियों से कोई परामर्श किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संशोधन का क्या असर होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) देश में गैस के लिए मुख्यतया दो मूल्य निर्धारण व्यवस्थाएं हैं–प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के तहत मूल्य निर्धारित गैस या मुक्त बाजार गैस। एपीएम गैस का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। जहां तक एपीएम भिन्न/मुक्त बाजर गैस का संबंध है, इसे भी दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अर्थात्, (1) आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), और (2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) और एनईएलपी पूर्व क्षेत्रों से घरेलू तौर पर उत्पादित गैस। आयातित एलएनजी का मूल्य संविदा के निबंधन के तहत, एलएनजी विक्रेता और क्रेता के बीच होने वाले बिक्री और खरीद करार (एसपीए) द्वारा शासित होता है जबकि तत्स्थान एलएनजी नौभारों की खरीद पारस्परिक सहमत वाणिज्यिक शर्तों पर की जाती है। जहां तक एनईएलपी और एनईएलपी पूर्व गैस का संबंध है, इसका मूल्य निर्धारण, सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) की शर्तों द्वारा शासित होता है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय तेल कंपनियां अर्थात् ओएनजीसी और ओआईएल लगातार अनुरोध करती रही हैं कि एपीएम गैस का मूल्य बाजार मूल्य के समान बढ़ाया जाए क्योंकि वे पूर्व संशोधित मूल्य पर अपने गैस के कारोबार में पर्याप्त अल्प वसूलियां झेल रही थी। एनओसीज के लिए गैस उत्पादन में वृद्धि करना वित्तीय तौर पर सांध्य बनाने के लिए सरकार ने एपीएम गैस का मूल्य जून, 2010 से रायल्टी सहित 4.2 मिलियन अमरीकी डालर ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) तक बढ़ा दिया है ताकि एपीएम गैस के मूल्य को एनईएलपी क्षेत्रों से उत्पादित गैस के मूल्य के अनुरूप किया जा सके। जहां तक पूर्वोत्तर में ग्राहकों का संबंध है, गैस का 40 प्रतिशत मूल्य, केंद्र सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में दिया जा रहा है।

(च) एपीएम गैस मूल्य में वृद्धि का विभिन्न क्षेत्रों पर ठोस प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। विद्युत क्षेत्र में एपीएम गैस आधारित विद्युत उत्पादन, देश में कुल विद्युत उत्पादन का एक छोटा–सा घटक है। राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का मूल्य विनियमित किया जाता है और एपीएम मूल्य में वृद्धि होने के कारण उर्वरकों की राजसहायता में वृद्धि, एपीएम गैस मूल्य में वृद्धि होने से केंद्रीय सरकार के राजस्व उत्पादन में होने वाली वृद्धि से कम होने की संभावना है।

हाथ से बुनी हुई और कताई की गई खादी का उत्पादन

1151. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हाथ से बुनी हुई खादी का राज्य–वार उत्पादन क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खनिज, वन उत्पादों, कृषि, खाद्य वस्तुओं, रसायन और पोलीमर से उत्पादित या निर्मित तथा हाथ से बनाए गए कागज की मात्रा क्या है;

(ग) ग्रामीण अभियंत्रण क्षेत्र द्वारा किए गए उत्पादन का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ङ) विभिन्न केवीआईसी इकाइयों के नाम क्या हैं, उनका कुल उत्पादन कितना है तथा इन इकाइयों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी का राज्य–वार और वर्ष–वार उत्पादन संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) हस्तनिर्मित कागज और रेशा के उत्पादन का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में प्रदान किया गया है।

(ग) ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा प्राप्त उत्पादन का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और 31.12.2010 तक वर्तमान वर्ष के दौरान योजना और योजनेतर शीर्षों के तहत केवीआईसी को बजटीय सहायता निम्नलिखित सारणी I में दर्शायी गई है :

सारणी 1 : केवीआईसी में बजटीय सहायता

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केवीआईसी को जारी निधियां	
	योजना★	योजनेतर
2007–08	622.99	82.80
2008–09	1104.94	107.62
2009–10	836.00	192.38
2010–11	1013.21@	132.58@

★स्फूर्ति सहित

@ 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार

(ङ) केवीआई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केवीआईसी द्वारा मुख्य रूप से लगभग 5000 खादी संस्थानों सहित केवीआई संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से गैर सरकारी संगठन (सोसाइटियां, ट्रस्ट, आदि)। केवीआईसी द्वारा प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न योजनाओं के तहत समय–समय पर सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों और 31.12.2010 तक वर्तमान वर्ष के लिए खादी व ग्रामोद्योगों का उत्पादन निम्नलिखित सारणी 2 में दर्शाया गया है :

सारणी 2 : केवीआई उत्पादों का उत्पादन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उत्पादन		कुल
	खादी	ग्रामोद्योग★★	
2007–08	543.39	16134.32	16677.71
2008–09	585.25	16753.62	1738.87
2009–10	628.98	17508.00	18136.98
2010–11★	510.91	12317.13	12828.04

★दिसंबर, 2010 तक

★★ अनुमानित

विवरण–I

पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी का राज्य वार और वर्ष उत्पादन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	0.39	0.85	1.30
2.	दिल्ली	218.73	228.58	237.68
3.	हरियाणा	4496.59	5566.11	6086.67
4.	हिमाचल प्रदेश	392.87	420.77	480.70
5.	जम्मू व कश्मीर	1223.26	1266.15	1155.66
6.	पंजाब	1128.00	1192.27	1102.45
7.	राजस्थान	3166.94	3569.06	3671.59
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
9.	बिहार	856.94	856.94	0.00
10.	झारखंड	334.51	365.01	1202.22
11.	उड़ीसा	294.51	356.74	456.85
12.	पश्चिम बंगाल	5490.35	5691.45	420.51
13.	आंध्र प्रदेश	2211.83	2309.48	2405.52
14.	कर्नाटक	3854.84	4137.60	4222.46
15.	केरल	1574.22	1897.60	2177.54
16.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
17.	पुदुचेरी	6.95	6.95	0.30
18.	तमिलनाडु	6316.39	6625.01	6306.08
19.	गोवा	0.00	0.00	0.00
20.	गुजरात	3309.33	3451.89	3553.62

1	2	3	4	5
21.	महाराष्ट्र	395.52	415.86	419.58
22.	छत्तीसगढ़	969.62	975.62	1727.28
23.	मध्य प्रदेश	888.10	1001.59	1041.59
24.	उत्तराखंड	1165.89	1284.45	1621.55
25.	उत्तर प्रदेश	15282.50	15898.10	16608.34
26.	अरुणाचल प्रदेश	9.41	10.88	7.53
27.	असम	618.00	849.41	866.74
28.	मणिपुर	67.89	69.29	67.00
29.	मेघालय	6.32	6.56	2.02
30.	मिजोरम	0.34	0.34	2.03
31.	नागालैंड	55.95	68.31	71.50
32.	त्रिपुरा	2.67	2.75	0.69
33.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
	कुल	54338.86	58525.12	62897.62

2010–11 के लिए राज्य–वार ब्यौरे केवीआईसी में संकलन के अधीन हैं।

विवरण–II

पिछले तीन वर्षों के दौरान के हस्तनिर्मित कागज और रेशा ग्रामोद्योग समूह का राज्यवार और वर्षवार उत्पादन*

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007–08	2009–10
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	78.93	85.66
2.	दिल्ली	280.98	304.97
3.	हरियाणा	2774.39	3010.70
4.	हिमाचल प्रदेश	1922.60	2087
5.	जम्मू व कश्मीर	1818.75	1973.60
6.	पंजाब	3234.38	3509.86
7.	राजस्थान	5476.78	5963.07
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	46.78	50.80
9.	बिहार	337.22	365.93
10.	झारखंड	152.14	165.30
11.	उड़ीसा	1536.68	1667.68
12.	पश्चिम बंगाल	5322.81	5775.99
13.	आंध्र प्रदेश	4105.06	4457.56
14.	कर्नाटक	5189.65	5633.50
15.	केरल	3602.39	3919.20
16.	लक्षद्वीप	3.68	3.99
17.	पुदुचेरी	54.92	56.65
18.	तमिलनाडु	8144.49	8877.91
19.	गोवा	164.44	178.50
20.	गुजरात	2629.17	2853.46
21.	महाराष्ट्र	7690.57	8445.35
22.	छत्तीसगढ़	644.38	699.24
23.	मध्य प्रदेश	2646.56	2872.89
24.	उत्तराखंड	1194.57	1296.89
25.	उत्तर प्रदेश	7542.97	8385.18
26.	अरुणाचल प्रदेश	119.52	236.42
27.	असम	1128.82	2288.44
28.	मणिपुर	442.14	504.66
29.	मेघालय	333.53	380.69
30.	मिजोरम	551.97	630.02

1	2	3	4
31.	नागालैंड	285.37	325.72
32.	त्रिपुरा	293.72	398.85
33.	सिक्किम	116.73	133.24
	कुल	69867.09	77541.57

★ 2008–09 से संबंधित आंकड़े केवीआंसी के पास उपलब्ध नहीं हैं। 2010–11 से संबंधित राज्य–वार आंकड़े केवीआईसी के संकलन के अधीन हैं।

विवरण–III

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामोद्योगों के ग्रामीण इंजीनियरिंग व जैव प्रौद्योगिकी ग्रामोद्योग समूह का राज्यवार और वर्षवार उत्पादन*

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2007–08	2009–10
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	329.27	357.31
2.	दिल्ली	1043.22	1132.09
3.	हरियाणा	16848.97	18283.59
4.	हिमाचल प्रदेश	11804.57	1280961
5.	जम्मू व कश्मीर	8753.18	9498.43
6.	पंजाब	16026.59	17391.09
7.	राजस्थान	28166.91	30566.04
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	381.80	414.31
9.	बिहार	523426	5679.85
10.	झारखंड	1703.78	1848.84
11.	उड़ीसा	6888.47	7474.95
12.	पश्चिम बंगाल	10806.99	11727.09
13.	आंध्र प्रदेश	19375.11	21024.71
14.	कर्नाटक	23905.12	25940.44
15.	केरल	16917.?4	18350.57
16.	लक्षद्वीप	31.94	34.66
17.	पुदुचेरी	388.93	422.04
18.	तमिलनाडु	22518.79	24436.04
19.	गोवा	762.05	826.93
20.	गुजरात	13993.89	15185.33
21.	महाराष्ट्र	33771.92	36607.26
22.	छत्तीसगढ़	4181.35	4538.35
23.	मध्य प्रदेश	14825.09	16087.30
24.	उत्तराखंड	4527.20	4912.65
25.	उत्तर प्रदेश	36548.27	38759.99
26.	अरुणाचल प्रदेश	845.45	978.50
27.	असम	8170.45	9308.50
28.	मणिपुर	1575.03	1697.74
29.	मेघालय	1853.73	1615.74
30.	मिजोरम	4256.04	4457.84
31.	नागालैंड	3159.51	3519.26
32.	त्रिपुरा	2111.45	2010.40
33.	सिक्किम	776.80	876.64
	कुल	322483.37	348774.34

★ 2008–09 से संबंधित आंकड़े कवीआईसी के पास उपलब्ध नहीं हैं । 2010–11 से संबंधित राज्य–वार आंकड़े केवीआईसी के संकलन के अधीन हैं।

[अनुवाद]

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण

1152. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां प्रदान की गईं;

(ग) इस संबंध में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सरकार के पास भेजे गए लंबित अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़ सहित) की वजह से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण के लिए वर्ष वार, राज्य–वार रिलीज की गई निधियों का विवरण संलग्न है।

(ग) महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य से प्राप्त कोई अनुरोध मंत्रालय में लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2007–08 से 2009–10 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के लिए राज्य–वार रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2007–08	2008–09	2009–10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	173.25		719.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	179.72	37.5	18.75
3.	असम	37.50		85.70
4.	बिहार		5409.19	37.50
5.	छत्तीसगढ़		23.435	16.28
6.	हरियाणा			18.75
7.	हिमाचल प्रदेश			20.50
8.	कर्नाटक		56.25	984.51
9.	मध्य प्रदेश	120.89	233.977	13.03
10.	महाराष्ट्र	187.64	85.64	18.75
11.	मणिपुर			20.79
12.	नागालैंड	18.75	37.5	
13.	उड़ीसा			17.03
14.	राजस्थान	9.73	90.75	46.12
15.	तमिलनाडु		158.2114	158.11
16.	उत्तर प्रदेश	37.50		159.60
	कुल	764.98	6132.35	2335.35

जल का संरक्षण

1153. श्री पी. बलराम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जारी विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भू–जल संसाधन प्रबंधन के प्रति सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण से जल संसाधन से बचाया जा सकता है तथा किसानों की आय भी बढ़ सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) विश्व बैंक की ''डीपवैल्स एंड प्रूडेंस : टूवार्डस प्रिगमेटिक एक्शन फौर एडरेसिंग ग्राउंडवाटर ओवर एक्सप्लोयटेशन इन इंडिया'' नामक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ समुदाय आधारित भूमि जल प्रबंधन को सक्षम बनाने और प्रोत्साहन देने तथा पणधारियों के क्षमता निर्माण में निवेश की आवश्यकता का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की किसान–प्रबंधित भूमिजल निवेश परियोजना (एपीएफएएमजीएस) का उल्लेख है जिसका वित्तपोषण संयुक्त राष्ट के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है और राज्य के सात सूखा प्रवण जिलों में नोडल कार्यान्वयनकारी अभिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप जल उपयोग में कमी और किसानों को होने वाले लाभ में सुधार हुआ है।

(ग) भारत की राष्ट्रीय जल नीति में भी यह परिकल्पना की गई है कि केवल विभिन्न सरकारी अभिकरणों को ही नहीं बल्कि अन्य पणधारियों अर्थात जल प्रयोक्ता संघों, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों का भी जल संसाधन स्कीमों की आयोजना, अभिकल्प, विकास और प्रबंधन के विभिनन घटकों में सक्रिय और निर्णायक रूप में शामिल करके विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधनों के प्रबंध में सहभागिता दृष्टिकोण शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मतदाता फोटो पहचान–पत्र

1154. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक फोटो पहचान–पत्र जारी किए जा चुके हैं;

(ग) शत–प्रतिशत व्यक्तियों को फोटो पहचान–पत्र जारी करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार प्रत्येक नागरिक के लिए फोटो पहचान–पत्र अनिवार्य बनाने हेतु किसी कानून का अधिनियम करने वाली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कुटीर उद्योगों को विशेष सहायता

1155. कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य से संबंधित कुटीर उद्योगों को विशेष सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये उद्योग चल रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्तमान में सिर्फ खाद्य से संबंधित कुटीर उद्योगों को विशेष सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम मंत्रालय में सरकार परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को संगठित करते हुए कुटीर, कृषि व खाद्य आधारित उद्योगों सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व–रोजगार अवसर सृजित करने के लिए देश भर में खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से 2008–09 से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है और उनकी अर्जन क्षमता बढ़ाने के अलावा उनके प्रवास को रोकने में मदद कर रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, इस योजना का कार्यान्वयन बैंकों की भागीदारी के साथ केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, लाभार्थी विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये प्रत्येक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों से सहायता और बैंकों से ऋण, आदि की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी से संबंधित लाभार्थियों द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए परियोजना लागत के 25 फीसदी के बराबार मार्जिन मनी सब्सिडी, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं और अन्य जैसे विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए 35 फीसदी है, प्राप्त करते हुए अन्य के साथ–साथ, कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तहत सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त कृषि व खाद्य आधारित उद्योगों सहित इकाइयों की संख्या निम्नलखित हैं :

वर्ष	पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या
2008–09	25507
2009- 10	39502
2010–11★	31605

★10.02.2011 तक

इंदिरा आवास का आवंटन

1156. श्री राकेश सिंह : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण करने हेतु रज्यों के लिए क्या मानदंड विहित हैं तथा इस उद्देश्य हेतु निधियां स्वीकृत करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को मकानों के निर्माण हेतु कम धनराशि आवंटित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में अ.जा. और अ.ज.जा. की भारी आबादी के मद्देनजर इस राज्य में मकानों के निर्माण हेतु उक्त आवंटन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना एक आवंटन आधारित योजना है जिसके अंतर्गत मकानों की कमी को 75 प्रतिशत वेटैज तथा निर्धनता अनुपात को 25 प्रतिशत वेटैज देकर पूर्व–निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियां एवं वास्तविक लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। एकरूपता के लिए मकान की कमी जैसा कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर भारत के महापंजीयक द्वारा सूचित किया गया है, पर विचार किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ निर्धनता अनुपात को लिया जाता है जैसा कि योजना आयोग द्वारा सूचित किया गया है। चूंकि राज्यों के बीच निधियों का आवंटन सभी राज्यों के लिए निर्धारित एक समान मानदंड के आधार पर किया जाता है इसलिए प्रत्येक राज्य अपनी हकदारी के अनुसार निधियां प्राप्त करते हैं।

राज्यों को निधियों का आवंटन प्रतिवर्ष ग्रामीण आवास के लिए समग्र बजटीय आवंटन पर निर्भर करता है। तथापि, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संबंध में जनसंख्या मानदंड को शामिल किया जाता है जबकि 25 प्रतिशत वेटैज के रूप में किसी राज्य में जिलों के बीच आवंटित निधियां जिले की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी को दी जाती है और मकानों की कमी को 75 प्रतिशत वेटैज दिया जाता है।

भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास

1157. श्री के.डी. देशमुख : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सकीय पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की कायिक निधि की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निधि को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 982.75 करोड़ रु. के व्यय के साथ एक कार्ययोजना जून, 2008 में प्रस्तुत की थी। इस योजना में आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए 500 रु. करोड़ की कायिक निधि भी शामिल थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के दीर्घावधि चिकित्सा पुनर्वास के लिए निधियों की आवश्यकता तथा उसे पूरा करने के लिए 500 रु. करोड़ के कायिक निधि के सृजन के लिए 21 दिसम्बर, 2010 को एक विस्तृत संशोधित योजना प्रस्तुत की थी। इस प्रस्ताव पर भोपाज गैस रिसाव त्रासदी संबंधी मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

पेयजल का संदूषण

1158. श्री यशवंत लागुरी :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय भू–जल बोर्ड, उड़ीसा के क्योंझर, राजस्थान के कोटा एवं बूंदी क्षेत्रों के उथले जल स्तरों में रसायनों की मौजूदगी एवं जल गुणवत्ता को जानने हेतु उन बसावटों, जहां पेयजल फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं नाइट्रेट से संदूषित है, की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संदूषित जल में फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं नाइट्रेट की मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भू–जल के लिए निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में इनकी उपस्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भू–जल के गिरते स्तर को रोकने तथा जल के शोधन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भूमि जल संदूषण से प्रभावित क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए देश भर में स्थित प्रेक्षण कुंओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर, उथले जलभृतों में जल की

रासायनिक गुणवत्ता हेतु वार्षिक सर्वेक्षण करता है। उड़ीसा के क्योंझर जिले में 54 कुओं, राजस्थान के कोटा जिले में 23 और बूंदी जिले में 19 कुओं का सर्वेक्षण किया गया है। तथापि, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ऐसे रिहायशी क्षेत्रों जहां पेयजल फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट से संदूषित है, को अभिज्ञात करने के लिए रिहायश–आधारित सर्वेक्षण नहीं करता है।

(ग) और (घ) उड़ीसा और राजस्थान राज्यों से आर्सेनिक संदूषण की अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। उड़ीसा के क्योंझर और राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में कुछ स्थानों से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भूमिजल में फ्लोराइड और नाइट्रेट मात्रा क्रमशः 1.5 मि.ग्रा./लि. और 45 मि.ग्रा./लि. से अधिक होने की सूचना प्राप्त हुई। निर्धारित सीमा से अधिकता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल परिशोधन के उपायों के साथ–साथ भूमि जल संसाधनों की कमी को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

1. प्रभावित क्षेत्रों में जल परिशोधन हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रमुख तरीके–वैकल्पिक सतही जल निकायों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, परिशोधन संयंत्रों/फिल्टर का उपयोग करके भूमि जल से संदूषकों को हटाना, वर्षा जल संचयन, पुनर्भरण के माध्यम से संदूषकों को स्वस्थाने पर कम करना है।

2. भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं–चैक बांधों के निर्माण, तालाबों का पुनर्भरण, कुओं आदि के पुनर्भरण के लिए निदेशक, भूमिजल सर्वेक्षण एवं जांच विभाग, उड़ीसा से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है। संबंधित राज्य अभिकरण से राजस्थान में बूंदी और कोटा जिलों के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

3. वर्ष 2007–10 के दौरान सात राज्यों अर्थात तमिलनाडु, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान को शामिल करते हुए कठोर चट्टानी क्षेत्र के अतिदोहित, गंभीर और अर्ध गंभीर क्षेत्रों में ''डगवेलों के माध्यम से भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण'' नामक स्कीम का कार्यान्वयन। राजस्थान में, बूंदी जिले के तालेरा, के. पाटन, हिंडोली और नैनवा तथा कोटा जिले के सुल्तानपुर, इटावा, खैराबाद, लाडपुरा और संगोड़ अतिदोहित एवं गंभीर प्रखंडों में स्कीम कार्यान्वित की गई है।

4. भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षाजल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए अतिदोहित प्रखंडों वाले 12 राज्यों के मुख्य सचिवों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा निर्देश जारी करना।

5. भूमि जल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल बिल परिचालित करना।

6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूमिजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर योजना परिचालित करना।

7. सभी पणधारियों को भूमि जल संबंधी सूचना के प्रसार हेतु वेब समर्थित भूमिजल सूचना प्रणाली (डब्ल्यूईजीडब्ल्यूयूआईएस)

विवरण

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फ्लोराइड और नाइट्रेट वाले स्थान

राज्य	जिला	फ्लोराइड (मि.ग्रा.लि.)			नाइट्रेट (मि.ग्रा.लि.)		
		प्रखंड	स्थानों की संख्या	अधिक मात्रा	प्रखंड	स्थानों की संख्या	अधिक मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	क्योंझर	घासीपुरा	1	2.34	जोड़ा	1	46
					क्योंझर सदर	1	47

1	2	3	4	5	6	7	8
					पटना	1	55
					घटगांव	1	54
राजस्थान	बूंदी	केसोरई पाटन	1	1.98	केसोरई पाटन	1	85
					नैनवा	1	90
					तालेरा	1	80
	कोटा	लाडपुरा	1	1.60	खैराबाद	1	149
					संगोइ	1	148
					सुल्तानपुर	2	81,114
					इटावा	1	56

जटनी में रेल उपरि पुल

1159. श्री तथागत सत्पथी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओडिसा में जटनी में रेल उपरि पुल (आरओबी) बनाने की मांग बार-बार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे ने इसके निर्माण हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) खोरधा रोड रेलवे स्टेशन के नजदीक किमी. 455/1 पर एक ऊपरी सड़क पुल की मांग है। रेलवे द्वारा इस ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार निक्षेप शर्तों पर किया जा सकता है। तदनुसार, रेलवे ने उड़ीसा सरकार को ऊपरी सड़क पुल की संरेखण योजना प्रस्तुत करने और स्थल की संयुक्त जांच के साथ-साथ इस कार्य को निक्षेप शर्तों तथा कार्य की पूर्ण लागत वहन करने के लिए वचनबद्धता देने की हिदायत दी है।

धार्मिक अल्पसंख्यकों हेतु प्रमुख कल्याण कार्यक्रम

1160. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की अलग से मैप करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को संशोधित कर इसकी घोषणा जून, 2006 में हुई थी। इसमें कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों के प्रावधान के साथ-साथ गहन निगरानी तंत्र का भी प्रावधान है। इस नए कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि दलितों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित वर्गों तक पहुंचे। कार्यक्रम के तहत शामिल की गई योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को बराबर-बराबर पहुंचाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से नए कार्यक्रम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विकास से जुड़ी परियोजनाओं के कुछ अनुपात को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं संभव हो वहां इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए। नए कार्यक्रम के तहत प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल हैं, जिसके कार्यान्वयन की प्रगति की गहन निगरानी की जाती है तथा सरकार द्वारा अर्धवार्षिक स्तर

पर तथा मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक स्तर पर समीक्षा की जाती है। वर्ष 2006–07 में इस नए कार्यक्रम के शुभारंभ से लेकर वर्ष 2010–11 (31 दिसम्बर, 2010) तक के दौरान कार्यान्वयन के नतीजे/निष्कर्ष मंत्रालय की वेबसाइट www. minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

हाई स्पीड ट्रेन

1161. **श्री ई.जी. सुगावनम :**
श्री रामकिशुन :
श्री कौशलेंद्र कुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार महानगरों को पड़ोसी कस्बों से, जहां भारी यातायात है, जोड़ने हेतु रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के अंतर्गत हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का विचार हाई स्पीड ट्रेन चलाने के संबंध में भारतीय रेलवे को चीन और जापान की बराबरी में लाने के लिए कोई दृष्टि/योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पड़ोसी शहरों को दिल्ली से जोड़ने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट प्रणाली के संबंध में, एनसीआर योजना बोर्ड ने अध्ययन शुरू कर दिया है, जिसमें तीन कॉरीडोरों अर्थात् दिल्ली मेरठ, दिल्ली–रेवाड़ी–अलवर और दिल्ली–सोनीपत–पानीपत के बारे में विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के बाद विस्तृत परियोजना तैयार करने का कार्य शामिल है। गाड़ी लगभग 160 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) चूंकि व्यवहार्यता अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हुआ है इसलिए कार्यान्वयन की समय–सीमा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(घ) और (ङ) विजन 2020 में राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में एक परियोजना का क्रियान्वयन और वाणिज्यिक, पर्यटक और तीर्थ यात्री हब को जोड़ते हुए कम–से–कम 8 और कॉरीडोरों के लिए योजना शामिल है। छः उच्च गति रेल कॉरीडोर व्यवहार्यता अध्ययन के लिए पहले ही चिह्नित कर लिए गए हैं, ये हैं :

(i) दिल्ली–चंडीगढ़–अमृतसर

(ii) पुणे–मुंबई–अहमदाबाद

(iii) हैदराबाद–दोर्णकल–विजयवाड़ा–चैन्नै

(iv) हावड़ा–हल्दिया

(v) चेन्नै–बंगलौर–कोयम्बतूर–एर्णाकूलम

(vi) दिल्ली–आगरा–लखनऊ–वाराणसी–पटना

विजन 2020 दस्तावेज में शामिल है कि इन्हें हमारे देश में आवास और भूमि की दिक्कतों के पैटर्न को देखते हुए एलिवेटेड कॉरीडोरों के रूप में निर्मित किया जा सकता है। रेलवे निवेश और निष्पादन के लिए पीपीपी तरीका और संरक्षा एवं सेवा गुणवत्ता के उच्च मानकों को शामिल करते हुए फ्रंटियर प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। अभी तक पुणे–मुंबई–अहमदाबाद कॉरीडोर का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया गया है।

[हिन्दी]

बरेली से इंदौर के बीच रेलगाड़ी

1162. **श्रीमती राजकुमारी चौहान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे का विचार बरेली से इंदौर के लिए वाया अलीगढ़ होते हुए कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी के किस तिथि से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण अलीगढ़ के रास्ते बरेली और इंदौर के बीच एक्सप्रेस गाड़ी सेवा को शुरू करना व्यवहारिक नहीं है।

एनबीबीएस का कार्यान्वयन

1163. श्री रामकिशुन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में पोषण आधारित राजसहायता योजना के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है; और

(ख) सरकार द्वारा किसानों तक उक्त राजसहायता का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) भारत सरकार दिनांक 1.4.2010 (एसएसपी के लिए दिनांक 1.5.2010) से विनियंत्रित फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एंड के) उर्वरकों हेतु पूर्वव्यापी रियायत योजना के अनुक्रम में पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति को वर्ष 2010–11 के दौरान कार्यान्वित कर रही है। इस नीति को वर्ष 2011–12 के दौरान जानी रखने की अनुमति दी गई है। इस नीति का मूल उद्देश्य किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों को उपलब्ध करवाना है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा हेतु उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके। सरकार इससमय फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के 22 ग्रेडों नामतः डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), डीएपी लाइट, म्युरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों के 15 ग्रेडों, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट (ए एस) तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) पर राजसहायता प्रदान कर रही है। इन उर्वरकों पर राजसहायता दरों की सरकार द्वारा घोषणा प्रत्येक पोषक तत्व नामतः नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश व सल्फर (क्रमशः 'एन' 'पी' 'के' तथा 'एस') के लिए प्रति किलो राजसहायता पर आधारित है। सरकार द्वितीयक और बोरोन व जिंक के सूक्ष्म पोषक तत्वों से पोषित उर्वरकों पर भी राजसहायता उपलब्ध करवाती है। उत्पादकों/आयातकों को खुदरा स्तर तक उर्वरकों को लाने ले जाने के लिए भाड़ा राजसहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य को पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत खुला रखा गया है, यद्यपि सरकार ने राजसहायता को इस प्रकार से निर्धारित किया है कि इससे उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। वर्तमान में, उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरकों की कुल लागत का लगभग 25 प्रतिशत–40 प्रतिशत हैं। शेष लागत को भारत सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में वहन किया जाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान, राजसहायता उर्वरकों पर राजसहायता हेतु संशोधित अनुमान 57840.73 करोड़ रुपए है जिसमें से 33500 करोड़ रुपए नियंत्रण पीएंडके उर्वरकों के लिए हैं। उत्पादकों/आयातकों के लिए यह अपेक्षित है कि बैग पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही उर्वरकों को बेचा जाए। भारत सरकार देश के प्रत्येक भाग में उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता के अनुरूप तथा उर्वरक बैगों पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री की जाए।

[अनुवाद]

औषधि उत्पादकों द्वारा अधिक मूल्य

★1164. श्री नरहरि महतो : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण अधिकरण (एनपीपीए) ने प्रमुख औषधि उत्पादकों द्वारा कई सौ श्रेणियों की दवाओं पर अधिक मूल्य वसूले जाने एवं मूल्य स्वीकृति के बिना बिक्री किए जाने के मामलों की पहचान की है तथा अधिक वसूली गई कीमत की दंड सहित वापसी हेतु प्रक्रिया शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो एनपीपीए के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी उत्पादकों से उनके द्वारा ली गई अधिक धनराशि एवं दंड की वसूली प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) भविष्य में इन घटाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम, यदि कोई हों, उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)/सरकार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित अथवा संशोधित करते हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अधीन कोई भी व्यक्ति मूल्य

नियंत्रित श्रेणी वाली किसी भी फार्मूलेशन (दवाई) को एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी उपभोक्ता को नहीं बेच सकता है। यदि किसी कंपनी के संबंध में यह पाया जाता है कि वह एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाइयां बेच रही है तो औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अगस्त, 1997 में अपनी स्थापना से 31 जनवरी, 2011 तक की अवधि के दौरान 786 मामलों में मांग नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें 2328.53 करोड़ रुपए की कुल अधिप्रभारित करकम अंतर्ग्रस्त है और इस रकम में से 207.86 करोड़ रुपए की रकम वसूल की जा चुकी है जिसमें न्यायालयों के आदेशों द्वारा की गई वसूली भी शामिल है। 2328.53 करोड़ रुपए की अधिप्रभारित रकम में से 1930.41 करोड़ रुपए की रकम अभियोजन के अधीन है। 76 मामलों को भूमि तथा राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु विभिन्न राज्यों के कलेक्टरों के पास भेज दिया गया है जिनमें से 25 मामले अभियोजन के अधीन हैं, 47 मामले विभिन्न राज्यों के कलेक्टरों के पास वसूली हेतु लंबित हैं और शेष 04 मामलों में रकम वसूल हो चुकी है। ब्याज सहित अधिप्रसारित रकम की वसूली हेतु कार्यवाही करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके संबंध में एनपीपीए द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ पठित डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

39 फार्मूलेशन पैकों के संबंध में सरकार के पूर्व मूल्य अनुमोदन के बिना कंपनियों द्वारा अनुसूचित फार्मूलेशनों के निर्माण और विपणन के संबंध में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के पैरा 8 के प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन के मामलों को अभियोजन कार्यवाही हेतु संबंधित राज्य औषध नियंत्रकों के पास भेजा गया था।

अधिसूचित अधिकतम मूल्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिन फार्मूलेशनों के संबंध में कंपनियों के बारे में यह पाया जाता है कि उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल किया है उनके संबंध में संबंधित फार्मूलेशनों के परवर्ती बैचों के नियंत्रण नमूने तथा संबंधित कंपनियों की मूल्य सूची एनपीपीए द्वारा मंगवाई जाती है। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि कंपनियां एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्यों का अनुपालन कर रही हैं, राज्य औषध नियंत्रकों को आवश्यक जानकारी दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि वे उन मामलों को एनपीपीए के पास भेजें जिनमें अधिसूचित मूल्य का अनुसरण नहीं किया जा रहा हो। निरंतर बाजार निगरानी के अंग के रूप में एनपीपीए विभिन्न अनुसूचित फार्मूलेशनों के नमूने भी खरीदता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कंपनियां अधिसूचित अधिकतम मूल्य का अनुसरण कर रही हैं।

दिल्ली–कुरुक्षेत्र यात्री गाड़ी में सुविधाएं

1165. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से कुरुक्षेत्र के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों जो लगभग 5 घंटे का समय लेती हैं में शौचालयों की सुविधा किसी डिब्बे में नहीं है जिससे यात्रियों विशेषकर वृद्ध लोगों को बहुत दिक्कत होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रेलगाड़ियों में शौचालय सुविधा की स्थापना कब तक किए जाने का विचार है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) वर्तमान में, दिल्ली और कुरुक्षेत्र के बीच चलाई जा रही ईएमयू/मेमू पैसेंजर गाड़ियों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है।

दो घंटे से अधिक समय की यात्रा वाली चुनिंदा डीजल बिजली मल्टीपल यूनिट (डेमू) और मुख्य लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (मेमू) गाड़ियों में शौचालय की सुविधा मुहैया कराने का विनिश्चय किया गया है।

इस दिशा में पहले ही प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। 2009–10 से सभी नए मेमू/डेमू ट्रेलर सवारी डिब्बों को शौचालय की सुविधा के साथ विनिर्मित किया जा रहा है। ऐसे सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि के अनुसार इन्हें चिह्नित गाड़ियों में लगाया जाएगा।

दक्षिण रेलवे में लोको पायलट

1166. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि दक्षिण रेलवे (एसआर) केरल में सेवानिवृत्त लोकों पायलटों की दो वर्ष के ठेका आधार पर भर्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को जानकारी है कि दक्षिण रेलवे केरल में

कई पात्र–उम्मीदवारों को रोजगार के ऐसे अवसर से वंचित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) दक्षिण रेलवे पर अभी तक किसी सेवानिवृत्त लोको पायलट की नियुक्ति नहीं की गई है। कार्य की तात्कालिकता से निपटने के लिए काम चलाऊ प्रबंध के तौर पर सेवानिवृत्त लोको पायलटों को फिर से काम पर लगाने की एक योजना शुरू की गई है। नियमित आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध हो जाने पर ऐसे प्रबंध समाप्त कर दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कॉमन आय सीमा

★1167. **श्री कैलाश जोशी** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्री/पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पात्रता हेतु अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप हेतु वार्षिक परिवार आय की सीमा क्या है;

(ख) क्या बेसिक इन्डेक्स (मूल्य सूचकांक) में तेजी को देखते हुए सरकार का विचार अल्पसंख्यकों के लिए कॉमन आय सीमा निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्रता हेतु परिवार की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रु. तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्रता हेतु परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रु. होनी चाहिए।

(ख) और (ग) जी, नहीं। आय सीमा का निर्धारण 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ही किया गया है। वर्तमान में दोनों योजनाओं के लिए आय सीमा एक समान निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन

1168. **श्री मनोहर तिरकी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच जल प्रबंधन पर विचार करने के लिए किसी संयुक्त समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के गठन की तिथि एवं इसमें शामिल अधिकारी का स्तर क्या है; और

(ग) इस समिति की अब तक कुल कितनी बैठकें किस–किस तिथि को हुईं एवं प्रत्येक बैठक के लिए निश्चित की गई कार्य–सूची क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) नेपाल के साथ समय–समय पर कई संयुक्त समितियां बनाई गई हैं। अब तक विद्यमान संयुक्त समितियां, उनके गठन की तारीख, भारत की ओर से दल के मुखिया का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	समिति का नाम	गठन की तारीख	दल का मुखिया (भारत से)
1.	मंत्रालय स्तरीय संयुक्त जल संसाधन आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर)	01.12.2009	मंत्री (जल संसाधन)
2.	संयुक्त जल संसाधन समिति (जेसीडब्ल्यूआर)	20.11.2000	सचिव (जल संसाधन)
3.	संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी)	26.11.2009	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

(ग) अब तक जेसीडब्ल्यूआर की पांच बैठकें और जेएसटीसी की दो बैठकें हुई हैं। जेएमसीडब्ल्यूआर की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। उपर्युक्त समितियों की बैठक की तारीखें तथा संबंधित बैठकों के संबंध में कार्यसूची के मुख्य बिंदु इस प्रकार है–

क्र.सं.	समिति का नाम	संपन्न बैठक की तारीख	कार्यसूची के मुख्य बिंदु
1	2	3	4
1.	मंत्रालय स्तरीय संयुक्त जल संसाधन आयोग	अब तक कोई बैठक नहीं हुई है	
2.	संयुक्त जल संसाधन समिति (जेसीडब्ल्यूआर)	01-03 अक्तूबर, 2000 (नवम्बर, 2000 में औपचारिक गठन से पहले)	1. संयुक्त समिति के विचारार्थ विषय 2. जल संसाधन संबंधी मौजूदा समितियों की समीक्षा 3. नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रों में आप्लावन समस्या 4. बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ पूर्वानुमान 5. महाकाली संधि के प्रावधानों के तहत किए जाने वाले कार्य 6. सप्त कोसी-सन कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 7. नेपाल-भारत विद्युत विनिमय 8. कोसी और गंडक समझौता 9. कमला और बागमती बहुउद्देशीय परियोजना 10. जल विद्युत परियोजनाओं को अभिज्ञात और कार्यान्वित करना 11. भारत में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना
	-तदैव-	7-8 अक्तूबर, 2004	1. पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन समेत महाकाली संधि 2. बाढ़ प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु व्यापक कार्यनीति 3. विभिन्न द्विपक्षीय समितियों के कार्यों की समीक्षा 4. सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सन कोसी भंडारण सह डाइवर्जन स्कीम 5. कमला और बागमती बहुउद्देशीय परियोजना 6. जल विद्युत परियोजनाओं (ऊपरी करनाली समेत) को अभिज्ञात और कार्यान्वित करना 7. कोसी विद्युत टैरिफ 8. भारत में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना 9. करनाली बहुउद्देशीय परियोजना
	-तदैव-	29.9.2008-01.10.2008	1. जेसीडब्ल्यूआर की दूसरी बैठक में हुई सहमति संबंधी मामलों में हुई प्रगति की समीक्षा 2. महाकाली संधि 3. कोसी एफलेक्स बंध में दरार तथा संबंधित मुद्दे 4. सनकोसी डाइवर्जन सह भंडारण स्कीम समेत सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना

1	2	3	4
			5. गंडक परियोजना
			6. लक्ष्मणपुर बैराज और कलकलवा बंध, रसियावालखुर्द–लोटुन बंध और महाली सागर के कारण अप्लावन समस्याएं
			7. विभिन्न जल एवं विद्युत संबंधी द्विपक्षीय समितियों के कार्यों की समीक्षा
			8. पश्चिम राप्ती (नौमुरे) परियोजना
			9. मंत्रालय स्तरीय संयुक्त जल संसाधन आयोग की स्थापना
			10. मेची नदी के किनारों की सुरक्षा संबंधी कार्य
	–तदैव–	12–13 मार्च, 2009	1. जेसीडब्ल्यूआर की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा
			2. पंचेश्वर विकास प्राधिकरण के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देना
			3. मंत्रालय स्तरीय संयुक्त जल संसाधन आयोग के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देना
			4. भारत और नेपाल की साझा नदियों के संबंध में बाढ़ पूर्वानुमान कार्य
			5. विद्युत आपूर्ति
	–तदैव–	20–22 नवम्बर, 2009	1. जेसीडब्ल्यूआर की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा
			2. पंचेश्वर विकास प्राधिकरण के विचारार्थ विषय
			3. मंत्रालय स्तरीय संयुक्त जल संसाधन आयोग की बैठक
			4. भारत और नेपाल की साझा नदियों के संबंध में बाढ़ पूर्वानुमान कार्य
			5. विद्युत आपूर्ति
			6. अंतरसंपर्क और संबंधित विद्युत व्यापार प्रबंध
3.	संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी)	8–9 दिसम्बर, 2008 (नवम्बर, 2009 में औपचारिक गठन से पहले)	1. चालू कार्यों/मौजूदा समितियों/उप समितियों को जारी रखने बावत समीक्षा
			2. नौमुरे परियोजना का व्यवहार्यता–पूर्व अध्ययन
			3. महालीसागर का दौरा करना
			4. कोसी दरार को बंद करने संबंधी ताजा स्थिति
			5. मेची नदी के दोनों ओर तटबंधों संबंधी मुद्दा
			6. गंडक बैराज
			7. क्षतिग्रस्त ट्रांसमिशन लाइनों का पुनरुद्धार

1	2	3	4
			8. पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना और सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना एवं सनकोसी भंडारण सह डाइवर्जन स्कीम।
	–तदैव–	30–31 मार्च, 2010	1. जेएसटीसी की पहली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा
			2. कोसी एवं गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति की समीक्षा
			3. आप्लावन एवं बाढ़ प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति की समीक्षा
			4. पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना और सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना एवं सनकोसी भंडारण सह डाइवर्जन स्कीम
			5. जेसीडब्ल्यूआर द्वारा यथानिर्देशित हल किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा।

[हिन्दी]

जल–विवाद अधिकरण

1169. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विवाद अधिकरण ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कृष्णा जल–विवाद के संबंध में अपना अधिनिर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिरिक्त जल के आबंटन के बारे में पूर्व बछावत आयोग के अधिनिर्णय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस विवाद में उलझे राज्यों द्वारा उक्त आबंटन के विरुद्ध याचिका दायर की गई है या स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या महाराष्ट्र राज्य ने अलमात्ती बांध परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अधिकरण द्वारा स्वीकृत अनुमति का विरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी–II) ने दिनांक 30/12/2010 को अपनी रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया था। 47 वर्षों की वार्षिक जल सीरीज के आधार पर केडब्ल्यूडीटी–II ने क्रमशः 2173 टीएमसी, 2293 टीएमसी और 2578 टीएमसी के रूप में 75% निर्भरता पर उत्पादन, 65% निर्भरता पर उत्पादन और औसत उत्पादन निर्धारित की थी। केडब्ल्यूडीटी–II ने निर्णय दिया था कि 65% निर्भरता अर्थात 2293 टीएमसी पर तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल का वितरण किया जाना है। तथापि 75% निर्भरता केडब्ल्यूडीटी–I (न्यायाधीश सेवानिवृत्त श्री आर. एस. बछावत की अध्यक्षता वाली) द्वारा किए गए आवंटनों को बदला नहीं जाना चाहिए। केडब्ल्यूडीटी–II ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों को क्रमशः 628 टीसीसी, 799 टीएमसी और 850 टीएमसी को 65% निर्भरता पर कृष्ण नदी में आवश्यक निम्नतम धारा को बनाए रखने के लिए आवंटित किया था। केडब्ल्यूडीटी–II ने औसत आधार पर क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों को 663 टीएमसी, 904 टीएमसी और 995 टीएमसी आवंटित किया था। केडब्ल्यूटी–II

ने भीमा, ऊपरी कृष्णा उप बेसिनों, ऊपरी कृष्णा, उप बेसिन के अतिरिक्त बेसिन के डायवर्जन और संपूर्ण कृष्णा बेसिन से जल के उपयोग हेतु महाराष्ट्र राज्य पर, तुंगभद्रा उपबेसिन, ऊपरी कृष्णा परियोजना और संपूर्ण कृष्णा बेसिन से जल के उपयोग हेतु कर्नाटक राज्य पर और संपूर्ण कृष्णा बेसिन (यह जूरेला परियोजना के लिए 9 टिएमकसी की अतिरिक्त आवंटन, तेलतु गंगा परियोजना के लिए 25 टीएमसी और श्रीसैलम और नागार्जुन सागर बांधों में भंडारण की आगे ले जाने के लिए 150 टीएमसी का अतिरिक्त आवंटन शामिल करता है) से आंध्र प्रदेश राज्य पर प्रतिबंध लगाता है। केडब्ल्यूडीटी II ने शेष बचे उपलब्ध जल (2578 टीएमसी से ऊपर) बशर्ते इसके किसी भाग में भविष्य में भंडार/संचित किया जाना है और/या कानून के तहत किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अगली समीक्षा या पुनर्विचार किए जाने तक, के उपयोग हेतु आंध्र प्रदेश राज्य को स्वच्छंदता दी है। 31 मई, 2050 के बाद किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा आदेश की समीक्षा या संशोधित किया जा सकता है। केडब्ल्यूडीटी–II द्वारा किए गए निर्णय और निर्देशों के कार्यान्वयन, जिसका सुधार या समीक्षा इसके द्वारा नहीं की गई है, के लिए केडब्ल्यूडीटी–II ने ''कृष्णा जल निर्णय–कार्यान्वयन बोर्ड'' शीर्षक स्कीम का गठन किया है।

(ग) केडब्ल्यूडीटी–I ने तीन राज्यों के बीच 75% निर्भरता पर उपलब्ध जल का स्कीम क के तहत आदेश में दिए गए ब्यौरों के अनुरूप प्रत्यावर्तन बहाव सहित जल आवंटन किया था। शेष जल को आंध्र प्रदेश द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी गई है लेकिन अधिकरण द्वारा इसे आवंटित किए गए जल के अलावा अन्य जल पर अधिकार के बिना अनुमति दी गई है। कमी को पूरा करने हेतु इसमें कोई भी प्रावधान नहीं हैं। नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध की क्षमता को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी और इन जलाशयों में उपलब्ध बढ़ी क्षमता के उपयोग हेतु आंध्र प्रदेश राज्य को अनुमति दी गई थी। पंचाट के अनुसार स्कीम ख पर विचार किया गया था जिसके अधिक 75% निर्भरता वाले उत्पादन से ऊपर को अतिरिक्त बहाव को तीनों राज्यों के बीच बांटा जाना था। स्कीम बी को पक्षकार राज्यों के बीच समझौते के बाद या संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था पर उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका।

(घ) और (ङ) अब तक अधिकरण में पंचाट के विरुद्ध इस विवाद में शामिल राज्य द्वारा कोई भी याचिका दायर नहीं की गई है।

(च) और (छ) 30.12.2010 को अधिकरण द्वारा निर्णय देने के बाद, अब तक महाराष्ट्र राज्य ने अलमाती बांध परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में विरोध नहीं किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

1170. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा में ऐसे कितने गांव हैं जहां अभी तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है; और

(ख) ओडिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडी डब्ल्यूपी) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित बसावट के संबंध में जानकारी रखी जाती है। 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार ओडिशा में 17,668 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर किया जाना बाकी है। राज्य के लिए 2010–11 के लिए निर्धारित लक्ष्य 1721 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करना है। 28.02.2011 की स्थिति के अनुसार विभागीय समेकित प्रबंधन असूचना प्रणाली पर राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1009 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर किया गया।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत राज्यों को निधियां निर्धारित आवंटन मानदंड के आधार पर रिलीज की जाती हैं। राज्यों को परियोजनावार निधियां रिलीज नहीं की जाती हैं। परियोजनाओं को राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समितियों में अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत इस वर्ष के दौरान ओडिशा को 204.88 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। इसमें से 199.76 करोड़ रु. राज्य को पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं।

खादी का उत्पादन और मांग

1171. श्री पी. सी. मोहन : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खादी की उत्पादन क्षमता और मांग कितनी है;

(ख) इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या खादी उत्पादकों को राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई कार्य–योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) देश में खादी की उत्पादन क्षमता और मांग खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) (केवीआसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सार्वजनिक संगठन है तथा देश में खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास में प्रवृत्त है) द्वारा परिकल्पित सूचना के अनुसार उत्पादन और विक्रय के वार्षिक आंकड़ों से आंकी जाती है जो निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	खादी का उत्पादन	खादी की बिक्री★★
2007–08	543.39	724.39
2008–09	585.25	799.60
2008–10	628.98	867.01
2010–11★	510.91	784.63

★दिसम्बर, 2010 तक

★★ विक्रय मूल्य में अनुमत मार्जिन, परिवहन, पैकेजिंग प्रचार आदि शामिल हैं।

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से अनेक कदम उठाए है जिनमें (i) संस्थानों द्वारा निर्यात की गई मदों के ''फ्री ऑन बोर्ड'' (एफओबी) मूल्य का 5% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक होगा तथा (ii) सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के दिशा–निर्देर्शों के अनुसार खादी उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संवर्धन के लिए कवीआईसी को, जिसका स्तर निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के समकक्ष है, सहायता दी जाती है। ईपीसी अपने सदस्यों के शिष्टमंडलों के विदेशी विपणन अवसरों का पता लगाने के एि दौरों का प्रबंध करता है, व्यापार मेलों में सहभागिता के लिए तथा भारत और विदेश में क्रेता–विक्रेता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने सदस्यों को व्यापार–सूचना व्यावसायिक परामर्श प्रदान करता है, केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों पर सरकार तथा निर्यातक समुदाय के मध्य आपसी संवाद को बढ़ाता है तथा निर्यातकों/आयातकों का डाटाबेस तैयार करता है।

(ग) और (घ) सरकार ने खादी और पॉलिवस्त्र के उत्पादन के लिए 01 अप्रैल, 2010 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा बाजार विकास सहायता (एमडीए) की कारीगर केंद्रित लोचशील और वृद्धि उत्प्रेरक योजना प्रारंभ की है जिसे केवीआईसी द्वारा लागू किया जाएगा। इस योजना में खादी संस्थानों को खादी और पॉलिवस्त्रों के उत्पादन मूल्य के 20% वित्तीय सहयता देने की व्यवस्था है जिसे कारीगरों, उत्पादक संस्थानों और विक्रयकर्ता संस्थानों के मध्य 25:30:45 के अनुपात में बांटा जाएगा। एमडीए के नए सिस्टम के तहत वर्षभर बिक्री समान रूप से होने की संभावना है तथा संस्थानों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार सहायता का उपयोग करने की छूट होगी जिससे उत्पादन और विपणन संबंधी अवसंरचना जैसे विक्रय केंद्रों को बेहतर बनाना, बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों को तैयार करना अथवा ग्राहकों को प्रोत्साहन देना आदि भी संभव हो सके। नई एमडीए स्कीम के तहत संस्थानों के लिए कुल एमडीए की 25% राशि प्रोत्साहन अथवा बोनस के रूप में कताईकारों और बुनकरों को देना अनिवार्य है जो उनके वेतन के अलावा होगी तथा उनके बैंक खतों अथवा डाकघर खातों के माध्यम से दी जाएगी।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

1172. **श्री उदय सिंह :**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत और संख्या क्या है जिनकी पहुंच जल के प्रवाह वाले शौचालयों तक नहीं है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में निर्माण किए गए जल के प्रवाह वाले शौचालयों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान शौचालयों के निर्माण में सरकारी निजी भागीदारी का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) खुले में शौच की पद्धति को समाप्त करने तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के मुख्य लक्ष्य के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार वर्ष 1999 में शुरू किए गए एक व्यापक कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का संचालन करती है। संपूर्ण स्वच्छता

अभियान एक मांग एवं परियोजना आधारित कार्यक्रम है। परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना, टीएससी का मुख्य घटक है। बीपीएल परिवारों द्वारा शौचालय का निर्माण पूरा किए जाने तथा उसका उपयोग किए जाने संबंधी उपलब्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। टीएससी से व्यक्तियों को विकल्प उपलब्ध होते हैं। लाभार्थियों तथा क्षेत्र कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध विकल्पों के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभाग ने यूनीसेफ की सहायता से ''टेक्नोलॉजी आप्शंस फॉर हाउसहोल्ड सेनिटेशन'' नामक आईएचएचएल के प्रौद्योगिकीय विकल्पों का संकलन भी प्रकाशित किया है। पानी की व्यवस्था सहित शौचालय की अनुपलब्धता वाले परिवारों के बारे में विभाग द्वारा जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) टीएससी के अंतर्गत, व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के साधनों से स्वच्छता सुविधाएं सृजित करने को प्रोत्साहित किया जाता है। सार्वजनिक-निजी क्षेत्र सहभागिता से शौचालय के निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा जानकारी नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

भेल में रिक्त पद

1173. श्री भूपेंद्र सिंह : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके लिए 2006-07 से आज तक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटैड (भेल), भोपाल को क्रयादेश दिए गए हैं;

(ख) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा और पूर्ण होने की स्थिति क्या है;

(ग) क्या भेल, भोपाल में विभिन्न पदों की रिक्तियों की वजह से परियोजनाएं लक्ष्य से पीछे चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी रिक्तियों को भरने की स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की भोपाल इकाई प्रारंभिक रूप से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रो-मेकेनिकल इक्विपमेंट/पैकेज के विनिर्माण और आपूर्ति जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, यह इकाई, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए स्टीम टरबाइन-जेनरेटर के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए लोड शेयर कर रही है। यह इकाई ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स, स्वीचगियर, कंट्रोल एंड रिले पैनल, सबस्टेशन इक्विपमेंट, हाई प्रेशर हीटर्स, हीट एक्सचेंजर, विभिन्न इलेक्ट्रिकल और फैब्रिकेटेड इक्विपमेंट आदि जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विनिर्माण और आपूर्ति में भी लगी हुई है। भोपाल इकाई द्वारा की गई सभी आपूर्तियां ग्राहक/कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप हैं।

ऐसे प्रमुख पावर प्रोजेक्ट, जिनके लिए भोपाल इकाई को वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (फरवरी, 2011 तक) के दौरान आर्डर प्राप्त हुए हैं उनका ब्यौरा और स्थिति संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। जनशक्ति की कमी के कारण विभिन्न पदों की रिक्तियों की वजह से कोई भी परियोजना लक्ष्य से पीछे नहीं चल रही है क्योंकि बीएचईएल की भोपाल इकाई ने वर्ष 2006-07 से अब तक 2735 कर्मचारियों की भर्ती की है।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निम्नलिखित मुख्य पावर प्रोजेक्ट के लिए बीएचईएल भोपाल को 2006-07 से फरवरी, 2011 तक क्रयादेश मिले हैं :

हाइड्रो प्रोजेक्ट

वर्ष	प्रोजेक्ट का नाम	सं. x मेगावाट में एक्स रेटिंग	ग्राहक/राज्य	स्थिति
1	2	3	4	5
2006-07				
	कालवाकुर्थी चरण III	5×30	गैमन इंडिया लिमिटैड/आंध्र प्रदेश	पूरा हो गया है

1	2	3	4	5
	नागार्जुन सागर	2×25	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एउपीजेनको)/आंध्र प्रदेश	पूरा हो गया है।
	पोचमपाद	1×9	एपानेणेको/आंध्र प्रदेश	पूरा हो गया है।
	कोइल सागर चरण I	2×(7.5	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्टस लिमिटैड/आंध्र प्रदेश	पूरा हो गया है।
	कोइल सागर चरण II	2×7.5	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रचर एंड प्रोजक्टस लिमिटेड/आंध्र प्रदेश	पूरा हो गया है।
	पार्वती चरण 3	4×130	एनएचपीसी लिमिटेड/हिमाचल प्रदेश	पूरा हो गया है।
	यूएचएल	3×33.33	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड/हिमाचल प्रदेश	पूरा हो गया है।
	सालमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अफगानिस्तान	3×14	वाटर एंड पावर कंसलटैंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यूएपीसीओएस)/अफगानिस्तान	पूरा हो गया है।
2007–08				
	पुलिंनचिंथाला	4×30	एपीजेनको/आंध्र प्रदेश	पूरा हो गया है।
	श्रीनगर	4×8205	अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल)/उत्तराखंड	पूरा हो गया है।
	महेश्वर	10×40	श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल)/मध्य प्रदेश	टरबाइन : 9 पूरे हुए, 1 पर कार्य हो रहा है। जेनरेटर 5 पूरे हो गए हैं और 5 पर कार्य चल रहा है। ग्राहक आवश्यकता के आधार पर आपूर्तियां पुनः निर्धारित की गई है।
	तीस्ता लो डैम	4×40	एनएचपीसी लिमिटेड/पश्चिम बंगाल	पूरा हो गया है।
	निमू बाजगो	3×15	एनएचपीसी लिमिटेड/जम्मू और कश्मीर	पूरा हो गया है।
	चटक	4×11	एनएचपीसी लिमिटेड/जम्मू और कश्मीर	पूरा हो गया है।
	तपोवन विष्णुगढ़	4×130	एनटीपीसी लिमिटेड/उत्तराखंड	जेनरेटर : पूरा हो गया है। टरबाइन:कार्य प्रगति पर है और 12–12 में पूरा होने की योजना है।

1	2	3	4	5
2008–09				
	नामचेन वियतनाम	2×100	नामचेन हाइड्रो पावर जेन. स्टे. का. लि., वियतनाम	जेनरेटर : 1 पूरा हो गया है और 1 पर कार्य चल रहा है (03/11)। टरबाइन : 1 पर कार्य चल रहा है (03/11) और दूसरा 11–12 में करने की योजना है।
	वरजोब ताजिकिस्तान	2×4.5	मैसर्स बर्की/ताजिकिस्तान	पूरा हो गया है।
	रामपुर	6×68.66	सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड/ हिमाचल प्रदेश	टरबाइन 1 पूरा हो गया है, 3 पर कार्य चल रहा है (03/11) और 2 को 11–12 में करने की योजना है। जेनरेटर 2 पर कार्य चल रहा है (03/11) और शेष 11–12 में करना प्रस्तावित है।
	पामीर ताजिकिस्तान (केवल जेनरेटर)	1×7	पामीर एनर्जी, ताजिकिस्तान	पूरा हो गया है।
2009–10				
	प्राणहिता आंध्र प्रदेश			
	पैकेज 8	5×12.5	मेघा ईएण्डआईएल/आंध्र प्रदेश	कार्य प्रगति पर है।
	पैकेज 10	3×99	मेघा ईएण्डआईएल/आंध्र प्रदेश	ग्राहकों से संविदा के
	पैकेज 11	4×96	मेघा ईएण्डआईएल/आंध्र प्रदेश	मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
	पैकेज 23	2×60	पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	
	किशनगंगा/जम्मू और कश्मीर	3×110	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी/जम्मू और कश्मीर	कार्य प्रगति पर। 12–13 और इसके बाद की योजना।
	पुनातसंगछू	6×200	पुनातसंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, भूटान	कार्य प्रगति पर। 12–13 और इसके बाद की योजना।

1	2	3	4	5
	न्याबारंगो हाइड्रो पावर प्लांटर, रवाण्डा	2X14	अवसंरचना मंत्रालय, रवाण्डा	कार्य प्रगति पर। 12–13 और इसके बाद की योजना।

2010–11 (फरवरी, 2011 के अंत तक : शून्य)

थर्मल प्रोजेक्ट

वर्ष	प्रोजेक्ट का नाम	सं. मेगावाट में रेटिंग	ग्राहक/राज्य	स्थिति
2009–10				
	नासिक	5×270	एलेना पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईपीआईएल–इंडिया बुल ग्रुप) महाराष्ट्र	कार्य प्रगति पर । 3 11–12 में और 2 12–13 में पूरा करने की योजना है।
	मुजफ्फरपुर टीपीपी चरण–II	2×195	कांती बिजली उत्पादन लिमिटेड (एनटीपीसी) और बीएसईबी का सुयंक्त उद्यम)/बिहार	कार्य प्रगति पर। 1 11–12 में और 1 12–13 में पूरा करने की योजना है।
	भावनगर टीपीपी	2×250	भावनगर एनर्जी कंपनी लिमिटेड (बीईसीएल)/गुजरात	कार्य प्रगति पर। 12–13 और इसके बाद पूरा होने की योजना।
2010–11 (फरवरी, 2011 के अंत तक)				
	नासिक चरण–II	5×270	एलेना पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईपीआईएल–इंडिया बुल ग्रुप)/महाराष्ट्र	कार्य प्रगति पर। 12–13 और इसके बाद पूरा होने की योजना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

1174. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 6 दिसंबर, 2010 के तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुलग्नक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार काम पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त सभी केंद्रीय एजेंसियों को कितनी धनराशि संवितरित की गई हैं तथा इसमें से कितनी शेष है;

(ग) वर्ष 2002–2004 के दौरान प्रथम चरण में बिहार में अपूर्ण सड़कों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन्हें पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों पर यातायात पुनः शुरू करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यों को

सामान्यतः 12 महीनों में पूरा करना होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कार्यों की प्रगति अन्य बातों के साथ–साथ राज्यों/नामित निष्पादन एजेंसियों की कार्यान्वयन क्षमता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बिहार में नामित निष्पादन एजेंसियों को स्वीकृत सड़क कार्यों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) नामित निष्पादित एजेंसियों की स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्य और इन परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई निधियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

(ग) और (घ) बिहार के लिए स्वीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत चरण–I के 32 सड़क कार्य और चरण–II के 121 सड़क कार्य अधूरे हैं। अधूरे सड़क कार्यों के प्रमुख कारण हैं :

I. अपर्याप्त कार्यान्वयन क्षमता।

II. मौसम की प्रतिकूल स्थितियां अर्थात दीर्घकालीन वर्षा ऋतु/बाढ़

III. सड़क निर्माण के लिए जमीन का उपलब्ध न होना।

(ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कें मानक बोली दस्तावेज के अनुसार उसी ठेकेदार के साथ निर्माण संविदा के साथ–साथ की जाने वाली 5 वर्षीय अनुरक्षण संविदा द्वारा कवर की गई हैं।

विवरण–I

क्रम सं.	नामित निष्पादन एजेंसियों के नाम	स्वीकृत सड़कों की सं.	दिसम्बर, 2010 तक पूरी की गई सड़कों की सं.	स्वीकृत सड़कों की लंबाई (किमी में)	दिसम्बर, 2010 पूरी की गई तक सड़कों की लंबाई
1.	केंद्रीय लोक निर्माण, विभाग	344	111	1996	631
2.	मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	567	228	2990	1458
3.	मेसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड	1000	479	5855	3250
4.	मेसर्स जल विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड	832	309	3517	1547
5.	मेसर्स राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	847	256	4545	1582
	कुल	3590	1383	18903	8468

विवरण–II

क्रम सं.	नामित निष्पादन एजेंसी का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य	फरवरी, 2011 तक रिलीज की गई निधियां
1.	केंद्रीय लोक निर्माण, विभाग	1078.07	426.71
2.	मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1158.44	696.97
3.	मेसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2513.85	1343.61
4.	मेसर्स जल विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड	1919.21	1052.83
5.	मेसर्स राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	1645.04	849.89
	कुल	8314.61	4370.01

[अनुवाद]

शहरी–ग्रामीण असमानता

1175. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शहरी–ग्रामीण असमानता को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह दर्शायागया है कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आवंटित करोड़ों रुपए ग्रामों के लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और योजना–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है जिससे राज्यों द्वारा धनराशि का पूरा उपयोग किया जा सके तथा धनराशि प्राप्त होने के तुरंत बाद काम शुरू किया जाए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) भारत सरकार विशेषकर देश में शहरी–ग्रामीण असमानता की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम यथा–विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम और केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं यथा–महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) कार्यान्वित करता है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) देश में ग्रामीण गरीब परिवारों के सदस्य को स्वरोजगार उपलब्ध कराती है। एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया है ताकि इसे लक्षित एवं समयबद्ध परिणाम हासिल करने के लिए चरणबद्ध ढंग से मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ग्रामीण लोगों की आजीविका स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए अन्य योजनाएं अर्थात इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 'पीएमजीएसवाई), पेयजल आपूर्ति (डीडब्ल्यूएस), संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) एवं वाटरशेड विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं प्राथमिक रूप से ग्रामीण अवसंरचनाएं निर्मित करने के अतिरिक्त ग्रामीण गरीबों को अपने गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती हैं ताकि देश में शहरी–ग्रामीण असमानता को कम किया जा सके।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालय द्वारा समय–समय पर समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन कराए गए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चलता है कि कुल मिलाकर कार्यक्रम के लक्ष्य समूह ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संतुष्ट हैं।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे अपने कार्यक्रमों की निगरानी एवं मूल्यांकन पर विशेष जोर देता है। मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य एवं जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति और राष्ट्रीय निगरानीकर्ताओं के जरिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं निधियों के उपयोग की निगरानी की प्रणाली बनाई है। मंत्रालय ने योजनाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए कार्यकारी निर्देश भी जारी किए हैं।

महारत्न का दर्जा

1176. श्री के. आर. जी. रेड्डी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न का दर्जा देने संबंधी कुछ अनुरोध सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लि. को महारत्न की श्रेणी प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजा है।

(ग) सचिव, लोक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में अंतर–मंत्रालयीय समिति ने कोल इंडिया लि. को महारत्न की श्रेणी प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा अनुशंसा की है। अब मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में शीर्षस्थ समिति इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। शीर्षस्थ समिति की अनुशंसा पर इस मामले को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

आईआरसीटीसी द्वारा अर्जित लाभ

1177. **श्री एस. एस. रामासुब्बू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम ने पिछले कुछ वर्षों में लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईआरसीटीसी द्वारा अपनी सेवाएं बेहतर बनने के साथ-साथ आगमी वर्षों में अपने लाभ में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) कर पश्चात लाभ-

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
2007-08	20.75
2008-09	46.50
2009-10	63.05

(ग) और (घ) आगामी वर्षों में सेवाओं और लाभों को बेहतर करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदमों में शामिल हैं, फूड प्लाजा, फूड कोर्टों और फास्ट फूड इकाइयों जैसी प्रमुख इकाइयों में मुहैया कराई गई सेवाओं की गहन निगरानी, मौजूदा बोतलबंद पीने के पानी के संयंत्रों में रेल नीर का क्षमता संवर्धन, आरामदायक पर्यटन गाड़ी का चालन, पुष्टिशुदा रेल आरक्षण, होटल स्थान, परिवहन, भोजन, स्थानीय भ्रमण आदि वाले पैकेजों को प्रस्तुत करना और एयर टिकटिंग संव्यवसाय में प्रवेश करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) से मान्यता प्राप्त करना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई उच्च न्यायालय

★1178. **श्री चंदकांत खैरे** : क्या विधि और न्याय उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार का बम्बई उच्च न्यायालय का नाम बदलकर मुम्बई उच्च न्यायालय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने, बंबई उच्च न्यायालय के नाम को ''मुंबई उच्च न्यायालय'' के रूप में परिवर्तन करने का प्रस्ताव भेजा है जो सरकार के विचाराधीन है।

विचाराधीन कैदी

1179. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** : क्या विधि और न्याय उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दो लाख विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के केंद्र सरकार के निर्णय से सहमत हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किशोर न्यायालयों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा देश में गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले लंबित हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) माननीय विधि और न्याय मंत्री ने तारीख 14 जनवरी, 2010 के अपने पत्र द्वारा विचारणाधीन मामलों की संख्या में कमी के लिए और जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए मिशन रीति में कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया था। मिशन ने 26 जनवरी, 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक विचाराधीन मामलों में दो-तिहाई कमी करनी चाही थी। यह भी अनुरोध किया गया था कि राज्य, जिला और तालुक स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण को इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए शामिल किया जा सकता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस मिशन को सफल बनने के लिए न्यायपालिका को सुकर बनाने हेतु अनुरोध किया गया था। यह, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भेजे गए 10 मार्च, 2010 और 2 जुलाई, 2010 के पत्रों के अनुसरण में था।

कार्यक्रम का प्राथमिक प्रयोजन कारागरों में अधिक भीड़–भाड़ में कमी करना और उन विचारणाधीन कैदियों को, जो ऐसी निर्मुक्ति किए जाने के लिए पात्र हैं, जमानत पर छोड़ना है।

(ग) और (घ) 28 फरवरी, 2011 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, 4,52,999 विचारणाधीन कैदियों को निर्मुक्त किया गया है और 59,815 विचारणाधीन कैदी 26.1.2010 को आरंभ होने वाली अवधि से उन्मोचित किए गए हैं।

(ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दोहरे स्टैक कंटेनर की सुविधा

1180. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :
श्री महेंद्रसिंह पी चौहाण :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन स्टैक/दोहरे स्टैक कंटेनर वाली ट्रेनों को शुरू करने संबंधी मानकों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजकोट–सूरत–हावड़ा स्टेशन सहित देश में तीन स्टैक/दोहरे स्टैक कंटेनर की सुविधा शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य–वार और पत्तन–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पत्तनों को जोड़ने वाली विशेष कंटेनर ट्रेनों का राज्य–वार तथा पत्तन–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार कांडला–वेरावल पत्तन, कांडला–मुद्रा और कांडला–भिल्दी–जोधपुर–भटिंडा खंड को जोड़ने के लिए विशेष/दोहरे स्टैक वाली कंटेनर ट्रेनें चलाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) रेलवे के पास तीन स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी चलाने की कोई योजना नहीं है। डबल स्टैक कंटेनर गाड़ियों का चालन पहले ऐसी गाड़ियों के अधिकतम संचलन डाइमेंशन को एकोमोटेड करने के लिए पर्याप्त क्लियरेंस वाले मार्ग और दूसरा ग्राहक मांग पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ) रेलवे पिपावाव–कनकपुरा और मुंद्रा–मनकपुरा मार्गों पर पहले से ही डबल स्टैक कंटेनर गाड़ियां चला रही है, जो गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरती हैं। अप्रैल 2010 और जनवरी 2010 के बीच मुंद्रा और पिपावाव पत्तनों ने क्रमशः 88 और 38 डबल स्टैक गाड़ियों की सम्हलाई की है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रिलायंस इंडस्ट्रीज में अनियमितताएं

1181. श्री मिथिलेश कुमार : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा इसकी सहायत कंपनियों के कार्यकरण में कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों के विरुद्ध अपनी अनुषंगी कंपनियों को निधि का अनुचित अंतरण करने एवं लेखाओं में हेर–फेर करने आदि संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) शिकायतों की जांच कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई द्वारा करवाई गई है तथा यह पाया गया है कि कंपनी ने लेखांकन मानकों के अनुसरण में आवश्यक प्रकटन किया है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372क के प्रावधानों का अनुपालन किया है, अतः कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं हैं।

[हिन्दी]

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

1182. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई है;

(ख) उपर्युक्त राज्यों में किन राज्यों में निर्वाचित पंचायतें काम कर रही हैं;

(ग) देश के कुछ राज्यों में उक्त पंचायती राज व्यवस्था शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य में उक्त व्यवस्था शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) जहां संविधान का भाग IX लागू होता है। उन राज्यों में तीन स्तरों अर्थात् ग्राम, मध्यवर्ती और जिला पंचायतों का गठन किया जाना अपेक्षित है किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन्हें छूट प्राप्त है और वे यदि चाहें तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करें।

(ख) संविधान के भाग IX के प्रावधानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, जिसका अपना पंचायती राज अधिनियम है, अन्य सभी राज्यों में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। ब्यौरे–वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 243 ड के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, छठी अनुसूची के क्षेत्रों और मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में संविधान का भाग IX लागू नहीं होता।

विवरण

पंचायत निर्वाचन के राज्य–वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंचायत स्तरों की संख्या	चुनाव हुए (हां/नहीं)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	हां
3.	असम	3	हां
4.	बिहार	3	हां
5.	छत्तीसगढ़	3	हां
6.	गोवा	2	हां
7.	गुजरात	3	हां
8.	हरियाणा	3	हां
9.	हिमाचल प्रदेश	3	हां
10.	जम्मू और कश्मीर	--	नहीं
11.	झारखंड	3	हां
12.	कर्नाटक	3	हां
13.	केरल	3	हां
14.	मध्य प्रदेश	3	हां
15.	महाराष्ट्र	3	हां
16.	मणिपुर	2	हां
17.	उड़ीसा	3	हां
18.	पंजाब	3	हां
19.	राजस्थान	3	हां
20.	सिक्किम	2	हां
21.	तमिलनाडु	3	हां
22.	त्रिपुरा	3	हां
23.	उत्तर प्रदेश	3	हां
24.	उत्तराखंड	3	हां
25.	पश्चिम बंगाल	3	हां
	संघ राज्य क्षेत्र		
26.	चंडीगढ़	3	हां
27.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	3	हां
28.	दादरा नागर हवेली	2	हां
29.	दमन एवं दीव	2	हां
30.	लक्षद्वीप	2	हां
31.	पुदुचेरी	2	हां

[अनुवाद]

जलापूर्ति

1183. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार राज्यों को मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं/योजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य–वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) भारत सरकार राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है । एनआरडीडब्ल्यूपी के वार्षिक आवंटन के 10 प्रतिशत को निर्धारित मानदंड पर आधारित मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) वाले राज्यों को दिया गया है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत परियोजनाओं/योजनाओं की मंजूरी राज्य स्तरीय मंजूरी समितियों द्वारा की जाती है। इसलिए राज्यों को परियोजना–वार मरुभूमि विकास कार्यक्रमों के लिए कोई निधियां रिलीज नहीं की जाती हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में डीडीपी क्षेत्रों वाले राज्यों को रिलीज की गई 10 प्रतिशत डीडीपी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एनआरडीडब्ल्यूपी–डीडीपी के अंतर्गत डीडीपी राज्यों को रिलीज की गई निधियां

क्र.सं.	डीडीपी राज्य	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1.	आंध्र प्रदेश	13.52	16.61	50.2	31.57
2.	गुजरात	24.45	30.51	48.41	154.25
3.	हरियाणा	33.28	41.54	17.94	54.25
4.	हिमाचल प्रदेश	0.56	0.69	70.66	2.57
5.	जम्मू व कश्मीर	2.20	1.37	42.23	0.00
6.	कर्नाटक	32.79	40.85	48.21	146.28
7.	राजस्थान	185.70	233.44	141.12	402.46
	कुल	292.50	365.00	418.77	791.38

असम में तेल कुओं से कच्चे तेल का उत्पादन

1184. श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, उत्तर–पूर्व और गुजरात में तेल कुओं से तेल का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना तेल निकाला गया है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में तेल शोधनशाला स्थापित करने में कुछ तकनीकी अड़चनों का पता चला है; और

(घ) यदि, हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम सहित) और गुजरात से तेल का संचयी उत्पादन क्रमशः 214.67 एमएमटी और 223.29 एमएमटी है।

(ग) और (घ) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने के परिणामस्वरूप किसी भी निजी अथव सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

द्वारा तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए भारत में कहीं भी रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है।

[हिन्दी]

उत्तर पश्चिम रेल में दोहरीकरण कार्य

★1185. **श्री बदीराम जाखड़** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर–पश्चिम रेल में चल रहे दोहरीकरण के कार्यों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार जोधपुर से जयपुर तथा अहमदाबाद को दोहरी लाइन से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) उत्तर पश्चिम रेलवे पर चल रही दोहरीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है–

क्र.सं.	परियोजना का नाम (लंबाई किमी में)	अद्यतन प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	आबू रोड–सरोतरा रोड (23.12)	103.94	बजट 2010–11 में शामिल कर लिया गया है।
2.	अलबकर–हरसौली (34.86)	90.79	54.61
3.	भगत की कोठी–लूनी (28.12)	97.36	बजट 2010–11 में शामिल कर लिया गया है।
4.	दौसा–बांदीकुई (29.04)	85.34	82.16
5.	जयपुर–दौसा (61.28)	148.38	180.15
6.	हरसौली–रेवाड़ी (39.35)	110.95	72.76
7.	केसबगंज–स्वरूपगंज (26.48)	92.3	बजट 2010–11 में शामिल कर लिया गया है।
8.	सरोतरा रोड–करजोडा (23.59)	115	बजट 2010–11 में शामिल कर लिय गया है।
9.	स्वरूपगंज–आबू रोड (25.36)	105.68	बजट 2010–11 में शामिल कर लिया गया है।

(ख) से (घ) जोधपुर–जयपुर खंड पर, जयपुर–फुलेरा–अजमेर का दोहरीकरण कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। भगत की कोठी–लूनी के दोहरीकरण कार्य को बजट 2010–11 में शामिल कर लिया गया है। गुड़िया–मारवाड़ (43.5 किमी) और करजोडा–पालनपुर (5.4 किमी) तथा अजमेर–बंगुरग्राम (48.43 किमी) के दोहरीकरण को क्रमशः 239.73 करोड़ रु. तथा 213.39 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर 2011–12 में शामिल करने का प्रस्ताव है।

जोधपुर–अहमदाबाद पर निम्नलिखित दोहरीकरण परियोजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है–

क्र.सं.	परियोजना का नाम (लंबाई किमी में)	अद्यतन प्रत्याशित लागत 2010–11 (करोड़ रु. में)	पूरा होने की लक्ष्य तिथि (टीडीसी), जहां कहीं निर्धारित की गई हो
1	2	3	4
1.	आबू रोड–सरोतरा रोड (23)	103.94	–
2.	केसवगंज–स्वरूपगंज (26.48)	92.3	वर्ष 2011–12 के दौरान 16.34 किमी पूरा करने का लक्ष्य है

1	2	3	4
3.	सरोतरा रोड–करजोडा (23.59)	115	–
4.	स्वरूपगंज–आबू रोड (25.36)		–
5.	भगत की कोठी–लूनी (28.12)	97.36	–

रानी–केसवगंज (59.5 किमी) के दोहरीकरण को 271.74 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर 2011–12 में शामिल करने का प्रस्ताव है।

सस्ते होटल

1186. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश विशेषकर गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर सस्ते होटलों का निर्माण करने के कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार कितने स्टेशनों पर सस्ते होटल विद्यमान हैं तथा कितने स्थानों पर ऐसे होटलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल में गुजरात राज्य में 3 स्टेशनों (अहमदाबाद, पोरबंदर तथा सूरत) सहित 50 स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने की रेलवे की योजना है। इन स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के अतिरिक्त बजट होटल मुहैया कराने की योजना है। इसके अलावा गुजरात राज्य में 7 स्टेशनों सहित विभिन्न स्टेशनों पर रेल उपयोगकर्त्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे शॉपिंग, फूड स्टॉलों तथा रेस्तरां, बुक स्टॉलो आदि मुहैया कराने के लिए मल्टी फंक्शन कंप्लेक्सों (एमएफसी) के विकास से संबंधित कार्य शुरू किया गया है। इन मल्टी फंक्शनल कंप्लेक्सों में, जहां कहीं आवश्यक होगा, बाजार क्षमता के अनुसार बजट होटल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस समय भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन पर बजट होटल परिचालन में नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी

1187. श्री रामसिंह राठवा : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी उच्च न्यायालयों में प्रलेखन तथा मामलों की त्वरित सुनवाई के प्रयोजनार्थ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) सरकार देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (ई–न्यायालय परियोजना) के कंप्यूटरीकरण के लिए तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों, जिसमें 935 करोड़ रुपए की लागत के 3069 न्यायालय परिसर में 14249 न्यायालय खोलने के लिए आईसीटी अवसंरचना के उन्नयन के लिए एक परियोजना क्रियान्वित कर रही है यह अनुप्रयुक्त साफ्टवेयर के प्रयोग के क्रियान्वित माध्यम से कार्य की गति के प्रबंधन के स्वचलन का उपबंध करेगी। यह सेवा केंद्रों और बेव पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को कपितय सेवाएं जैसे कि मामले का फाइल किया जाना, आदेशों और निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां मामले की प्रास्थिति आदि के लिए उपबंध करती है। यह सभी न्यायालयों और न्यायालय परिसर के भीतर अनुभाग में, लोकल एरिया नेटवर्क जोड़ने की स्थापना करने उपयोजन साफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा वाइड एरिया नेटवर्क से राज्य के भीतर और राज्यों के बाहर सभी न्यायालयों को जोड़ना इंटरनेट, पर्याप्त पावर बैकअप, न्यायाधीशों/न्यायाल कर्मचारिवृंद को उनकी अपने न्यायालय परिसरों में आईसीटी प्रशिक्षण का दिया जाना, अनुप्रयुक्त साफ्टवेयर का विकास का उपबंध करना है।

परियोजना के अधीन, कंप्यूटरीकरण के लिए 2757 न्यायालयों

परिसरों में 13363 जिला और तालुक न्यायालयों में स्थल तैयारी पूरा कर ली गई है। डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर आदि जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर 6877 न्यायालयों में परिदत्त कर दिए गए हैं और 5518 न्यायालयों में संस्थापित कर दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय, 18 उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बंबई, कलकत्ता, गुवाहाटी, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मद्रास, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पटना, राजस्थान, शिमला, सिक्किम और उत्तराखंड) और उनकी न्यायपीठों में हार्डवेयर के उन्नयन को पूरा कर लिया गया है। उच्चतम न्यायालय में 550 डेस्कटाप कंप्यूटर से ज्यादा और 18 उच्च न्यायालयों/न्यायपीठों में 5500 डेस्कटाप कंप्यूटरों से ज्यादा और 100 सर्वर लगा दिए गए हैं।

न्यायालयों में सभी कंप्यूटर अवसंरचना के बीच सामर्थ्यकारी संयोजकों के लिए मद (एलएएन मद), 5761 न्यायालयों को परिदत्त कर दिया गया है और 4464 न्यायालयों में लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 10744 न्यायाधीशों, 486, जिला न्यायालयों और 1272 तालुक न्यायालयों को ब्राडबैंड/डायल–अप इंटरनेट को जोड़ने का उपबंध कर दिया गया है। एलएएन को उच्च न्यायालयों और न्यायपीठों में भी उन्नयन कर दिया गया है। एलएएन को लगाने का कार्य 16 उच्च न्यायालयों इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बंबई, गुवाहाटी, गुजरात,जम्मू–कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मद्रास, मध्यप्रदेश, पटना, राजस्थान, शिमला, सिक्किम और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों और 8 न्यायपीठों–शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, नागपुर, औरंगाबाद, मदुरै, ग्वालियर और इंदौर में पूरा कर लिया गया है।

उपयोजन सॉफ्टवेयर 6313 न्यायालयों में संस्थापित किया गया है लैपटाप 13365 न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं और लेजर प्रिंटर 12599 न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं। पूरे देश में 11340 न्यायाधीशों को और 45380 न्यायालय कर्मचारिवृंद को आईसीटी प्रशिक्षण दिया गया है। पूरे देश को जिला न्यायालयों में 394 सिस्टम अधिकारियों और 215 सिस्टम सहायक अभिनियोजित किए गए हैं।

शौचालयों का निर्माण

1188. श्री हरिभाऊ जावले : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक घर तथा सार्वजनिक स्थान दोनों विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में शौचालयों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न राजसहायताओं का जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न योजनाओं विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों को दी जा रही राजसहायताओं में और वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) सरकार संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण एवं परिवार द्वारा उसके उपयोग के पश्चात् 1500 रु. की प्रोत्साहन राशि (पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 2000.00 रु.) देती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार भी 700 रु. की न्यूनतम प्रोत्साहन राशि देती है।

सरकार टीएससी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों जिसकी इकाई लागत 2 लाख रु. है, के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं समुदाय के बीच लागत वहन 60 : 30 : 10 के अनुपात में है।

ये प्रावधान महाराष्ट्र राज्य सहित सभी परियोजना जिलों के लिए लागू हैं।

(ख) से (घ) इस संबंध में राज्य सरकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसंधान कार्यक्रम

1189. श्री पी. के. बिजू : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैवप्रौद्योगिकी विभाग के पास देश में जहरीले के रासायनिक कीटनाशकों तथा कीटनाशी उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैवकीटनाशकों तथा जैव कीटनाशी विकसित आने का कोई प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने 1989 में जैवकीटनाशक और फसल प्रबंधन संबंधी एक कार्यक्रम शुरू किया था। लागत प्रभावी और वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य उत्पादन कैंडीडेट जैवनियंत्रण अभिकर्मकों/जैवकीटनाशकों के विकास और लगभग 2,15,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विभिन्न फसलों में भिन्न-भिन्न परिस्थिति तंत्र के अधीन उनकी फील्ड संबंधी क्षमता का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न राज्यों में कई उत्पादन-सह-प्रदर्शन एककों की स्थापना बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए की गई है। जैवनियंत्रक अभिकर्मकों तथा पोषी कीटों के न्यूक्लियस कल्चर्स के संग्रहण, रख-रखाव और विभिन्न उत्पादन एककों को इनकी आपूर्ति करने संबंधी कार्य तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोयम्बतूर और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेन्ट इन्सेक्ट्स (एनबीएआईआई), बंगलूर में 2 आधान केंद्रों की स्थापना के माध्यम से किए गए हैं।

आर्थिक दृष्टि से विभिन्न फसलों के लिए कई सक्षम एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) माड्यूलों का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त, परिस्थिति-तंत्र के स्थाई संरक्षण के संबंध में भी अंगीकृत गांवों में प्रदर्शन किया गया है। विभिन्न फसलों के लिए आईपीएम और गैर-आईपीएम भूखंडों में जैवकीटनाशक प्रौद्योगिकी की लागत प्रभाविता भी निर्धारित की गई है। विभाग ने पंजीकरण प्रयोजनों के लिए टाक्सीकोलॉजिकल आंकड़ों के सृजन संबंधी दिशा-निर्देशों को कारगर बनाने संबंधी कार्य शुरू किया है। जैवकीटनाशकों के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने और उन्हें सुगम बनाने के लिए विभाग ने संभाव्य जैवकीटनाशकों के टाक्सीकोलॉजिकल आंकड़ों के सृजन के संबंध में उपयुक्त कदम उठाए हैं। देश में मांग और आपूर्ति के बीच विषमता के आकलन करने, कृषि कार्य, फसलों और उनके कीट प्रोफाइल के आधार पर जैवकीटनाशकों की क्षेत्रवार आवश्यकताओं के चित्रण के लिए एक व्यापक बाजार सर्वेक्षण किया जा रहा है।

विभिन्न कीट पीड़क जंतुओं का फील्ड में सामूहिक ट्रैपिंग के लिए फेरोमोन्स की पहचान की गई है। नैनोपार्टिकल पर आधारित वाहक सामग्रियों का भी विकास किया जा रहा है ताकि 3-4 से लेकर 40-45 दिनों में फील्ड में उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके।

विभाग ने मानक निर्धारण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए देश में ''रेफरल लेबोरेट्रीज'' के रूप में 7 केंद्रो को नापमोद्दिष्ट किया है। प्रशिक्षण और विस्तार क्रियाकलापों के माध्यम से आईपीएम और एकीकृत कीट तथा पोषकतत्व प्रबंधन (आईपीएनएम) तकनीकों के लोकप्रियकरण एवं अंगीकरण के लिए गहन प्रोत्साहन कार्यक्रमों को शुरू किया गया है।

जैवकीटनाशकों/जैव नियंत्रक अभिकर्मकों और जैवउर्वरकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन संबंधी प्रोद्योगिकियां उद्योग क्षेत्र को हस्तांतरित की गई हैं। उद्यमियों, प्रगतिशील किसानों, बेरोजगार कृषि तथा विज्ञान स्नातकों जैसे अन्य समूहों ने जैवनियंत्रक अभिकर्मकों का उत्पादन शुरू कर दिया है। इन उद्योगां और व्यक्तियों/संगठनों ने अपने उत्पादों को बाजार में निकाला है।

आनंदपुर साहिब के लिए ट्रेनों के फेरे

1190. **श्री रवनीत सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार नई दिल्ली और आनंदपुर साहिब के बीच चलने वाली ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा राष्ट्रीय राजधानी को धार्मिक महत्व के स्थानों पर पर्यटन की अपार संभावना वाले स्थानों के साथ जोड़ने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) इस समय, दिल्ली और आनंदपुर साहिब के बीच 12057/12058 नई दिल्ली-उना जन शताब्दी एक्सप्रेस और 14553-14554 दिल्ली-उना हिमाचल एक्सप्रेस उपलब्ध हैं। ये गाड़ियां पहले ही दैनिक आधार पर चलाई जा रही हैं।

(ग) यातयात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी मांग आदि के अध्यधीन राष्ट्रीय राजधानी को महत्त्वपूर्ण धार्मिक/पर्यटक स्थलों से जोड़ने के लिए भारतीय रेलों का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है।

स्टैंडिंग कान्फ्रेंस ऑफ
पब्लिक इंटरप्राइजेज

1191. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैडिंग कान्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विभिन्न औद्योगिक और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु पूंजी बाजार का दोहन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) जी, नहीं। लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने विभिन्न औद्योगिक और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु पूंजी बाजार से अपेक्षित राशि जुटाने हेतु केंद्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईएस) से कोई अनुरोध नहीं किया है।

[हिन्दी]

सामग्री की गुणवत्ता

1192. डॉ. बलीराम : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जा रही सड़कों में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता दर्शाने हेतु बोर्ड लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों को इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी) की ग्रामीण सड़क नियमावली के अनुसार निष्पादित किया जाता है। सामग्री की किस्म और इसकी मात्रा को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है। मात्रा या गुणवत्ता के बारे में के गई किसी भी शिकायत के मामले में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

1193. श्री भरतराम मेघवाल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्य–वार आवंटन के अलावा अतिरिक्त निधियों की रिलीज में राज्य के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन, वर्ष के अंत तक बचत की उपलब्धता और अधिक निधियों का उपयोग में राज्य की क्षमता तथा लेखों के लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाता है। राज्यों को अतिरिक्त निधियों के आवंटन के लिए आवेदन भेजने की भी जरूरत हैं वर्ष 2010–11 के लिए, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राजस्थान को 1165.44 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं, जिसमें से दिनांक 28.2.2011 तक राज्य को 1099.48 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में बचत की उपलब्धता का पता चलता है इसलिए ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

नई रेल लाइन

1194. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदौर और दाहोद के बीच नई रेल लाइन तथा रतलाम एवं खंडवा के बीच आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन कार्यों को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) दाहोद–इंदौर नई लाइन और रतलाम–मऊ–खंडवा–अकोला आमान परिवर्तन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है–

(i) सरदारपुर के रास्ते दाहोद–इंदौर (200.97 किमी) धार नई लाइन : जहां भूमि उपलब्ध हो गई है, वास्तविक कार्यान्वयन प्रारंभ हो गई है। 3 बड़े पुलों और 60000 घन मीटर मिट्टी संबंधित कार्य पूरा हो गया है। मार्च 2010 तक 61.34 करोड रु. खर्च किए जा चुके हैं और 2010–11 के लिए 75 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ii) रतलाम–मऊ–खंडवा–अकोला (472.64 किमी) आमान परिवर्तन: प्रारंभिक कार्य जैसे योजना तथा अनुमान तैयार करना, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आदि पूरा होने के अंतिम चरण में हैं। अकोला–अकोट खंड (43.50 किमी) में निष्पादन कार्य शुरू हो चुका है। वर्ष 2010–11 के दौरान 40 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) इन परियोजनाओं की समय सीमा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

आईसीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय

1195. डॉ. क्रुपारानी किल्ली : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में और आर्थिक क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त केंद्रों की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) इस समय भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा दिल्ली में स्थित हैं।

(ख) और (ग) आईसीएआई के केंद्र तथा क्षेत्रीय कार्यालय संस्थान द्वारा गठित होते हैं सरकार द्वारा नहीं। तथापि, आईसीएआई ने सूचित किया है कि इस समय क्षेत्रीय कार्यालय गठित करने का कोई भी प्रस्ताव संस्थान के विचाराधीन नहीं है। हैदराबाद में स्थापित हो चुके केंद्र के अतिरिक्त संस्थान, जयपुर, बेंगलूरू, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, मोहाली, भुवनेश्वर, पणजी तथा औरंगाबाद में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का विचार रखता है।

(घ) संस्थान द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

रेल बजट में घोषित परियोजनाएं

1196. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई ट्रेनों, सर्वेक्षणों, नई लाइनों आदि के संबंध में रेज बजट 2010-11 में घोषित लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाई नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कोई कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) रेल बजट 2010-11 में घोषित 263 रेल गाड़ियों में से 8 दुरंतों, 49 एक्सप्रेस गाड़ियां, 6 मातृभूमि, 3 कर्मभूमि, 1 जन्मभूमि और 30 पैसेंजर सेवाओं सहित 242 रेलगाड़ियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। रेल बजट 2010-11 में घोषित रेलगाड़ियां उसी वर्ष अर्थात् 2010-11 के दौरान शुरू की गई हैं। भारतीय रेल पर नई रेलगाड़ी सेवाएं राज्यवार आधार पर शुरू नहीं की जाती हैं क्योंकि रेवले नेटवर्क राज्य सीमा के आर-पार जाती हैं। रेलवे बजट 2010-11 में घोषणानुसार विभिन्न स्थानों पर नई लाइन परियोजनाओं के सर्वेक्षण के कार्य को शुरू कर दिया गया है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

1197. श्री मिलिंद देवरा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतर्राज्यीय जल विवाद के कई मामले लंबिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में लंबित मामलों की क्या स्थिति है;

(ग) उक्त विवादों का समय पर निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या देश में जल प्रबंधन की दिशा में कोई विशेष नीति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के तहत वर्तमान अंतर-राज्यीय जल विवाद का विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	नदी/नदियों	संबंधित राज्य	केंद्र सरकार को संदर्भित करने की तिथि	अधिकरण को संदर्भित करने की तिथि
1.	रावी एवं व्यास	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	–	अप्रैल, 1986
2.	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुद्देचेरी	जुलाई, 1986	जून, 1990
3.	कृष्णा	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	सितंबर, 2002–जनवरी, 2003	अप्रैल, 2004
4.	महादायी (मंडोवी)	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	जुलाई, 2002	नवंबर, 2010
5.	वंसधारा	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा	फरवरी, 2006	मार्च, 2010

उल्लिखित अधिनियम की धारा 14 के तहत 1986 में रावी और व्यास से संबंधित जल–विवाद को रावी एवं व्यास जल अधिकरण (आरबीडब्ल्यूटी) को भेज गया था। अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत आरबीडब्ल्यूटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.1.1987 को प्रस्तुत की थी। पक्षकार राज्यों तथा केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत अधिकरण से व्याख्या/मार्गदर्शन मांगा है। इस बीच 12.7.2004 को पंजाब सरकार ने इस संबंध में यह बेसिन राज्यों के साथ जल सहभागिता समझौते को समाप्त करते हुए पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम–2004 लागू किया था। केंद्र सरकार ने जुलाई, 2004 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस पर राष्ट्रपतीय संदर्भ दिया और यह मामला निर्णयाधीन है। अधिकरण ने सरकार को अपनी आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

कावेरी जल विवाद अधिकरण ने दिनांक 5.2.2007 को आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के तहत रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया था। पक्षकार राज्यों तथा केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत अधिकरण से व्याख्या/मार्गदर्शन मांगा है। अधिकरण ने सरकार को अपनी आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त, पक्षकार राज्यों ने ऊपर उल्लिखित अधिकरण की रिपोर्ट और निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका भी दायर की है।

कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी) के गठन की प्रभावी तिथि 1.2.2006 है। कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत केंद्र सरकार को दिनांक 30.12.2010 को अपनी रिपोर्ट और निर्णय अग्रेषित किया था।

दिनांक 24.2.2010 को केंद्र सरकार द्वारा वंसधारा जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया है और अंतर–राज्यीय नदी वंसधारा से संबंधित विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु इसे भेजा गया है।

नवंबर, 2010 को केन्द्र सरकार द्वारा महादायी (मंडोवी) जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया और अन्तर–राज्यीय नदी महादायी से संबंधित विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु इसे भेजा गया है।

(ग) आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था जहां अधिकरण द्वारा जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई थी।

(घ) और (ङ) जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को राष्ट्रीय जल नीति–2002 में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

राष्ट्रीय जल नीति की मुख्य विशेषताएं, 2002

★ जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय मूल आवश्यकता तथा एक कीमती राष्ट्रीय सम्पत्ति है। जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत किए जाने की आवश्यकता है।

★ विद्यमान केंद्रीय और राज्य स्तर के अभिकरणों को एकीकृत और सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जल संबंधी आंकड़ों के वास्ते आंकड़ा बैंकों और आंकड़ा आधारों के नेटवर्क युक्त एक सुविकसित सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

★ देश में उपलब्ध जल संसाधनों तक अधिकतम संभव स्तर को उपयोज्य संसाधनों में लाया जाना चाहिए।

★ जल की उपयोगिता के गैर परंपरागत पद्धतियों जैसे अंतःबेसिन हस्तांतरण, भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा खारे और समुद्री जल का अलवणीकरण तथा परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियां जैसे वर्षा जल संचयन, जिसमें छत परवर्षा जल संचयन भी शामिल है, को उपयोज्य जल संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। इन तकनीकों के लिए प्रमुख अनुसंधान और विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना आवश्यक है।

★ जल संसाधनों की आयोजना, नदी बेसिन अथवा उप–बेसिन के रूप में जल वैज्ञानिक यूनिट के आधार पर की जानी चाहिए। नदी बेसिनों के नियोजित विकास और प्रबंधन के लिए उपयुक्त नदी बेसिन संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए।

★ जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जल हस्तांतरित करके जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और एक नदी बेसिन से दूसरे बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।

★ जहां तक संभव हो जल संसाधन के विकास के लिए परियोजना की आयोजना बहुउद्देश्यीय होनी चाहिए। यह आयोजना मानव व पारिस्थितिकीय पहलुओं और समाज के जो वर्ग लाभ से वंचित रह रहे हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एकीकृत एवं बहुविषयी दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए।

★ जल के आवंटन में पेय जल को सर्वप्रथम इसके पश्चात सिंचाई, जल–विद्युत, पारिस्थितिकी, खाद्य–उद्योगों और गैर कृषि–उद्योगों, नौवहन और अन्य उपयोगों के क्रम में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

★ भूजल के उपयोग को पुनर्भरण संभावनाओं तथा सामाजिक समानता के संबंध में विनियमित किया जाना चाहिए। भूजल के अति दोहन के हानिकर पर्यावरणीय परिणामों को प्रभावी ढंग से रोके जाने की जरूरत है।

★ विद्यमान जल संसाधन सुविधाओं के वास्तविक और वित्तीय स्थायित्व पर पर्याप्त बल दिए जाने की जरूरत है। विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभार सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि प्रारंभ में कम से कम प्रचालन और रखरखाव दरें और बाद में पूंजीगत लागत का कुछ भाग प्राप्त हो सके।

★ विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रयोक्ताओं और अन्य पणधारियों सहित विभिन्न सरकारी अभिकरणों को शामिल करते हुए एक सहभागिता पद्धति को एक कुशल और निर्णायक रूप में अपनाया जाना चाहिए।

★ विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और प्रबंधन में, जहां व्यवहार्य हो, निजी क्षेत्र में सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

★ सतही और भूजल की गुणवत्ता के लिए नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जानी चाहिए। निस्सरणों को प्राकृतिक नदियों में बहाए जाने से पहले उनमें स्वीकार्य स्तरों और मानकों के अनुसार सुधार करना चाहिए। पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए बारहमासी नदियों में न्यूनतम प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

★ जल के विविध उपयोगों में उपयोग की कारगरता में सुधार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा, विनियमन, प्रोत्साहनों व दंड व्यवस्था करके जल संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

★ कम लागत में उपयुक्त उपाय अपनाकर समुद्र या नदी से होने वाले कटाव को कम से कम किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों एवं बाढ़ मैदान अचंलों में अंधाधुंध खेती को और आर्थिक क्रियाकलापों को विनियमित किया जाना चाहिए।

★ जल संसाधनों के विकास के लिए परियोजनाओं की आयोजना में सूखा प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों को विभिन्न उपायों के द्वारा सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

★ राज्यों के बीच जल बंटवारा/वितरण को जल संसाधन उपलब्धता और नदी बेसिन की जरूरतों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

★ जल संसाधन विकास के एकीकृत हिस्से के रूप में प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयास किए जाने चाहिए।

नासिक के लिए राजधानी एक्सप्रेस

1198. श्री समीर भुजबल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली से नासिक होते हुए मुंबई तक कोई राजधानी एक्सप्रेस नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय का नासिक को राजधानी एक्सप्रेस से जोड़ने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां लंबी दूरी की तीव्र गति से चलने वाली गाड़ियां होती हैं जो मुख्यतः भारत की राजधानी और राज्य की राजधानी के बीच चलने वाले रेल यात्रियों को मार्ग में न्यूनतम ठहराव के साथ सुविधा प्रदान करती हैं।

समुद्री पाइपलाइन परियोजना

1199. **श्री एस. पक्कीरप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र के रास्ते मध्य पूर्व से गैस लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) को भी ईरान और कतर से गहरे समुद्र के रास्ते गैस का आयात करने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में सौदे की निबंधन और शर्तें क्या होंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) से (ग) गैस एकत्रित करने वाली पाइपलाइन के माध्यम से, जिसका केंद्र ओमान (या उसके आस-पास) हो, मध्य पूर्व के कई गैस प्रचुर देशों से गैस की आपूर्तियां किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि गहरे समुद्री पाइपलाइन द्वारा भारतीय तट को गैस की आपूर्ति हो सके। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने उक्त पाइपलाइन परियोजना के लिए 2009 में सहयोग के सिद्धांतों पर समझौता किया है।

[हिन्दी]

नाबार्ड की सहायता

1200. **श्री कमल किशोर 'कमांडो'** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाबार्ड की सहायता से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार प्रदान करने संबंधी परियोजनाओं का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवकों को प्रस्तावित रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उन विशेष परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अलग 15 प्रतिशत आवंटन प्रति वर्ष रखा जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लाभार्थियों की विनिर्दिष्ट संख्या को समयबद्ध ढंग से गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए अग्रणी स्वरूप की हैं। वर्ष 2005-06 से एसजीएसवाई के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत उन्हें देश में रोजगार के उभरते अवसरों का लाभ देने के लिए मांग आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण से ग्रामीण गरीबों का नियोजन शुरू किया गया है। एजेंसियों यथा-राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद, नाबार्ड परामर्शी सेवा प्राइवेट लिमिटेड (एनएबीसीओएनएस), मुंबई, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अथवा संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) को ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से निधि प्रवाह, समन्वय और निगरानी एजेंसियों के रूप में निर्धारित किया गया है। 1294 करोड़ रु. के कुल बजट परिव्यय से 9.37 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अब तक ऐसी 116 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए 349.15 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

[अनुवाद]

रिवर्स ओसमोसिस प्रणाली

1201. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संदूषित जल को स्वच्छ बनाने के लिए रिवर्स ओसमोसिस प्रणाली लगाने के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रमीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) ग्रामीण पेय जल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत

सरकार केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडी डब्ल्यूपी) के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्य सरकारें उन्हें आबंटित निधियों के 85 प्रतिशत तक का उपयोग स्वच्छ पेय जल से बसावटों की कवरेज के लिए तथा जल गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करने के लिए कर सकती हैं। रिवर्स ओसमोसिस प्रणाली संदूषित जल को स्वच्छ करने की प्रौद्योगिकियों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में संदूषित जल के उपचार सहित योजनाओं को नियोजित, अनुमोदित तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां एनआरडीडब्ल्यू के अंतर्गत राज्यों के पास हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत रिलीज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	305.24	395.05	537.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	112.41	162.46	178.20
3.	असम	189.59	187.57	323.50
4.	बिहार	169.69	452.38	186.11
5.	छत्तीसगढ़	95.95	125.26	128.22
6.	गोवा	1.66	0.00	3.32
7.	गुजरात	205.89	369.44	482.75
8.	हरियाणा	93.41	117.29	206.89
9.	हिमाचल प्रदेश	130.42	141.51	182.85
10.	जम्मू और कश्मीर	329.92	396.49	402.51
11.	झारखंड	84.46	80.33	111.34
12.	कर्नाटक	283.16	477.85	627.86
13.	केरल	84.25	106.97	151.89
14.	मध्य प्रदेश	251.62	380.47	379.66
15.	महाराष्ट्र	404.40	648.24	647.81
16.	मणिपुर	45.59	45.23	38.57
17.	मेघालय	55.29	63.38	79.40
18.	मिजोरम	38.88	54.19	55.26
19.	नागालैंड	39.75	42.53	47.06
20.	उड़ीसा	171.95	298.68	226.66
21.	पंजाब	51.80	86.56	88.81
22.	राजस्थान	606.72	971.83	1012.16
23.	सिक्किम	20.13	32.45	20.60
24.	तमिलनाडु	190.90	287.82	317.95
25.	त्रिपुरा	54.43	41.01	77.40
26.	उत्तर प्रदेश	401.51	615.78	956.36
27.	उत्तराखंड	89.30	85.87	124.90
28.	पश्चिम बंगाल	191.37	389.39	394.30
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
31.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
34.	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
	कुल	4699.67	7056.02	7989.72

[हिन्दी]

रुग्ण उर्वरक कंपनियों को अंतरिम राहत

1202. श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण उर्वरक उद्यमों विशेषकर उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड को कोई अंतरिम राहत प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रुग्ण इकाइयों को व्यावहारिक बनाने के लिए किन अन्य उपायों पर विचार किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में से तीन पीएसयू नामतः मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल), फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) रुग्ण/हानि में चल रहे हैं और दो पीएसयू नामतः हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और फर्टिलइजर कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एफसी आईएल) बंद हैं।

एमएफएल एक रुग्ण इकाई है जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के अंतर्गत पंजीकृत है। एमएफएल के वित्तीय पुनर्गठन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) हेतु एक नोट तैयार किया गया है और विभिन्न मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित किया गया है। तथापि, एमएफएल को आवधिक ऋण के लिए वर्ष 2002 में 65.00 करोड़ रुपए और वर्ष 2003 में 70.64 करोड़ रुपए का बकाया ब्याज माफ करने की अनुमति दी है और इसके अलावा 1.4.2003 से 15 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की औसत से ब्याज दरों में कटौती की गई है तथा 1.4.2004 से मूलधन की अदायगी को पुनः सूचीबद्ध किया है।

फैक्ट और बीवीएफसीएल हानि में चल रहे पीएसयू हैं। सरकार ने कंपनी के प्रचालन को बनाए रखने के लिए मार्च, 2008 में 200 करोड़ रुपए की एक बारगी अनुदान राशि स्वीकृत की थी। सीसीईए की दिनांक 26 फरवरी, 2009 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार उर्वरक विभाग ने बीवीएफसीएल को दीर्घावधि तक बनाए रखने के लिए व्यापक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का कार्य शुरू कर दिया है। बीवीएफसीएल को संयंत्रों का अध्ययन करने और सतत प्रचालन के उपाय करने के लिए वित्त वर्ष 2009–10 में 8000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बीवीएफसीएल ने इस संबंध में प्रक्रिया लालइसेंसधारी की नियुक्ति कर ली है।

बंद इकाइयों के संबंध में, सरकार ने एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्णय लिया हैं एफसीआईएल/एचएफसीएल की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के सभी निवेश विकल्पों की जांच करने और सरकार के विचार करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें तैयार करने के लिए सचिवों की अधिकार–प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया गया है। ईसीओएम ने प्रत्येक बंद पड़ी इकाई का पुनरुद्धार करने के सभी संभव निवेश विकल्पों पर विचार कर लिया है और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। ईसीओएस की सिफारिशों के आधार पर एक मंत्रिमंडल नोट के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है और अंतर–मंत्रालयी टिप्पणियों हेतु इसे परिचालित किया गया है।

मॉडल रेलवे स्टेशन

1203. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल रेलवे स्टेशनों की स्थापना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इन मॉडल स्टेशनों पर क्या सुविधएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) छत्तीसगढ़ में ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं; और

(घ) मॉडल रेलवे स्टेशनों को प्रदान की जा रही सुविधाएं, अकलतारा, मैला, चन्पा और शक्ति रेलवे स्टेशनों को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) आदर्श स्टेशन' योजना जून, 1999 और नवंबर, 2008 के बीच प्रचलन में थी। तब से आदर्श स्टेशनों की अवधारणा शुरू हो गई है। प्रारंभ में, इस योजना के अंतर्गत भारतीय रेलों के प्रत्येक मंडल के एक स्टेशन का चयन किया गया था। वर्ष 2006 में, इस योजना के अंतर्गत वार्षिक यात्री आमदनी के आधार पर सभी 'ए' और 'बी' श्रेणी के स्टेशनों को शामिल किए जाने के लिए मानदंडों में संशोधन किए गए थे।

(ख) आदर्श स्टेशनों में स्टेशनों की कोटि के आधार पर विश्राम कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, जन उद्घोषणा प्रणाली/कंप्यूटर आधारित उद्घोषणा

प्रणाली, इलैक्ट्रॉनिक गाड़ी संकेतक बोर्ड, सार्वजनिक फोन बूथ, वाटर कूलर, मानकीकृत साइनेजों आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराई जानी थी।

(ग) 8 स्टेशनों ने मानदंड पूरे किए और तदनुसार वे 'आदर्श स्टेशन' योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए थे।

(घ) अकलतारा, नैला (मैला) और सकती रेलवे स्टेशनों की आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहचान नहीं की गई है। चाम्पा (चन्पा) रेलवे स्टेशन को पहले ही आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

1204. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केजी–डी6 ब्लाक से कितनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) सरकार ने केजी–डी6 ब्लाक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा प्रचालित ब्लाक केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 से प्राकृतिक गैस की उत्पादन दर की मात्रा लगभग 50 से 51 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) है।

इस मंत्रालय के अधीन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ब्लाक के उत्पादन निष्पादन पर लगातार निगरानी रख रहा है। डीजीएच ने संविदाकार (आरआईएल) से कहा है कि वह क्षेत्रीय विकास योजना (एफडीपी) में यथा अनुमोदित डी1 और डी3 क्षेत्रों में अधिक विकासात्मक कूपों का वेधन शीघ्रतापूर्वक करें।

जंक्शनों का स्थानांतरण

1205. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय का भिवानी जंक्शन को बीकानेर मंडल से दिल्ली मंडल में स्थानांतरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) रेल मंत्रालय ने भिवानी जंक्शन को दिल्ली मंडल में स्थानांतरित करने के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव

1206. श्री देवेन्द्र नागपाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गजरौला जंक्शन और अमरोहा में जे पी नगर से चलने वाली क्रमशः ट्रेन सं. 4311/4312, 5609/5610, 4008/4009 और 5035/5036 तथा गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन पर आला हजरत एक्सप्रेस और सद्भावना एक्सप्रेस को ठहराव प्रदान करने संबंधी क्या नीति अपनाई जा रही है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) गाड़ियों के ठहराव अन्य बातों के साथ–साथ वाणिज्यिक औचित्यता, परिचालनिक व्यवहार्यता, वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता, सेवा की प्रकृति, गाड़ी के गुजरने का समय आदि के आधार पर मुहैया कराए जाते हैं।

(ख) और (ग) गढ़मुक्तेश्वर रेवले स्टेशन 5 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और 4 पैसेंजर रेलगाड़ियों द्वारा सेवित है जिन्हें फिलहाल पर्याप्त समझा जाता है। इस स्टेशन पर अतिरिक्त रेलगाड़ियों का ठहराव फिलहाल औचित्यपूर्ण और व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

ओडिशा में परियोजना

1207. **श्री रुद्रमाधव राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा में खुर्दा–बोलंगीर रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक आवंटित, जारी और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) खोरधा रोड–बोलांगीर नई लाइन (289 किमी) परियोजना को बजट 1994–95 में शामिल किया गया था। प्रथम चरण में खोरधा रोड–बेगुनिया (36 किमी) का कार्य शुरू किया गया है और इसे 2010–11 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। खोरधा रोड–बोलांगीर नई लाइन के 36 से 112 किमी तक भी विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। 2010–11 के दौरान, इस परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया था। फरवरी, 2011 तक इस परियोजना पर 139.64 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना पर कार्य भूमि, संसाधनों आदि की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है। इस पूरी परियोजना को पूरा किए जाने के लिए अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

ओएनजीसी और गेल द्वारा गैस का विपणन

1208. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम और गेल इंडिया लि. ने गैस के विपणन हेतु किसी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) ओएनजीसी के नामांकन ब्लाकों से उत्पादित की जा रही प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) गैस के विपणन के लिए दिनांक 6.7.2006 को गेल और ओएनजीसी के बीच हुए गैस बिक्री करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अंतर्गत, ओएनजीसी द्वारा उत्पादित की जा रही समस्त एपीएम गैस गेल द्वारा खरीदी जा रही है और डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं को बेची जा रही है।

मुख्यालय को अहमदाबाद स्थानांतरित करने हेतु अनुरोध

1209. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात से पश्चिम रेलवे को भारी योगदान के दृष्टिगत उक्त रेल के मुख्यालय को मुंबई से अहमदाबाद स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त अनुरोध को अब तक स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेलवे के मुख्यालय का स्थान किफायत और कुशलता की आवश्यकता के अनुरूप परिचालनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को मुंबई से इलाहाबाद में शिफ्ट करने के प्रस्ताव की उपरोक्त के आलोक में जांच की गई थी और इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

इंदौर के लिए शताब्दी ट्रेन

1210. **श्री प्रेमचंद गुड्डू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से इंदौर के बीच कोई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शताब्दी गाड़ियां तीव्र इंटरसिटी सेवाएं हैं जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच कर उसी दिन प्रारंभिक स्टेशन पर वापिस पहुंचती हैं, जो कि दिल्ली और इंदौर के बीच 800 किमी. की दूरी होने के कारण परिचालनिक रूप से फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का वितरण

1211. **श्री जी. एम. सिद्देश्वर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक में विभिन्न उर्वरकों का वितरण करने वाली वितरण एजेंसियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितने उर्वरकों का वितरण किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009-2010 और चालू वर्ष 2010–11 (जनवरी, 2011 तक) के दौरान संबंधित एजेंसियों (कंपनियों) द्वारा कर्नाटक में की गई यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके जैसे प्रमुख उर्वरकों की आपूर्ति (उपलब्धता) का ब्यौरा संलग्न विवरण–I से IV में दिया गया है।

विवरण–I

2007–08 (अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008) के दौरान कर्नाटक में उर्वरकों की कंपनीवार आपूर्ति

उर्वरक का नाम	कंपनी	आपूर्तित मात्रा (मी. टन)
1	2	3
डीएपी	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1452.65
डीएपी	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.	54039.89
डीएपी	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	101.65
डीएपी	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5042.00
डीएपी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	15492.45
डीएपी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	36790.52
डीएपी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	66029.70
डीएपी	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	143332.39
डीएपी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	29622.03
डीएपी	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	3164.00
डीएपी	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	103337.96
	योग	459315.44
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	93.05
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	2338.00
एमओपी	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो; लि.	3571.30

1	2	3
एमओपी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	11659.70
एमओपी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	142306.60
एमओपी	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	76491.47
एमओपी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	40146.45
एमओपी	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	396.00
एमओपी	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	93210.30
	योग	370212.87
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	7967.65
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	24074.70
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	27950.54
एनपीके	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो; लि.	84101.57
एनपीके	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो; लि.	1611.00
एनपीके	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	9257.05
एनपीके	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	113456.13
एनपीके	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.56365.60	
एनपीके	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	2906.65
एनपीके	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	1181.50
एनपीके	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	65535.24
एनपीके	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	152297.43
एनपीके	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	28820.90
एनपीके	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6574.50
एनपीके	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	77807.68
एनपीके	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	203514.10
	योग	863422.24
यूरिया	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	4795.60
यूरिया	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	8427.40

1	2	3
यूरिया	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	48264.85
यूरिया	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	9807.15
यूरिया	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	146392.27
यूरिया	इंडियन पोटाश लिमिटेड	26043.20
यूरिया	कृषक भारती कॉआपरेटिव लि.	33500.15
यूरिया	कृषक भारती कॉआपरेटिव लि.	131751.90
यूरिया	मंगलौर केमिकलस एंड फर्टिलाइजर्स लि.	235878.69
यूरिया	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	76449.05
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	34286.25
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	40521.40
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	74209.30
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	13948.27
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	137546.06
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	190773.55
यूरिया	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड	10389.75
यूरिया	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	187237.84
	योग	1410222.67

विवरण–II

2008–09 (अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009) के दौरान कर्नाटक में उर्वरकों की कंपनीवार आपूर्ति

उर्वरक का नाम	कंपनी	आपूर्तित मात्रा (मी. टन)
1	2	3
डीएपी	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.25
डीएपी	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	76974.25
डीएपी	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	0.00
डीएपी	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	2521.00

1	2	3
डीएपी	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5497.60
डीएपी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	106588.07
डीएपी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	25556.05
डीएपी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	236682.78
डीएपी	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	193031.13
डीएपी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	0.00
डीएपी	साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड	0.00
डीएपी	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	0.00
डीएपी	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	0.00
	योग	812323.13
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	5192.25
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	0.00
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	1844.00
एमओपी	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.	6131.75
एमओपी	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	0.00
एमओपी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	2730.40
एमओपी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	263570.40
एमओपी	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	39584.22
एमओपी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	73101.75
एमओपी	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	121839.40
	योग	513994.17
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	17.53
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	73039.14
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	70399.23
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	4997.13

1	2	3
एनपीके	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.	5264.00
एनपीके	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	43670.10
एनपीके	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	156175.60
एनपीके	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	751.15
एनपीके	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	8652.30
एनपीके	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	16341.05
एनपीके	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड'	74717.98
एनपीके	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	139582.75
एनपीके	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	42388.45
एनपीके	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	65183.90
एनपीके	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड	0.00
एनपीके	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	157696.80
	योग	858877.09
यूरिया	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	13941.00
यूरिया	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	10124.45
यूरिया	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	4039.42
यूरिया	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	159410.07
यूरिया	कृषक भारती कॉपआपरेटिव लि.	90411.40
यूरिया	कृषक भारती कॉपआपरेटिव लि.	150741.05
यूरिया	मंगलौर केमिकलस एंड फर्टिलाइजर्स लि.	251460.54
यूरिया	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	71794.74
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	63654.70
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	32334.10
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	38252.10
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	121288.06

1	2	3
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	219545.03
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	74916.13
यूरिया	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड	0.00
यूरिया	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	165349.59
	योग	1467262.36

विवरण–III

2009–10 (अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010) के दौरान कर्नाटक में उर्वरकों की कंपनीवार आपूर्ति

उर्वरक का नाम	कंपनी	आपूर्तित मात्रा (मी. टन)
1	2	3
डीएपी	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00
डीएपी	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	63217.5
डीएपी	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00
डीएपी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	33844.05
डीएपी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	100818.80
डीएपी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	129151.75
डीएपी	कृषक भारती को–ऑपरेटिव लिमिटेड	34204.60
डीएपी	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	264210.56
डीएपी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	23135.40
डीएपी	साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड	0.00
डीएपी	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	615.10
डीएपी	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	615.10
डीएपी	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	196562.50
	योग	846374.91
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	4.40
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	7856.90

1	2	3
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	14522.10
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	20756.60
एमओपी	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.	5282.50
एमओपी	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	0.00
एमओपी	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	21954.35
एमओपी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	304944.60
एमओपी	कृषक भारती को–ऑपरेटिव लिमिटेड	13820.60
एमओपी	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	34285.67
एमओपी	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.	7073.55
एमओपी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	66010.90
एमओपी	तुंगभद्रा फर्टिलइजर्स एंड केमिकल्स लि.	0.00
एमओपी	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	115074.50
	योग	611586.67
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	4.19
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	44784.09
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	79856.79
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	96684.44
एनपीके	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.	7783.00
एनपीके	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	78363.56
एनपीके	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	227732.50
एनपीके	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	1110.30
एनपीके	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	8652.30
एनपीके	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	9991.65
एनपीके	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	131679.13
एनपीके	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	140984.05

1	2	3
एनपीके	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	41157.35
एनपीके	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	66380.25
एनपीके	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड	19544.50
एनपीके	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	152822.50
	योग	1098878.30
यूरिया	फर्टिलाइजर्स एंडकेमिकल्स त्रावनकोर लि.	30031.80
यूरिया	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	8861.25
यूरिया	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	2001.64
यूरिया	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	222578.62
यूरिया	कृषक भारती कॉपआपरेटिव लि.	135249.63
यूरिया	कृषक भारती कॉपआपरेटिव लि.	149287.45
यूरिया	मंगलौर केमिकलस एंड फर्टिलाइजर्स लि.	2315666.93
यूरिया	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	51886.15
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	47328.20
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	47913.75
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	49532.55
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	43189.44
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	48158.30
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	148450.00
यूरिया	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड	0.00
यूरिया	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	168330.19
	योग	1384365.90

विवरण–IV

2010–11 (अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2011) के दौरान कर्नाटक में उर्वरकों की कंपनीवार आपूर्ति

उर्वरक का नाम	कंपनी	आपूर्तित मात्रा (मी. टन)
1	2	3
डीएपी	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	24.90
डीएपी	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	39,868.55

1	2	3
डीएपी	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	41,776.20
डीएपी	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4,262.05
डीएपी	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00
डीएपी	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2,649.60
डीएपी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	42,432.19
डीएपी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	72,020.55
डीएपी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	102,541.15
डीएपी	केपीआर	5,374.20
डीएपी	कृभको आईएमपी	10,473.70
डीएपी	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	250,486.45
डीएपी	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.	16,240.70
डीएपी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	6,527.20
डीएपी	साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड	3,448.75
डीएपी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड	10,558.00
डीएपी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड	0.00
डीएपी	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	0.00
डीएपी	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	12,103.00
डीएपी	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	155,823.30
	योग	776,610.49
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	596.95
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	596.95
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	15,014.90
एमओपी	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	5,710.85
एमओपी	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.	408.00
एमओपी	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	0.25

1	2	3
एमओपी	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	13,135.80
एमओपी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	171,760.25
एमओपी	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	57,582.747
एमओपी	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.	10,471.80
एमओपी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	21,870.67
एमओपी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड	0.00
एमओपी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड	2,582.25
एमओपी	तुंगभद्रा फर्टिलइजर्स एंड केमिकल्स लि.	0.00
एमओपी	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	99,482.85
	योग	399,214.25
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	47,002.69
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	85,771.59
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	91.54
एनपीके	कोरोमंडल फटिलाइजर्स लिमिटेड	116,417.04
एनपीके	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.	6,156.00
एनपीके	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	133,713.25
एनपीके	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	86,005.30
एनपीके	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	0.00
एनपीके	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3,208.45
एनपीके	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11,136.90
एनपीके	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	196,863.05
एनपीके	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	75,253.70
एनपीके	इंडियन पोटाश लिमिटेड	76,959.05
एनपीके	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	43,25.35
एनपीके	मद्रास फर्टिलाइर्जस लिमिटेड	0.00

1	2	3
एनपीके	नागार्जुन फर्टिलाइर्जस एंड केमिकल्सलि.	6,916.25
एनपीके	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	67,820.70
एनपीके	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कोर्पो. लिमिटेड	18,209.65
एनपीके	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	202,818.10
	योग	1,177,593.61
यूरिया	कोरोमंडल फर्टिलाइर्जस लिमिटेड	19,141.95
यूरिया	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि.	3.95
यूरिया	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	0.00
यूरिया	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	257,190.74
यूरिया	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड	0.00
यूरिया	इंडियन पोटाश लिमिटेड	38,589.20
यूरिया	कृषक भारती कॉ–आपरेटिव लि.	106,363.90
यूरिया	कृषक भारती कॉ–आपरेटिव लि.	155,769.65
यूरिया	मंगलौर केमिकलस एंड फर्टिलाइजर्स लि.	215.994.30
यूरिया	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	63.494.35
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	26,715.95
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	50,404.40
यूरिया	नागार्जुन फर्टिलाजइर्स एंड केमिकल्स लि.	50,735.70
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	15,670.20
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	71,824.50
यूरिया	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	30,790.30
यूरिया	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड	19,179.20
यूरिया	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	153,115.09
	योग	1,274,983.38

★डीएपी में एमएपी+टीएसपी शामिल है।

उर्वरकों का आयात

1212. **श्रीमती जे. शांता** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आयातित घटिया उर्वरकों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो घटिया उर्वरकों का आयात रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) सरकार ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ) 1985 को प्रख्यापित किया है। विभिन्न उर्वरकों की विशिष्टताओं को एफसीओ, 1985 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। आयातित उर्वरकों को एफसीओ, 1985 में विहित विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित उर्वरकों के जहाजों के निरीक्षण और पाए गए अव–मानक नमूनों का विवरण इस प्रकार है–

वर्ष	निरीक्षण किए गए जहाजों/ कंटेनरों की संख्या	जहाजों/कंटेनरों की संख्या जिनमें अव–मानक नमूने पाए गए
2008–09	1019	7
2009–10	1008	2
2010–11	1173	3

केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के मुंबई, कल्याणी, और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के उर्वरक निरीक्षण भारतीय बंदरगाहों पर खाली होने वाले सभी उर्वरक जहाजों से नमूने एकत्रित करते हैं और उनकी जांच करते हैं। आयातित उर्वरकों पर राजसहायता केवल तभी प्रदत्त की जाती हैं जब ये उर्वरक एफसीओ के गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुरूप हों।

विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन

1213. **श्री हमदुल्लाह सईद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने देश में कुछ रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेलवे स्टेशनों पर कब तक कार्य पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अभिनव वित्त पोषण और स्टेशन के आस–पास के क्षेत्र की रीयल एस्टेट की संभावनाओं और स्टेशन के ऊपर के नभ क्षेत्र की लीवरेजिंग करके सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकास के लिए 50 स्टेशनों की पहचान की गई है।

मास्टर प्लान और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार होने और स्थानीय निकायों से सैद्धांतिक अनुमोदन लेने के बाद, पीपीपी माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशनों के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की जाती है। नई दिल्ली, सीएसटी मुंबई और पटना के लिए मास्टर प्लान और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए परामर्श संबंधी कार्य शुरू किए गए थे। इन परियोजनाओं की ऊंची लागत के कारण इनमें अधिक प्रगति नहीं हो सकी। सिकंदराबाद, हावड़ा, आनंद विहार (चरण II), चंडीगढ़, बिजवासन, कोलकाता, पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद, सियालदाह और चेन्नै सेंट्रल के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अन्य स्टेशनों के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रारंभिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं।

कनसेसेनरि द्वारा रियायत मिलने और फाइनेंशियल क्लोजर प्राप्त होने के बाद निर्माण स्थल पर कार्य शुरू किया जागएा। स्टेशन को चालू रखे जाने के दौरान कार्य की जटिलता और आवश्यकता के कारण, इस परियोजना के पूरा होने में लगभग 5–6 वर्ष लगेंगे।

लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों में विनिर्माण

1214. **श्री रमेश राठौड़** : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में विनिर्माण हेतु कितनी मदें आरक्षित की गई हैं;

(ख) क्या लधु उद्यमों की सुरक्षा के लिए ये मदें पर्याप्त हैं;

(ग) अन्य विकसित और विकासशील देशों में क्या स्थिति है; और

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सुरक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए बीस मदें आरक्षित हैं। मध्यम उद्यमों के लिए कोई मद आरक्षित नहीं है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत को छोड़कर किसी देश में एमएसई क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षण जैसी नीति नहीं है।

(घ) एमएसएमई पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव को देखते हुए, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई की सुरक्षा और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं : (i) क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण सीमा को 50 प्रतिशत के गारंटी कवर के साथ 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना और इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना; (ii) लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को प्री और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण में 2 प्रतिशत की ब्याज छूट; (iii) सूक्ष्म उद्यमों द्वारा ऋण लेने के लिए ब्याज दरों में 1 प्रतिशत और एसएमई के संबंध में 0.5 प्रतिशत की कटौती।

[हिन्दी]

प्रवासी भारतीयों हेतु बी.पी.एल.

1215. श्री के. सुधाकरण : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सरकार से कम आय वाले प्रवासी भारतीयों को बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कैंसर की औषधियों का मूल्य

1216. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा कैंसर औषधियों के संबंध में किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि देश में विभिन्न ब्रांड वाली समान औषधियों के मूल्यों में बहुत अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी पांच या छः प्रकार की कैंसर की औषधियों में यह रुझान दिखाई देता है जहां पर कि मूल्यों में 100 प्रतिशत से अधिक अंतर है क्योंकि आयातित औषधियां सदैव बहुत महंगी होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने आम आदमी को ये औषधियां उचित मूल्यों पर प्रदान कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने देश में बेची जा रही कैंसर रोधी दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की जांच करने का कार्य किया है। कंपनियों से प्राप्त सूचना के आधार पर एनपीपीए द्वारा कैंसर रोधी औषधियों के मूल्य में अंतर का एक संक्षिप्त ब्यौरा तैयार किया गया था। एनपीपीए से यह भी कहा गया था कि वह राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में शामिल दवाओं सहित कैंसर रोधी औषधिं का गहराई से विश्लेषण करे।

कैंसर रोधी दवाइयां गैर-अनुसूचित औषधियां हैं। जो औषधियां 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995)' के अंतर्गत नहीं आती हैं अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियां हैं उनके मामले में विनिर्माता सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। आमतौर पर ऐसे मूल्यों का निर्धारण विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है यथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषधियों की लागत, घटकों की लागत, अनुसंधान तथा विकास की

लागत, उपयोगिताओं/पैकिंग सामग्री की लागत, बिक्री संवर्धन लागत, व्यापार लाभ, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयातों की अवतरण लागत आदि।

मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एनपीपीए गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्यों में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। आईएमएस स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए संबंधित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जनहित में संबंधित फॉर्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10 (खत) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

समय-समय पर संशोधित औषधि नीति में भी रोगियों को वाजिब मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयां उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

[हिन्दी]

ट्रेनों में दिए जा रहे खाद्य और पेय पदार्थों का मूल्य

1217. **श्री भूदेव चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेनों में यात्रियों को प्रदान किए जा रहे खाद्य और पेय पदार्थ के लिए बहुत अधिक मूल्य वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन खाद्य/पेय पदार्थों के नाम क्या हैं और जिन पर अतिरिक्त मूल्य वसूला जा रहा है और वे कौन-सी वस्तुएं हैं जिन पर अतिरिक्त मूल्य नहीं वसूला जाता;

(ग) बेईमान विक्रेताओं/ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में उक्त खाद्य/पेय पदार्थों की उचित बिलिंग हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, नहीं। राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की दरें और मेन्यू तथा अन्य मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए मानक केसरोल आहार, चाय और कॉफी की दरें, जिनकी अंतिम बार समीक्षा क्रमशः 1999 और 2003 में की गई थी, उचित हैं और इनका मूल्य वाजिब है। कच्ची सामग्रियों के मूल्यों और कर्मचारी लागतों में वृद्धि के बावजूद इन मदों के मूल्यों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। खाद्य/पेय पदार्थों पर प्रभार रेलवे बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वसूल किए जाते हैं।

(ग) और (घ) अधिक प्रभारों की वसूली पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर औचक जांचें की जा रही हैं और इसमें संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। दोष साबित होने पर ऐसी शिकायतों पर भी वैसी ही कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में अनुदेश पहले से विद्यमान हैं कि वेटर एवं बैरों को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित दरों को दर्शाने वाला मेन्यू कार्ड अपने साथ रखना होगा। ग्राहकों को प्रदान की गई सेवा के बदले केश मीमो जारी करने के भी अनुदेश दिए गए हैं। नई खानपान नीति, 2010 में कंप्यूटरीकृत बिलिंग व्यवस्था और जलपान कक्षों/रेस्टोरेंटों/अल्पाहार गृहों में विशिष्ट प्रदर्श व्यवस्था पर जोर दिया गया है।

[अनुवाद]

जन औषधि बिक्री केंद्र खोलना

1218. **श्री अब्दुल रहमान :**
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों को सस्ती और अच्छी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि बिक्री केंद्र खोलने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन स्थानों जहां पर ऐसे बिक्री केंद्र खोले गए हैं का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बिक्री केंद्रों में औषधियों के अभाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी हां। सभी के लिए वाजिब मूल्यों पर ब्रांड रहित जेनेरिक दवाइयां मुहैया करने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में सरकारी अस्पतालों/निजी संगठनों/धर्मार्थ निकायों आदि के माध्यम से सरकारी अस्पतालों के परिसरों या अन्य उपयुक्त स्थानों पर राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से सरकार ने जन औषधि बिक्री केंद्र खोलने को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) अब तक निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 81 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं–पंजाब (20), राजस्थान (36), हरियाणा (04), उत्तराखंड (02), आंध्र प्रदेश (03), ओडिशा (08), पश्चिम बंगाल (02), दिल्ली (03) और चंडीगढ़ (03)। जिन स्थानों पर ये बिक्री केंद्र खोले गए हैं उनके नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) दवाइयों की आपूर्ति के आर्डर जन औषधि बिक्री केंद्रों द्वारा दिए जाते हैं और इन दवाइयों की आपूर्ति संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र केंद्रीय उपक्रमों अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा संबंधित बिक्री केंद्रों को की जाती है। इन बिक्री केंद्रों में अपेक्षित दवाइयों की उपलब्धता का सुनिश्चिय करना, इन बिक्री केंद्रों के रख–रखाव तथा उनके संचालन का दायित्व इनकी प्रबंधकर्ता एजेंसी का होगा। जिन दवाइयों की आपूर्ति के लिए जन औषधि बिक्री केंद्रों से समय पर आदेश प्राप्त होते हैं और जिनका निर्माण संबंधित सीपीएसयूज द्वारा किया जा रहा होता है उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य पारस्परिक समन्वय से किया जाता है।

विवरण

ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया (बीपीपीआई)
अब तक खोले गए जन–औषधि बिक्री केंद्र

क्रम संख्या	राज्य	जिला
1	2	3
1.	पंजाब	अमृतसर
2.		मौहाली
3.		भटिंडा
4.		लुधियाना
5.		जालंधर
6.		पटियाला
7.		मोगा
8.		फरोजकोट
9.		फिरोजपुर
10.		मनसा
11.		संगरूर
12.		बरनाला
13.		फतेहगढ़ साहिब
14.		रूपनगर (रोपड़)
15.		नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर)
16.		होशियार पुर
17.		तरण तारण
18.		मुक्तसर
19.		गुरदासपुर
20.		कपूरथला
21.	दिल्ली	शास्त्री भवन
22.		जी.टी.बी. अस्पताल
23.		दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पीटल
24.	राजस्थान	कंवतिया अस्पताल, जयपुर
25.		जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
26.		झुनझुनुं
27.		ब्यावर अजमेर
28.		जालौर
29.		श्री गंगा नगर
30.		श्री गंगा नगर
31.		चुरू
32.		उदयपुर

1	2	3
33.		बंसवाडा
34.		झलावाड़
35.		अलवर राजगढ़
36.		अलवर
37.		भवानी मंडी
38.		बाड़मेर
39.		केशव रायपाटन
40.		खानपुर झालावाड
41.		टोंक
42.		टोंक
43.		राज समुद

[हिन्दी]

केरोसीन की अनुपलब्धता

1219. **श्री जितेंद्र सिंह बुंदेला :**
श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में केरोसीन की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में केरोसीन की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों में उनकी मांग के अनुसार केरोसीन के आवंटन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या तेल कंपनियों द्वारा उड़ीसा सहित देश में नियुक्त एसकेओ थोक डीलरों की संख्या अपर्याप्त हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार देश में एसकेओ थोक डीलरों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों सहित देश में समग्र रूप से मिट्टी तेल की कोई कमी नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए पीडीएस मिट्टी तेल का राज्य–वार आबंटन और उठान के ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(घ) वर्तमान में राज्यों/संघ शासित राज्यों को पीडीएस मिट्टी तेल का आवंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। तथापि, मामले के गुण–दोषों पर नि र्भर करते हुए बाढ़, सूखा, भूकंप, कुंभमेला आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं और धार्मिक प्रयोजनों के कारण उत्पन्न आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों को अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है।

(ङ) से (छ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की उड़ीसा राज्य सहित देश में अपने पीडीएस मिट्टी तेल के थोक डीलरों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना नहीं है। वर्तमान आवंटन का वितरण आवश्यकता के अनुसार पीडीएम मिट्टी तेल के थोक डीलर पर्याप्त हैं।

विवरण–I

वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पीडीएस मिट्टी तेल का आवंटन

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	मात्रा मीट्रिक टन में (मी. टन)			
	2010–11	2009–10	2008–09	2007–008
1	2	3	4	5
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5640	5659	5816	5816

1	2	3	4	5
2. आंध्र प्रदेश	463658	517102	517158	517158
3. अरुणाचल प्रदेश	9133	9170	9257	9257
4. असम	257725	257893	258007	258007
5. बिहार	641837	643787	647430	647430
6. चंडीगढ़	7135	7181	9999	13067
7. छत्तीसगढ़	145504	145822	146938	146938
8. दादरा व नगर हवेली	2363	2785	2782	2782
9. दमन एवं दीव	1812	2073	2118	2118
10. दिल्ली	108093	135235	160935	168484
11. गोवा	17650	19209	19212	19212
12. गुजरात	716386	742668	743759	743759
13. हरियाणा	134344	144830	49409	50537
14. हिमाचल प्रदेश	31331	45466	145619	145619
15. जम्मू व कश्मीर	73994	75326	76044	76044
16. झारखंड	210780	210964	211175	211175
17. कर्नाटक	437986	461340	461478	461478
18. केरल	175172	216310	216308	216308
19. लक्षद्वीप	794	795	795	795
20. मध्य प्रदेश	487480	487845	488609	488609
21. महाराष्ट्र	1217258	1276588	1276876	1276876
22. मणिपुर	19723	19743	19907	19907
23. मेघालय	20339	20359	20401	20401
24. मिजोरम	6163	6181	6217	6217
25. नागालैंड	13307	13318	13312	13312
26. उड़ीसा	313728	314334	314977	314977

1	2	3	4	5
27. पुडुचेरी	12243	12249	12257	12257
28. पंजाब	222098	234700	237192	237192
29. राजस्थान	398167	398431	398913	398913
30. सिक्किम	5136	5566	5582	5582
31. तमिलनाडु	493111	558428	558929	558929
32. त्रिपुरा	30584	30740	30832	30832
33. उत्तर प्रदेश	1240286	1240789	1241772	1241772
34. उत्तराखंड	86428	89845	89849	89848
35. पश्चिम बंगाल	751275	751536	752103	752103
कुल आवंटन	8758663	9104266	9151967	9163712

★ राज्य के आवंटन में लद्दाख क्षेत्र का आवंटन शामिल है जो 3600 मि. टन प्रति वर्ष है।

विवरण–II

वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक मिट्टी तेल का वर्षवार उठान

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	मात्रा मीट्रिक टन में (मी. टन)			
	2010–11 (पहली 3 तिमाहियां)	2009–10	2008–09	2007–008
1	2	3	4	5
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4230	5630	6094	5623
2. आंध्र प्रदेश	346777	518508	516991	517712
3. अरुणाचल प्रदेश	6762	9048	9212	9340
4. असम	193312	257682	257889	262766
5. बिहार	477919	640675	652585	662623
6. चंडीगढ़	4946	6732	8401	8912
7. छत्तीसगढ़	108833	144686	145981	145329
8. दादरा व नगर हवेली	1763	2746	2756	2674
9. दमन एवं दीव	1247	1952	2058	2061

1	2	3	4	5
10. दिल्ली	78626	130760	140530	164729
11. गोवा	13236	19191	19190	19089
12. गुजरात	537296	742917	743717	743877
13. हरियाणा	100273	144745	143901	145816
14. हिमाचल प्रदेश	23379	44707	45941	47499
15. जम्मू व कश्मीर	49654	70957	71467	69757
16. झारखंड	157637	210584	210843	210867
17. कर्नाटक	328533	465201	461256	462219
18. केरल	131405	216352	216312	216327
19. लक्षद्वीप	711	794	710	532
20. मध्य प्रदेश	367004	499970	487500	484753
21. महाराष्ट्र	913033	127632	1276257	1271373
22. मणिपुर	5176	19721	19648	19296
23. मेघालय	15189	20319	20322	20505
24. मिजोरम	4556	6139	6194	6220
25. नागालैंड	9978	13314	13308	13325
26. उड़ीसा	233586	312213	323768	311581
27. पुडुचेरी	9163	12255	12382	12247
28. पंजाब	165772	230713	233823	235216
29. राजस्थान	298433	398129	398263	400254
30. सिक्किम	3842	5556	5559	5888
31. तमिलनाडु	373339	558398	563722	563892
32. त्रिपुरा	22905	30468	30694	30713
33. उत्तर प्रदेश	929379	1240590	1242002	1241151
34. उत्तराखंड	65226	90340	88833	89339
35. पश्चिम बंगाल	563093	754262	751636	750418
कुल आवंटन	6547113	9102986	9129745	8153923

★ इसमें राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन शामिल है।

आईपीआर के अनुसार पीडीएम मिट्टी तेल का उठान

जम्मू व कश्मीर के उठान में लद्दाख क्षेत्र के लिए 3600 मी. टन का आवंटन शामिल है।

प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता

1220. **श्री सुरेंद सिंह नागर** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सरकारी सर्वेक्षण करवाया गया है अथवा कराने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (च) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1970–71, 1976–77, 1980–81, 1985–86, 1990–1991, 1995–96, 2000–01 तथा 2005–06 में कराई गई विभिन्न पंचवार्षिक कृषि गणनाओं के अनुसार, देश में स्वकर्षित जोतों का औसत आकार क्रमशः 2,28, 2.00, 1.84, 1.69, 1.55, 1.41, 1.33 और1.23 हैक्टेयर था। इससे यह पता चलता है कि देश में स्वकर्षित जोतों में वर्ष 2005–06 में 1970–71 की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत की गिरावट आई है। स्वकर्षित को में यह गिरावट शहरीकरण/औद्योगिकीकरण के लिए भूमि को परिवर्तित करने या गैर कृषि प्रयोजनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि के अंतरण के कारण आई है।

[अनुवाद]

रेल परियोजना

1221. **श्री के.पी. धनपालन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेल उपरि पुलों/रेलवे स्टेशनों के निर्माण हेतु चलाई जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए अभी तक आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जल की गुणवत्ता

1222. **डॉ संजय सिंह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी जल की गुणवत्ता का आकलन और परीक्षण करने के लिए नमूने लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन नदियों के नाम क्या हैं जिनका पानी गत तीन वर्षों के दौरान खतरनाक स्तर से अधिक प्रदूषित हो चुका है; और

(घ) नदियों में अपशिष्ट बहाने वाली कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : प्रश्न की विषय वस्तु, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित है। सीपीसीबी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर उत्तर इस प्रकार है–

(क) और (ख) सीपीसी राष्ट्रीजय जल गुणवत्ता मानिटरिंग कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत झीलों और नदियों के जल गुणवत्ता के संबंध में परीक्षण करता है। जल गुणवत्ता आकलन हेतु विचार किए गए मापदंडों की सूची विवरण–I में दी गई है।

(ग) डब्ल्यूक्यूएमपी नेटवर्क 353 नदियों को शामिल करता है और 2002–2008 अवधि के दौरान मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर 121 नदियों के 150 प्रदूषित नदी क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है। इसकी सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है। आकलन जैविक प्रदूषण लोड के आधार पर है जो कि जैव–रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के अनुसार मापा गया है।

(घ) समग्र रूप से प्रदूषित करने वाले उद्योग वे हैं जो (i) खतरनाक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, अथवा (ii) बहिस्राव जिनका बीओडी लोड 100 मिग्रा/लि. या अधिक है अथवा (iii) (i) व (ii) का संयोजना और जल मार्ग पर बहिःस्राव करते हैं। जीपीआई की राज्यवार संख्या जो नदियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना बहिःस्राव छोड़ते है, के साथ-साथ बंद पड़े जीपीआई की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

सारणी-1 : राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम के तहत पैरामीटरों की सूची

कोर पैरामीटर (9)	फील्ड अवलोकन (7)
1	2
पीएच	मौसम
तापमान	मुख्य धारा की गहराई और जल टेबल की गहराई
कंडक्टीविटी, μ एमएचओएस/से.मी.	रंग और तीव्रता
घुली हुई ऑक्सीजन, मी. ग्रा./लि.	खुशबू
बीओडी, मी.ग्रा./ली.	दृश्य बहिस्राव छोड़ना
नाइट्रेट-एन, मी. ग्रा./ली.	स्टेशन के चारों ओर मानवीय कार्यकलाप
नाइट्रेट-एन, मी.ग्रा./ली.	स्टेशन विवरण
फीकल कोलीफॉर्म/100 मि.ली.	ट्रेस मेटल्स (9)
कुल कोलीफॉर्म एमपीएन/100 मि.ली.	आर्सेनिक, μ ग्रा./ली
सामान्य पैरामीटर्स (19)	केडमियम, μ ग्रा./ली
टर्बिडीटी, एनटीयू	तांबा, μ ग्रा./ली
फिनोलफथालेन अलकेलनीती, $CaCo_3$ के रूप में	सीसा, μ ग्रा./ली
कुल अलकेलनीती, $CaCo_3$ के रूप में	क्रोमियम (कुल) μ ग्रा./ली
क्लोराइड, मी. ग्रा./ली.	निकल μ ग्रा./ली
सीओडी, मी. ग्रा./ली.	जिंक, μ गा./ली
कुल जेलदहल-एन, न के रूप में, मी.ग्रा./ली.	पारा μ ग्रा./ली
अमोनिया-एन, एन के रूप में, मी.ग्रा./ली.	लोहा (कुल), ग्रा./ली
हार्डनेस $CaCo_3$ के रूप में,	कीटनाशक (15)
केल्शियम, $CaCo_3$ के रूप में,	अल्फा बीएचसी, μ ग्रा./ली
	बीटा, बीएचसी, μ ग्रा./ली
सलफेट, मी. ग्रा./ली.	गामा बीएचसी, (लिंडेन), μ ग्रा./ली.
सोडियम, मी. ग्रा./ली.	
कुल घुले हुए ठोस, मी.ग्रा./ली.	ओपी डीडीटी, μ ग्रा./ली.
कुल स्थिर घुले हुए ठोस, मी.ग्रा./ली.	पीपी डीडीटी, μ ग्रा./ली.

1	2
कुल सस्पेंडेड ठोस, मी. ग्रा./ली.	अल्फा एंडोसलफेन μ ग्रा./ली
फासफेट, मी.ग्रा./ली.	बीटा एंडोसलफेन, μ ग्रा./ली
बोरोन, मी.ग्रा./ली.	एलड्रीन, μ ग्रा./ली
मेग्नीशियम $CaCo_3$ के रूप में	डाइलड्रीन, μ ग्रा./ली
पोटेशियम, मी.ग्रा./ली.	कोर्बोरियल (कार्बामेट), μ ग्रा./ली.
फ्लोराइड मी.ग्रा./ली.	2–4 डी μ ग्रा./ली
जैव मानीटरिंग (3)	मेलाथीन μ ग्रा./ली
सेप्रोबिटी इंडेक्स	मिथाइल पैराथीन μ ग्रा./ली
डाइवर्सिटी इंडेक्स	एनीलोफोस μ ग्रा./ली
पी/आर अनुपात	क्लोरोपीरीफोस, μ ग्रा./ली

विवरण–II

प्रदूषित नदियों की सूची (121)

1. अदयार	15. बेतवा	29. दामोदर
2. अंबिका	16. भदरा	30. दीपरबिल
3. अमलाखादी	17. भरालु	31. धाधर
4. अनास	18. भतसा	32. धनसिरि
5. आरासलार	19. भवानी	33. धेला एवं किछा
6. अरकावती	20. भीमा	34. दिकचु
7. अरपा	21. भोगावो	35. गंगा
8. बेगाद	22. ब्राह्मणी	36. घग्गर
9. बहल्ला	23. बूढी दिहांग	37. गिर्ना
10. बालेश्वर खादी	24. कावेरी	38. गोदावरी
11. बांदी	25. चंबल	39. गोमती
12. बराकर	26. चंद्रभागा	40. होरा
13. व्यास	27. कूवम	41. हिंडन
14. बेरेक	28. दमनगंगा	42. हुंदरी

43. इंद्रायानी
44. जोगरी
45. कदम्बयार
46. काली
47. काली नदी पूर्वी
48. कालीसोत
49. कलोंग
50. कालू
51. कन्हन
52. कारामाना
53. कथजोदी
54. कावेरी
55. खान
56. खारी
57. खरखाला
58. खेत्री
59. किम
60. कोलक
61. कोलार
62. कोसी
63. कोयना
64. कृष्णा
65. क्षिप्रा
66. कुआखाई
67. कुंडालिका
68. कुंदु
69. लक्ष्मणतीर्थ
70. महानदी
71. माही
72. मलप्रभा
73. मंदाकिनी
74. मनेर
75. मने खोला
76. मंजीर
77. मरकंदा
78. मिंधोला
79. मिथि
80. मुला एवं मुथा
81. मुसी
82. नक्कावागु
83. नंबुल
84. नर्मदा
85. नीरा
86. नोय्याल
87. पालर
88. पानम
89. पंचगंगा
90. पतालगंगा
91. पवाना
92. पेन्नार
93. पूर्णा
94. पुझाकल
95. रामगंगा
96. रंगावली
97. रानीचु
98. रिहंद
99. साबरमती
100. शंख
101. सरयू
102. सतलज
103. शिवनाथ
104. शेदी
105. सिकराना
106. सुबर्णरेखा
107. सुखना
108. तंबिरापरानी
109. तापी
110. तीस्ता
111. टांस
112. तुंगा
113. तुंगभद्रा
114. उल्हास
115. उमत्रेव
116. वैगई
117. वीना
118. वर्धा
119. वेनगंगा
120. पश्चिमी काली
121. यमुना

विवरण–III

समग्र रूप में प्रदूषक उद्योग

(एसपीसीबी/पीपीसी द्वारा 15, फरवरी, 2011 को प्रस्तुत सूचना के अनुसार स्थिति का सार)

क्रम संख्या	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के नाम	कुल	अनुपलान किया जा रहा है	अनुपालन नहीं किया जा रहा है**	बंद
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	4	4	2
2.	असम	9	4	5	0
3.	बिहार	22	16	0	6
4.	छत्तीसगढ़	1	1	0	0
5.	गुजरात	3	2	1	0
6.	हरियाणा	142	112	17	0
7.	झारखंड	5	2	3	0
8.	कर्नाटक	10	8	1	1
9.	केरल	29	20	2	7
10.	मध्य प्रदेश	1	1	0	0
11.	महाराष्ट्र	214	139	73	2
12.	उड़ीसा	19	6	8	5
13.	पांडीचेरी	1	1	0	0
14.	पंजाब	20	14	2	4
15.	तमिलनाडु	1	1	0	0
16.	उत्तर प्रदेश	569	391	62	116
17.	उत्तराखंड	49	29	16	4
18.	पश्चिम बंगाल	32	21	6	5
19.	दमन–द्वीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	2	2	0	0
20.	हिमाचल प्रदेश	2	2	0	0
21.	त्रिपुरा	12	7	3	2

1	2	3	4	5	6
22.	नागालैंड	0	0	0	0
23.	गोवा	2	2	0	0
24.	चंडीगढ़	0	0	0	0
25.	मेघालय	–	–	–	–
26.	मिजोरम	1	1	0	0
27.	दिल्ली	–	–	–	–
28.	राजस्थान	–	–	–	–
29.	सिक्किम	–	–	–	–
30.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	0	0
31.	मणिपुर	–	–	–	–
32.	अंडमान एवं निकोबार	–	–	–	–
33.	जम्मू–कश्मीर	–	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	1158	788	203	167

टिप्पणी : छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दमन और दीव दिल्ली राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार और जम्मू और कश्मीर के संबंध में अछतन सूचना अब भी प्रतीक्षित है। इन राज्यों की स्थिति पूर्व उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर है।

** अनुपालन नहीं किया जा रहा है : एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार इटीपी स्थापित उद्योगों में मॉनीटरिंग के समय कुछ पैरामीटरों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आगरा–इटावा रेल लाइन का लंबित कार्य

1223. प्रो. रामशंकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि आगरा कैंट और इटावा के बीच रेल लाइन पर कार्य काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) उक्त रेल लाइन पर कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) आगरा–इटावा नई लाइन कार्य वर्ष 1999–2000 में स्वीकृत किया गया था। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है और मौजूदा प्रगति लगभग 80 प्रतिशत है।

(घ) इस परियोजना के आगरा–फतेहाबाद खंड को शीघ्र ही पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना के शेष भाग के कार्य को पूरा करने के लिए अभी लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

उड़ीसा की खादी समितियों को वित्तीय सहायता

1224. श्री भक्त चरण दास : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उड़ीसा

की खादी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है क्योंकि उड़ीसा समुद्री चक्रवात, बाढ़ और सूखा प्रवण राज्य है और इससे खादी उत्पादन की अपूर्णीय क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) विद्यमान स्कीमों में आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है इसलिए उड़ीसा में खादी सेक्टर को विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए अलग से कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय वित्तीय सहायता की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उड़ीसा सहित देश में खादी के संवर्धन और विकास को बढ़ावा दे रहा है। खादी के विकास के लिए इस मंत्रालय द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से चलाई जा रही विशिष्ट स्कीमों/कार्यक्रमों में बेहतर कार्य वातावरण के लिए वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए (i) 'खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम' (ii) अप्रचलित पुरानी मशीनरी और उपकरण को बदलकर खादी उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी करने के साथ अधिक बाजारोन्मुख और लाभदायी उत्पादन हेतु सक्षम बनाने के लिए खादी संस्थानों की सहायता के लिए खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की स्कीम (iii) खादी बिक्री केंद्रों के नवीकरण के लिए तथा विद्यमान 100 कमजोर चयनित संस्थानों की अवसंरचना के सशक्तिकरण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 'विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना के सशक्तिकरण तथा विपणन तंत्र के लिए सहायता की स्कीम' (iv) खादी संस्थानों को उत्पादन के मूल्य की 20 प्रतिशत सहायता, जिसे कताईकारों/बुनकरों, उत्पादक संस्थानों तथा विक्रय संस्थानों के बीच 25 : 30 : 45 के अनुपात में बांटना चाहिए, सहित बाजार विकास सहायता (एमडीए) की नई स्कीम प्रारंभ कर खादी और पॉलिवस्त्र के उत्पादन और बिक्री को बढ़ाना (v) 2009–10 से तीन वर्ष की अवधि के दौरन खादी संस्थानों के माध्यम से खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) कार्यान्वित करके खादी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार ने 150 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 700 करोड़ रुपए) तक वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से समझौता किया है (vi) अन्य बातों के साथ–साथ क्लस्टरों के विकास के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) (vii) खादी वस्त्रों के बेहतर डिजाइन और पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन इंटरवेंशन और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उड़ीसा में खादी क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए केआरडीपी के तहत फायदा पहुंचाने के लिए केवीआईसी द्वारा उड़ीसा में चार खादी संस्थानों की अनंतिम रूप से पहचान की गई है।

निधियों का आवंटन

1225. **श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :**
श्री ताराचंद भगोरा :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री भरत राम मेघवाल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए विशेष दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत उन राज्यों को प्रदान की गई अतिरिक्त निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को योजना के अंतर्गत और निधि प्रदान करने के लिए कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) जी, नहीं।

(ख) बचत की उपलब्धता, अधिक निधियां प्राप्त करने में राज्यों की क्षमता तथा विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को अतिरिक्त निधियां रिलीज की हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2010–11 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की रिलीज के लिए निम्नलिखित राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुआ है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	50.00
2.	कर्नाटक	100.00
3.	मेधालय	35.00
4.	पंजाब	40.00
5.	पश्चिम बंगाल	100.00

अनुरोध पर केवल तभी विचार किया जा सकता है यदि वित्त वर्ष के अंत में बचत हो तथा यदि राज्य रिलीज के लिए उनसे अपेक्षित सभी शर्तें पूरी करते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को रिलीज अतिरिक्त निधियों का ब्यौरा

राज्य का नाम	2007–08	2008–09	2009–10	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	–		33.49	33.49
अरुणाचल प्रदेश	–	10.00	–	10.00
असम	–		20.00	20.00
छत्तीसगढ़	–		15.00	15.00
गुजरात	–		55.00	55.00
हिमाचल प्रदेश	–		40.00	40.00
झारखंड	–		10.00	10.00
कर्नाटक	–		20.00	20.00
केरल	–	3.64	–	3.64
मध्य प्रदेश	–		15.00	15.00
महाराष्ट्र	–	75.67		75.67
मणिपुर	7.00	10.00	–	17.00
मेघालय	10.83	5.59	10.00	26.42
मिजोरम	7.00	10.00	4.96	21.96
नागालैंड	7.03		–	7.03
उड़ीसा	–		41.40	41.40
पंजाब	–		10.00	10.00

1	2	3	4	5
राजस्थान		1.70	–	1.70
सिक्किम	6.71	13.00	–	19.71
तमिलनाडु		46.00	–	46.00
त्रिपुरा	15.00		16.00	31.00
उत्तर प्रदेश	–	70.00	–	70.00
पश्चिम बंगाल	–		15.00	15.00
कुल	53.57	300.60	250.85	605.02

पुराने रेल इंजन

1226. श्री पूर्णमासी राम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में पुराने रेल इंजन प्रचालन में हैं जिसके कारण पटरी से उतरने/दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या रेलवे ने प्रचालन संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुराने रेल इंजनों के स्थान पर नए रेल इंजन लाने की योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) चल स्टॉक की वर्किंग आयु न केवल आयु के अनुसार निधार्रित की जाती है अपितु आयु एवं हालत के आधार पर की जाती है। संरक्षा दृष्टिकोण से उपयुक्तता का पता लगाए जाने के बाद ही रेल इंजनों को लाइन पर कार्य करने के लिए अनुमति दी जाती है।

(ग) 01.02.2011 को भारतीय रेलों पर मुख्य लाइन के इंजनों की कुल संख्या 8208 है। जिनमें से 279 गतायु हो चुके हैं। जोन–वार स्थिति निम्नानुसार है :

रेलवे	रेल इंजनों की संख्या
1	2
मध्य रेलवे	33
पूर्व रेलवे	09
पूर्व मध्य रेलवे	26
पूर्व तट रेलवे	12
उत्तर रेलवे	31
उत्तर मध्य रेलवे	14
पूर्वोत्तर रेलवे	00
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	19
उत्तर पश्चिम रेलवे	01
दक्षिण रेलवे	13
दक्षिण मध्य रेलवे	32
दक्षिण पूर्व रेलवे	18
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	19
दक्षिण पश्चिम रेलवे	05
पश्चिम रेलवे	27
पश्चिम मध्य रेलवे	20
जोड़	279

(घ) अनुपयोगिता तथा उत्पादन क्षमता के आधार पर, नए रेल इंजनों का विनिर्माण किया जाता है और आवश्यकता के आधार पर सेवा में लगाए जाते हैं।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. हेतु निधियां

1227. चौधरी लाल सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010–11 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए निधियां स्वीकृत की गई हैं;

(ख) कुल आवंटित निधियों में से दिसंबर, 2010 तक व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि स्वीकृत राशि से काफी कम थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रमीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) वर्ष 2010–11 के लिए महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए 40100.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

(ख) केंद्र सरकार ने 31.12.2010 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30002.00 करोड़ रु. की राशि रिलीज की थी।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित विधान है। केंद्र सरकार राज्यों/जिलों के अनुमोदित श्रम बजट में किए गए अनुभवों के अनुसार राज्यों को निधियों रिलीज करती है। जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में संबंधित राज्य के वास्तविक तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन पर निर्भर करती हैं। पहली किस्त अप्रैल/मई में रिलीज की जाती है जिसकी न्यूनतम सीमा राज्य/जिलों के पास उपलब्ध अथशेष के समायोजन के पश्चात स्वीकृत श्रम बजट का 50 प्रतिशत तक है। दूसरी किस्त के लिए राज्यों को उपयोग प्रमाण–पत्र सहित अपने रिलीज संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं, जिसमें उपलब्ध संसाधन का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग निहित हो। वर्ष में 31 मार्च तक महात्मा गांधी नरेगा के लिए किए गए बजट आवंटन में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां रिलीज की जा सकती हैं।

विद्युत परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकता

1228. श्री आनंद प्रकाश परांजपे : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेल विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु पृथक् वित्तीय कंपनी स्थापित करने की संभावना का पता लगा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि का वित्तपोषण किया जाना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) जी हां, वर्तमान में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) विद्युत परियोजनाओं तथा अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु एक पृथक् वित्तीय कंपनी स्थापित करने की संभावना का पता लगा रहा है।

(ख) ऐसी वित्तीय कंपनी बनाने के लिए निर्णय लेने के बाद ही विद्युत परियोजनाओं तथा प्रदान की जाने वाली राशि के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

भूमि अतिक्रमण

1229. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन अतिक्रमणकारियों की जोन–वार संख्या कितनी है जिन्हें दंडित किया गया और जिनसे भूमि कब्जा मुक्त कराई गई;

(ग) क्या कुछ रेल अधिकारियों को अतिक्रमण के ऐसे मामले से निपटने में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा का दोषी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) जी, नहीं। भारतीय रेलवे के पास लगभग 10.65 लाख एकड़ भूमि है, जिसमें से 2460 एकड़ भूमि, जो कि कुल उपलब्ध भूमि का 0.23 प्रतिशत है, अतिक्रमणाधीन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, 31.03.2010 तक 2250 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने से लगभग 10760 मामलों तक की कमी आई है। हाल ही के वर्षों में रेलवे अधिकारियों की ओर से कर्त्तव्यों में लापरवाही का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

रेलें, भेद्य स्थानों पर चाहरदीवारी बनाकर, बाड़ लगाकर, वृक्षारोपण इत्यादि करके रेल भूमि/परिसंपत्ति को और अतिक्रमण से

बचाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती हैं। जहां तक मौजूदा अतिक्रमणों का संबंध है, रेलवे ने ''सुखी गृह'' योजना के माध्यम से मानवीय आधार पर मामले को निपटाने का विनिश्चय किया है, जिसके तहत 10,000 अतिक्रमण करने वालों को पुनर्वासित करने की योजना है।

सौर ऊर्जा वाहन

1230. **श्री के. शिवकुमार उर्फ जे. के. रितीश** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सी.एम.ई.आर.आई.) द्वारा विकसित सोलेकशॉ नामक सौर चालित इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के व्यावसायिक उत्पादन की समय सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार की इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) सोलेक्शा का वाणिज्यीकरण किया गया है।

(ख) और (ग) सोलेक्शा के लिए उत्पाद शुल्क में 4 प्रतिशत की रियायत दी गई है। इसके मुख्य पुर्जों और घटकों के लिए भी सीमा शुल्क में छूट दी गई है।

[हिन्दी]

अपतटीय पेट्रोलियम कार्यकलापों की संरक्षा और सुरक्षा

1231. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री रामकिशुन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपतटीय पेट्रोलियम कार्यकलापों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए कोई उचित कानून मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्वेषण, दोहन, उत्पादन, वेधन (ड्रिलिंग) और अन्य संबंधित कार्यकलापों की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों के आस-पास के 500 मी. तक के संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (अपतट प्रचालनों में सुरक्षा) नियम, 2008' जून, 2008 से लागू हैं। ये नियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं और मुख्य रूप से अपतट पेट्रोलियम प्रचालनों में सुरक्षा पहलुओं से संबंधित हैं।

अपतट तेल संस्थापनों की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक निगरानी का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी तट में 'मालवाहक जहाज और वायु यातायात प्रबंध प्रणाली' (वीएटीएमएस) प्रचालन में है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऊपर उल्लिखित नियमों को लागू करने के लिए अन्वेषण, उत्पादन, वेधन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के सुरक्षा उपायों पर तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा निगरानी रखी जा रही है। यह 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (अपतट प्रचालनों में सुरक्षा) नियम, 2008' की अपेक्षाओं के अनुसार प्रचालन कार्य करने, सुरक्षा संबंधी जांच करने और अनुपालन का सत्यापन करने की सहमति प्रदान करने जैसे उपायों के माध्यम से किया जा रहा है।

(ङ) नियमानुसार अपतट संस्थापनों के आस-पास सुरक्षा क्षेत्र 500 मीटर तक फैला हुआ होता है।

गंडक सिंचाई व्यवस्था

1232. **श्री जगदानंद सिंह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सम विकास योजना' के अंतर्गत बिहार स्थित गंडक सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार हेतु निधियां उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि गंडक की पूर्वी नहर प्रणाली जिसमें 15000 क्यूसेक

पानी का बहाव होना चाहिए में नहर की जीर्ण–शीर्ण दशा के कारण वर्षों से बहुत ही कम सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गंडक नहर प्रणाली का कब तक पुनरुद्धार किए जाने की संभावना है ताकि बाधित सिंचाई प्रणाली को सुचारु किया जा सके?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्व में राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई), बाद में पिछड़ा क्षेत्र महा निधि (बीआरजीएफ) द्वारा प्रतिस्थापित, के अंतर्गत ''पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार'' परियोजना के लिए जारी निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:

2003–04	0.98 करोड़
2004–05	50.44 करोड़
2005–06	0.56 करोड़
2009–10	48.00 करोड़
2010–11 (अब तक)	200.00 करोड़
कुल रुपये	299.98 करोड़

(ग) और (घ) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पूर्वी मुख्य नहर का अभिकल्प निस्सरण 15664 क्यूसेक है। अधिकतम प्राप्त निस्सरण और सिंचित क्षेत्र का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	अधिकतम निस्सरण (क्यूसेक)	सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर)	
		खरीफ	रबी
2008–09	6000	1,11,813	36.750
2009–10	5400	80,045	नवीकरण के कारण नहर बंद है।
2010–11	7700	81,148	नवीकरण के कारण नहर बंद है।

(ङ) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गंडक नहर प्रणाली को 31.3.2013 तक पुनः चालू करने की योजना है।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पीठें

1233. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :**
श्री पी. करूणाकरन :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्रीमती रमा देवी :
श्री मनसुख भाई डी. वसावा :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य से उनके अपने–अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय खंडपीठों की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना के लिए किसी राज्य सरकार से कोई विचार प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्नाटक सरकार ने स्थायी न्यायपीठों के रूप में धारवाड़ और गुलबर्गा स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय की दो सर्किट न्यायपीठों को बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है जो सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल की सरकार, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट न्यायपीठ की स्थापना जलपाईगुड़ी में करने के लिए एक प्रस्ताव भेज चुकी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने जब तक सर्किट न्यायपीठ का स्थायी भवन तैयार नहीं हो जाता तब तक के लिए अस्थायी सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए जलपाईगुड़ी में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निरीक्षण किया था। तथापि, उनकी राय में, जलपाईगुड़ी जिला परिषद

डाक बंगला में अस्थायी सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए प्रदान की गई यहां तक कि अस्थायी अवधि के लिए भी अवसंरचनात्मक सुविधाएं, न तो सुविधाजनक हैं और न ही परिसर उपयुक्त है। प्रदान की गई जगह और स्थान–सुविधा भी अपर्याप्त है।

केरल के मुख्यमंत्री ने तिरूवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को स्थापित करने के लिए वर्ष 2005 में अनुरोध किया था। उन्हें कर्नाटक के विधिज्ञ संगम परिसंघ बनाम भारत संघ (ए. आई.आर. 2000, एस.सी. 2544) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यथापरिकल्पित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त करने की सलाह दी गई थी।

ग्रामीण और ग्रामोद्योग इकाइयां

1234. श्री निशिकांत दुबे : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से झारखंड के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य–वार स्थापित कृषि आधारित उद्योगों, ग्रामीण और ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सृजित रोजगार का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को संगठित करते हुए कृषि व ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व–रोजगार अवसर सृजित करने के लिए झारखंड के पिछड़े और ग्रामीण इलाकों सहित देश भर में खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से 2008–09 से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, इस योजना का कार्यान्वयन बैंकों की भागीदारी के साथ केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, लाभार्थी विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये प्रत्येक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों से सहायता और बैंकों से ऋण, आदि की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी से संबंधित लाभार्थियों द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए परियोजना लागत के 25 फीसदी के बराबर मार्जिन मनी सब्सिडी (जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं और अन्य जैसे विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए 35 फीसदी है) प्राप्त करते हुए सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान झारखंड के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के तहत सृजित रोजगार अवसरों की राज्य–वार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण–I

पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008–09	2009–10	2010–11★
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	16	50	8
2.	दिल्ली	1	85	85
3.	हरियाणा	484	550	662
4.	हिमाचल प्रदेश	309	485	522
5.	जम्मू व कश्मीर	680	1782	1074
6.	पंजाब	266	986	666
7.	राजस्थान	540	1257	1283
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	40	96	77
9.	बिहार	5873	884	939
10.	झारखंड	498	353	825
11.	उड़ीसा	1654	1935	844
12.	पश्चिम बंगाल	4002	7197	4671
13.	अरूणाचल प्रदेश	114	138	135
14.	असम	1226	2430	1104
15.	मणिपुर	0	195	8

1	2	3	4	5
16.	मेघालय	0	399	117
17.	मिजोरम	0	156	153
18.	नागालैंड	5	17	206
19.	त्रिपुरा	25	325	168
20.	सिक्किम	10	60	54
21.	आंध्र प्रदेश	865	2995	1367
22.	कर्नाटक	1220	109	1220
23.	केरल	365	1597	1189
24.	लक्षद्वीप	0	11	25
25.	पुदुचेरी	48	73	76
26.	तमिलनाडु	1197	3142	1721
27.	गोवा	1	94	87
28.	गुजरात	268	841	1581
29.	महाराष्ट्र	1692	3281	3568
30.	छत्तीसगढ़	584	464	1075
31.	मध्य प्रदेश	416	1138	1301
32.	उत्तराखंड	384	816	756
33.	उत्तर प्रदेश	2724	4161	3162
	कुल	25507	39502	30729

★10.02.2011 तक

विवरण–II

पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) पर ब्यौरा

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008–09 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार अवसर	2009–10 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार अवसर	2010–11★ के दौरान पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार अवसर
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	160	500	34
2.	दिल्ली	10	348	210
3.	हरियाणा	4840	4283	5047
4.	हिमाचल प्रदेश	3090	1963	2539
5.	जम्मू व कश्मीर	6800	17820	8531
6.	पंजाब	2660	8764	5705
7.	राजस्थान	5400	13299	15656
8.	अंडमानव निकोबार द्वीप समूह	400	264	268

1	2	3	4	5
9.	बिहार	58730	5112	6315
10.	झारखंड	4980	3250	7960
11.	उड़ीसा	16540	17812	7480
12.	पश्चिम बंगाल	40020	69203	37368
13.	अरुणाचल प्रदेश	1140	1380	1312
14.	असम	12260	15280	6624
15.	मणिपुर	0	1166	115
16.	मेघालय	0	2167	702
17.	मिजोरम	0	1705	1530
18.	नागालैंड	50	286	1607
19.	त्रिपुरा	250	1710	694
20.	सिक्किम	100	266	159
21.	आंध्र प्रदेश	8650	73417	31559
22.	कर्नाटक	12200	17198	12200
23.	केरल	3650	15970	10910
24.	लक्षद्वीप	0	120	200
25.	पुदुचेरी	480	396	213
26.	तमिलनाडु	11970	45511	17989
27.	गोवा	10	1409	1583
28.	गुजरात	2580	7892	15490
29.	महाराष्ट्र	16920	21961	23907
30.	छत्तीसगढ़	5840	7410	6764
31.	मध्य प्रदेश	4160	12294	13195
32.	उत्तराखंड	3840	8345	5284
33.	उत्तर प्रदेश	27240	441536	35628
	कुल	255070	19997	284778

★10.02.2011 तक

तेल और गैस पाइपलाइन बिछाना

1235. श्री मनीष तिवारी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में तेल और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस नीति में यह भी है कि निजी भू-स्वामी को पाइपलाइन ले जाने का रास्ता देना होता है;

(घ) क्या उन निजी भू-स्वामियों को जिनकी भूमि से पाइपलाइन गुजरती है मुआवाजा दिया जाता है;

(ङ) क्या तेल और गैस पाइपलाइन गुजरने वाली भूमि को पृथक् करने पर कोई प्रतिबंध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्डर अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है ताकि बोर्ड द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम के परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री तथा पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस नियमित किया जा सके। बोर्ड द्वारा या तो किसी आवेदन पत्र के आधार पर या स्वतः-स्फूर्त राय बनाई जाती है कि किसी पाइपलाइन को बिछाना, बनाना, उनका प्रचालन अथवा विस्तार करना आवश्यक या उचित है और तदुपंरात इस अधिनियम और पीएनजीआरबी के विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी संस्था को प्राधिकृत किया जाता है।

(ग) पेट्रोलियम और खजिन पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के द्वारा सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उसके द्वारा किसी भी उस भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार (आरओयू) का अर्जन किया जा सकता है जिसके नीचे तेल और गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाई जानी है।

(घ) इस अधिनियम में आरओयू के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में पेड़ या तैयार फसलें काटने और किसी चल अथवा अचल संपत्ति को हटाने जैसी क्षतिपूर्ति के लिए भी मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है।

(ङ) और (च) उक्त अधिनियम के तहत जिसकी भूमि में आरओयू का अर्जन कर लिया गया है उस भूमि पर किसी भवन अथवा कोई अन्य स्थाई ढांचे के निर्माण का निषेध है। तथापि, उस भूमि पर नियमित खेती की जा सकती है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण

1236. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा, विधान सभा, शैक्षिक संस्थानों अन्य संगठनों और निगमों आदि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, के लोगों को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार आरक्षण का उपबंध करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार को माननीय संसद सदस्यों और अन्य सामाजिक संगठनों से प्राप्त सुझावों/निवेदनों का आज की तिथि तक ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अभी तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाते हैं। परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन गठित किए गए परिसीमन आयोग ने संविधान और विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानों के परिसीमन और आरक्षण के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न आदेश पारित किए हैं, जो 18 फरवरी, 2008 को प्रवृत्त हो गए हैं।

उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार, शैक्षिक संस्थानों और अन्य संगठनों तथा निगमों आदि में आरक्षण के संबंध में जानकारी विधि और न्याय मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब

1237. **श्री घनश्याम अनुरागी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक रसायन और उर्वरक इकाइयां जिन्हें काफी समय पहले स्थापित किया गया था का प्रचालन शुरू करने में भारी विलंब के कारण उक्त परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लंबित आमान परिवर्तन

1238. **योगी आदित्यनाथ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी रेल, गोरखपुर के अंतर्गत आमान परिवर्तन का कार्य काफी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में आंशिक/पूर्णतः आने वाली चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लंबाई किमी. में
1.	भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर	101.79
2.	गोंडा-बहराइच	60
3.	आनंद नगर-नैतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप	260
4.	कानपुर-कासगंज-मथुरा-बरेली और बरेली-लाल कुआं	544.50
5.	कप्तानगंज-थावे-सीवान-छपरा	233.5

उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं में से कानपुर-कासगंज-मथुरा (345 किमी), थावे-सीवान (28.43 किमी) और गोरखपुर-आनंद नगर-नौतनवा (81.82 किमी) खंड पहले ही पूरे हो चुके हैं और चालू किए जा चुके हैं। कप्तानगंज-थावे (90.00 किमी) खंड के मार्च, 2011 तक पूरा हो जाने की संभावना है। औंडिहार-जौनपुर खंड का आमान परिवर्तन भी पूरा हो चुका है और इसे माल यातायात के लिए खोल दिया गया है।

भारी थ्रोफॉरवर्ड और सकल बजटीय सहायता की सीमित उपलब्धता वाली चालू रले परियोजनाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए उपर्युक्त सभी परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर हैं।

(ग) चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु अतिरिक्त निधियों के सृजन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी, राज्य सरकार और अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्त पोषण जैसे गैर-बजटीय उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भूमि उपलब्धता, सुरक्षा मामले और वन विभाग संबंधी क्लियरेंस आदि के कारण देरी को कम किए जाने के लिए समय-समय पर राज्य अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अब भूमि अधिग्रहण भी किया जा रहा है। संविदागत प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए संविदा शर्तों में भी संशोधन किया गया है और फील्ड इकाइयों को और अधिक अधिकार दिए गए हैं।

[अनुवाद]

तेल कंपनियों को हानि

1239. **श्री एन. एस. वी. चित्तन** :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2010-11 के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इन कंपनियों को हुई हानि को कम से कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार से 10,000 करोड़ रुपए जारी किए जाने की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह राशि जारी की जा चुकी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2010–11 अर्थात् अप्रैल–दिसम्बर 2010 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की छः प्रमुख तेल कंपनियों नामतः आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी), आयल इंडिया लि. (ओआईएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) का करोपरांत लाभ (पीएटी) नीचे दिया गया है–

(करोड़ रुपये)

कंपनी	2010–11 का पीएटी (अप्रैल–दिसंबर 2010)
ओएनजीसी	16,133
ओआईएल	2,325
गेल	2,778
आईओसी★	3,540
बीपीसी★	612
एचपीसी★	416

★पीएटी अल्प वसूलियों के लिए सरकार और अपस्ट्रीम तेल कंपनियों से वित्तीय समर्थन को हिसाब में लेने के पश्चात् है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः आईओसी, बीपीसी और एचपीसी को डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर अल्प वसूलियों के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है। पेट्रोल के लिए 26 जून, 2010 से प्रभावी बाजार आधारित मूल्य निर्धारण के कार्यान्वित हो ने से पूर्व ओएमसीज की पेट्रोल पर हुई अल्प वसूलियों की भी प्रतिपूर्ति की जा रही थी। अप्रैल–दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान, ओएमसीज ने पेट्रोल (25.6.2010 तक), डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर 46,963 करोड़ रुपये की अल्प वसूलियां झेली हैं। भार हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत इन अल्प वसूलियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने 21,000 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन की पुष्टि की है और अब तक अपस्ट्रीम कंपनियों ने अप्रैल–दिसंबर 2010 की अवधि के लिए ओएमसीज को कच्चे तेल/उत्पादों पर छूट के माध्यम से 15,654 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है।

(घ) से (च) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 2010–11 की तीसरी तिमाही के लिए ओएमसीज की अल्प वसूलियों की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार के हिस्से के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन हेतु अनुरोध किया था। इसके प्रति वित्त मंत्रालय ने 8,000 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन स्वीकृत किया है। इस प्रकार इसको शामिल करते हुए वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2010–11 के लिए ओएमसीज की अल्प वसूलियों के लिए 21,000 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता स्वीकृत की है। यह राशि अभी तक जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रेल मार्ग हेतु सर्वेक्षण

1240. श्री राजू शेट्टी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन से वैभवबरी तक रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन से वैभवबारी तक रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवनरक्षक औषधियों की अधिक कीमतें

1241. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री रमेश बैस :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज कंपनियां जीवन रक्षक औषधियों को उनकी वास्तविक लागत की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवनरक्षक औषधियों कीकीमतों की गिनरानी करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) में जीवनरक्षक औषधियों को परिभाषित नहीं किया गया है। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)/सरकार द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) ओदश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। डीपीसीओ के अधीन कोई भी व्यक्ति एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर मूल्य नियंत्रित श्रेणी की किसी भी फार्मूलेशन (दवाई) के उपभोक्ता को नहीं बेच सकता। यदि किसी कंपनी के संबंध में यह पाया जाता है कि वह एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाइयां बेच रही है तो औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

जो औषधियां 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995)' के अंतर्गत नहीं आती हैं अर्थात् गैर–अनुसूचित औषधियां हैं उनके मामले में विनिर्माता सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। आमतौर पर ऐसे मूल्यों का निर्धारण विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है यथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त ब्लक औषधियों की लागत, घटकों की लागत, अनुसंधान तथा विकास की लागत, उपयोगिताओं/पैकिंग सामग्री की लागत, बिक्री संवर्धन लागत, व्यापार लाभ, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयातों को अवतरण लागत आदि।

मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एनपीपीए गैर–अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में घट–बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी–आईएमएस (अब इसका नाम आईएमएस स्वास्थ्य है) की मासिक रिपोर्टों और अलग–अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो वहां निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए संबंधित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जनहित में संबंधित फॉर्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10 (ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10(ख) के अधीन 29 फार्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्य निर्धारित किए हैं और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वेच्छा से मूल्य घटाए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामतः गैर–अनुसूचित औषधियों के 94 पैकों के मूल्य कम हुए हैं।

तेल भंडारण हेतु भूमिगत टैंकों की स्थापना

1242. श्री देवजी एम. पटेल :
श्री आर. के. सिंह पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में आपातकालीन परिस्थितियों में तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने के मद्देनजर भूमिगत तेल भंडारण टैंकों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है साथ ही प्रस्तावित टैंकों की भंडारण क्षमता क्या होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार तीन स्थलों अर्थात विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता : 1.33 एमएमटी), मंगलौर (भंडारण क्षमता : 1.5 एमएमटी) और पाडू (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी) में अनलाइन्ड शैल कंदराओं के रूप में भूमिगत भंडार स्थापित कर रही है। विशाखापट्टनम स्थित परियोजना का कार्य यांत्रिक रूप से अक्तूबर, 2011 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। मंगलौर और पाडूर में स्थिर परियोजनाओं का यह कार्य 2013 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

भू–जल संदूषण

1243. श्री नीरज शेखर :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिसेफ द्वारा हाल में किए गए अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित जिलों की संख्या वर्ष 2007 में 20 से बढ़कर वर्ष 2011 में 34 हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के 179 ब्लॉकों में आर्सेनिक फ्लोराइड तथा अन्य भारी धातुओं का स्तर काफी अधिक हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त सूनचा के अनुसार भारत के मार्क–II हैंड पम्पों के पेयजल में आर्सेनिक संदूषण के संबंध में 2005–07 के दौरान यूनीसेफ के सहयोग से 51 जिलों में परीक्षण किया गया था। वर्ष 2011 में कोई नया सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फ्लोराइड संदूषण की जांच के लिए यूनीसेफ के सहयोग से ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) यूनीसेफ के सहयोग से आर्सेनिक संबंधी अध्ययन के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों के 74 प्रखंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 0.01 मि. ग्रा./लि. की अनुमत्य सीमा के आधार पर आर्सेनिक संदूषण से ग्रसित हैं। तथापि, भारत सरकार के उस समय प्रचलित 0.05 मि.ग्रा./लि. के मानकों के अनुसार केवल सात जिलों अर्थात बलिया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली, और बरेली ही आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित पाए गए थे। इसी प्रकार, वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार 44 जिलों के 207 प्रखंड पेयजल स्रोत फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित थे। यूनीसेफ द्वारा भारी धातु संदूषण के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

(ङ) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, आर्सेनिक मुक्त जलभृतों को अभिज्ञात करने के राज्य के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक खुदाई का कार्य करता रहा है। अब तक बलिया, बलरामपुर, गोंडा, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, मऊ और सिद्धार्थ नगर जिलों में आर्सेनिक मुक्त जलभृत जोनों का प्रयोग करते हुए 23 अन्वेषणात्मक कुओं का निर्माण किया गया है। संबंधित राज्य सरकार के जल आपूर्ति अभिकरण प्रभावित क्षेत्रों में जल परिशोधन हेतु उपचारी उपाय करते हैं। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) नामक केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों में सहायता देता है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक बहुल जिले

1244. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक बहुल जिलों के निर्धारण के लिए विद्यमान मानदंडों में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो नए मानदंडों के निर्धारण का आधार क्या है;

(ग) क्या नए मानदंडों के परिणामस्वरूप ऐसे जिलों की संख्या में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) वर्ष 2001 की जनगणना में अल्पसंख्यक आबादी और पिछड़ेपन के मानकों से संबंधित आकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों का अभिनिर्धारण किया गया था। वर्तमान में तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसे जिलों के अभिनिर्धारण हेतु वर्तमान मानदंडों में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल न्यायालय

1245. श्री पोन्नम प्रभाकर :
कुमारी सरोज पाण्डेय :

श्री पी. विश्वनाथन :

श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में बच्चों के प्रति अपराध के मामलों के निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार कितने न्यायालयों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) ऐसे न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद

1246. श्री तूफानी सरोज : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके गठन के समय से उक्त परिषद की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ङ) बैठकों के परिणाम का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी, हां। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ''राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्'' का गठन किया गया है।

(ख) भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य की जांच करने की दृष्टि से ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 09 जनवरी, 2008 के संकल्प द्वारा ''राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी एक समिति'' का गठन किया गया है। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् के गठन का मुख्य उद्देश्य ''राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति'' की सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्यथा कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने और नीति संबंधी सिफारिशें करना है।

(ग) परिषद् का संघटन निम्नानुसार है :

	प्रधान मंत्री	**अध्यक्ष**
(क)	**भारत सरकार के मंत्री**	
1.	ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
2.	कृषि मंत्री	सदस्य
3.	पर्यावरण एवं वन मंत्री	सदस्य
4.	पंचायती राज मंत्री	सदस्य
5.	जनजातीय कार्य मंत्री	सदस्य
6.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	सदस्य
7.	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
(ख)	**राज्यों में मुख्यमंत्री**	
1.	मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	सदस्य
2.	मुख्य मंत्री, बिहार	सदस्य
3.	मुख्य मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
4.	मुख्य मंत्री, केरल	सदस्य
5.	मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
6.	मुख्य मंत्री, उड़ीसा	सदस्य
7.	मुख्य मंत्री, राजस्थान	सदस्य
8.	मुख्य मंत्री, त्रिपुरा	सदस्य
9.	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
10.	मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
(ग)	**अन्य सदस्य**	
1.	डॉ. वीणा अग्रवाल	सदस्य
2.	डॉ. सी.एच. हनुमंत राव	सदस्य
3.	डॉ. जी. के. चड्ढा	सदस्य
4.	श्री पी. वी. राजगोपाल	सदस्य

5.	श्री एस. आर. शंकरण	सदस्य
6.	डॉ. एस. एस. जोहल	सदस्य
7.	प्रो. वी. एस. व्यास	सदस्य
8.	श्री वाल्टर फर्नांडीस	सदस्य
	सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव

(घ) और (ङ) यह निर्णय लिया गया है कि समिति की सिफारिशों को ''राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्'' के विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व सचिवों की एक उपयुक्त समिति द्वारा इनकी जांच की जाए। तदनुसार, सचिवों की समिति की अभी तक पांच बैठकें हो चुकी हैं और सचिवों की समिति द्वारा सभी सिफारिशों की जांच किए जाने में कुछ और समय लगने की संभावना है। तदनुसार, ''राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्'' की अभी तक बैठक नहीं हो सकी है।

[अनुवाद]

न्यायपालिका में आरक्षण

1247. श्री टी.आर. बालू : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उच्चतर न्यायालय में आरक्षण शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के उपबंधों के अधीन की जाती है, जो आरक्षण का उपबंध नहीं करती है।

(ख) और (ग) सरकार के समक्ष विचार करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रायवाला रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव

1248.श्री गजेंद्र सिंह राजुखेड़ी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों तथा अन्य लाखों यात्रियों के लिए रेल सुविधा केवल देहरादून अथवा हरिद्वार में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या अप्रैल–मई 2011 में आरंभ हो रहे चार धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए रेलवे का विचार उक्त श्रद्धालुओं, पर्यटकों तथा अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए देहरादून से चलने वाली सभी रेलगाड़ियों का एक मिनट के लिए ठहराव हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच स्थित रायवाला रेलवे स्टेशन पर देने का है; और

(ग) यदि हां, तो रायवाला रेलवे स्टेशन पर उक्त ठहराव कब तक दिए जाने की संभावना है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। रायवाला स्टेशन पर इस समय 6 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों और 6 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों का ठहराव दिया जा रहा है जिसे फिलहाल पर्याप्त समझा गया है।

(ग) इस सामय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं में लागत उपरिव्यय

1249. श्री पी. टी. थॉमस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्याधीन रेल परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के कारण इनकी लागत मूल आबंटनों की तुलना में काफी बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार, लागत–वार ब्यौरा क्या है अैर इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के लागत उपरिव्यय को न्यूनतम करने तथा इन परियोजनाओं का समापन समय पर सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लक्ष्य सामान्यतः प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं की प्रगति, उनकी सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, वित्तीय तंगियों, भूमि की उपलब्धता, वन विभाग एवं अन्य की स्वीकृतियों में देरी, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, संविदागत विफलताओं आदि के कारण रेल परियोजनाएं लंबित होती हैं। 01.04.2010 को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के भारी थ्रोफॉरवर्ड वाली 327 चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाएं थीं। इनके लिए सकल बजटीय सहायता की सीमित मात्रा में उपलब्धता है।

(ग) रेलों द्वारा पहल किए जाने के कारण, राज्य सरकार/लाभार्थी 26 परियोजनाओं की लागत वहन करने के लिए सहमत हो गए हैं। लागत की भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराई गई निधि से परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन में सहायक होगी। सामरिक निवेशों के साथ साझेदारी में रेल विकास लिमिटेड के माध्यम से चार परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं, ये हैं हरिदासपुर–पारादीप (82 किमी) नई लाइन, ओबुलावरीपल्ले–कृष्णपत्तनम (113 किमी) नई लाइन, भरूच–सामनी–दाहेज (62 किमी) आमान परिवर्तन और अंगुल–सुकिंदा (100 किमी) नई लाइन।

चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने और उनकी लागत और लगने वाले अधिक समय से बचने के लिए भी रेलें, अतिरिक्त निधियों के सृजन के लिए उन उपायों, जो सकल बजटीय सहायता से इतर हैं, के माध्यम से प्रयास कर रही हैं। सार्वजनिक निजी साझेदारी, राज्य सरकार/लाभार्थियों द्वारा भागीदारी, रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से भी राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों जैसे अपनाए गए उपायों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। इसके अलावा, परियोजनाओं के शीघ्र एवं समय पर निष्पादन करने के लिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फोर प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन (सीओपीआई) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना

1250. श्री शिवराज भैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के दामोह क्षेत्र में स्वीकृत तथा चल रही गैस एजेंसियों का कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के कस्बा, बस्ती तथा बांदा क्षेत्रों में कोई गैस एजेंसी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य के इन क्षेत्रों में गैस एजेंसियां खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन एजेंसियों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) दिनांक 1.3.2011 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र में 6 एलपीजी वितरकों का प्रचालन कर रही हैं। कंपनी–वार विवरण निम्नानुसार है :

आईओसीएल	–	3
एचपीसीएल	–	2
बीपीसीएल	–	1

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स शुरू करने और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना हेतु स्थलों की पहचान का कार्य चल रहा है और इसके अप्रैल, 2011 तक पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद

1251. श्री पी. लिंगम : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत सांविधिक निकाय केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सीईजीसी) का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सीईजीसी के सदस्य कौन–कौन हैं और ये किस राजनैतिक दल/संस्था से संबंधित हैं;

(ग) क्या परिषद के गैर–सरकारी सदस्यों का चयन करने

में महात्मा गांधी राष्ट्रीय नियोजन गारंटी अधिनियम की धारा 10 (3) (घ) के अंतर्गत निर्धारित नियम का पालन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सीईजीसी) का गठन किया गया है। तथापि, इसके कुछ सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और रिक्त पदों को भरने पर चर्चा चल रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। जब कभी भी सीईजीसी का गठन किया गया है, महात्मा गांधी नरेगा की धारा 10 (3) का अनुपालन किया गया है। संबंधित प्रावधान निम्नानुसार हैं :

''पंचायती राज संस्थाओं, कामगारों के संगठनों और उपेक्षित समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक 15 गैर–सरकारी सदस्य;

बशर्ते कि ऐसे गैर–सरकारी सदस्यों में केंद्र सरकार द्वारा किसी एक समय पर एक वर्ष की अवधि के लिए अनुक्रम आधार पर नामित किए गए जिला पंचायतों के दो अध्यक्ष शामिल होंगे;

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत नामित कम से कम एक–तिहाई गैर–सरकारी सदस्य महिलाएं होंगी;

बशर्ते कि कम से कम एक–तिहाई गैर–सरकारी सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।''

चंदवा में चौकीदार रहित समपार

1252. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा स्थित चौकीदार रहित समपार पर वाहनों के कारण बराबर जाम लग जाता है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग 99 पर स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 99 पर चंदवा पर कोई बिना चौकीदार वाला समपार नहीं है। बहरहाल, तोरी और महुमिलन स्टेशनों के बीच समपार संख्या 24 ए/टी (पुराना 12/ए/टी) है। यह लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल के लिए अर्हक है। रेलवे ने इस कार्य को रेल निर्माण कार्यक्रम 2011–12 में शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

शुष्क भूमि क्षेत्रों में जल संसाधन

1253. श्री पी. सी. गद्दीगौदर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुष्क भूमि क्षेत्रों आदि में नदियों में जल संसाधन के पुनर्भरण तथा भू–जल स्तर में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ तैयार तथा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक में राज्य–वार/जिला–वार कितनी राशि आबंटित की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार भूमि जल के उपयुक्त उपयोग, दोहन और संरक्षण हेतु प्रयोक्ताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न क्रियाकलापों के कार्यान्वयन द्वारा वर्षा, जल संचयन और भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा भूमि जल स्तर में आने वाली गिरावट को रोकने के लिए सरकार वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी उपायों को बढ़ावा दे रही है। पणधारियों के बीच भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण करने की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। लोगों की सहभागिता द्वारा भूमि जल संवर्धन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी नवीन पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु भूमि जल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पंचाट की स्थापना की गई है।

(ख) 11वीं योजना के दौरान केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मतक परियोजनाओं को कार्यान्वयन किया है जिसका परिव्यय 100 करोड़ रुपये है। वर्ष 2008–10 के दौरान भूमि जल संसाधनों के संवर्धन हेतु सात राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां मुख्यतः भूमि के नीचे कठोर चट्टानें हैं, में ''डगवेलों के माध्यम से भूमिजल के कृत्रिम पुनर्भरण'' संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन किया गया था।

गत तीन वर्षों के दौरान दो स्कीमों के अंतर्गत कर्नाटक सहित राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

11वीं योजना के दौरान भूमि जल के प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	कार्यान्वित की जा रही प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वर्ष 2007–08 में जारी की गई निधियां	वर्ष 2008–09 में जारी की गई निधियां	वर्ष 2009–10 में जारी की गईं निधियां	वर्ष 2010–11 में जारी की गई निधियां	जारी की गई कुल निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	02	205.20	0	0	91.014	52.64	143.654
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	259.668	0	77.9	0	103.867	181.767
3.	छत्तीसगढ़	01	776.03	0	0	0	543.221	543.221
4.	गुजरात	02	316.24	0	0	0	221.368	221.368
5.	झारखंड	01	16.49	0	0	0	11.543	11.543
6.	कर्नाटक	02	205.743	0	0	76.41	67.61	144.02
7.	केरल	04	39.05	0	11.715	0	10815	22.53
8.	मध्य प्रदेश	02	431.86	0	0	0	302.302	302.302
9.	महाराष्ट्र	01	15.15	0	0	0	10.605	10.605
10.	पंजाब	01	179.453	0	53.836	0	0	53.836
11.	तमिलनाडु	04	526.35	0	33.3	368.445	0	401.745
12.	उत्तर प्रदेश	02	1780.703	0	0	504.44	728.5	1232.94
13.	पश्चिम बंगाल	01	111.091	0	33.327	0	44.436	77.763
	कुल	24	4863.028	0	210.078	1040.309	2096.07	3347.294

डगवेलों द्वारा भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	आई ई सी★		सब्सिडी				कुल
		2007–08	2008–09	2009–10	2007–08	2008–09	2009–10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तमिलनाडु	0	2.0	3.75	0	86.9662	16.8738	109.59
2.	आंध्र प्रदेश #	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	मध्य प्रदेश	0	2.0	0	0	0	40.14	42.14
4.	महाराष्ट्र	0	2.0	0	0	9.3202	4.7198	16.04
5.	गुजरात	0	2.0	1.25	0	34.7062	13.7038	51.66
6.	कर्नाटक	0	2.0	0	0	0.1923	26.4877	28.68
7.	राजस्थान	0	2.0	0	0	0.156	30.324	32.48
	कुल	0	12.0	5.0	0	131.3409	132.2491	280.59

आंध्र प्रदेश में स्कीम प्रारंभ नहीं की जा सकी क्योंकि निर्धारित नोडल विभाग ने स्कीम को प्रारंभ करने हेतु असमर्थता व्यक्त की है।

★ आईईसी–सूचना, शिक्षा एवं संचार

[हिन्दी]

अंग्रेजों द्वारा अधिनियमन किए गए कानून

1254. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजों द्वारा अधिनियमन किए गए अनेक कानून देश में अभी भी लागू हैं;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्तमान में अंग्रेजों द्वारा अधिनियमन किए गए ऐसे कितने कानून लागू हैं तथा उनमें अभी तक संशोधन नहीं किया गया है;

(घ) क्या इन कानूनों के माध्यम से नौकरशाही द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सभी विधियों को, जिनके अंतर्गत ब्रिटिश काल के दौरान अधिनियमित की गई विधियां भी हैं, देश में वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति के अनुरूप बनाने की दृष्टि से, उनका पुनर्विलोकन करना एक सतत् प्रक्रिया है। यह कार्य संबंधित विधियों का प्रशासन करने वाले केंद्रीय सरकार के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सामान्यतः भारत की विधि आयोग द्वारा किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) सरकार द्वारा समय–समय पर गठित भारत विधि आयोग, ऐसी विधियों की पहचान करता है, जिसकी आवश्यकता या सुसंगतता नहीं होगी और जिन्हें निरसित किया जा सकता है। आयोग ऐसी विधियों की भी पहचान करता है जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है और यह तंत्र देश में विधायी सुधारों को ध्यान में रखती है। तथापि, 1998 में केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने, अन्य बातों के साथ, विधियों के संशोधन और उनके निरसन की आवश्यकता की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रशासनिक विधियों के पुनर्विलोकन संबंधी समिति पहले ही स्थापित कर दी थी। समिति ने विभिन्न विधियों और नियमों में संशोधनों, अत्यंत महत्व के अधिनियमों का पुनर्विलोकन और अकृत्यशील या असुसंगत विधियों को निरसित किए जाने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

कोयले की ढुलाई से संबधित शिकायतें

★1255. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को खुले वैगनों में कोयले की ढुलाई के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ढुलाई प्रभार

1256. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कंटेनर ऑपरेटरों के लिए ढुलाई प्रभारों में बढ़ोतरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) कंटेनरों हेतु ढुलाई दरों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसे रेलवे की परिचालन लागत में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, कंटेनर प्रचालकों के साथ किए गए छूट समझौते में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, कंटेनर श्रेणी दर के नाम से नई ढुलाई दर को 01.12.2010 से शुरू किया गया था। इसे उन नौ पण्य समूहों के लिए उस दर पर शुरू किया गया था जो उक्त पण्य के लिए रेलवे टैरिफ से 10 प्रतिशत कम हैं।

(ग) और (घ) कंटेनर श्रेणी दर के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच की गई थी तथा छूट में 5 प्रतिशत की और छूट देने के संबंध में संशोधित दिशा–निर्देश 14.02.2011 को जारी किए गए हैं। तब से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

1257. श्री एस. आर. जेयदुरई : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने 17.7.2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ङ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम और अन्य बनाम यू.ओ.ई. व अन्य 1989 की रिट याचिका सं. 1022–में 2009 के आई.ए. सं. 244 में पारित तारीख 28.4.2009 के अपने आदेश द्वारा संपूर्ण देश में न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान, भत्ते और अन्य परिलब्धियों के संबंध में उपयुक्त सिफारिशों को करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री ई. पद्मनाभन वाली एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है। समिति ने 17 जुलाई, 2009 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक आदेशों में कतिपय उपांतरणों के साथ न्यायमूर्ति पदमनाभन समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है और सभी राज्य सरकारों को उन्हें 31 मार्च, 2011 तक क्रियान्वित करने के लिए निदेश दिए हैं। संबद्ध राज्य सरकारों से उनके न्यायिक अधिकारियों के संबंध में समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किए जाने की अपेक्षा थी।

केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों के संबंध में समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन से संबद्ध है और इस संबंध में प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय में परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

अवयस्कों का दुर्व्यापार

1258. श्री डी. वी. सदानंद गौडा : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को अवयस्कों तथा स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों के दुर्व्यापार को रोकने में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराज देखमुख) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखा है कि बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए जिला और पंचायत प्राधिकारियों द्वारा विशेष उपाय किए जाने चाहिए तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा पंचायतों के साथ मिलकर विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों तथा अशांत क्षेत्रों में विशेष रूप से अति संवेदी वर्गों की पहचान की जाए।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं को मानव दुर्व्यापार से बचाने के लिए बनाई गई एकीकृत कार्य योजना के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुछ कार्य–कलापों की सिफारिश की है जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने चाहिए, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

I. दुर्व्यापार को रोकने के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जाए। इस काम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पारस्परिक दौरों इत्यादि के जरिए उनका क्षमता निर्माण किया जाए।

II. दुर्व्यापार और इसे रोकने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका हेतु जागरूकता उत्पन्न करने तथा पंचायती राज संस्थानों को संवेदी बनाने का कार्यक्रम चलाया जाए।

III. पंचायत के तीनों स्तरों और ग्राम सभा में भी दुर्व्यापार के मुद्दे पर चर्चा की जाए।

IV. बच्चों विशेष रूप से बलिकाओं द्वारा विद्यालयों में प्रवेश लेने और फिर उनमें विधिवत शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय में बने रहने की स्थिति की समीक्षा करने और उस पर नजर रखने के लिए ग्राम सभा, स्वयं–सहायता समूहों, युवा दलों, और समाज के अन्य वर्गों के सदस्यों को लेकर एक निगरानी समिति का गठन किया जाए।

V. जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं उनके विषय में उनके अभिभावकों से बात करने के लिए ग्राम सभा तथा पल्ली सभा द्वारा निश्चित कार्यक्रम बनाए जाएं।

VI. दुर्व्यापार के शिकार बच्चों महिलाओं आदि के पुनर्वास अथवा समाज में उनके पुनः एकीकरण और वे दुबारा इस कुचक्र में न फंसें यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सतर्कता समूहों को काम में लगाया जाए।

इस मंत्रालय ने अवधि 2.10.2009 से 2.10.2010 तक को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाए जाने के लिए भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया था। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उनकी ग्राम सभाओं में महिला और बच्चों के समग्र कल्याण से संबंधित बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई।

इसके अलावा इस मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए अपनी ''समेकिम बाल संरक्षण स्कीम'' नामक योजना के दिशा–निर्देशों में इसके लिए प्रावधान करें। जहां पंचातयी राज संस्थाएं नहीं हैं वहां ग्राम सभा जैसे निकायों का इस उद्देश्य के लिए गठन किया जाना चाहिए। क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर के प्रबंधन में भी उचित स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

उर्वरक कंपनियों को वित्तीय सहायता

1259. डॉ. भोला सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संकट के कारण बिहार तथा झारखंड में अनेक उर्वरक कंपनियां बंद हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार को उक्त कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दोनों में से किसी भी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं। बिहार और झारखंड में फर्टिलाइजर

कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड के उर्वरक पी एस यू भारत सरकर द्वारा वर्ष 2002 में लिए गए विभिन्न निर्णयों के बाद बंद किए गए थे जिनमें प्रौद्योगिकी का पुरानापन, डिजाइन और उपस्कर की खामियां, बिजली की कमी, औद्योगिक संबंधों की समस्या, अतिरिक्त जनशक्ति और संसाधन की कठिनाइयां शामिल हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक से निधि

★1260. **श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कर्नाटक सरकार द्वारा विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए रेलवे को वर्ष–वार कुल कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या प्रदान की गई पूरी राशि का उपयोग किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) गत तीन वर्ष यथा 2007–08, 2008–09, 2009–10 तथा चालू वर्ष अर्थात् 2010–11 के दौरान कर्नाटक राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाली रेल परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा मुहैया कराया जाने वाला वर्ष–वार परिव्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
कर्नाटक सरकार द्वारा मुहैया कराई गई धनराशि	99.20	154.50	236.80	190.20

जनवरी, 2011 में प्राप्त 10 करोड़ रु. को छोड़कर कर्नाटक सरकार से प्राप्त धनराशि का पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है। मार्च, 2011 तक इस राशि का इस्तेमाल भी कर लिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत निर्माण कार्यक्रम

1261. **श्री संजय निरूपम** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और लक्ष्य कितना प्राप्त किया गया है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कुल कितनी बस्तियां शामिल नहीं की गई हैं; और

(ग) सभी लोगों को निर्धारित समय–सीमा के अंदर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) वर्ष 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम के प्रारंभ होने से लेकर अब तक महाराष्ट्र ने 17738 कवर न की गई, 11579 निचली श्रेणी में लौट आई और 3787 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में भारत निर्माण चरण–I के अंत तक अर्थात 31.3.2009 तक महाराष्ट्र ने 17738 कवर न की गई, 13987 निचली श्रेणी में लौट आई और 3622 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर कर लिया था। कवर के आंकड़ें में राज्य द्वरा उन बसावटों, जिन्हें भारत निर्माण के मूल लक्ष्य में शामिल नहीं किया गया था और नई बनी बसावटों की कवरेज भी शामिल थी। 1.4.2009 की स्थिति के अनुसार 3389 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करना शेष रह गया था। भारत निर्माण चरण–II के प्रथम वर्ष के दौरान राज्य ने 2086 बसावटों के लक्ष्य की तुलना में गुणवत्ता से प्रभावित 1008 बसावटों को कवर किया था। राज्य के लिए 2010–11 में गुणवत्ता प्रभावित 4122 बसावटों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य द्वारा विभाग की प्रबंधन आसूचना प्रणाली पर दिए गए आंकड़े के अनुसार 31.3.2011 को उपलब्धि 1414 बसावटें हैं।

(ग) राज्य सरकार को एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों और क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाने की जरूरत होती है। उसे लक्षित बसावटों को चिह्नित करना, और ऑनलाइन समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली के कार्यों, योजनाओं और क्रियाकलापों का ब्यौरा उपलब्ध कराना होता है। कवरेज और प्रगति संबंधी आंकड़ों को भी ऑनलाइन आईएमआईएस में दर्ज करना

होता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए 13 निगरानी प्रपत्र बनाए गए हैं। इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/तकनीकी अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए राज्य का दौरा करते हैं। विभाग ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सचिवों की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा समिति की बैठकों, वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

अल्पसंख्यकों के लिए प्राइम औद्योगिक संस्थानों की स्थापना

1262. श्री पी. करूणाकरन : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15–सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लाभार्थ प्राइम औद्योगिक संस्थानों की स्थापना किए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने पहचान किए गए अल्पसंख्यक ब्लॉकों में नए औद्योगिक योजना केंद्र शुरू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल की गई योजनाओं में एक योजना तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन की योजना है, जिसके तहत अभिनिर्धारित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नत किया जाता है अथवा अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाती है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नत करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत शामिल किया गया है। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत प्राइम औद्योगिक संस्थान अथवा कोई इंडस्ट्रियल प्लानिंग सेंटर स्थापित किए जाने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

डीलरों के कमीशन में वृद्धि

1263. श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वषो के दौरान देश में डीलरों के कमीशन में राशि वृद्धि का तिथि–वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2008–09 से पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर डीलर कमीशन में संशोधन के ब्यौरे निम्नवत् हैं :

पेट्रोल और डीजल

(रु. प्रति किलोमीटर)

दिनांक	पेट्रोल	डीजल
01.04.08 को	1024	600
से प्रभावी		
23.05.08	1052	631
27.10.09	1125	673
07.09.10	1218	757

पीडीएस मिट्टी तेल

(रु. प्रति किलोमीटर)

दिनांक	पीडीएम मिट्टी तेल पर थोक डीलर कमीशन	
	फार्म XV सहित	फार्म XV के अलावा
01.04.08 को	243	200
से प्रभावी		
24.05.08	255	212
07.07.09	263	220
07.09.10	275	232

घरेलू एलपीजी

(रु. प्रति सिलिंडर)

दिनांक	घरेलू एलपीजी	
	14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर	5 कि.ग्रा. सिलिंडर
01.04.08 को से प्रभावी	19.05	9.81
04.06.08	20.54	10.58
30.06.09	21.94	11.30

तेल की खोज

1264. **श्री रेवती रमण सिंह :**
शेख सैदुल हक :
श्री पी. सी. मोहन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनेक भारतीय तेल कंपनियां देश के अंदर तथा बाहर तेल खोज के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2009–10 और अप्रैल–दिसंबर, 2010 के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और खपत का नीचे दिया गया ब्यौरा यह दर्शाता है कि देश में शोधित किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की कुल आपूर्ति घरेलू खपत से अधिक है :

(मिलियन मीट्रिक टन में)

	2009–10	अप्रैल–दिसंबर, 2010
पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन	185.0	141.8
पेट्रोलियम उत्पादों की खपत	138.2	105.3

(ग) और (घ) जी, हां। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां, मिट्टी तेल और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जिसका निर्यात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है, को छोड़कर, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर सकती हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) पूर्व और एनईएलपी की बोली प्रक्रिया के अब तक आयोजित 8 दौरों के माध्यम से उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के तहत गहरे समुद्री क्षेत्र सहित, देश के जमीनी और अपतट क्षेत्र में कुल 135 ब्लॉक राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज)/राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) को और 81 ब्लॉक (पीएसयूज) प्रचालकों के रूप में निजी कंपनियों को प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां विदेशी ब्लाकों में अन्वेषण क्रियाकलापों में भी भागीदारी कर रही हैं। ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड (ओवीएल) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) क्रमशः 34, 10 और 1 विदेशी ब्लाकों में भागीदारी कर रही हैं।

[अनुवाद]

समिति रिपोर्ट

1265. **श्री विश्व मोहन कुमार :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में विभिन्न सुधार करने हेतु प्रकाश टंडन समिति तथा कुंजारो समिति का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे तेल की खरीद हेतु चीन के साथ समझौता

1266. **श्री प्रबोध पांडा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक तेल बाजार में चीन और भारत दोनों देशों के द्वारा एक साथ कच्चे तेल की खरीद से बचने के लिए चीनी प्रधान मंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल की खरीद के संबंध में सूचना को बांटने पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार और चीन गणराज्य के राष्ट्रीय सुधार और विकास आयोग के बीच दिनांक 12.01.2006 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में कच्चे तेल के व्यापार और परिवहन के क्षेत्रों सहित हाइड्रोकार्बन्स क्षेत्र में प्रोत्साहक द्विपक्षीय सहयोग का प्रावधान है। इसी प्रकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और चीन गणराज्य के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के बीच दिनांक 17.12.2006 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दोनों देशों के उद्यमों को वैश्विक तेल व्यापार और नौवहन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता है। तथापि दोनों पक्षों की तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल की खरीद संबंधी सूचना का आदान–प्रदान नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

इंदौर से रेलगाड़ियों की संख्या

1267. **श्री सज्जन वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का मध्य प्रदेश में इंदौर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलौर, वाराणसी आदि को रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) रेल बजट 2011–2012 में, जबलपुर–इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) एवं इंदौर–कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन) को आरंभ करने, इंदौर–अजमेर एक्सप्रेस का जयपुर तक विस्तार और इंदौर–उदयपुर एक्सप्रेस के फेरों को सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन करने की घोषणा की गई है।

बहरहाल, परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगियों के कारण वर्तमान में इंदौर से अन्य गाड़ियों को आरंभ करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

प्लास्टिक पार्क

1268. **श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'प्लास्टिक पार्कों' की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ख) इसके लिए कितना आवंटन और प्रावधान किया है; और

(ग) इस योजना के तहत हरियाणा में ऐसे कितने पार्कों की स्थापना की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) सरकार अपेक्षित आधुनिकतम आधारभूत संरचना के साथ आवश्यकता अनुरूप प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए तथा इस क्षेत्र को मूल्य संवर्द्धन श्रृंखला में आगे बढ़ने तथा प्रभावी रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए सामान्य सुविधाओं में सुसज्जित करने हेतु एक योजना को अनुमोदित किया है। इस योजना का लक्ष्य क्लस्टर विकास के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग में क्षमता का समेकन एवं संवर्द्धन करना है।

(ख) 11वीं योजना अवधि के दौरान 50 रुपये करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया है।

(ग) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, हरियाणा राज्य से कोई औपचारिकता प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना

1269. श्री वीरेंद्र कश्यप : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंदिरा आवास योजना के तहत राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता राज्यों विशेषकर विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आवास के लिए प्रदान किए गए केंद्रीय बजटीय परिव्यय के आधार पर वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन किया जाता है। आईएवाई के अंतर्गत केंद्रीय निधियों का आवंटन वर्ष दर वर्ष बढ़ता रहा है। पिछले चार वर्षों के दौरान ग्रामीण आवास के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा तथा उसमें से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	ग्रामीण आवास के लिए कुल बजटीय परिव्यय	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित निधियां
1.	2006–07	2920	294
2.	2007–08	4040	404
3.	2008–09	8800	881
4.	2009–10	8800	881

1.4.2010 से आईएवाई के अंतर्गत प्रति इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रु. की तुलना में बढ़ाकर पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों सहित) के लिए 48,500 रु. कर दिया गया है।

पंचायतों के मुखिया का चुनाव

1270. श्री प्रेम दास : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जिला पंचायतों के अध्यक्ष तथा ब्लॉक मुखिया के पद पर जनता द्वारा सीधे चुनाव कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) और (ख) संविधान यह अधिदेशित करता है कि मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा एवं उन्हीं में से निर्वाचित किए जाएंगे। संविधान के इस प्रावधान को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बीपीएल लोग

1271. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री शिवराज भैया :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों की संख्या में कमी करने के लिए कोई कार्यक्रम परियोजना आरंभ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग देश में गरीबी का आकलन करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। वर्ष 2004–05 के लिए योजना आयोग द्वारा रिलीज नवीनतम गरीबी अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय

प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के 61वें चक्र के आधार पर तथा प्रोफेसर सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता 1993–94 के 45.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 से 37.2 प्रतिशत रह गया है।

(ख) प्रोफेसर सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग द्वारा प्रकाशित वर्ष 2004–05 के लिए नवीनतम राज्य–वार गरीबी अनुमान (प्रतिशतता में गरीब व्यक्तियों की गणना) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा स्वर्ण जयंती ग्रामी स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र विकास के लिए इंदिरा ावास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

प्रोफेसर सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग द्वारा प्रकाशित वर्ष 2004–05 के लिए नवीनतम राज्य–वार गरीबी अनुमान (प्रतिशतता में गरीब व्यक्तियों की गणना)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32.3	23.4	29.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.6	23.5	31.1
3.	असम	36.4	21.8	34.4
4.	बिहार	55.7	43.7	54.4
5.	छत्तीसगढ़	55.1	28.4	49.4
6.	दिल्ली	15.6	12.9	13.1
7.	गोवा	28.1	22.2	25.0
8.	गुजरात	39.1	20.1	31.8
9.	हरियाणा	24.8	22.4	24.1
10.	हिमाचल प्रदेश	25.0	4.6	22.9
11.	जम्मू एवं कश्मीर	14.1	10.4	13.2
12.	झारखंड	51.6	23.8	45.3
13.	कर्नाटक	37.5	25.9	33.4
14.	केरल	20.2	18.4	19.7
15.	मध्य प्रदेश	53.6	35.1	48.6
16.	महाराष्ट्र	47.9	25.6	38.1
17.	मणिपुर	39.3	34.5	38.0
18.	मेघालय	14.0	24.7	16.1
19.	मिजोरम	23.0	7.9	15.3
20.	नागालैंड	10.0	4.3	9.0
21.	उड़ीसा	60.8	37.6	57.2
22.	पांडिचेरी	22.9	9.9	14.1
23.	पंजाब	22.1	18.7	20.9
24.	राजस्थान	35.8	29.7	34.4
25.	सिक्किम	31.8	2.9	31.1
26.	तमिलनाडु	37.5	19.7	28.9
27.	त्रिपुरा	44.5	22.5	40.6
28.	उत्तर प्रदेश	42.7	34.1	40.9

1	2	3	4	5
29.	उत्तराखंड	35.1	26.2	32.7
30.	पश्चिम बंगाल	38.2	34.4	34.3
	अखिल भारत	41.8	25.7	37.2

[अनुवाद]

राजस्व घाटा

1272. प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे घटती हुई आय के कारण वित्तीय संकट तथा भारी राजस्व घाटे का सामना कर रही है;

(ख) क्या जैसा कि 9 फरवरी, 2011 के समाचार–पत्र में प्रकाशित हुआ है कि रेलवे की खराब होती वित्तीय स्थिति के पीछे छठे वेतन आयोग के बकायों का भुगतान, निर्यात किए जाने योग्य लौह अयस्क की ढुलाई बंद करना, रेलवे लाइन पर आंदोलन आदि हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रभावित होने वाली परियोजनाओं का जोन–वार/राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्य उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, नहीं। रेलें आय में कमी के कारण भारी घाटे का सामना नहीं कर रही हैं। बहरहाल, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के कारण आंतरिक संसाधनों पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा था क्योंकि बजट उपरांत कारकों और कर्मचारी भत्तों परअधिक व्यय के कारण उच्चतर व्ययों को पूरा करने के लिए 2010–11 के संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त 2000 करोड़ रु. मुहैया कराए गए थे। आमदनी काफी अधिक हो सकती थी, मगर लौह अयस्क के निर्यात पर रोक, रेल रोको आंदोलनों एवं बंधों के कारण ऐसा नहीं हो सका।

(ग) रेलों की मुख्य परियोजनाओं का वित्तपोषण बजटीय सहायता और आंशिक रूप से आंतरिक संसाधनों के जरिए किया जाता है। 41,426 करोड़ रु. के बजटीय परिव्यय की तुलना में 2010–11 के संशोधित योजना परिव्यय के लिए 40,315 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(घ) आमदनी बढ़ाने संबंधी उपायों के अलावा, रेलों को वित्तीय अनुशासन और विवेकपूर्ण मामले के तौर पर खर्चों को नियंत्रित करने और बजटीय आवंटनों के भीतर व्ययों को रखने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

वर्षा का पैटर्न

1273. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2010 के दौरान वर्षा में कमी दर्ज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो देश भर में सभी भौगोलिक मंडलों में जून से सितंबर 2010 के बीच मानसून के मौसम में कितनी वर्षा हुई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। समूचे भारत में मानसून–2010 के दौरान हुई ऋतुकालिक वर्षा सामान्य से अधिक थी, जिसमें 892.2 मि.मी. की ऋतुकालिक मात्रा में 2.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, देश के कुछ भौगोलिक मंडलों में सामान्य से अधिक वर्षा नहीं हुई, जैसा कि हर मानसून ऋतु में होता है। मानसून–2010 में हुई वर्षा का देश में भौगोलिक क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण

(जून से सितंबर, 2010)

क्र.सं.	भौगोलिक क्षेत्र	दीर्घकालिक औसत के रूप में रिकार्ड की गई वर्षा (%)
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	+29
2.	हिमाचल प्रदेश	+14

1	2	3
3.	पंजाब	–07
4.	हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली	+21
5.	उत्तराखंड	+40
6.	पश्चिमी राजस्थान	+69
7.	पूर्वी राजस्थान	+05
8.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	0
9.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	–23
10.	सौराष्ट्र और कच्छ	+11
11.	गुजरात	+107
12.	पश्चिमी मध्य प्रदेश	–17
13.	पूर्वी मध्य प्रदेश	–15
14.	बिहार	–22
15.	झारखंड	–41
16.	पश्चिम बंगाल	–31
17.	असम और मेघालय	–23
18.	छत्तीसगढ़	–14
19.	उड़ीसा	–15
20.	अरुणाचल प्रदेश	–07
21.	नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा	–09
22.	कोंकण और गोवा	+23
23.	मध्य महाराष्ट्र	+20
24.	मराठवाड़ा	+27
25.	विदर्भ	+25
26.	उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्र	+26
27.	तटीय कर्नाटक	+02
28.	दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्र	+10
29.	तेलंगाना	+32
30.	तटीय आंध्र प्रदेश	+45
31.	रायलसीमा	+36
32.	सिक्किम और उप–हिमालयी पश्चिम बंगाल	+14
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	+50
34.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	+17
35.	केरल	–10
36.	तमिलनाडु	+29
	समूचा भारत	+2.2

[अनुवाद]

स्वच्छता सुविधाएं

★1274. **श्री जयंत चौधरी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''स्वच्छता तथा पेयजल 2010 संबंधी प्रगति की अद्यतन स्थिति'' पर विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनीसेफ की रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का 31 प्रतिशत भाग स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करता है;

(ख) क्या यह पेयजल और स्वच्छता विभाग के 67 प्रतिशत के आंकड़ों की तुलना में विरोधाभासी आंकड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विभाग के आंकड़ों को ठीक मानते हुए शेष 33 प्रतिशत भाग तक कवरेज को बढ़ाने की मंशा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 'प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर 2010 अपडेट' से संबंधित डब्ल्यूएचओ/यूनीसेफ की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाली आबादी का प्रतिशत 31 प्रतिशत था। रिपोर्ट में दी गई जानकारी में केवल वर्ष 2007–08 के दौरान पूरे किए गए पारिवारिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त आंकड़े ही शामिल हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष 2008 के तथा उसके बाद खुले में शौच करने की प्रथा को रोकने तथा शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित नवीन सहायता प्रयासों को दर्शाया नहीं गया है। इसके अलावा, डब्ल्यूएचओ/यूनीसेफ रिपोर्ट में उपयोग की निगरानी की गई है जबकि इस समय टीएससी के आंकड़े ग्रामीण परिवारों के पास उपलब्ध शौचालय सुविधा की वास्तविक उपलब्धता को दर्शाते हैं। वर्ष 2001 की जनगणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 21.9 प्रतिशत थी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रतिबंधित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से सभी राज्यों द्वारा बताई गई प्रगति के अनुसार संपूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जनवरी, 2011 की तुलना में अब लगभग 69 प्रतिशत बढ़ गई है।

(घ) टीएससी मांग–जनित, परियोजना आधारित कार्यक्रम है। जिसमें जिले को इकाई के रूप में लिया जाता है। जिला परियोजना में उन सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल किया जाता है जिनमें शौचालय की सुविधा नहीं है। टीएससी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारती में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना है।

[हिन्दी]

नई एलपीजी एजेंसियों की स्थापना

1275. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के पालेटा तथा छत्तरपुर क्षेत्र के नौगांव में नई गैस एजेंसियों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी एजेंसियों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने पलेरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश और नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, प्रत्येक में, एक–एक नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने की योजना बनाई है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं किया जाता है। चूंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने की प्रक्रिया में विज्ञापन, आवेदन पत्रों की प्राप्ति, इसकी जांच पड़ताल, उम्मीदवारों का चयन, चयनित उम्मीदवारों के प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, अवसंरचना की स्थापना, विभिन्न सांविधिक लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करना तथा शिकायतों/मुकदमों, यदि कोई हों, का निपटान करना शामिल होता है, इसलिए इसका ठीक–ठीक विवरण देना संभव नहीं है कि कब ये स्थल चालू हो जाएंगे।

[अनुवाद]

एमजीएनआरईजीएस से संबद्ध राष्ट्रीय पेंशन योजना

1276. श्री जोस के. मणि : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एमजीएनआरईजीएस जैसी रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल की कमी

1277. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि असामान्य तथा कम वर्षा के कारण डीपीएपी (सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम) के तहत कवर क्षेत्रों में जल की कमी है; और

(ख) क्या सरकार का उक्त क्षेत्रों में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए तथा लोगों को आजीविका अर्जन में सक्षम बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां।

(ख) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब की दो परियोजनाओं नामतः राजस्थान फीडर चैनल का आरडी 179000 से आरडी 496000 तक संरेखण तथा सरहिन्द फीडर चैनल का आरडी 119700 से 447927 तक संरेखण और कर्नाटक की एक परियोजना अर्थात भद्रा का आधुनिकीकरण को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 90 प्रतिशत अनुदान के लिए विशिष्ट अनुमोदन दिया है।

आमान परिवर्तन

1278. कुमारी मीनाक्षी नटराजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य पूरा किया जा चुका है/लंबित है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आमान परिवर्तन हेतु निर्धारित लक्ष्यों/प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप रेलगाड़ी के कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी; और

(घ) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कार्य की पूरी की गई लंबाई (किमी में) सहित भारतीय रेलों द्वारा किए गए आमान परिवर्तन के प्रत्येक कार्य का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	2007–08	2008–09	2009–10
1	2	3	4	5	6
1.	मिराज–लातूर	महाराष्ट्र	72		137
2.	नौपाड़ा–गुनुपुर	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा		45	
3.	जयनगर–दरभंगा–नरकटियांज–भिकनाटोरी	बिहार	68	68	
4.	बददिबस तक विस्तार सहित जयनगर–बिजलपुरा	बिहार, नेपाल			
5.	मान्सी–सहरसा एवं सहरसा–दौराम माधेपुरा–पूर्णिया	बिहार			22
6.	सकरी–लौकहा बाजार–निर्मली एवं सहरसा–फोर्ब्सगंज	बिहार			
7.	समस्तीपुर–खगड़िया	बिहार	30		
8.	बर्दवान–कटवा	पश्चिम बंगाल			
9.	गंगापुर सिटी तक विस्तार सहित धौलपुर–सिरमूत्तरा	राजस्थान			
10.	कोटा तक विस्तारसहित ग्वालियर–शिवपुर कलां	मध्य प्रदेश, राजस्थान			
11.	मथुरा–अचनेरा	उत्तर प्रदेश			
12.	औंडिहार–जौनपुर	उत्तर प्रदेश			
13.	भोजीपुरा–पीलीभीत–टनकपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड			

1	2	3	4	5	6
14.	गोंडा–बहराइच–सीतापुर–लखनऊ के चरण एक के रूप में गोंडा–बहराइच	उत्तर प्रदेश			
15.	आनंद नगर नौतनवां लूप सहित गोंडा–गोरखपुर	उत्तर प्रदेश		80	
16.	कानपुर–कासगंज–मथुरा–बरेली एवं बरेली–लालकुआं	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड		107	
17.	कप्तानगंज–थावे–सीवान–छपरा	बिहार, उत्तर प्रदेश			
18.	कटिहार–जोगबनी एवं कटिहार–बरसोई–राधिकापुर	बिहार, पश्चिम बंगाल	141		
19.	गलगलिया होकर अलुआबाड़ी रोड–सिलीगुड़ी	बिहार, पश्चिम बंगाल			
20.	कटाखाल–भैराभी	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, मिजोरम			
21.	मिगरेंडिसा–दित्तोक्चेरा के बीच संरेखण और बदरपुर से भरियाग्राम तक विस्तार सहित लाम्डिंग–सिल्चर	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम			
22.	लिंक्ड फिंगर सहित लम्डिंग–डिब्रुगढ़	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम	53		44
23.	न्यू जलपाईगुड़ी–सिलीगुड़ी–न्यू बोंगाईगांव	पश्चिम बंगाल	53		66
24.	लिंक्ड फिंगर सहित रांगिया–मुरकोंगसेलेक	पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम			
25.	अजमेर–फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी	राजस्थान, हरियाणा		210	80
26.	अजमेर–चित्तौढ़गढ़–उदयपुर–उमरा	राजस्थान			
27.	जयपुर–रिंगस–चुरू एवं सीकर–लोहारू	राजस्थान			
28.	पीपर रोड–बिलारा	राजस्थान	41		
29.	रेवाड़ी–सदुलपुर–हिसार	हरियाणा	211		
30.	सदुलपुर–रतनगढ़–बीकानेर एवं रतनगढ़–देगाना	राजस्थान			254
31.	श्रीगंगानगर–सरूपसर	राजस्थान			
32.	सूरतपुरा–हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर	राजस्थान			
33.	अकोला–पुर्णा	महाराष्ट्र	210		
34.	धर्मावरम–पाकला	आंध्र प्रदेश	82		144
35.	गुंटुर–गुंटकल एवं पेंडकल्लु से गूटी तक गुंटकल–कल्लुरू	आंध्र प्रदेश	40		
36.	छिंदवाड़ा–मांडला फोर्ट	मध्य प्रदेश			
37.	छिंदवाड़ा–नागपुर	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश			

1	2	3	4	5	6
38.	बालघाट–कटंगी सहित जबलपुर–गोंडिया	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र			47
39.	बांकुरा–दामोदर नदी परियोजना	पश्चिम बंगाल	40		
40.	टोरी तक विस्तार सहित रांची–लोहारगदागा	झारखंड			
41.	झरूपसा–बांगरीपोसी	उड़ीसा			38
42.	कुड्डालोर–सेलम	तमिलनाडु	83	47	
43.	दिंडीगुल–पोल्लाची–पालघाट एवं पोल्लची–कोयंबतूर	तमिलनाडु, केरल			6
44.	मदुरै–बोडीनयक्कनुर	तमिलनाडु			
45.	मनमदुरै–विरूधनगर	तमिलनाडु			
46.	मलियादुतुरै–करैकुडी एवं तिरूतुरैपुंडी–अगस्तयमपल्ली	तमिलनाडु			
47.	कोल्लम–तिरूनेलवेल–तिरूचेंदुर एवं तेनकासी–विरूधनगर	केरल, तमिलनाडु	69		45
48.	तिरूचिरापल्ली–नागोर	तमिलनाडु	30		
49.	विल्लुपूरम–काटपादी	तमिलनाडु	10		140
50.	तंजावुर–विल्लुपूरम	तमिलनाडु	22		53
51.	त्रिची–मनमदुरै	तमिलनाडु	60		
52.	कोलार–चिकबल्लपर	कर्नाटक			
53.	मेट्टुपयलम तक विस्तारसहित मैसूर–चामराजनगर (चरण–एक)	तमिलनाडु	61		
54.	शिमोगा–तलगुप्पा (बेंगलूरू–हुबली–बिरूर–शिमोगा)	कर्नाटक			57
55.	शोलापुर (होतगी)–गदग	महाराष्ट्र, कर्नाटक	87	6	
56.	अहमदाबाद–हिम्मतनगर–उदयपुर	राजस्थान, गुजरात			
57.	भरूच–सामनी–दोहज	गुजरात			
58.	भिलड़ी–बीरमगांम	गुजरात	40		
59.	भिलड़ी–समदड़ी	गुजरात, राजस्थान			223
60.	वयोर तक विस्तार सहित भुज–नलिया	गुजरात			
61.	प्रतापनगर–छोटा उदयपुर	गुजरात	35		35

1	2	3	4	5	6
62.	राजपीपला–अंकलेश्वर	गुजरात			
63.	वेरावल से सोमनाथ तक नई लाइन सहित राजकोट–वरावल, वांसजलियासे जेतलसर तक	गुजरात			90
64.	रतलाम–महो–खंडवा–अकोला	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र			
65.	पीपावाव तक विस्तारसहित सुरेंद्रनगर–भावनगर, धोला–ढासा–महुवा (पूरक)	गुजरात			35
66.	फुलेरा–मारवाड़–अहमदाबाद	गुजरात	11		

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2007–08, 2008–09 और 2009–10 के दौरान क्रमशः 3101, 3193 और 3494 सवारी डिब्बे खरीदे गए। अतः सवारी डिब्बों की आवश्यकता और प्राप्त करने में प्रोग्रेसिव वृद्धि हुई है। सवारी डिब्बों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई रेल कोच फैक्ट्री और मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने की योजना बनाई गई है।

अनुसंधान और विकास

1279. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई तथा उसमें से कितनी निधियों का उपयोग किया गया;

(ख) निधियों की कमी के कारण विलंब से चल रही अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान औरविकास हेतु निधियों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभागों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए आबंटित और उप योग की गई निधियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं में निधियों की कमी के कारण कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से कम है। सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर निम्नलिखित विभिन्न उपायों द्वारा निवेश में सकल घरेलू उतपाद को 2 प्रतिशत तक वृद्धि करने पर विचार कर रही है।

★ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और अधिक आवंटन,

★ विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना,

★ शैक्षिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते और अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों और सुविधाओं का सृजन,

★ विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना।

★ सार्वजनिक–निजी अनुसंधान और विकास भागीदारियों को बढ़ावा देना,

★ औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान, तथा

★ अनुसंधान और विकास व्यय पर आयकर राहत, प्रायोजित अनुसंधान के लिए भारत कर कटौती, सरकार द्वारा निधिकृत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में प्रयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमाशुल्क में छूट, उत्कृष्ट अनुसंधान एव विकास के लिए करावकाश तथा राष्ट्रीय पुरस्कार।

विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विभागों द्वारा अनुसंधन और विकास के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

	आबंटित निधियां			उपयोग की गई निधियां		
विभाग	2007–08	2008–09	2009–2010	2007–08	2008–09	2009–10
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1151.05	1271.50	1464.00	1151.07	1269.89	1460.08
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	657.58	858.76	878.00	591.70	848.48	856.44
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1057.70	1183.30	1270.70	1052.74	1174.30	1267.68

जल निकायों का संरक्षण

1280. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री राधे मोहन सिंह :
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा पुनर्स्थापना करने के लिए कितनी निधियों का व्यय किया गया है;

(ख) राज्य–वार और वर्ष–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यय के कितने प्रतिशत भाग का वहन किया जाना है;

(घ) क्या यह योजना बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कार्यान्वित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बड़ी जनसंख्या वाले उक्त राज्य को किन कारणों से इस योजना से वंचित रखा गया है साथ ही तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) वर्ष 2008–09 के दौरान घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) संबंधी स्कीम फरवरी, 2009 में प्रारंभ की गई तथा स्कीम के अंतर्गत कोई निधि जारी नहीं की जा सकी। वर्ष 2009–10 और 2010–11 के दौरान राज्य सरकारों को जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु को 4 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र में 5763 जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु 2182 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को 2.5 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र में 3000 जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु 835 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 0.52 लाख कृष्य कमान क्षेत्र में 1224 जल निकायों के पुनरूद्धार हेतु 268.78 करोड़ रुपये तथा उड़ीसा को 1.2 लाख हेक्टेयर में 900 जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु 448 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(ग) जल निकायों की मरममत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) संबंधी स्कीम में विशेष श्रेणी राज्यों, उड़ीसा के अविभाजित कारापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (के बी के) जिलों और अन्य राज्यें के सूखा प्रवण/नक्सल प्रभावित/जनजातीय क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं का 90 प्रतिशत वित्तपोषण करने की परिकल्पना की गई है। अन्य परियोजनाएं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त करने की पात्र हैं। बाह्य सहायता प्राप्त स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार परियोजना लागत का 25 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करती है जबकि संबंधित राज्यों द्वारा 75 प्रतिशत राज्य का हिस्सा विश्व बैंक से उधार लिया जाना होता है।

(घ) जी, हां। राज्य सरकार से प्रापत प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2010–11 के दौरान जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार हेतु जारी बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश को क्रमशः 25 करोड़ रुपए तथा 29.08 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	वर्ष 2009–10 के दौरान जारी निधियां	वर्ष 2010–11 के दौरान जारी निधियां
उड़ीसा	72.12	
कर्नाटक	74.04	
आंध्र प्रदेश		189
बिहार		25.00
उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड)		29.08
मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड)		7.33
महाराष्ट्र		
गुजरात		
छत्तीसगढ़		
कुल	146.16	250.41

खादी को एमजीएनआरईजीएस के साथ जोड़ा जाना

1281. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खादी, ग्रामोद्योग, लघु तथा कुटीर उद्योगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के साथ जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख अधिनियम की अनुसूची–I के पैरा 1 में दिया गया है। उपर्युक्त (क) में प्रस्तावित क्रियाकलापों की मंजूरी महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

संयुक्त उद्यम समझौते

1282. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी उद्यमों के साथ सा. क्षे. उ. के संयुक्त उद्यम समझौते के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मिनी रत्न, नव रत्न तथा महारत्न कंपनियों के लिए ये दिशानिर्देश भिन्न–भिन्न हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी सा. क्षे. उ. तथा निजी पार्टी के बीच ऐसे किसी संयुक्त उद्यम के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन आवश्यक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) और (ख) लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न श्रेणी के केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को निर्धारित सीमा के अंतर्गत तथा कतिपय शर्तों के अध्याधीन संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु इक्विटी में निवेश करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ग) और (घ) महारत्न, नवरत्न मिनीरत्न श्रेणी–I तथा मिनी रत्न श्रेणी–II के केंद्रीय सरकारी उद्यमों को वित्तीय संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए इक्विटी में निवेश करने की शक्ति प्रदान की गई है, बशर्ते कि यह किसी एक परियोजना के मामले में संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 15 प्रतिशत के अंदर हो और महारत्न, नवरत्न मिनीरत्न श्रेणी–I तथा मिनी रत्न श्रेणी–II के उद्यमों के मामले में क्रमशः 5000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए तथा 250 करोड़ रुपए तक हो। इन सभी मामलों में कुल सभी परियोजनाओं में ऐसा निवेश निवल मूल्य के 30 प्रतिशत तक हो सकता है।

(ङ) और (च) महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न श्रेणी के केंद्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदित की जरूरत नहीं पड़ती।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1283. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा उनमें से कितने प्रस्तावों को आज तक मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को केंद्रीय परियोजनाओं के रूप में बड़ी सिंचाई परियोजानओं को आरंभ करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) राज्यों/केंद्रीय जल आयोग से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में इंदिरा सागर (पोलावरम) और जे. चोक्कराव लिफ्ट सिंचाई स्कीम को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप केंद्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी नई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की स्कीम में शामिल होने के लिए व्यय वित्त समिति/परियोजना निवेश बोर्ड का अनुमोदन राष्ट्रीय परियोजनाओं की उच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति का अनुमोदन और अंत में केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होना अपेक्षित है, योजना आयोग द्वारा संशोधित अनुमानित लगात के लिए संशोधित निवेश स्वीकृति मिलने के बाद पोलावरम परियोजना व्यय वित्त समिति के विचारार्थ रखी जानी है।

विशेष रेलवे परियोजनाएं

1284. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत भू-अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के लिए "विशेष रेल परियोजनाओं" के रूप में अनेक रेल परियोजनाओं को अधिसूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्पश्चात् ऐसी विशेष परियोजनाओं पर हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या रेलवे का ओडीसा में पूर्वी तटीय रेलवे के तहत हरीदासपुर-पारादीप और खुर्दा-बोलांगीर नई रेल लाइन को "विशेष रेलवे परियोजना" घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जल संरक्षण

1285. डॉ. एम. तम्बिदुरई : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही पि छले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं तथा कितने लोगों ने इसमें भाग लिया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों और विधि जल विज्ञानीय दशाओं में विज्ञानीय दशओं में भूमि जल के संवर्धन हेतु वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का अभिकल्प तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में संसाधकों के प्रशिक्षणार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। भूमि जल प्रबंधन, सुरक्षा एवं विनियमन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में पणधारियों में जागरूकता फैलाने के लिए 2007-08 और 2008-09 के दौरान देश भर में जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। 2007-08 और 2008-09 के दौरान आयोजित उन जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन से जुड़े सरकारी/गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य पणधारियों में जन जागरूकता के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान 26 कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

विवरण

वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान जन जागरूकता और जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा

संख्या	राज्य	2007–08				2008–09			
		जनजागरूकता अभियानों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	जनजागरूकता अभियानों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2	700	2	60	1	350	1	30
2.	असम	1	300	1	26	2	301	2	54
3.	बिहार	0		1	80	1	250	1	80
4.	छत्तीसगढ़	1	150	1	82	1	225	1	58
5.	गुजरात	1	150	1	23	1	600	1	40
6.	हरियाणा	–	–	–	–	1	350	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	1	245	1	55	1	410	1	65
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	80	1	38	1	100	1	25
9.	झारखंड	–	–	1	80	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	1	350	1	35	1	300	1	31
11.	केरल	1	250	1	100	1	400	1	85
12.	मध्य प्रदेश	1	325	1	120	1	120	1	126
13.	महाराष्ट्र	1	300	1	30	1	235	1	34
14.	मेघालय	1	200	1	28	–	–	–	–
15.	नागालैंड	1	250	1	27	–	–	–	–
16.	उड़ीसा	1	550	1	100	1	300	1	60
17.	पंजाब	2	250	–	–	2	400	–	–
18.	राजस्थान	1	350	1	330	1	410	1	56
19.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	तमिलनाडु	1	250	1	45	1	500	1	45
21.	उत्तर प्रदेश	1	300	1	47	1	500	1	45
22.	उत्तराखंड	1	150	1	27	1	200	1	26
23.	पश्चिम बंगाल	1	325	2	185	2	500	1	23
24.	चंडीगढ़	–	–	1	50	–	–	–	–
25.	दिल्ली	1	630	1	21	1	540	1	19

रुग्ण सहकारी समितियों का पुनरुद्धार

1286. श्री महेन्द्र कुमार राय : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में रुग्ण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र) : (क) से (घ) सरकार ने कृषि मंत्रालय में लघु आवधिक ग्रामीण सहकारी क्रेडिट स्ट्रक्चर के पुनरुत्थान (रिवाइवल) के लिए 13,596 करोड़ के वित्तीय परिव्यय वाला एक पैकेज अनुमोदित किया है जिससे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी (पीएसीएस) जिला केंद्रीय सहकारी बैंको (डीसीसीबी) तथा राज्य सहकारी बैकों (एससीबी) की कार्यप्रणाली को विधिक और संस्थागत सुधारों तथा आवश्यक पूंजीगत सम्मिश्रण से बेहतर बनाया जा सके। पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस पैकेज के तहत वित्तीय सहायता के प्रावधान कारपोरेट सेक्टर में सुधारों से जोड़ा गया है। इस पैकेज के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करना अपेक्षित है जिसमें वह पुनरुज्जीवन पैकेज में परिकल्पित विधिक, संस्थागत तथा अन्य सुधारों को कार्यान्वित करने के प्रति वचनबद्ध हो। अब तक 25 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने नाबार्ड और भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है। 15 राज्यों में 50,126 पीएसीएस के पुनर्पूंजीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के अंशदान के रूप में 31 दिसंबर, 2010 तक 8081.53 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है जबकि राज्य सरकारों ने 769.56 करोड़ रुपए अपने अंशदान के रूप में जारी किए हैं।

रेलगाड़ी के डिब्बों का निर्यात

1287. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री मानिक टैगोर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटिग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई में निर्मित रेल के डिब्बों का निर्यात श्रीलंका सहित अन्य देशों को किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक ऐसे कितने रेल के डिब्बों का निर्यात किया जा चुका है; और

(घ) ऐसे निर्यातों के लिए निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मैसर्स राइट्स लिमिटेड या मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से सवारी डिब्बों के लिए निर्यात आदेश सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ), चैन्ने को प्राप्त हो गए हैं। आईसीएफ ने 1971-72 से 499 सवारी डिब्बों का निर्यात किया है।

फिलहाल, आईसीएफ के पास श्रीलंका को निर्यात किए जाने के लिए डीजल–इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट टाइप के 90 सवारी डिब्बों के आदेश हैं। इस संविदा को मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा परिचालित किया जा रहा है।

पीएमईवाईएसए

1288. **श्रीमती अन्नू टंडन** : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष आरंभ किया गया पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएर्मवाईएसए) निर्वाचित महिला जन–प्रतिनिधि (ईडल्यूआर) तथा निर्वाचित युवा जनप्रतिनिधि (ईवाईआर) को सशक्त करने के अपने उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है; और

(ख) पीएमईवाईएसए के तहत आपस में जोड़े गए ईडब्ल्यूआर और ईवाईआर का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए) वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। इस योजना के दो अंग हैं, नामतः पंचायत महिला शक्ति अभियान और पंचायत युवा शक्ति अभियान। पीएमईवाईएसए का लक्ष्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एक नेटवर्क में संगठित करना और सामूहिक कार्यों द्वारा उन्हें सशक्त बनाना है जिससे कि स्थानीय शासन के मुद्दों में उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व में वृद्धि हो। निर्वाचित महिला प्रतिनधियों से उम्मीद की जाती कि वे स्वयं को अपनी समस्याएं महिला पंचायत नेत्री के रूप में रखने योग्य बनें और अपने सशक्तीकरण के लिए संस्थागत तंत्र के विषय में चर्चा कर सकें और महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों में आत्मविश्वास और क्षमता का निर्माण कर सकें जिससे कि वे उन संस्थागत, सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को दूर कर सके जो कि ग्रामीण स्थानीय स्व–शासन में उनकी सक्रीय भागीदारी में बाधक हैं और नीति की मुख्य धारा में लाए जा सकने वाले मुद्दे और उनके समर्थक तर्क सामने रख सकें जिससे कि राज्य और तीन स्तरीय पंचायती राज संस्था प्रणाली द्वारा अपनाई गई विकास प्रक्रिया के माध्यम से उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके। पीएमईवाईएसए के अधीन चलाए जाने वाले कार्यकलापों में राज्य सम्मेलनों का आयोजन, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के मंडलीय/जिला–स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन करना, एसोसिएशन बनाना, राज्य सहायता केंद्रों की स्थापना करना, और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों तथा निर्वाचित युवा प्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम चलाना शमिल है। यद्यपि, इस योजना में किया जाने वाला खर्च बहुत ही कम है, तथापि निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के मामले में इसका कुछ प्रभाव अवश्य है।

(ख) इस योजना के तहत तेईस राज्यों ने मुख्य समितियों का गठन कर लिया है और राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्यों/संघ क्षेत्रों में 10 राज्य सहायता केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है जो कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और निर्वाचित युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी के संबंध में ज्ञान और सूचना के एक भंडार के रूप में कार्य करते हैं। प्रशिक्षण संवेदी कार्यक्रम 11 राज्यों/संघ क्षेत्रों में आयोजित किए जा चुके हैं। ये हैं : आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, केरल, असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम। छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान था निकोबार द्वीप समूह नामक 15 राज्य/संघ क्षेत्र में प्रभागीय स्तर के 68 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गोवा और सिक्किम में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों/निर्वाचित युवा प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय एसोसिएशन बना ली गई है। पीएमईवाईएसए के अंतर्गत एक–दूसरे से जुड़ने वाले और संबंध रखने वाले निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों तथा निर्वाचित युवा प्रतिनिधियों की ठीक–ठीक संख्या संकलित कर पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी

1289. **श्री राम सिंह कास्वां** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जनजातीय और गैर–जनजातीय ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी के प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितनी महिलाओं को रोजगार दिया गया;

(घ) क्या चालू और आगामी तीन वर्षों में ऐसी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में जनजातीय एवं गैर–जनजातीय ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी के प्रतिशत के बारे मे कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) और स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) नामक दो रोजगार सृजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें देश की ग्रामीण महिलाओं के कवरेज के लिए विशेष प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा तथा एसजीएसवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जिन महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया, उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

विवरण–I

महात्मा गांधी नरेगा के तहत महिला श्रम दिवस रोजगार की संख्या

क्र.सं.	राज्य	महिला श्रमदिवस लाख में			
		2007–08	2008–09	2009–10	2010–11★
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1160.86	1590.78	2349.60	1569.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.83	9.14	2.92	0.00
3.	असम	150.43	204.02	203.03	62.02
4.	बिहार	233.3	297.75	341.48	131.21
5.	छत्तीसगढ़	553.42	589.69	512.52	354.13
6.	गुजरात	41.92	91.24	278.19	155.77
7.	हरियाणा	12.31	21.18	20.55	16.49
8.	हिमाचल प्रदेश	29.36	80.09	131.32	75.03
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.3	4.54	8.58	2.00
10.	झारखंड	203.12	213.81	28.53	193.29
11.	कर्नाटक	99.42	145.03	737.07	197.60
12.	केरल	43.37	130.70	299.61	267.51

1	2	3	4	5	6
13.	मध्य प्रदेश	1147.24	1275.39	1160.54	479.84
14.	महाराष्ट्र	73.93	194.06	108.80	63.87
15.	मणिपुर	15.85	131.16	146.89	4.04
16.	मेघालय	12.76	35.69	70.08	26.24
17.	मिजोरम	10.6	46.03	59.60	10.46
18.	नागालैंड	7.08	74.40	123.74	36.99
19.	उड़ीसा	147.48	162.58	200.84	276.25
20.	पंजाब	3.12	9.82	20.26	20.33
21.	राजस्थान	1158.01	3241.04	3008.86	1367.97
22.	सिक्किम	3.16	9.92	22.17	7.27
23.	तमिलनाडु	529.14	958.87	1982.09	1752.43
24.	त्रिपुरा	80.59	179.11	189.12	101.82
25.	उत्तर प्रदेश	198.03	411.46	771.34	271.54
26.	उत्तरांचल	34.36	38.46	73.46	41.17
27.	पं. बंगाल	164.63	208.66	518.62	314.90
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह		0.39	2.62	0.17
29.	दादरा व नगर हवेली		0.38	0.61	0.00
30.	दमन व दीव		0.00	0.00	0.00
31.	गोवा		0.00	1.16	1.63
32.	लक्षद्वीप		0.74	0.53	0.21
33.	पुडुचेरी		1.10	5.76	8.27
34.	चंडीगढ़		0.00	0.00	0.00
	कुल	6114.62	10357.27	13640.49	7809.93

★ जनवरी, 2011 तक

विवरण–II

वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान एसजीएसवाई के तहत सहायता–प्राप्त महिला स्वरोजगारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11★
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	207466	188626	294379	68928
2.	अरुणाचल प्रदेश	816	435	791	217
3.	असम	66078	84393	98909	59098
4.	बिहार	47228	71833	99974	85643
5.	छत्तीसगढ़	22268	25403	34165	24390
6.	गोवा	569	618	839	385
7.	गुजरात	14593	19549	22938	18467
8.	हरियाणा	13104	15419	19020	14863
9.	हिमाचल प्रदेश	4926	7661	7941	5376
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2761	3727	3516	764
11.	झारखंड	35711	57230	84346	72359
12.	कर्नाटक	80883	84663	85899	58253
13.	केरल	29375	31985	37563	27121
14.	मध्य प्रदेश	35876	50664	46869	32902
15.	महाराष्ट्र	100712	122611	130508	88534
16.	मणिपुर	2663	2438	2976	743
17.	मेघालय	1888	957	1934	2978
18.	मिजोरम	38089	6810	6873	1341
19.	नागालैंड	978	1848	2019	2628
20.	उड़ीसा	77972	95643	113335	74865
21.	पंजाब	10214	7943	7602	6209
22.	राजस्थान	24187	37970	42678	28051

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	1111	1123	986	920
24.	तमिलनाडु	146206	102128	100652	103141
25.	त्रिपुरा	8299	14034	17650	28383
26.	उत्तर प्रदेश	107056	117137	165613	124383
27.	उत्तरांचल	7035	9385	10499	8431
28.	पं. बंगाल	28864	42880	58448	45291
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	106	141	253	119
30.	दादरा व नगर हवेली				
31.	दमन व दीव		2		
32..	लक्षद्वीप	65		7	
33.	पुडुचेरी	1987	1257	3103	1598
	कुल	1083905	1206513	1502285	986381

★ जनवरी, 2011 तक

[अनुवाद]

आरसीएफ स्टाफ

1290. डॉ. रतन सिंह अजनाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कपूरथला (पंजाब) स्थित रेल डिब्बा कारखाने में कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई;

(ख) स्वीकृत/तैनात स्टाफ की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ग) भर्ती किए गए कितने व्यक्तियों की भूमि का उक्त कारखाने के लिए अधिग्रहण किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) विगत तीन वर्षों (1.1.2008 से 31.12.2010 तक) के दौरान, समूह 'ग' और 'घ' में कुल 818 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।

(ख) 31.12.2010 को समूह 'ग' और 'घ' कार्मिकों की स्वीकृत और ऑन–रोल संख्या क्रमशः 8110 और 7605 है।

(ग) 566 व्यक्तियों को जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उन्हें रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला में रोजगार प्रदान किया गया था।

अनुसंधान और विकास केंद्र

1291. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व में शीर्षस्थ मशीन औजार विनिर्माता राष्ट्रों में शामिल होने के लिए कोई कार्यनीतिक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सात स्वचालित परीक्षण और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार ने रुग्ण और घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों की पहचान करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

देश में अत्याधुनिक होमोलोगेशन, परीक्षण, वैलिडेशन और अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना का सृजन करने के लिए वर्ष 2005 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय मोटरवाहन परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास परियोजना (नैट्रिप) मंजूर की गई। इस परियोजना में देश के सात स्थानों मानेसर, चेन्नई, पुणे, अहमदनगर, इंदौर, सिल्चर तथा राय बरेली में 1718 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इस परियोजना को लागू करने के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) की स्थापना की गई है। परियोजना के सुचारु और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में नैटिस की गवर्निंग परिषद गठित की गई है। आज की स्थिति के अनुसार, नैटिस को योजना अनुदान के रूप में 815 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है जिसमें से 795 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुरूप है।

विवरण

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल)

लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (वीआरपीएसी) की सिफारिशापें के अनुसार विभाग ने एचसीएल के उत्पादों के साथ समरूपता वाले बीएसएनएल, एमटीएनएल और रेलवे सहित सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को एचसीएल के साथ समग्र रूप से अथवा इकाईवार संयुक्त उद्यम (जेवी) के लिए पत्र लिखा था, किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात एचसीएल के साथ संभावित संयुक्त उद्यम भागीदारी के लिए सरकारी क्षेत्र के इच्छुक उपक्रमों से विज्ञापन के माध्यम से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई। मैसर्स रेलटेल, रेल मंत्रालय के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने एचसीएल की इकाई नैनी में पहे इच्छा दर्शायी थी, किंतु विस्तृत जांच के पश्चात प्रचालन सिनर्जी के कारण रेल मंत्रालय ने संयुक्त उद्यम में भागीदारी की अपनी असमर्थता दर्शाई थी। एचसीएल की हैदराबाद इकाई के साथ संयुक्त उद्यम के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा बनाया संशोधित प्रस्ताव वर्तमान में जांच के अधीन है।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

दिनांक 01.07.2007 को पुनरुद्धार योजना अनुमोदित करते समय, पुनरुद्धार को बनाए रखने के लिए आर्थिक कार्य से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने संयुक्त उद्यम गठन के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया। अनुवर्ती कार्रवाई के अनुसार मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया और टिप्पणियों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया। प्राप्त टिप्पणियों को समेकित कर लिया गया है और मंत्रिमंडल नोट को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड

3 नवम्बर, 2005 को एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड की पुनरुद्धार योजना को अनुमोदित करते समय सीसीईए ने एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड के लिए स्ट्रेटजिक भागीदारी का पता लगाने के भी निदेश दिए थे। सीसीईए के निदेश के अनुपालन में दिनांक 23.07.2009 को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया और स्ट्रेटजिक भागीदार का पता लगाने के लिए अधिकांश विनिवेश (74 प्रतिशत तक) हेतु संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक संकल्प संसद के बजट सत्र 2010, मानसून सत्र 2010 और शीतकालीन सत्र 2010 में प्रस्तुत किया गया, किंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में संकल्प को शामिल नहीं किया गया। हालांकि बजट सत्र 2011 में संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी, परंतु एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड में 100 प्रतिशत विनिवेश के अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल)

दिनांक 06.06.2003 के आदेश में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है। बंद करने अथवा कोई अन्य निर्णय के लिए मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। मामला न्यायालय में लंबित है। इसी बीच सरकारी क्षेत्र के इच्छुक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए दिनांक 02.02.2009 को प्रमुख

समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तथापि, अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मामले को विधि कार्य मंत्रालय के साथ उठाया गया है, जिनकी इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं है, क्योंकि मामला न्यायाधीन है। कारोबार योजना पर प्रस्तुतीकरण को स्थगित कर दिया गया है। टीएसएल को विभिन्न विकल्पों का पता लगाने का अनुरोध किया गया है अर्थात ''जहां है जैसा है'' के आधार पर प्रचालन को बनाए रखना, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के लिए डिब्बाबंद जल में विविधीकरण, पेपर उद्योग में संपूर्ण विविधीकरण, भारत पम्पस एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ विलय आदि। कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एक रूपरेखा बनाई जा रही हैं। हाल में, टीएसएल के अधिग्रहण के लिए मामले को स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के साथ उठाया गया है।

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड (टीएसपीएल)

टीएसपीएल एक रुग्ण और बीआईएफआर को सौंपी गई कंपनी है तथा इसका पुनरुद्धार प्रक्रियाधीन है। संयुक्त उद्यम के संबंध में सरकारी क्षेत्र के इच्छुक उपक्रमों से ईओआई आमंत्रित करने के लिए दिनांक 09.07.2009 को समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। टीएसपीएल के अधिग्रहण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। किंतु मामले में किसी भी प्रकार का समाधान नही निकला। बीआईएफआर ने निजी पार्टियों से हितों की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के लिए आदेश दिए। तद्नुसार, एसबीआई, प्रचालन एजेंसी ने संयुक्त उद्यम गठन के लिए निजी पार्टियों से ईओआई आमंत्रित करने के लिए ड्राफ्ट विज्ञापन भेजा है। इसी बीच कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) ने कंपनी के अधिग्रहण में रुचि दर्शाई है। बीएफआईआर से विज्ञापन को तीन माह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। मामले को निपटाया जा रहा है। केआईओसीएल ने अब इस प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ने में अपनी असमर्थता दर्शाई है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी) ने भी रुचि दर्शाई है। एनएमडीसी को अपने प्रस्ताव शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए मामले को मिधानी के साथ भी उठाया जा रहा है। एनएमडीसी से उत्तर प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

[हिन्दी]

समर्पित मालभाड़ा गलियारे के लिए जापान से सहायता

1292. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान, मुंबई से दिल्ली तक समर्पित मालभाड़ा गलियारे (डीएफसी) के दूसरे चरण के लिए भारत को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों राष्ट्रों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त समझौते में दादरी और रेवाड़ी तथा वड़ोदरा और महाराष्ट्र के बीच परियोजनाओं के लिए ऋण का कोई प्रावधान भी शामिल है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए), पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा के चरण–II (डीएफसी) (जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट–वडोदरा एवं रेवाड़ी–दादरी) के वित्तपोषण पर विचार कर रही है। 26.07.2010 को जेआईसीए के साथ 1.6 बिलियन जापानी येन (लगभग 80 करोड़ रुपए) हेतु इस चरण के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस चरण के लिए जेआईसीए ने एक पर्यावरणीय और सामाजिक अध्ययन को शुरू किया है जो कि मुख्य ऋण समझौते को अंतिम रूप देने के एक पूर्व निर्धारित शर्त है जिसे 2011 के मध्य में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

जाली टिकटें

1293. श्री रवींद्र कुमार पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक रेलवे जोन में रेल आरक्षण कार्यालय के बुकिंग काउंटरों पर अवैध और जाली रेल आरक्षण टिकटों की

बिक्री को रोकने के लिए रेलवे द्वारा गठित जांच समितियों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस गतिविधि में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(ख) क्या दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी मौजूदा कानून प्रभावी नहीं है जिसके कारण देश में अवैध गतिविधियों और आरक्षण टिकटों की कालाबाजारी तथा रेल टिकट के आरक्षण के लिए वीआईपी और आपात कोटे के दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) रेलवे आरक्षण कार्यालयों के बुकिंग काउंटरों से अवैध और जाली आरक्षण टिकटों की बिक्री होने से संबंधित कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसलिए कोई जांच समिति गठित नीं की गई। बहरहाल, रेलवे द्वारा आरक्षण संबंधी कदाचार में लिप्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए नियमित रूप से निवारक जांचें की जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिद्धपुर में ट्रेनों का ठहराव

1294. श्री जगदीश ठाकोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के पाटन जिले में सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव उपलब्ध कराने की मांग रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं। फिलहाल सिद्धपुर स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराव मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महासर्वेक्षक का रिक्त पद

1295. श्री सुदर्शन भगत : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग में महासर्वेक्षक का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रिक्त पद को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं। महासर्वेक्षक का पद 25 अगस्त, 2010 से भर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

पंचायत प्रशिक्षण केंद्र

1296. श्री महेश जोशी : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में नए पंचायत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देखमुख) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (क्षमता निर्माण घटक) और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) के अधीन, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार ब्लॉक पंचायत स्तर पर संसाधन केंद्र विभिन्न राज्यों के लिए अनुमोदित कर दिए गए हैं। प्रस्ताव है कि इन संसाधन केंद्रों को प्रशिक्षण कार्य के लिए भी प्रयोग किया जाए। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में राज्यों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान/संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए भी आरजीएसवाई के अधीन धन उपलब्ध कराया गया है। राज्यवार संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के क्षमता निर्माण घटक और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण घटक के अधीन गत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को निर्गत धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण–I

बीआरजीएफ और आरजीएसवाई के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत ब्लॉक और अन्य स्तरों के लिए स्वीकृत किए गए संसाधन केंद्रों के ब्यौरे

क्रमांक	राज्य	अनुमोदित ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरजीएफ)	अनुमोदित किए गए क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/ ग्राम पंचायत संसाधन केंद्र (आरजीएसवाई)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	656	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	75
3.	असम	87	1
4.	बिहार	–	–
5.	छत्तीसगढ़	30	–
6.	गुजरात	48	–
7.	हरियाणा	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	13	113
9.	जम्मू एवं कश्मीर	25	–
10.	झारखंड	69	–
11.	कर्नाटक	32	–
12.	केरल	16	–
13.	मध्य प्रदेश	189	–
14.	महाराष्ट्र	126	–
15.	मणिपुर	9	–
16.	मेघालय	15	–
17.	मिजोरम	6	–
18.	नागालैंड	16	–
19.	उड़ीसा	314	–
20.	पंजाब	–	–
21.	राजस्थान	83	–
22.	सिक्किम	5	–
23.	तमिलनाडु	90	–
24.	त्रिपुरा	23	2
25.	उत्तर प्रदेश	388	–
26.	उत्तराखंड	3	–
27.	पश्चिम बंगाल	–	–
	कुल योग	2243	191

विवरण–II

वर्ष 2007–08 से 2009–2010 के दौर बी आरजीएफ (क्षमता निर्माण घटक) और आरजीएसवाई (प्रशिक्षण घटक) के अधीन राज्यों को निधियों की निर्मुक्ति

वर्ष		2007–08		2008–09		2009–2010	
क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधि		जारी की गई निधि		जारी की गई निधि	
		बीआरजीएफ	आरजीएसवाई	बीआरजीएफ	आरजीएसवाई	बीआरजीएफ	आरजीएसवाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	13.00	0.82	–	4.00	22.11	6.22
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	6.00	2.90	–

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	–	3.26	–	5.64	–	2.37
5.	बिहार	–	–	–	–	25.78	3.28
6.	छत्तीसगढ़	–	–	13.00	–	8.46	1.92
7.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
8.	दमण एवं दीव	–	–	–	–	–	–
9.	गुजरात	–	3.95	6.04	–	5.47	–
10.	गोवा	–	0.34	–	–	–	–
11.	हरियाणा	–	0.07	3.23	0.95	–	–
12.	हिमाचल प्रदेश	2.00	2.52	1.96	6.78	1.76	4.89
13.	झारखंड	21.00	–	–	–	–	0.16
14.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	9.00	–
15.	कर्नाटक	10.00	–	–	–	8.39	2.39
16.	केरल	2.00	0.58	–	0.59	2.00	0.59
17.	मध्य प्रदेश	24.00	0.62	24.00	11.31	5.66	–
18.	महाराष्ट्र	–	–	29.80	3.55	–	3.39
19.	मणिपुर	–	0.40	4.60	0.40	–	2.10
20.	मेघालय	–	–	3.93	–	2.35	–
21.	मिजोरम	–	–	2.00	–	2.00	–
22.	नागालैंड	–	–	3.00	–	6.00	–
23.	उड़ीसा	19.00	3.14	–	–	23.27	–
24.	पंजाब	–	4.43	–	–	1.00	–
25.	राजस्थान	–	2.57	–	–	32.08	–
26.	सिक्किम	–	–	1.00	–	–	–
27.	तमिलनाडु	–	2.36	16.32	–	–	2.36
28.	त्रिपुरा	–	–	0.83	3.95	0.88	0.82

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	उत्तर प्रदेश	25.30	–	–	–	20.26	0.94
30.	उत्तराखंड	–	–	9.00	–	–	2.07
31.	पश्चिम बंगाल	5.02	3.21	16.97	1.59	10.52	1.90
	कुल	121.32	28.27	135.70	44.76	190.00	35.39

नोट–संसाधन केंद्रों के विकास और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण आदि सहित क्षमता निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

योजनाओं की समीक्षा

1297. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
श्री जयंत चौधरी :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) देश के प्रत्येक राज्य में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान राशि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) क्या सरकार राज्यों में अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) पिछड़े जिलों के रूप में अभिचिह्नित 250 जिलों की पंचायतों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों सहित वहां की स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के विकास अनुदान घटक के रूप में धन उपलब्ध कराता है। गत तीन वर्षों के दौरान निर्गत राशि निम्नलिखित है :

वर्ष 2007–08 : रु. 2521.67 करोड़

वर्ष 2008–09 : रु. 2893.55 करोड़

वर्ष 2009–10 : रु. 3344.33 करोड़

(ख) बीआरजीएफ के अधीन चुने हुए जिलों से वे समेकित जिला योजनाएं भेजने की अपेक्षा की जाती है जिन्हें स्थानीय संस्थाओं द्वारा भेजी गई इकाई योजनाओं के आधार पर जिला योजना समितियों द्वारा समेकित किया गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान 250 में से 242 जिलों ने अपनी जिला योजनाएं भेज दी हैं। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बीआरजीएफ के अधीन पहले निर्गत अनुदानों से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्टें तथा लेख परीक्षा रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही और धन राशि निर्गत की जाती है। उत्तराखंड (चंपावत जिले) को छोड़कर, जिसे यह अनुदान पहले नहीं मिले थे, अनुबंध में लिखे अन्य सभी राज्यों/जिलों ने निर्धारित सीमा तक ये ब्यौरे दाखिल करा दिए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों, सांवधिक पत्राचार/परामर्शिकाओं, वीडियो कांफ्रेंसों, और राज्यों में मंत्रालय अधिकारियों के दौरों आदि के जरिए की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी विभिन्न स्तरों पर प्रगति की समीक्षा करती रहती हैं।

विवरण

वर्ष 2010–11 में राज्यों/जिलों से प्राप्त जिला योजनाएं

क्रमांक	राज्य	प्राप्त जिला योजनाएं
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	5

1	2	3
4.	बिहार	36
5.	छत्तीसगढ़	13
6.	गुजरात	6
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू और कश्मीर	3
10.	झारखंड	21
11.	कर्नाटक	5
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	24
14.	महाराष्ट्र	12
15.	मणिपुर	3
16.	मेघालय	3
17.	मिजोरम	2
18.	नागालैंड	3
19.	उड़ीसा	19
20.	पंजाब	1
21.	राजस्थान	12
22.	सिक्किम	1
23.	तमिलनाडु	6
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तर प्रदेश	34
26.	उत्तराखंड	1
27.	पश्चिम बंगाल	11
	कुल	242

मदुरै और नागरकोइल के बीच रेलवे लाइन

1298. श्री मानिक टैगोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार तमिलनाडु में मदुरे और नागरकोइल के बीच दूसरी बड़ी लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक गैस का आवंटन

1299. श्री एम. बी. राजेश : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में चीमेनी विद्युत परियोजना हेतु गैस के आवंटन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उस सिफारिश की स्थिति क्या है;

(ग) कोचीन एलपीजी टर्मिनल के अंतर्गत कोयम्बटूर और मंगलौर को जोड़ने वाले गैस पाइप लाइन नेटवर्क के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस गैस पाइप लाइन को कायमकुलम से त्रिवेंद्रम तक ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) केरल सरकार ने चीमेनी विद्युत परियोजना के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन के लिए संस्तुति की है। चूंकि विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान संयंत्रों की कमी को पूरा करने के लिए मांग उपलब्ध गैस की अपेक्षा अधिक है इसलिए मंत्रियों के शक्ति प्रदत्त समूह (ईजीओएम) ने निर्णय लिया है कि केजी डी-6 गैस विद्यमान संयंत्रों

को सबसे पहले आवंटित की जाएगी और उसमें गैस का कोई आरक्षण नहीं होगा।

(ग) गेल (इंडिया) लि. कोच्चि–कूट्टानाड़–बेंगलुरू–मंगलोर गैस पाइपलाइन परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है जो कोच्चि एलएनजी टर्मिनल को बेंगलुरू और मंगलौर से बारास्ता कोयंबटूर जोड़ेगी। वर्तमान में चरण–I का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें कोच्चि शहर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कोच्चि से बेंगलुरू और मंगलौर तक पाइपलाइन चरण–II के लिए निविदा जारी करने का कार्य शुरू हो गया है।

(घ) और (ङ) गेल ने कायमकुलम से त्रिवेंद्रम तक मार्ग के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और वह इसकी व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

जैव ईंधन की खरीद

1300. **श्रीमती रमा देवी :**

राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव ईंधन पौधों की खेती के संबंध में तेल कंपनियों द्वारा किसानों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त समझौते के तहत तेल कंपनियों को कुल कितना उत्पाद प्राप्त हुआ है;

(घ) तेल कंपनियों द्वारा कितने मूल्य पर उक्त उत्पाद की खरीद की गई है; और

(ङ) तेल कंपनियों द्वारा उक्त समझौते का अनुपालन न करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) जी, नहीं। तेल विपणन कपनियों ने जैव–ईंधन पौधों की खेती के लिए किसानों के साथ किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

नई खानपान नीति

1301. **श्री गणेश सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस तथ्य की जानकारी है कि नई खानपान नीति के कार्यान्वयन से देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में विक्रेता बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विक्रेताओं के लिए वैकल्पित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अभी तक रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) लाइसेंसधारक द्वारा वेंडरों को अपनी शर्तों एवं निबंधनों पर नियुक्त किया जाता है। रेलें मौजूदा और पूर्व दोनों के साथ लाइसेंसधारकों द्वारा नियुक्त वेंडरों के साथ कोई संविदागत संबंध नहीं रखती हैं। इसके अलावा, खानपान नीति, 2010 के अनुसार, लघु इकाइयों के लिए मौजूदा परिचालित खानपान लाइसेंसों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन और सभी बकायों के भुगतान के अध्यधीन नवीकरण की अनुमति प्रदान की गई है, इससे इन वेंडरों के हितों की रक्षा करने में सहायता मिलेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन

1302. **श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल :** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौसम के रुझान में हाल में आए परिवर्तन के संबंध में कोई अध्ययन करने के लिए किसी केंद्र की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) 11वीं योजना के दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भूमंडलीय

और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन (जीआरसीसी) कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र (सीसीसीआर) की स्थापना की है।

सीसीसीआर का प्रमुख केंद्र बिंदु और उद्देश्य एक उच्च विभेदन वाली पृथ्वी प्रणाली मॉडल (ईएसएम) तैयार करना है, जो एक पूर्ण रूप से युग्मित वायुमंडल–महासागर–भूमि–जैवमंडल–हिमांकमंडल गतिकीय मॉडल है, जिसकी आवश्यकता क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के गुणारोपण और प्रक्षेपण जैसे मुद्दों पर ध्यान देने; और विभिन्न बहु–क्षेत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए विश्वसनीय सूचना प्रदान करने के लिए पड़ती है। सीसीसीआर भूमंडल उष्णन पर्यावरण में दक्षिण एशियाई मानसून प्रणाली की परिवर्तनशीलता पर विशेष जोर देते हुए क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देता है।

दोहरीकरण और विद्युतीरण कार्य

1303. श्री एल. राजगोपाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अलग–अलग शुरू किए गए दोहरीकरण और विद्युतीकरण सर्वेक्षण का वर्षवार, जोन–वार और आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में पृथक रूप से घोषित, शुरू किए गए और पूरे किए गए दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्यों का वर्ष–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में पी.सी.पी.आई.आर. की स्वीकृति

1304.श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात रारकार द्वारा सिफारिश किए गए पेट्रोलियम, रसायन तथा पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) को स्वीकृति प्रदान किए जाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) गुजरात में पीसीपीआईआर को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 27.02.2009 को अनुमोदित किया गया था। गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर 07.01.2010 को हस्ताक्षर किया गया था।

(ख) गुजरात के पीसीपीआईआर में दीर्घ सगर्भतावधि वाली पूंजी एवं प्रौद्योगिकी उन्मुख परियोजनाएं हैं और इनके 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध रूप से पूरा होने की संभावना है।

स्काई बस मेट्रो

1305. डॉ. पद्म सिंह बाजीराव पाटील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्काई बस मेट्रो शहरी परिवहन प्रणाली के एलिवेटिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की व्यावसायिक अर्थक्षमता के मामले को कोंकण रेलवे के साथ दुबारा उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) ने विश्वव्यापी बोली के माध्यम से पहले हे "विश्वव्यापी अभिरूचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की है और प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गरीब रथ और दुरांतों ट्रेनें

1306. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार नई दिल्ली और असम के बीच कुछ और गरीब रथ तथा दुरांतों ट्रेनों को चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) गरीब रथ और दूरांतों गाड़ियों सहित नई गाड़ी सेवा को शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी मांग आदि पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा

1307. श्री धर्मेन्द्र यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती ऐसे रेलवे स्टेशनों द्वारा यात्री भार को संभालने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इन रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनानी करने तथा प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर त्रुटिपूर्ण उपकरण के कारण डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर खराब पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस द्वारा सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया जाता है।

समय-समय पर सुरक्षा आवश्यकताओं को आंका जाता है और अपेक्षित कदम उठाए जाते हैं। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए है:

(i) रेल सुरक्षा बल में 5134 नए पदों को स्वीकृत किया गया है।

(ii) रेल सुरक्षा बल में 3789 और पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

(iii) सुरक्षा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए देश के 202 संवेदनशील स्टेशनों पर एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली क्रियान्वयन के अंतिम चरण में है।

(iv) एक अखिल भारतीय सुरक्षा हेल्प लाइन को स्थापित किया जा रहा है जिससे यात्री, रेल परिसरों और रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी सहायता के लिए देश के किसी भी हिस्से में किसी भी समय संपर्क बना सकते हैं।

(v) सूचना के तीव्र संप्रेषण और अपराध संबंधी आंकड़ों के लिए सुरक्षा नियंत्रण कक्षों और महत्त्वपूर्ण रेल सुरक्षा बल चौकियों की नेटवर्किंग की जा रही है।

(vi) महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल की 4 महिला वाहिनियों का गठन किया गया है और इस तरह की 8 और वाहिनियां गठन की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जब कभी भी सुरक्षा संबंधी उपकरण खराब हो जाते हैं अथवा दोष आ जाता है तो तदनुसार, उन्हें मरम्मत/बदलने के प्रबंध किए जाते हैं।

[अनुवाद]

वनांचल-उत्तरबंग ट्रेन भिड़ंत

1308. श्री प्रदीप माझी :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल संरक्षा आयुक्त ने वनांचल-उत्तरबंग एक्सप्रेस भिड़ंत घटना के अनंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घटना के लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्ति के खिलाफ रेलवे द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वी सर्कल के अनंतिम निष्कर्ष के अनुसार यह पाया गया है कि दुर्घटना में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की निष्क्रियता के साथ-साथ षड्यंत्र का मामला भी लगता है क्योंकि रेलगाड़ी का कुछ मिनट पहले ठहराव था।

(ग) रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वी सर्कल की अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध, यदि कोई हो, कार्यवाही रेल संरक्षा आयुक्त और सीआईडी/पश्चिम बंगाल की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी।

(घ) भारतीय रेल द्वारा संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और संरक्षा को बढ़ाने के लिए रेलों द्वारा सतत आधार पर सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर प्रतिस्थापन, रेलपथ, चल स्टॉक, गिनल एवं अंतर्पाशन प्रणाली के उन्नयन एवं अनुरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीक अपनाना, संरक्षा अभियान, अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल देना, संरक्षा कार्यविधियों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों पर नजर रखना और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर जांच पर जोर दिया गया है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आरंभ किए जाने वाले संरक्षा उपकरण में टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी), गाड़ी सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस), ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर (बीपीएसी), सहायक चेतावनी प्रणाली (एडब्ल्यूएस), एलईडी सिगनल और सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) आदि का प्रावधान शामिल है। अब एसीडी को 4 और क्षेत्रीय रेलों पर विस्तारित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह 17 क्षेत्रीय रेलों में से 8 में परिचालित हो जाएगा।

बहरहाल, इस प्रकार की टक्कर के लिए, जैसी कि सैंथिया में हुई थी, इसकी पुनरावृत्ति रोके जाने के लिए आवश्यक कदमों पर केवल अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही विचार किया जाएगा।

मालभाड़ा संपृक्तता

1309. श्री आनंद प्रकाश परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देशभर में कोयला उत्पादक क्षेत्रों और विद्युत स्टेशनों के बीच मालभाड़ा संपृक्तता को तर्कसंगत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार मालभाड़ा परिवहन में सुधार के उद्देश्य से मालभाड़ा परिवहन से अर्जित राजस्व की मालभाड़ा और यात्री यातायात के बीच हिस्सेदारी को तर्कसंगत बनाने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों से पावर यूटिलिटीज तक लिंक मुहैया कराया जाता है। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अनुसार एफएसए (ईंधन आपूर्ति समझौता) पर कोयला कंपनियों और पावर यूटिलिटीज के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। इस एफएसए को यौक्तीकरण कोयला मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा सहायता की जा रही है और इसके लिए कोयला मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) माल यातायात और यात्री किरायों को निर्धारित करने में वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अलावा सामाजिक सेवा संबंधी उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखा जाता है।

राज्यस्तर पर निगरानी

1310. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और राज्यों में अन्य संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों हेतु निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों विशेषकर पंजाब के संबंध में ऐसे निगरानीकर्ताओं के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) एमजीएनआरईजीएस के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की जानकारी में किस प्रकार की अनियमितताएं आई हैं; और

(घ) खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी एनआरईजीएस सहित मंत्रालय के कार्यक्रमों की निगरानी के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान देश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) तैनात किया।

(ख) एनएलएम की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति एवं प्रभावकारिता राज्य दर राज्य और जिला दर जिला बदलती है। राज्यों और जिलों के भीतर भी विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न गति एवं प्रभावकारिता से कार्यान्वयन किए जाते हैं। पंजाब के मामले में निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

1. महात्मा गांधी एनआरईजीएस के अंतर्गत अधिकांश गांवों में अभिलेखों का अनुरक्षण संतोषजनक पाया गया और जॉब कार्ड अद्यतन पाए गए। अधिकांश गांवों में मजदूरी का भुगतान बैंकों के जरिए किया जाता है। कुछ गांवों में मजदूरी के भुगतान में देरी हुई।

2. रोजगार चाहने वाले अधिकांश व्यक्ति महात्मा गांधी एनआरईजीए अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों और हकदारी से अवगत नहीं है।

3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों को ग्राम पंचायतों से आवश्यक सहायता नहीं दी जाती है एवं कुछ लोगों को पर्याप्त कौशल उन्नयन/प्रशिक्षण दिया गया है।

4. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए अधिकांश गांवों में स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिया गया है। आईएवाई मकानों के निर्माण की गुणवत्ता अच्छी बताई गई।

5. अधिकांश गांवों में सभी पात्र बीपीएल व्यक्तियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। अधिकांश गांवों में पेंशन की राशि वितरित की गई। अधिकांश लाभार्थी ने पेंशन प्राप्ति में निरंतर विलंब की शिकायत की है।

6. ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत संस्थागत कवरेज की स्थिति संतोषजनक पाई गई। अधिकांश विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुविधा है।

(ग) महात्मा गांधी एनआरईजीएस के कार्यान्वयन में अनियमितताएं जिन्हें भारत सरकार के ध्यान में लाई गई हैं, मैं निम्नलिखित शामिल हैं :

निधियों को दुर्विनियोग/अन्यत्र उपयोग, मस्टररोलों/जॉब कार्डों की जालसाजी, मजदूरी का काम/विलंबित भुगतान, मशीनों का उपयोग, ठेकेदारों को कार्य पर लगाना, मांग पर कार्य उपलब्ध न कराए जाने, सरपंचों द्वारा जॉब कार्ड रख लिए जाने से संबंधित है।

(घ) चूंकि महात्मा गांधी एनआरईजीएस अधिनियम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए मंत्रालय को मिली सभी शिकायतें विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को भेज दी जाती हैं। गंभीर स्वरूप की शिकायतों के मामले में मंत्रालय शिकायतों की जांच करने के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता प्रतिनियुक्ति करता है। एनएलएम की रिपोर्ट की जानकारी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को दी जाती है। विभिन्न राज्यों में कुल 30 प्राथमिकी दर्ज की गई है। महात्मा गांधी एनआरईजीएस के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए अन्य उपायों में शामिल हैं :

1. जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मांगे गए तथा आबंटित किए रोजगार, कार्यदिवसों की संख्या, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गई निधियां, सामाजिक लेखा–परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायत दर्ज करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जागरूकता पैदा करने से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी पर आधारित एमआईएस शुरू की गई है।

2. मजदूरी संवितरण में पारदर्शिता लाने के लिए महात्मा गांधी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कामगारों को उनके बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किए जाने को अनिवार्य बना दिया गया है।

3. बायोमीट्रिक आधारित आईसीटी समर्थित प्रणाली शुरू करना जिससे फर्जी उपस्थिति तथा झूठे भुगतान को रोकने के लिए मनरेगा कामगारों की उपस्थिति तथा भुगतान के सही समय का पता चलेगा।

4. तिमाही आधार पर आयोजित की जाने वाली निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों में कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा की जाती है। राज्य विशिष्ट समीक्षाएं भी की जाती हैं।

5. राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं तथा प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा स्वतंत्र निगरानी तथा जांच।

6. केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्यों द्वारा दौरा।

7. राज्य तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां बनाई गई हैं।

रेल परियोजनाएं

1311. श्री के. सुगुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रेलवे के अनुरोध पर कुछ सिविल कार्य/परियोजनाएं स्वीकृत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले दो वर्षों के 22 नई लाइनें, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियाजनाएं योजना आयोग द्वारा ''सैद्धांतिक अनुमोदन'' के लिए स्वीकार कर ली गई थीं।

चल न्यायालय

1312. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल न्यायालय शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चल न्यायालयों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है। अधिनियम 2 अक्टूबर, 2009 से प्रवृत्त हो गया है। अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, यह राज्य सरकारों के लिए है कि वे संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् ग्राम न्यायालयों की स्थापना करें। अधिनियम की धारा 9 के निबंधनानुसार ग्राम न्यायालय चल न्यायालयों के रूप में कार्य कर सकेंगे। राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, अभी तक 144 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 47 ग्राम न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया।

[हिन्दी]

उत्तर–पूर्व में नई रेल लाइन

1313. श्री रमाशंकर राजभर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर–पूर्व रेल के अंतर्गत दोहरीघाट होकर बरहज बाजार से फैजाबाद को नई रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। दोहरीघाट के रास्ता बरहज बाजार–फैजाबाद नई लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण 2006–07 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 194 कि.मी. लंबी इस लाइन की निर्माण लागत 782 करोड़ रु. आंकी गई है। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण इस कार्य को शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मदरसों से शैक्षणिक योग्यता की मान्यता

1314. **श्री अनंत कुमार** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की शिकायतों को देखने के लिए किन्हीं पेशवरों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में योग्यता हेतु मदरसों से प्राप्त शैक्षणिक योग्यता को मान्यता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो अल्पसंख्यक समुदायों के बीच रोजगार तथा शैक्षणिक स्थिति के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, जिसे भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के संबंध में रिपोर्ट तैयार करनी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रस्तुत कर दी थी। सच्चर समिति की रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) मदरसा बोर्डों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा अपने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शैक्षिक योग्यताओं के समकक्ष माना गया है। मदरसा बोर्डों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को अब रोजगार और उच्चतर शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजन से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, काउंसिल ऑफ बोर्ड स्कूल एजुकेशन तथा अन्य स्कूल परीक्षा बोर्डों के प्रमाण-पत्रों के समकक्ष मान लिया गया है। इस आशय की अधिसूचना केंद्र सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 23.10.2010 को जारी कर दी गई है।

पाटन को रेलगाड़ी सेवाएं

1315. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-पाटन-अहमदाबाद डेमू रेलगाड़ी की सेवा का 31 दिसंबर, 2011 तक विस्तार करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या रेलवे का विचार उक्त रेलगाड़ी को नियमित आधार पर चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय अहमदाबाद-पाटन-अहमदाबाद डेमू स्पेशल की सेवा को 31.03.2011 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) रेलवे बजट 2011-12 में अहमदाबाद-पाटन के बीच एक नई डेमू सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक ऋण

1316. **श्री रमेश बैस** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार व्यय की जाने वाली राशियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीन जैन) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं

के लिए विश्व बैंक के साथ 14.1.2011 को 1.5 बिलियन यू.एस. डॉलर का ऋण करार और वित्तीय करार संपन्न हुआ था।

परियोजनाएं दो घटकों से बनाई गई हैं, जो कि निम्नानुसार हैं :

घटक 'क'–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम वित्तपोषण (1440 मिलियन यू. एस. डॉलर)–यह सात सहभागी राज्यों में सिविल कार्यों पर हुए व्यय को वित्तपोषित करने में अंशदान करता है। 1,706 बिलियन यू. एस. डॉलर की कुल लागत से 24,174 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाना है और कुल 8263 बसावटें कवर की जानी हैं।

घटक 'ख'–संस्थागत सुदृढ़ीकरण (60 मिलियन यू. एस. डॉलर) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सम्बद्ध एजेंसियों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए तकनीकी सहायता कार्यक्रम को सहायता देने के लिए है।

(ग) राज्यों में निधियों का आवंटन निधियों की उपलब्धता, राज्यों की कार्यान्वयन क्षमता और उसमें हुई प्रगति पर निर्भर करती है।

(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली एवं पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तराखंड), जनजातीय (अनुसूची–V) क्षेत्रों, मरुभूमि (जैसा मरुभूमि विकास कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है) क्षेत्रों और गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली सभी पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध

1317. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री मधुगौड यास्खी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ओपिनियन पोल्स तथा चुनाव के दिन प्रिंट मीडिया में आने वाले विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) व्यापक निर्वाचन सुधारों को किए जाने की दृष्टि से तारीख 1 अक्तूबर, 2010 को एक केंद्र–समिति का गठन किया गया है। समिति, अन्य बातों के साथ मतदान पूर्व सर्वेक्षणों पर प्रतिबंधों को दर्शाने से संबंधित मुद्दा और मतदान के किए जाने से पूर्व अड़तालिस घंटे की अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया में भी सुझाए गए विज्ञापनों की संवीक्षा करेगी। विधायी विभाग के संरक्षण के अधीन समिति और भारत निर्वाचन आयोग के सह–प्रयोजन से क्रमशः भोपाल, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़ और बेंगलूरू में छह प्रादेशिक परामर्श संचालित किए गए हैं, जिनमें ऐसे पणधारियों के साथ परामर्श किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ राजनैतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं, विधायकों, विधि–विद्वानों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विख्यात व्यक्तियों, सिविल सेवकों, (सेवारत और सेवानिवृत्त), छात्रों आदि से विचार एकत्रित किए गए हैं। नई दिल्ली में शीघ्र ही एक राष्ट्रीय परामर्श भी आयोजित किया जाना है। परामर्शों में प्राप्त की जाने वाली ऐसी जानकारी के आधार पर/जो इन सभी परामर्शों में प्राप्त की जा सके, सरकार द्वारा सम्यक् अनुक्रम में आवश्यक समझे जाने वाली विधायी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। विषय की जटिलता को ध्यान में रखते हुए इस बाबत कोई निश्चित समय–सीमा अधिकथित करना संभव नहीं है।

अधीनस्थ/त्वरित न्यायालय

1318. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कुल कितने अधीनस्थ/त्वरित न्यायालय हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इन न्यायालयों द्वारा अलग–अलग कितने मामले निपटाए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को त्वरित न्यायालयों में बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अवसंरचना मांग को पूरा करने के लिए इस हेतु सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(च) सभी न्यायालयों को कब तक त्वरित न्यायालय में बदल दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त और उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर संप्रदर्शित जानकारी के अनुसार 30.06.2010 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 17090 थी, जिनमें से देश में 14020 कार्यरत थे और 1281 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1.1.2010 से 30.6.2010 की अवधि के दौरान अधीनस्थ न्यायालयों में 83,03,797 मामले निपटाए गए थे और वर्ष 2010 के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा 306228 मामले निपटाए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) 1993–94 से 2010–11 तक न्याय पालिकाओं के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को 1102.61 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोजगार दिवसों का उपयोग

1319. **श्री कमलेश पासवान** :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :
श्री नीरज शेखर :
श्री पी. लिंगम
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री एम. बी. राजेश :
श्री उमाशंकर सिंह :
श्री यशवीर सिंह :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड हेतु पंजीकृत परिवारों तथा वास्तव में प्रदान किए गए रोजगारों की संख्या के बीच व्यापक अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट राज्य–वार दिवसों का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार औसत कितने दिनों के लिए रोजगार अवसरों का उपयोग किया गया; और

(ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रोजगार के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची–II के पैरा 1 में यह व्यवस्था है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वे वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए अपने परिवार का पंजीयन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, इस अधिनियम के तहत केवल जाबकार्ड जारी कर दिए जाने से ही कोई परिवार रोजगार प्राप्त करने का हकदार नहीं हो जाता है। जाबकार्ड धारक परिवार को अधिनियम की अनुसूची–II के पैरा 9 के तहत काम के लिए आवेदन देना होता

है ताकि वह रोजगार पाने का हकदार हो सके। इसलिए रोजगार की मांग करने वाले परिवार की तुलना में रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या को देखना होता है। जाबकार्ड धारक परिवारों की संख्या तथा रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी नरेगा के तहत मांग किए जाने पर रोजगार मुहैया कराया जाता है। अधिनियम के तहत किसी परिवार द्वारा प्राप्त किए गए रोजगार दिवसों की संख्या उस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अन्य अवसरों पर निर्भर करती है। कोई भी कामगार अपने क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के किसी अन्य अवसर का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है। प्रति परिवार रोजगार दिवसों की राज्यवार औसत संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ङ) अधिनियम के तहत ग्रामीण आबादी को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने का काम गहन आईईसी क्रियाकलापों के माध्यम से शुरू किया गया है जिसमें प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया गया है।

विवरण–I

क्रम सं.	राज्य	2010–11 जनवरी,11 तक	
		जाबकार्ड जारी किए गए परिवारों की संचयी संख्या	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11685058	5916482
2.	अरुणाचल प्रदेश	35242	असूचित
3.	असम	3725226	1201993
4.	बिहार	11259302	1343864
5.	छत्तीसगढ़	4059082	2224681
6.	गुजरात	3928819	862629
7.	हरियाणा	542167	162563
8.	हिमाचल प्रदेश	1015164	348032
9.	जम्मू व कश्मीर	378649	64996
10.	झारखंड	3884766	1534316
11.	कर्नाटक	5071803	1064689
12.	केरल	2846832	97237
13.	मध्य प्रदेश	11445126	3188736
14.	महाराष्ट्र	5729133	330879
15.	मणिपुर	318390	69518
16.	मेघालय	383491	200346
17.	मिजोरम	176069	115873
18.	नागालैंड	333690	274586
19.	उड़ीसा	5948985	1645222
20.	पंजाब	797476	218172
21.	राजस्थान	9799555	4873889
22.	सिक्किम	74234	37183
23.	तमिलनाडु	7788309	5740852
24.	त्रिपुरा	590800	541631
25.	उत्तर प्रदेश	12098273	5709804
26.	उत्तरांचल	947468	335231
27.	पश्चिम बंगाल	10692165	4601546
28.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	28390	2066
29.	दादर व नगर हवेली	असूचित	असूचित

1	2	3	4
30.	दमन व द्वीव	असूचित	असूचित
31.	गोवा	13539	8239
32.	लक्षद्वीप	6176	2107
33.	पांडिचेरी	63860	37842
34.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित
	कुल	115667239	43636204

विवरण–II

क्र.सं.	राज्य	प्रति परिवार रोजगार दिवसों की संख्या		
		2007–08	2008–09	2009–10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	42	48	66
2.	अरुणाचल प्रदेश	62	43	25
3.	असम	35	40	54
4.	बिहार	22	26	28
5.	छत्तीसगढ़	58	55	51
6.	गुजरात	31	25	36
7.	हरियाणा	50	42	38
8.	हिमाचल प्रदेश	36	46	57
9.	जम्मू व कश्मीर	32	40	38
10.	झारखंड	44	48	49
11.	कर्नाटक	36	32	57
12.	केरल	33	22	34
13.	मध्य प्रदेश	63	57	56
14.	महाराष्ट्र	39	46	46
15.	मणिपुर	43	75	73
16.	मेघालय	39	38	49
17.	मिजोरम	35	73	95
18.	नागालैंड	21	68	85
19.	उड़ीसा	37	36	40
20.	पंजाब	39	27	28
21.	राजस्थान	77	76	69
22.	सिक्किम	44	51	80
23.	तमिलनाडु	52	36	55
24.	त्रिपुरा	43	64	80
25.	उत्तर प्रदेश	33	52	65
26.	उत्तरांचल	42	35	35
27.	पश्चिम बंगाल	25	26	45
28.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह		17	29
29.	दादरा व नगर हवेली		25	19
30.	दमन व द्वीव			
31.	गोवा			28
32.	लक्षद्वीप		60	27
33.	पांडिचेरी		13	22
34.	चंडीगढ़			
	कुल	42	48	54

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत महिला श्रमिक

1320. **श्री नित्यानंद प्रधान :**
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री पी. बलराम :

क्या **ग्रामीण और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेहतर कार्यनिष्पादन प्रदान करने तथा स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत क्रेच तथा अन्य लाभ तथा सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची–II के पैरा 27 में यह प्रावधान किया गया है कि कार्य स्थल पर स्वच्छ पेयजल, बच्चों के लिए विश्राम स्थल और विश्राम की अवधि और किए जा रहे कार्य से जुड़ी छोटी–मोटी चोटों तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य जोखिमों के लिए आकस्मिक उपचार हेतु पर्याप्त सामग्री युक्त फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अनुसूची के पैरा 28 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि कार्यस्थल पर काम करने वाली किसी महिला के साथ 6 वर्ष से कम आयु के पांच या उससे अधिक बच्चे हैं तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए ऐसी ही किसी एक महिला को तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी। आईसीडीएस अधिनियम के दायरे से बाहर है।

[अनुवाद]

वैधानिक सेवाओं हेतु नियामक निकाय

1321.**श्री पी. कुमार :**
श्री सी. शिवासामी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनसामान्य को गुणवत्तापूर्ण विधि सेवाएं तथा पर्याप्त शिकातय निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए विधि सेवाओं की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) जी हां, एक प्रस्ताव विचाराधीन है और पणधारियों के विचार मांग गए हैं।

केरल जाने वाली रेलगाड़ियों में अपराध

1322. **श्री एन. पीताम्बर कुरूप :**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री एंटो एंटोनी :
श्री पी. के. बिजू :
श्री पी. टी. थॉमस :
श्री के. सुधारकण :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का ध्यान फरवरी, 2011 में केरल में वल्लाठोल नगर तथा शोरावण्णूर रेलवे स्टेशनों के बीच एर्णाकुलम शोरावण्णूर सवारी रेलगाड़ी के महिला डिब्बे में हुए बलात्कार तथा हत्या के एक मामले की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केरल राज्य में गत छह माह के दौरान प्रकाश में आई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने पीड़िता के परिवार को कोई मुआवजा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे का विशेष रूप से महिला डिब्बों में सुरक्षा कार्मिकों को तैनात करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केरल जाने

वाली रेलगाड़ियों में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अन्य कौन–कौन से उपायों पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) 01.02.2011 को सुश्री सौम्या गाड़ी संख्या 56608 पैसेंजर के महिला सवारी डिब्बे में एर्णाकुलम से शोरावण्णुर तक यात्रा कर रही थी। वल्लाथोल नगर रेलवे स्टेशन पर सवारी डिब्बे में एक व्यक्ति चढ़ा। लगभग 20.30 बजे जब गाड़ी वल्लाथोल नगर और शोरावण्णूर रेलवे स्टेशन के बीच चल रही थी, उस व्यक्ति ने उन्हें गाड़ी से धक्का दिया और स्वयं भी गाड़ी से कूद गया। इसके बाद, महिला के सिर पर गहरी चोटें मारने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। सूचना मिलते ही स्थानीय चेरूथुरूथी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता को वेल्लाथोल नगर और शोरावण्णूर रेलवे स्टेशन के बीच किमी. सं. 3/600–700 पर पाया। उन्हें तत्काल ही मेडिकल कालेज अस्पताल, मुलगुन्नथुकवु, त्रिशुर पहुंचाया गया जहां 06.02.2011 को उन्होंने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इस संबंध में स्थानीय चेरूथुरूथी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/376 के अंतर्गत अपराध संख्या 41/1 के तहत एक मामला दर्ज किया, राजकीय रेल पुलिस ने एक व्यक्ति गोविंदसामी उर्फ चार्ली को हिरासत में लिया और स्थानीय पुलिस चेरूथरूथी को सौंप दिया। इस मामले को छोड़कर पिछले छः महीनों में केरल राज्य में रेल परिसर में बलात्कार और हत्या का कोई सामना रिपोर्ट नहीं किया गया।

(ग) और (घ) पीड़िता सुश्री सौम्या की मां श्रीमती सुमति को रेलवे द्वारा बढ़ी हुई अनुग्रह राशि के रूप में 3.15 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नजदीकी रिश्तेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों के मामलों में रेल दावा अधिकरण के आदेश के अनुसार मुआवजा देय है।

(ङ) और (च) अपराधों की रोकथाम, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच तथा रेलवे परिसरों के साथ–साथ चलती गाड़ियों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है. जिसे वे संबंधित राज्य सरकार की पुलिस के जरिए निभाते हैं। इस प्रकार, रेलों पर अपराध के मामलों की सूचना, उनको दर्ज करना तथा उनकी जांच राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में मार्गरक्षियों को तैनात करके रेलवे सुरक्षा बल राजकीय रेलवे पुलिस के प्रयासों में सहायता करते हैं। राजकीय रेल पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, केरल राज्य में शाम छः बजे से सुबह छः बजे तक सुभेद्य पैसेंजर गाड़ियों में रेल सुरक्षा बल मार्गरक्षण मुहैया कराया गया है। रेसुब मार्गरक्षी कर्मचारी महिला सवारी डिब्बों के साथ वाले डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं।

इसके अलावा घटनाओं को रोकने तथा गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं–

1. विभिन्न राज्यों के राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों का मार्गरक्षण करने के अलावा, रेल सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

2. एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली जिसमें सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, पहुंच नियंत्रण, तोड़–फोड़ रोधी जांचों के जरिए भेद्य स्टेशनों का इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस शामिल हैं, अनुमोदित की गई है ताकि 202 से अधिक संवेदनशील तथा भेद्य रेलवे स्टेशनों में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके।

3. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपराधों का उचित पंजीकरण तथा जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. अपराधियों द्वारा यात्रियों को लूटने के लिए अपनाई जा रही कार्य प्रणाली के बारे में यात्रियों को जागरूक बनाने के लिए प्रायः यात्री जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

5. रेल सुरक्षा बल को यात्री संबंधित अपराधों से और अधिक प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ बनाने के लिए रेल सुरक्षा बल अधिनियम में एक संशोधन करने की जांच की जा रही है।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

1323.श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

श्री तथागत सत्पथी :

श्री पी. टी. थॉमस :

श्री धर्मेन्द्र यादव :

श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के विभिन्न प्रकारों के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय से कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ङ) क्या सरकार का विचार उर्वरक क्षेत्र को विनियंत्रित करने का भी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) भारत सरकार किसानों को राजसहायता प्राप्त मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए यूरिया हेतु नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस–III) और नियंत्रणमुक्त फास्टेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति (एनबीएस) का कार्यान्वयन कर रही है। यूरिया और पीएंड के उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य फरवरी, 2002 से 31 मार्च, 2010 तक नहीं बढ़ा है। इसी दौरान मिश्रित उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों के अधिकतम खुदरा मूल्य में 18 जून, 2008 से कमी की गई है। जहां उर्वरकों और उर्वरक आदानों की लागत में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, सतत एमआरपी के कारण लागत में हुई वृद्धि को सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में वहन किया जाता है। दूसरी तरफ कृषि उत्पादों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाया जा रहा है। सामान्यतः किसानों द्वारा विभिन्न उर्वरकों के प्रदत्त अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक की कुल लागत का केवल 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक ही होता है, शेष उर्वरक कंपनियों को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए 1 अप्रैल, 2010 से सरकार ने यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य में 10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि करके रुपये 4830 प्रति मी. टन से रुपये 5310 प्रति मी. टन किया है। पीएंडके उर्वरकों और आदानों की आवश्यकता के 90 प्रतिशत को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पीएंडके उर्वरकों और उनके आदानों के मूल्य का उर्वरकों की लागत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार राजसहायता पर प्रभाव पड़ता है।

सरकार 1 अप्रैल 2010 से एनबीएस का कार्यान्वयन कर रही है। एनबीएस नीति के अंतर्गत पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी को खुला रखा गया है और इनकी घोषणा आयातकों/निर्यातकों द्वारा की जाती है। तथापि, सरकार इन उर्वरकों पर राजसहायता का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय मूल्यों और मौजूदा एमआरपी को ध्यान में रखकर इस प्रकार करती है कि इसका उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। एनबीएस नीति लागू होने के बाद कंपनियों द्वारा घोषित पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी को 31.03.2010 को मौजूदा एमआरपी पर औसत 30 रु. से 40 रु. प्रति बैग (रुपये 600 से रुपये 800 प्रति मी.टन) तक बढ़ाया गया है। एसएसपी के एमआरपी को 70 रु. प्रति बैग तक घटाया गया है। तथापि, उर्वरकों और आदानों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरकों की लागत में वृद्धि हुई है। इससे रबी 2011–12 के दौरान स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरकों के एमआरपी में मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) उर्वरकों के एमआरपी में 1.4.2010 से आठ वर्षों की अवधि जिसके दौरान उर्वरकों की लागत, मध्यवर्तियों और कच्ची सामग्री में अत्यधिक वृद्धि हुई है, के बाद मामूली वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा एमएसपी में भी ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया है। वर्तमान में किसानों को उपलब्ध कराए गए उर्वरकों की कुल लागत का 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक ही किसानों द्वारा एमआरपी के रूप में भुगतान किया जाता है। उर्वरक विभाग सभी राज्यों में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को उर्वरक उसी एमआरपी पर बेचे जा रहे हैं जो उर्वरक बैगों पर मुद्रित हैं।

(ङ) और (च) यूरिया सांविधिक मूल्य के अंतर्गत सरकार के आंशिक संचलन और वितरण नियंत्रण अधीन है। सरकार यूरिया का

एमआरपी घोषित करती है और इसे सरकार के खाते में सरणीबद्ध किया जाता है। एनबीएस नीति के अंतर्गत शामिल पीएंडके उर्वरकों को वर्ष 1992 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। तथापि, इन उर्वरकों पर राजसहायता किसानों को वहनीय मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए प्रदान की जाती है।

रसोई गैस सिलिंडरों की कमी

1324. **श्रीमती सुशीला सरोज :**
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :
श्री जितेंद्र सिंह बुन्देला :
श्री एस. एस. रामासुब्बू :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश में रसोई गैस सिलिंडरों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कई घरेलू गैस के खुदरा बिक्री केंद्र पूर्व सिलिंडर प्रदान करने के लिए 21 दिन पहले सिलिंडर के रिफिल की बुकिंग नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में रसोई गैस बिक्री केंद्र के वितरकों को कोई अनुदेश जारी किया है तथा दोषी पाए गए बिक्री केंद्रों पर कोई कार्रवाई कए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उपभोक्ताओं को हुई परेशानी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में, देश में एलपीजी की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है और ओएमसीजी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को की जाने वाली एलपीजी आपूर्तियां एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार देशी उत्पादन और आयातों के माध्यम से की जा रही हैं।

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में एलपीजी आपूर्तियों का कोई बैकलॉग नही है। थोक एलपीजी के संचलन में व्यवधान, टैंक ट्रक कर्मियों द्वारा तत्काल हड़ताल के कारण थोक एलपीजी की कमी, मौसमी वर्षा आदि के कारण तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों में कई कारणों के योग से कुछ दिनों का बैकलॉग बना हुआ है। सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि बैकलॉग वाले राज्यों में अवकाश के दिनों पर भरण संयंत्रों को चलाते हुए तथा काम के घंटे बढ़ाकर उसे समाप्त किया जाए। बैकलॉग को शीघ्र ही समाप्त किए जाने की संभावना है।

(ग) से (छ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) पर किसी प्रकार का कोई आपूर्ति दबाव नहीं है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार ओएमसीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी आपूर्तियां की जा रही हैं।

जब कभी ओएमसीज को शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनकी जांच की जाती है। यदि शिकायतें सिद्ध होती हैं, तो विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

रीफिल बुकिंग की सामान्य प्रणाली के अलावा, ग्राहक अब लघु संदेश सेवा (एसएमएस) तथा इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) बुकिंग द्वारा संबंधित ओएमसीज के साथ सीधे रीफिल बुकिंग करा सकते हैं। जब कभी ग्राहकों द्वारा अनुरोध किए जाते हैं, ये प्रणालियां रीफिल बुकिंग अनुरोध को सवीकार करती हैं।

रसोई गैस कनेक्शनों हेतु विशेष कोटे का आवंटन

1325. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :**
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री कमल किशोर 'कमांडो' :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में रसोई गैस कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में बहुत ज्यादा बकाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केंद्र सरकर को असम, महाराष्ट्र सहित देश के विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 2015 तक 5.5 करोड़ नए रसोई गैस कनेक्शन जारी करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) नए एलपीजी ग्राहकों का नामाकंन और नए एलपीजी कनेक्शनों को जारी किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। नए एलपीजी कनेक्शनों को यथा शीघ्र संभव जारी किया जाता है और किसी भी स्थिति में यह सत्यापन के बाद नामांकन की तारीख से साठ दिनों के अंदर जारी कर दिया जाता है।

जबकि देश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की प्रतीक्षा सूची शून्य है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि दिनांक 01.02.2011 को उनके पास 2.59 लाख की प्रतीक्षा सूची है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में बीपीसीएल की 10,000 और असम राज्य में आईसओसी की 2624 शामिल है। 01.02.2011 की मौजूद प्रतीक्षा सूची को मार्च, 2011 तक समाप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) एलपीजी क्षेत्र के लिए अपनाए गए "विजन 2015" में, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों और एलपीजी का कम प्रयोग करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए एलपीजी के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने पर, ध्यान केंद्रित किया गया है। विजन 2015 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को वर्ष 2015 तक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा अछूते क्षेत्रों में 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शनों को जारी करते हुए, देश में एलपीजी आबादी को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक करने का अनुमान लगाया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एलपीजी उपयोग में वृद्धि समान रूप से हो, तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) "राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना" (आरजीजीएलवीवाई) तथा साथ ही उद्योग विपणन योजनाओं के तहत नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए चरणबद्ध ढंग से स्थलों का मूल्यांकन/उनकी पहचान कर रही हैं।

आरजीजीएलवीवाई योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटारों के लिए आवेदन आमंत्रण हेतु 2428 स्थलों को शामिल करते हुए 23 राज्यों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

आरजीजीएलवीवाई योजना के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की स्थापना उस समय तक एक सतत प्रक्रिया रहेगी जब तक कि देश में एलपीजी की कमी वाले सभी हिस्सों को एलपीजी नेटवर्क द्वारा कवर नहीं कर लिया जाता।

विवरण

आरजीजीएलवीवाई योजना के तहत विज्ञापित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	331
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	35
4.	बिहार	251
5.	छत्तीसगढ़	39
6.	गुजरात	80
7.	हिमाचल प्रदेश	43
8.	झारखंड	170
9.	कर्नाटक	48

1	2	3
10.	केरल	99
11.	मध्य प्रदेश	97
12.	महाराष्ट्र	253
13.	मणिपुर	20
14.	मिजोरम	13
15.	मेघालय	3
16.	नागालैंड	5
17.	उड़ीसा	101
18.	राजस्थान	192
19.	तमिलनाडु	130
20.	त्रिपुरा	7
21.	उत्तर प्रदेश	331
22.	पश्चिम बंगाल	175
23.	पुडुचेरी	1
	योग	2428

[हिन्दी]

गैर–लाभकारी मार्ग

1326. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सिर्फ अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए गैर–लाभकारी मार्गों पर कई रेलगाड़ियां चलाती हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार देश में जोन–वार ऐसे कितने मार्ग हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक ऐसे मार्गों पर रेलवे को अनुमानित तौर पर कुल कितनी हानि हुई;

(घ) क्या रेलवे का विचार ऐसे मार्गों को लाभकारी बनाने के लिए कोई अध्ययन कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दवाओं के मूल्य में वृद्धि

1327. **श्री ओम प्रकाश यादव :**
श्री वैजयंत पांडा :
श्री खगेन दास :
श्री जगदीश शर्मा :
श्री नित्यानंद प्रधान :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवाओं के बढ़ते मूल्य ने जनसामान्य के लिए उन्हें अवहनीय बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दवाओं के मूल्य को कम करने के लिए लघु भेषज संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा उन्होंने सरकार से सहायता मांगने हेतु औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) दवाओं के बढ़ते मूल्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) आईएमएस स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (जुलाई, 2010 तक) के दौरान दवाइयों के जिन पैकों का विपणन किया गया उनकी संख्या 52,019 से 60,664 के बीच है। पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान आईएमएस स्वास्थ्य रिपोर्टों की खुदरा लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार प्रतिशतता के संदर्भ में जिन पैकों के मूल्य में मासिक आधार पर वृद्धि हुई है, कमी हुई हैं तथा मूल्य स्थिर रहे हैं उन पैकों की प्रतिशत संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है–

जिन पैकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है उनकी प्रतिशत संख्या

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2007–08	0.77	0.14	0.10	0.02	0.13	0.12	0.01	0.01	0.32	0.33	0.03	0.00
2008–09	0.07	0.12	0.30	0.05	0.11	15.89	1.73	2.44	0.10	0.07	0.02	8.74
2009–10	1.99	0.62	4.75	0.01	0.07	3.21	0.14	0.003	2.92	0.03	0.02	2.66
2010–11	0.09	0.02	1.98	0.22								

जिन पैकों के मूल्य कम हुए हैं उनकी प्रतिशत संख्या

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जवरी	फरवरी	मार्च
2007–08	0.22	0.20	0.42	0.02	0.09	0.02	0.12	0.00	0.07	0.12	0.03	0.01
2008–09	0.01	0.03	0.08	0.02	0.09	10.85	1.32	2.41	0.29	0.02	0.03	6.67
2009–10	1.32	0.48	5.15	0.02	0.02	2.96	0.02	0.01	1.31	0.02	0.03	0.87
2010–11	0.06	0.01	1.45	0.14								

जिन पैकों के मूल्य स्थिर रहे हैं उनकी प्रतिशत संख्या

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2007–08	98.99	99.65	99.48	99.96	99.78	99.85	99.87	99.99	99.61	99.55	00.93	99.99
2008–09	99.93	99.85	99.92	99.62	99.80	73.26	96.95	95.15	99.61	99.91	99.95	84.59
2009–10	96.69	98.90	90.10	99.96	99.92	93.84	99.84	99.99	95.76	99.95	99.96	96.47
2010–11	99.85	99.97	96.57	99.65								

जैसा कि उपर्युक्त सारणियों से देखा जा सकता है केवल कुछ ही पैकों के मूल्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है जबकि अधिकतर पैकों के मूल्य स्थिर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त जैसा कि निम्नलिखित ''सभी वस्तुओं'' तथा ''औषधियां और दवाइयां'' के अधीन अप्रैल, 2010–जनवरी, 2011 के दौरान स्फीति के रुझान से देखा जा सकता है, औषधियों और दवाइयों के संबंध में स्फीति नियंत्रण के अधीन रही है :

	अप्रैल, 10	मई, 10	जून, 10	जुलाई, 10	अगस्त, 10	सितम्बर, 10	अक्तूबर, 10	नवम्बर, 10	दिसम्बर, 10	जनवरी, 10
सभी वस्तुएं	11.00	10.60	10.28	10.02	8.82	8.93	9.12	8.08	8.43	8.23
औषधियां और दवाइयां	1.60	1.87	2.05	2.23	2.23	2.32	2.23	1.77	0.97	0.88

उद्योग तथा व्यापार द्वारा आमतौर पर दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में यह बताया गया है कि दवाइयों के मूल्य में वृद्धि का आम कारण कच्ची सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि है जिनमें अन्य के साथ–साथ कच्ची सामग्री की लागत, पैकिंग सामग्री की लागत, परिवर्तन लागत तथा पैकिंग प्रभार लागत, उत्पादन/आयात लागत, परिवहन लागत, भाड़े की दरों, ईंधन, बिजली, डीजल जैसी उपयोगिता

वस्तुओं की लागत में वृद्धि शामिल है। आयातित दवाइयों के संबंध में मूल्य वृद्धि के कारण इस प्रकार हैं–सीआईएफ मूल्य में वृद्धि तथा रुपए का मूल्यह्रास।

(ग) और (घ) एसएमई फार्मा इंडस्ट्री कनफेडरेशन (इंडिया) ने राज्य सभा सचिवालय को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसे औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को अग्रेषित कर दिया गया था। औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने इस अभ्यावेदन को औषध विभाग तथा एनपीपीए सहित विभिन्न विभागों को भेज दिया है और इस अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

(ङ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और औषधि (मूय नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का समय–समय पर निर्धारण अथवा संशोधन किया जाता है। जो औषधियो डीपीसीओ, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात् गैर–अनुसूचित औषधियां हैं उनके संबंध में निर्माता सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। तथापि मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एनपीपीए गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्यों में घट–बढ़ की जांच ओआरजी–आईएमएस (अब इसका नाम आईएमएस स्वास्थ्य है) की मासिक रिपोर्टों और अलग–अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नियमित रूप से करता है। जहां 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए संबंधित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जनहित से संबंधित फॉर्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10 (ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज

1328. **श्री जगदीश शर्मा :**
श्री हर्ष वर्धन :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सहित देश में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त खोज के कार्य में लगी कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त उत्खनन कार्य इन कंपनियों द्वारा राज्य–वार तथा कंपनी–वार किन–किन स्थानों पर किया गया; और

(ग) कितनी मात्रा में तेल रिजर्व तथा गैस रिजर्व की खोज की गई तथा दिसंबर, 2010 तक प्रत्येक खोज पर स्थान–वार तथा राज्य–वार कितनी धनराशि व्यय की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) जी हां। राजस्थान सहित देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण किया जाता है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	वे राज्य जहां ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्वेषण कार्य किया गया है
1.	ओएनजीसी	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमालच प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पूर्वी तथा पश्चिमी अपतट सहित पश्चिम बंगाल
2.	ओआईएल	असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, अंडमान और पश्चिम बंगाल
3.	जीएसपीसी	गुजरात और आंध प्रदेश
4.	आईओसीएल	गुजरात और राजस्थान

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा दिनांक 1.4.2010 तक खोजे गए तेल भंडार और भंडार की मात्रा का ब्यौरा

विवरण–I में दिया गया है। दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार तेल पीएसयूज द्वारा खोज के संबंध में किए गए निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया है।

विवरण–I

1.4.2010 की स्थिति के अनुसार

राज्य/स्थल	तत्स्थान तेल भंडार मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में	तत्स्थान गैस भंडार बिलियन घन मीटर (बीसीएम) में
आंध्र प्रदेश	23.67	124.04
असम	1346.37	447.26
अरुणाचल प्रदेश	13.04	5.49
गुजरात	1230.23	217.31
नागालैंड	15.03	2.02
राजस्थान	0	13.52
तमिलनाडु	68.17	83.96
त्रिपुरा	0	82.84
पूर्वी तट	95.74	372.04
पश्चिमी तट	2820.2	1241.80

विवरण–II

पीएसयूज द्वारा अन्वेषणात्मक निवेश

राज्य/स्थल	निवेश (करोड़ रुपए में)			
	2007-08	2008-09	2009-10	दिसम्बर, 2010 तक
1	2	3	4	5
असम	874.14	1293.44	1336.64	845.38
अरुणाचल प्रदेश	17.17	23.85	28.09	1.07
उत्तर प्रदेश	15.50	68.24	19.53	10.41
राजस्थान	72.93	193.37	137.95	87.21
गुजरात	468.30	502.48	569.72	332.92
उड़ीसा	33.24	58.25	72.90	110.48
तमिलनाडु	214.29	112.31	275.59	137.23
आंध्र प्रदेश	269.09	318.37	587.70	544.22
पश्चिम बंगाल	26.75	34.92	101.11	124.97
मिजोरम	25.50	35.47	38.17	19.60
महाराष्ट्र	0.13	0	0	0
बिहार	19.41	53.37	37.26	14.06
हिमाचल प्रदेश	15.02	34.75	1293	35.99
झारखंड	85.98	131.40	136.38	81.95
मध्य प्रदेश	14.12	55.67	115.54	67.03
नागालैंड	0.43	0.59	0.99	0.66
त्रिपुरा	142.01	159.32	262.58	290.29
उत्तरांचल	0	0	0	3.81
संयुक्त उद्यम	254.15	40.24	104.68	19.39
अपतट	3085.98	5193.60	6691.49	5188.64

[अनुवाद]

जैव–डीजल खरीद नीति

1329. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, 2005 में जैव डीजल खरीद नीति की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति दर्ज की गई तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी बायो–डीजल खरीद नीति की घोषणा की है। इस योजना के तहत तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) के साथ 5 प्रतिशत तक मिश्रण के लिए बायो–डीजल की खरीद पूरे देश में पहचाने गए 20 खरीद केंद्रों से करेंगी।

चूंकि बायो–डीजल घोषित मूल्य पर उपलब्ध नहीं था, अतः एचएसडी के साथ बायो डीजल का मिश्रण शुरू नहीं किया जा सका है।

फर्जी मतदाता

1330. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री एस. अलागिरी :
श्री महेंदसिंह पी. चौहाण :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों विशेषरूप से बांग्लादेशियों ने मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे फर्जी मतदाताओं का पता लगाने तथा उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) किन राज्यों में सबसे ज्यादा संख्या में फर्जी मतदाता हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गरीब नवाज एक्सप्रेस की घटना

1331. **श्री यशवीर सिंह :**
श्री नीरज शेखर :
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को 8 फरवरी, 2011 को अजमेर से किशनगंज तक गरीब नवाज एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ लूट तथा दुर्व्यवहार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लुटेरों तथा गुंडों से यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) 08.02.2011 को दिल्ली जंक्शन और दिल्ली शाहदरा के बीच गाड़ी संख्या 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस द्वारा यात्रा कर रहे 18 यात्रियों को 7–8 शरारती तत्वों ने लूट लिया। इस संबंध में राजकीय रेल पुलिस/दिल्ली मेन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 395, 397, 504 और 506 के अंतर्गत अपराध संख्या 18/11 द्वारा एक मामला पंजीकृत किया गया। इस संबंध में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। छेड़छाड़ के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई।

(ग) अपराधों की रोकथाम, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच तथा रेलवे परिसरों के साथ–साथ चलती गाड़ियों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस का संवैधानिक दायित्त्व है जिसे वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस के जरिए निभाती है। इस प्रकार, रेलों पर अपराध के मामलों की सूचना, उनको दर्ज करना तथा उनकी जांच राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाती है। रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में मार्गरक्षियों को तैनात करके राजकीय रेलवे पुलिस की मदद करती है।

घटनाओं को रोकने तथा गाड़ियों में यात्रियों की भयमुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं–

1. विभिन्न राज्यों के राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों का मार्गरक्षण करने के अलावा, रेल सुरक्षा बल द्वारा औसतन 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

2. एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली जिसमें सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, पहुंच नियंत्रण, तोड़–फोड़ रोधी जांचों के जरिए भेद्य स्टेशनों का इलैक्ट्रॉनिक सर्वीलांस शामिल है, अनुमोदित की गई है ताकि 202 से अधिक संवेदनशील तथा भेद्य रेलवे स्टेशनों में सर्वीलांस तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके।

3. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपराधों का उचित पंजीकरण तथा

अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. अपराधियों द्वारा यात्रियों को लूटने के लिए अपनाई जा रही कार्य प्रणाली के बारे में यात्रियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रायः यात्री जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

5. रेल सुरक्षा बल को यात्रियों से संबंधित अपराधों से और अधिक प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ बनाने के लिए रेल सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन की जांच की जा रही है।

कैग लेखापरीक्षा के अंतर्गत
राजनीतिक दल

1332. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री नीरज शेखर :
श्री इन्दर सिंह नामधारी :
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने कैग लेखापरीक्षा के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों को लाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इससे परिचित है कि चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा काले धन का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो चुनावों में काले धन का उपयोग रोकने तथा राजनीतिक दलों के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजनीतिक दलों की लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु विधान लाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) जी हां। निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार को यह सिफारिश की है कि महालेखानियंत्रक या निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित पैनल से संपरीक्षकों को राजनीतिक दलों के लेखाओं की संपरीक्षा करनी चाहिए और ऐसे संपरीक्षित लेखे वार्षिक रूप से प्रकाशित किए जाने चाहिए। निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :

1. राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे जन–साधारण और सभी संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी और संवीक्षा के लेखे (कम से कम संक्षिप्त विवरण) वार्षिक रूप से प्रकाशित करें, जिस प्रयोजन के लिए ऐसे लेखाओं का अनुरक्षण और महालेखानियंत्रक द्वारा अनुमोदित पैनल से संपरीक्षकों द्वारा उनकी संपरीक्षा करना अपेक्षित शर्तें हैं।

2. राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के पारदर्शिता के लिए आयोग ने निम्नलिखित उपायों का भी प्रस्ताव किया है–

(i) किसी राजनीतिक दल द्वारा या तो सीधे या कार्यकारियों या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोई प्राप्ति ऐसे दलों के बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए,

(ii) राजनीतिक दल द्वारा किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए से अधिक के सभी संदाय पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा किए जाने चाहिए; और

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा उसके नातेदार (नातेदारों) द्वारा अभिदायों और संदानों या उपहारों से भिन्न सभी अभिदानों और संदानों या उपहारों को राजनीतिक दल की प्राप्तियों के रूप में समझा जाएगा और इसका राजनीतिक दल द्वारा लेखा–जोखा दिया जाएगा।

(ग) और (घ) यद्यपि, यह उपदर्शित करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि निर्वाचन में कालेधन का राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, फिर भी सरकार और निर्वाचन आयोग निर्वाचनों में धन बल के प्रभाव के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। आयोग ने, हाल ही में सितंबर–अक्तूबर 2010 में हुए बिहार विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2010 के निर्वाचनों में और उसके पश्चात् हुए उत्तर–प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और मणिपुर के विधान–सभा उप–निर्वाचनों में धन बल के प्रयोग को दबाने के लिए व्यापक अनुदेश जारी किए हैं। आयोग ने असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान–सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचनों के लिए कुछ उपांतरणों सहित व्यापक निर्वाचन व्यय को मानीटर करने वाले अनुदेश भी जारी किए हैं।

(ङ) से (छ) व्यापक निर्वाचन सुधारों को कार्यान्वित करने की

दृष्टि से 1 अक्तूबर, 2010 को केंद्रीय समिति का गठन किया गया है। विधायी विभाग और भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में समिति ने भोपाल, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़ और बंगलू में छह प्रादेशिक परामर्श संचालित किए हैं, जिनमें ऐसे पणधारियों से परामर्श किया गया है, जिनमें, अन्य बातों के साथ, राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता, विधायक, विधिवेत्ता, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विख्यात व्यक्ति, सिविल सेवक (सेवारत और सेवानिवृत्त), छात्र आदि सम्मिलित थे और उनके विचार एकत्रित किए गए थे। एक राष्ट्रीय परामर्श भी शीघ्र ही दिल्ली में होना निश्चित किया गया है। इन सभी परामर्शों में प्राप्त/जो इनपुट प्राप्त हों, के आधार पर विधायी प्रक्रिया, जैसी भी आवश्यक समझी जाए, सम्यक् अनुक्रम में सरकार द्वारा आरंभ की जाएगी।

रेलवे तथा राज्य पुलिस के बीच समन्वय

1333. **श्रीमती प्रिया दत्त :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री पी. करूणाकरन :
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री रामकिशुन :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री कमल किशोर 'कमांडो' :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे तथा राज्य पुलिस के बीच समन्वयन का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो समुचित समन्वयन सुनिश्चित करने के क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या रेल सुरक्षा बल में कार्मिकों की कमी के कारण यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो रेल सुरक्षा बल में कार्मिकों की भर्ती के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) रेलों और राज्य पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से समुचित समन्वय बनाए रखने के लिए एक तंत्र मौजूद है।

(ग) राजकीय रेलवे पुलिस के साथ समन्वय करके यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं।

(घ) रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल में कतिपय कोटियों के लिए हाल ही में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

भू–जल का संरक्षण

1334. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बताया है कि देश को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में बताया गया है कि देश में भू–जल का वार्षिक दोहन विश्व में सबसे अधिक है तथा असंपोष्य अत्यधिक दोहन के कारण भू–जल का स्तर खतरे की स्थिति तक कम हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जी हां। योजना आयोग ने XIवीं योजना के दस्तावेज में उल्लेख किया है कि देश में कुल जल संसाधन उपलब्धता स्थिर है परंतु वर्ष 1951 से जनसंख्या बढ़ने के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में तेजी से कमी आई है। जल की कमी के दो संकेतक प्रति व्यक्ति उपलब्धता और भंडारण हैं। 1700 घन मीटर से कम प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल की समस्या की अवस्था कहा गया है जबकि यदि यह 1000 घन मीटर से कम हो जाती है तो इसे जल की कमी की अवस्था कहा जाएगा। जबकि औसतन देश जल की समस्या की अवस्था के निकट है और विशेष नदी बेसिन वार स्थिति के अनुसार 200 मिलियन जनसंख्या वाले 20 नदी बेसिनों में से 9 पहले ही जल की कमी की अवस्था का सामना कर रहे हैं। तथापि वर्ष 2010 में देश की मौजूदा जनसंख्या के अनुसार जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1625 घन मीटर आंकी गई है।

(ग) जी, हां। XIवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार देश में भूमि जल की वार्षिक निकासी विश्व में सबसे अधिक है तथा भूमि जल पर बढ़ती हुई निर्भरता के कारण अति असथाई/अति दोहन हो रहा है जिससे देश के कई भागों में जल स्तर कम हो रहा है।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए उपाय निम्नानुसार हैं–

1. प्राथमिक क्षेत्रों अर्थात अति दोहित और गंभीर आकलित एककों, शहरी क्षेत्रों इत्यादि में भूमि जल प्रबंधन और विनियमन संबंधी चालू केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है।

2. वर्ष 2007–10 के दौरान डगवेलों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मुख्यतः भूमि के नीचे चट्टानी क्षेत्र वाले सात राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के अति–दोहित, गंभीर और अर्द्धगंभीर आकलित एककों में डगवेल पुनर्भरण स्कीम का कार्यान्वयन किया गया था।

3. जल संसाधन मंत्रालय की सूचना, शिक्षा और संचार स्कीम के अंतर्गत जन जागरूकता अभियानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं, चित्रकला प्रतिस्पर्धाओं इत्यादि सहित विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन किया गया है।

4. जल संसाधन मंत्रालय ने भूमि जल संवर्धन और लोगों की सहभागिता से कृत्रिम पुनर्भरण हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भूमिजल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पंचाट की स्थापना की है। पंचाट का उद्देश्य वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूमि जल संवर्धन हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाने, जल उपयोग दक्षता को बढ़वा देने, जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग करने, भूमि जल संसाधनों की निरंतरता के लिए लक्षित क्षेत्रों में लोगों की सहभागिता द्वारा जागरूकता लाने के लिए और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों (1 लाख तक की जनसंख्या के लिए)/संस्थानों/व्यवसायी क्षेत्रों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है।

5. केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने देश के अति दोहित और गंभीर क्षेत्रों जल ग्रसित को छोड़कर) में आने वाले सभी आवासीय समूह/आवासीय सोसाइटियों/संस्थानों/विद्यालयों/होटलों/औद्योगिक स्थापनाओं को अपने परिसरों में छत के वर्षा जल संचयन प्रणालियों को अपनाने का निर्देश दिया हैं।

6. केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी जी डब्ल्यू ए) ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे बोर्ड, खेल प्राधिकरण, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन, युवा मामले और खेल मंत्रालयों को सभी राष्ट्रीय/राज्य राममार्गों तथा अन्य सड़को, रेलवे ट्रैकों तथा अन्य स्थापनाओं, सभी स्टेडियमों और हवाई अड्डों पर भूमि जल पुनर्भरण स्कीम का कार्यान्वयन करने के निर्देश जारी किए हैं।

7. केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण अधिसूचित अति दोहित क्षेत्रों में भूमि जल की निकासी हेतु अनुमति नहीं दे रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की प्रसंस्करण लागत

1335. **श्रीमती ऊषा वर्मा :**
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात के समय कच्चे पेट्रोलियम की प्रति लीटर लागत कितनी है;

(ख) प्रसंस्करण के पश्चात् पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण क्या हैं;

(ग) क्या निजी कंपनियां तेल के शोधन के बाद उपयोज्य पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरन ऐसे निर्यात की मात्रा एवं ऐसे उत्पादों का निर्यात मूल्य कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों की लागत मुख्यतया कच्चे तेल की लागत पर निर्भर करती है, जो लागत का मुख्य भाग होती है। चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल की मांग का लगभग 80 प्रतिशत आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का प्रभाव पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों पर अनिवार्यतः पड़ता है। घरेलू तेल कंपनियों का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों जिन पर विभिन्न कारकों का प्रभाव होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता। 2009–10 और 2010–11 (28.02.2011 तक) के दौरान, कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के औसत मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

		(डालर/लीटर)
	2009–10	2010–11 (28.02.2011 तक)
कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मूल्य	0.44	0.52

(ग) और (घ) जी, हां। निजी तेल कंपनियां पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, स्नेहक, ईंधन तेल और विटुमेन आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए ऐसे निर्यातों की मात्रा और उनका मूल्य निम्नानुसार है :

2008–09		2009–10		2010–11 (अप्रैल–दिसम्बर 2010)	
मात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ /. में)	मात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रु. में)
26.12	86073.20	36.70	104603.50	29.99	91926.40

एमएमटी = मिलियन मीट्रिक टन।

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई

1336. श्री बाल कुमार पटेल :
श्री चंदकांत खैरे :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
श्री राकेश सिंह :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत केंद्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों के प्रस्तावों को मंजूर करने तथा प्रस्तावों के लिए निधि जारी करने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ङ) जी, हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत शुरू किए जाने वाले सड़क कार्यों के लिए प्रस्ताव विभिन्न राज्यों द्वारा समय–समय पर भेजे गए थे। प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है। पीएमजीएसवाई के तहत प्राप्त प्रस्तावों की राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) में जांच की जाती है ताकि कार्यक्रम दिशा–निर्देशों, समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों तथा राज्यों के इन प्रस्तावों की एनआरआरडीए द्वारा जांच किए जाने के दौरान उनके प्रस्तावों के संबंध में की गई अभ्युक्तियों के संबंध में राज्यों द्वारा भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार उनकी उपयुक्तता एवं पात्रता का पता लगाया जा सके। जांच के पश्चात् प्रस्तावों को अधिकारसंपन्न समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा उसकी अनुशंसा के बाद परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्वीकृत किया जाता हे। जनवरी, 2011 तक राज्यों के लिए 4,18,721 कि.मी. लंबाई के 1,05,837 सड़कों के निर्माण कार्य के लिए कुल 1,18,198 करोड़ रु. के मूल्य के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। जनवरी, 2011 तक कार्यक्रम के तहत राज्यों को कुल 77,649 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

विवरण

पीएमजीएसवाई के तहत विचार किए जाने के लिए लंबित परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य	प्रकार	मूल्य करोड़ में	सड़कों/पुलों की संख्या	लंबाई (कि.मी.)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	गुजरात	भारत निर्माण	53.90	46	136.89	अधिकार संपन्न समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए तैयार

1	2	3	4	5	6	7
2.	जम्मू व कश्मीर	भारत निर्माण चरण–I	404.13	62	485.38	जांच के दौरान उठाए गए मुद्दे के संबंध में राज्यों से अभ्युक्तियां प्राप्त होनी हैं
3.	मणिपुर	(i) भारत निर्माण (ii) पुल (ब्रिज्स)	407.88	104	1003.96	प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं तथा उसकी जांच की जा रही है
4.	त्रिपुरा	(i) भारत निर्माण (ii) छूट गए कार्य	334.39	91	357.37	जांच के दौरान उठाए गए मुद्दे के संबंध में राज्यों से अभ्युक्तियां प्राप्त होनी हैं।
5.	उत्तराखंड	(i) भारत निर्माण (ii) पुल (ब्रिज्स)	91.33	35	158.95	प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं तथा उसकी जांच की जा रही है
6.	उत्तर प्रदेश	एलडब्ल्यूई	54.74	41	144.25	अधिकार संपन्न समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए तैयार
		विश्व बैंक के तहत सामान्य पीएमजीएसवाई	444.06	599	956.76	प्रस्ताव प्राप्त हो गए तथा उसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में कैर्न्स इंडिया लि. द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

1337. श्री लालचन्द कटारिया :
श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. ने राजस्थान में अपने तेल उत्पादन का नियंत्रण करने के लिए कैर्न्स इंडिया लि. को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में राजस्थान में कैर्न्स इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित तेल की मात्रा कितनी है;

(घ) कैर्न्स इंडिया लिमिटेड द्वारा खोदे गए तेल कुओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त कुओं में से कितने कुओं से तेल निकाला जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) ओएनजीसी ने सूचित किया है कि उन्होंने कैर्न इंडिया को राजस्थान में अपने तेल के उत्पादन को नियंत्रित करने के निर्देश नहीं दिए हैं। तेल का उत्पादन, परिसंघ की प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना (एफडीपी) के अनुसार है।

(ग) और (घ) इस समय आरजे–ओएन–90/1 ब्लाक में मंगला क्षेत्र से कच्चे तेल का औसत उत्पादन लगभग 1,25,000 बीओपीडी (बैरल तेल प्रति दिन) है।

(ङ) अभी तक उपर्युक्त ब्लाक में कुल 95 तेल कूप वेधित करके पूरे किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :

–	मंगला क्षेत्र	83
–	भाग्यय् क्षेत्र	03
–	रागेश्वरी तेल क्षेत्र	05
–	सरस्वती तेल क्षेत्र	04

उपर्युक्त में से, इस समय मंगला क्षेत्र में 41 कूपों से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। शेष क्षेत्र विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को राजसहायता

1338. **डॉ. थोकचोम मैन्या :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदरराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री के. सुगुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उच्च मूल्य की स्थिति में भी पेट्रोलियम उत्पादों हेतु राजसहायता के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों हेतु दी गई राजसहायता का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) तेल कंपनियों को राजसहायता देने के कारण कुल कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या देश की तेलशोधन क्षमता को बढ़ाने का कोई विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) तेल आयात बिल को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य समान रूप से बढ़ रहा है। वर्ष 2009-10 में कच्चे तेल की भारतीय बॉस्केट का औसत मूल्य 69.76 अमरीकी डालर प्रति बैरल था, जो वर्ष 2010-11 (28.02.2011 तक) के दौरान बढ़कर 82.45 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गया और यह 28.02.2011 को 109.55 अमरीकी डालर प्रति बैरल था। यद्यपि उच्च अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोल का मूल्य बाजार निर्धारित कर दिया गया है, अन्य तीन संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामतः डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों को लगातार सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जाता है। चूंकि इन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों को अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार नहीं बनाए रखा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) इन उत्पादों की बिक्री पर अल्प-वसूलियां झेल रही हैं।

01 मार्च, 2011 से लागू रिफाइनरी द्वारा मूल्य के आधार पर, ओएमसीज डीजर पर 11.16 रु. प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 23.56 रु. प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर 297.80 रु. प्रति सिलिंडर की अल्प-वसूली झेल रही हैं। सरकार मूल्य स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।

(ग) और (घ) ओएमसीज को पीडीएस मिट्टी तेल, घरेलू एलपीजी और डीजल की बिक्री पर होने वाली अल्प-वसूलियों की प्रतिपूर्ति की जाती है। 26.06.2010 से पेट्रोल का मूल्य बाजार निर्धारित करने से पूर्व, ओएमसीज को पेट्रोल पर होने वाला अल्प-वसूलियों की भी प्रतिपूर्ति की जा रही थी।

अनुपालन की जा रही भार हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत इन अल्प वसूलियों को सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा बांट लिया जाता है। 2010-11 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर 77.324 करोड़ रुपए की अल्प वसूली झेलने का अनुमान है।

वर्ष 2008-09, 2009-10 और चालू वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2010) के दौरान ओएमसीज को हुई अल्प वसूलियों और उनकी हिस्सेदारी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

	2008-09	2009-10	2010-11 (अप्रैल-दिसंबर, 2010)★
1	2	3	4
संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल अल्प वसूलियां	1,03,292	46,051	46,963★★

1	2	3	4
निम्नलिखित के जरिए भार हिस्सेदारी :			
सरकार द्वारा तेल बांड/नकर सहायता	71,292	26,000	21,000
अपस्ट्रीम सहायता	32,000	14,430	15,654
ओएमसीज द्वारा वहन की गई अल्प वसूलियां/ पूरा न किया गया अन्तर	शून्य	5,621	10,309

★वर्ष 2010–11 के लिए भार हिस्सेदारी व्यवस्था को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

★★पेट्रोल पर अल्प वसूली दिनांक 25.6.2010 तक है।

अल्प वसूलियों की भरपाई किए जाने के अलावा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को बजट से ''पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002'' के तहत पीडीएस मिट्टी तेल पर 0.82 रुपया प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी पर 22.58 रुपए प्रति सिलेंडर की राजसहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2008–09, 2009–10 और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा ओएमसीज को प्रदान की गई राजसहायता का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

	2008–09	2009–19	2010–11 (अप्रैल–दिसंबर 2010)
पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर राजसहायता	2.688	2770	2050

(ङ) और (च) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र के लाइसेंसमुक्त होने के परिणामस्वरूप, किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा भारत में कहीं भी तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ग्रीनफील्ड रिफाइनरियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (उनके संयुक्त उद्यमों सहित) और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अपनी परिशोधन क्षमता का 187.386 मि.मी.ट. प्रति वर्ष से 237.832 मि.मी.ट. प्रति वर्ष तक विस्तार किए जाने का प्रस्ताव किया है।

(छ) कच्चे तेल का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार ने भारतीय और विदेशी, सभी कंपनियों को प्रस्तावित रकबों के लिए एक समान राजकोषीय और संविदागत शर्तों के साथ समान कार्य स्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) की शुरूआत की। वर्ष 2009 तक एनईएलपी बोलियों के आठ दौर पूरे कर लिए गए हैं।

घरेलू ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए अन्य ऊर्जा स्रोतों जैसे, कोल बेड मीथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण, बायो–ईंधन तथा गैस हाइड्रेट्स की भी खोज की जा रही है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण रसोई गैस वितरण योजना

1339. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री देवेन्द्र नागपाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के गांवों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण रसोई गैस वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु गुजरात सहित देश में तेल विपणन कंपनियों द्वारा नियुक्त किए गए वितरकों की क्षेत्र–वार एवं तेल कंपनी–वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार आरजीजीएलवीवाई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एलपीजी एजेंसी का आवंटन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों को आवंटित एलपीजी एजेंसियों की संख्या कितनी है; और

(छ) इस योजना के प्रारंभ से गुजरात सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। लघु आकार की एलपीजी वितरण एजेंसियों के लिए ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर की एक नई योजना नामतः राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) 16.10.2009 को शुरू की गई है। योजना की मुख्य विशेषताएं ये हैं :

1. आरजीजीएलवीवाई के तहत एलपीजी एजेंसियां छोटे आकार की होंगी जिनके लिए अपेक्षाकृत कम वित्त/संरचनात्मक सुविधाओं की जरूरत होगी।

2. डिस्ट्रीब्यूटर अपने परिवार के सदस्य और एक या दो कर्मचारियों की मद से स्वयं एजेंसी का प्रबंध करेगा।

3. डिस्ट्रीब्यूटर की आयु सीमा 21 और 45 वर्षों के बीच होगी।

4. इस योजना के तहत सभी एजेंसियां पति और पत्नी के संयुक्त नाम में होंगी। यदि आवेदक अविवाहित हैं तो विवाह के बाद 'पति/पत्नी' स्वतः भागीदार हो जाएगी/जाएगा।

5. इसमें अ. जाति/अ.ज.जाति श्रेणियों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है।

6. डिस्ट्रीब्यूटर का चयन ऐसे सभी उम्मीदवारों में से पर्ची द्वारा किया जाएगा जिन्होंने वित्तीय सामर्थ्य और शैक्षिक योग्यताओं के मानदंड पर 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

इस योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए आवेदन–पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन 23 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 2428 स्थलों को शामिल करते हुए जारी किए गए हैं। इनमें से 116 डिस्ट्रीब्यूटर पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

इस योजना के तहत नियुक्त किए गए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के राज्य–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

राज्यों के नाम	डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या
बिहार	23
छत्तीसगढ़	4
झारखंड	8
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	11
महाराष्ट्र	3
ओडिशा	2
राजस्थान	43
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	17
पश्चिम बंगाल	3

(घ) और (ङ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. ने आरजीजीवीवाई योजना के तहत अमरोहा, जिला नगर, उत्तर प्रदेश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी किया है। नीति के अनुसार चयन प्रक्रिया प्रगति पर है।

(च) दिनांक 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने आरजीजीवीवाई योजना के तहत अ.जाति/अ.ज.जाति श्रेणियों के पक्ष में 30 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू की हैं। इसके अतिरिक्त अ.जाति/अ.ज.जाति श्रेणियों के तहत, 92 स्थलों के लिए आशय–पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(छ) दिनांक 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने आरजीजीएलवी डिस्ट्रीब्यूटरों के जरिए देश में 43,539 एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।

तथापि, आरजीजीवीवाई योजना के तहत गुजरात राज्य में कोई एलपीजी कनेक्शन जारी नहीं किया गया है क्योंकि आरजीजीएलवी डिस्ट्रीब्यूटर के चयन के लिए विज्ञापन हाल ही में प्रकाशित किया गया है और कोई डिस्ट्रीब्यूटर चालू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

1340. श्री यशवंत लागुरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा में किए जा रहे आमान परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा में मीटर गेज रेल लाइनों की स्थान-वार कुल लंबाई कितनी है;

(ग) उक्त मीटर गेज रेल लाइनों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) उड़ीसा में केवल एक मीला खंड अर्थात नौपाड़ा-गुनुपुर (90 किमी.) है। इस खंड को बड़ी लाइन में बदलना एक स्वीकृत कार्य है। इस खंड में नौपाड़ा-परीलशिमिंडी (40 किमी.) चालू हो गया है जबकि परीलखिमिंडी-गुनुपुर पर भी कार्य शुरू हो गया है। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति के पश्चात खंड को शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

बांग्लादेश से रेल संपर्क

1341. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच बांग्लादेश होकर रेल संपर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या भारत बांग्लादेश को रेलवे नेटवर्क का विकास करने में सहायता दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच रेल संपर्क को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन से अखौरा (बांग्लादेश) और अगरतला (त्रिपुरा, भारत) के बीच मिसिंग लिंक पर एक रेल लाइन के निर्माण को भारत सरकार वित्तपोषित कर रही है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा परियोजना आदि के लिए अपेक्षित भूमि की उपलब्धता बांग्लादेश प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित संरेखण की स्वीकृति पर निर्भर है।

(ग) और (घ) जी हां। भारतवर्ष, चल स्टॉक और इसकी निश्चित अवसंरचना में सुधार करके बांगलादेश के रेल नेटवर्क का विकास करने के लिए सहायता मुहैया करा रहा है।

[हिन्दी]

अलीगढ़ स्टेशन का उन्नयन

1342. श्रीमती राजकुमारी चौहान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार वीआईपी अतिथि गृह स्थापित कर एवं यात्रियों के लिए एस्केलेटर की व्यवस्था कर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) स्टेशन पर किसी वीआईपी अतिथिगृह का प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक ए.सी. वीआईपी रूम पहले से ही उपलब्ध है। इस स्टेशन पर फिलहाल एस्केलेटर की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरकों का विशेष पैकेज

1343. श्री रामकिशुन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में किसानों को रासायनिक उर्वरकों के विशेष पैकेज उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार वर्तमान में यूरिया के

लिए नई मूल्य निर्धारण योजना और नियंत्रणमूलक फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति लागू कर रही है ताकि किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा सकें। ये योजनाएं उत्तर–प्रदेश और बिहार सहित देश के सभी राज्यों में लागू हैं।

पंचायतों के लिए योजना

1344. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना–वार एवं राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

•

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय (एमओ पी आर) संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास करता रहा है। एमओपीआर ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों को दिनांक 19.1.2009 की विस्तृत परामर्शिका (www.panchayat.gov.in पर उपलब्ध) जारी की है। सीएसएस में पंचायतों की भूमिका में बहुत विभिन्नता है। राज्य–वार या योजना–वार ब्यौरे का अनुरक्षण एम ओ पी आर द्वारा नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

केरल में दोहरीकरण कार्य

1345. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मवेलीकरा और मुलनतुरूत्ती के बीच दोहरीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसे समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) खंड–वार स्थिति निम्नानुसार है :

1. मावेलिकारा–चेंगन्नूर दोहरीकरण (12.3 किमी)–मिट्टी, पुल, गिट्टी आपूर्ति और रेलपथ लिंकिंग संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

2. चेंगन्नूर–चिंगावनम दोहरीकरण (26.5 किमी)–भूमि अधिग्रहण और उन पुलों, जहां भूमि उपलब्ध है, पर कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

3. कुरूपनतरा–चिंगावनम दोहरीकरण (26.54 किमी)–अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और राज्य सरकार को 30 हेक्टेयर भूमि के लिए अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. मुलानतुरूती–कुरूपनतरा दोहरीकरण (24 किमी)–भूमि अधिग्रहण और उन पुलों, जहां भूमि उपलब्ध है, पर कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ख) परियोजनाओं के निष्पादन में भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता और आवश्यक सहायता मुहैया कराए जाने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(ग) मावेलिकारा–चेंगन्नूर दोहरीकण का कार्य 2011–12 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है और चेंगन्नूर और मुलानतुरूती के बीच शेष दोहरीकरण संबंधी कार्य की प्रगति भूमि और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उर्वरकों पर अनुसंधान

1346. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उपलब्ध उर्वरकों की विभिन्न किस्मों से संबंधित अनुसंधान कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का कोई ब्यौरा है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) उर्वरक विभाग में ''विज्ञान और प्रौद्योगिक कार्यक्रम'' नामक एक योजनागत स्कीम है जिसके अंतर्गत देश की

विभिन्न सुविख्यात संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। उर्वरक विभाग का विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) कार्यक्रम प्राथमिक रूप से अनुसंधान और विकास प्रक्रियाओं तथा उर्वरक संयंत्रों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के उपस्करों पर बल देता है। उर्वरक संयंत्र में रासायनिक प्रतिक्रिया हेतु प्रदूषण रहित पद्धति को अपनाने और कीमती धातुओं की वसूली के बाद खतरनाक व्यर्थ उत्प्रेरक के निपटान की परियोजनाओं के अलावा मृदा की उर्वरता बहाल करने तथा स्वदेशी ग्लूकोनाइट से म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) प्राप्त करने का कार्य भी विभाग द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 से कृषिगत फसलों आदि में उर्वरक और कीटनाशक प्रयोग संबंधी कुछ परियोजना कार्यों पर भी विचार किया जा रहा है। इन सभी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को इस विभाग द्वारा अग्रणी शैक्षणिक संस्थाओं के जरिए प्रायोजत किया जा रहा है जिसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया में इन्हें अपनाकर उर्वरक उद्योग को सफल परिणाम दिलाना है।

ग्यारहवीं योजना (2007-12) के अंतर्गत विभाग इंजीनियरी/अनुसंधान संस्थाओं/उर्वरक से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग बारह परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं अथवा विभिनन संगठनों/संस्थाओं जैसे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी, खड़गपुर, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (उत्तराखंड), प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लि., नोएडा (उत्तर प्रदेश) आदि में इनका कार्य पूरा किया जा रहा है। सभी अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों का चयन उर्वरक विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान एस एंड टी कार्यक्रम के अंतर्गत योजना व्यय को नीचे दर्शाया गया है :

2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (बजट अनुमान)
वास्तविक 4.74 करोड़ रु.	1.38 करोड़ रु.	1.38 करोड़ रु.	1.44 करोड़ रु.	2.00 करोड़ रु.

[हिन्दी]

खादी बिक्री केंद्रों का उन्नयन

1347. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी बिक्री केंद्रों और गांधी आश्रमों के उन्नयन हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) गांधी आश्रमों द्वारा संचालित केंद्रों सहित खादी बिक्री केंद्रों को उन्नत करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से उठाए गए कदमों में शामिल है, (i) 30 खादी बिक्री केंद्रों की मरम्मत और विद्यमान 100 कमजोर चुनिंदा संस्थानों की अवसंरचना के सशक्तीकरण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 'विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना के सशक्तीकरण और विपणन तंत्र हेतु सहायता' की योजना का आरंभ, (ii) 2009-10 से शुरू तीन वर्षों की अवधि में 300 अस्थायी रूप से चुने गए खादी संस्थानों के माध्यम से खादी सुधार व विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) कार्यान्वित करने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 700 करोड़ रुपये) के बराबर वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में स्थापित एक विपणन संगठन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रोफेशनल सहयोग के साथ महानगरों और राज्यों की राजधानियों में नए बिक्री केंद्र खोलने और संस्थागत बिक्री केंद्रों की मरम्मत तथा आधुनिकीकरण शामिल है।

बीना से सागर तक रेलगाड़ी

1348. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम-मध्य रेलवे के अंतर्गत बीना से सागर-दमोह तक यात्री रेलगाड़ी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) बीना-सागौर के रास्ते दामोह-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन) को शुरू करने की घोषणा 2011-12 के रेलवे बजट में हो चुकी है।

[अनुवाद]

कल्याण योजनाओं की प्रगति

1349. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अल्प धनराशि जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यक समुदायों की दशा में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2007–08 में मंत्रालय के ₹ 350 करोड़ के योजनागत बजट (संशोधित अनुमान) की तुलना में ₹ 196.65 करोड़ (58.18 प्रतिशत) की राशि जारी की गई। वर्ष 2008–09 में योजनागत बजट (संशोधित अनुमान) को बढ़ाकर ₹ 650 करोड़ कर दिया गया था, जिसमें से ₹ 619.02 करोड़ की राशि जारी हुई थी। वर्ष 2009–10 में योजनागत बजट (संशोधित अनुमान) की राशि को बढ़ाकर ₹ 1740 करोड; किया गया, जिसमें से ₹ 1710.89 करोड़ (98.33 प्रतिशत) की गई थी। वर्ष 2010–11 के लिए योजनागत बजट ₹ 2500 करोड़ (संशोधित अनुमान) है, और अब तक ₹ 1721.84 करोड़ (68.87 प्रतिशत) जारी की गई है।

(ग) सरकार ने अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए योजनाओं की शुरूआत की है। ये योजनाएं हैं–मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, शोध छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, तथा अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम नामक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इनके अतिरिक्त, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी वर्ष 2006–07 में बढ़ाकर क्रमशः 100 करोड़ और ₹ 650 करोड़ तथा वर्ष 2010–11 में बढ़ाकर क्रमशः ₹ 550 करोड़ और ₹ 1000 करोड़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां कहीं संभव हो विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों एवं परिव्ययों में से 15 प्रतिशत लक्ष्य एवं परिव्यय अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किए जाएं तथा विकास परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइन

1350. कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को दुर्ग जिले में अडवीवारा से ट्रेमेट्रा तक नई रेल लाइन के निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) रेल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव सभी स्तरों यथा जोनों, मंडलों, स्टेशनों, सिविल संगठनों, सार्वजनिक समूहों और जन प्रतिनिधियों से प्राप्त होते हैं और ऐसी प्रत्येक मांग का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में अवसंरचना

1351. श्री एन. चेलुवरयास्वामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि कर्नाटक में मांड्या सहित लगभग सभी रेलवे स्टेशनों में महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी है;

(ख) राज्य में रेलवे अवसंरचना में सुधार/विकास हेतु कर्नाटक सरकार से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर विशेषकर मांड्या स्टेशन के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विकास/संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और इसे सम्हलाई किए जा रहे यात्री यातायात की मात्रा और अन्य संबंधित प्राथमिकताओं के आधार पर शुरू किया जाता है। कर्नाटक में मदंया सहित सभी स्टेशनों पर अनिवार्य सुख–सुविधाए/सुविधाएं पहले की मुहैया करा दी गई हैं।

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के लिए कतिपय नई लाइन परियोजनाओं को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक राज्य में पड़ने वाली निम्नांकित नई लाइन परियोजनाओं को 2011–12 के रेल बजट में शामिल करने का प्रस्ताव है :

1. तुमकर–चित्रदुर्ग–दावनगेरे

2. व्हाइटफील्ड–कोलर

3. शिमोगा–हरिहर

आयातित संपाकों पर अधिक शुल्क लगाना

1352. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीश भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) सभी आयातित संपाकों के मूल्य निर्धारित करता रहा था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयातित संपाकों पर अनुमत्य लाभ कितना है;

(ग) क्या सरकार को कोई शिकायत मिली है कि ऐसे कई आयातित संपाकों पर एनपीपीए द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के बाजार में ऐसे आयातित संपाकों के मूल्यों पर एनपीपीए किस तरह निगरानी रखता है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के पैरा 7 में निर्धारित सूत्र के अनुसार करता है। आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों के मामले में आयातित फार्मूलेशनों की अवतरण लागत मूल्य निर्धारण का आधार होती है जिससे ब्याज तथा आयातकर्ता के लाभ सहित बिक्री और वितरण खर्चों को भी हिसाब में लिया जाता है और ये मदें अवतरण लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। अनुसूचित फार्मूलेशनों के संबंध में एनपीपीए के पास प्रवर्तन तंत्र है। जब भी एनपीपीए को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने के मामलों का पता चलता है तो डीपीसीओ, 1995 के प्रावधान के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

गैर–अनुसूचित औषधियों (नियंत्रण बाह्य औषधियां) के संबंध में एनपीपीए ने आंतरिक दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की है। उन मामलों में कंपनियों का पता लगाया जाता है जिनमें गैर–अनुसूचित फार्मूलेशन के मूल्य में एक वर्ष की अवधि के भीतर 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई हो और संबंधित फार्मूलेशन के क्षेत्र में वार्षिक बिक्री 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। इसके अतिरिक्त संबंधित फार्मूलेशन के क्षेत्र में निर्माता का अंश बाजार का कम–से–कम 20 प्रतिशत होना चाहिए अथवा संबंधित दवाई उस ग्रुप की पहली तीन शीर्ष ब्रांडों में होनी चाहिए। उच्च कुल बिक्री तथा 10 प्रतिशत मूल्य वृद्धि के मानदंडों को निर्धारित करने का उद्देश्य व्यापक खपत के मामलों का पता लगाना और डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10 (ख) में उल्लिखित ''जनहित'' की अपेक्षा को पूरा करना है। जहां कहीं असाधारण मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो आवश्यक कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों में विनिर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाकर 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर लाए, यदि ऐसा नहीं करता है तो उचित होने पर डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10 (ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

समर्पित मालभाड़ा गलियारा

1353. श्री के. आर. जी. रेड्डी :

श्री पी. बलराम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की समर्पित मालभाड़ा की महत्वाकांक्षी योजना में अब तक अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजनावधि में विशेषकर दक्षिण मध्य रेलवे में जोन–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि में उक्त योजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान मालभाड़ा लक्ष्य को हासिल करने तथा लगभग 900 मिलियन टन माल की ढुलाई करने के प्रति आशावान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा जोन–वार क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारों (डीएफसी) के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। मौजूदा 11वीं योजनावधि में, चरण–I (रेवाड़ी–वड़ोदरा) के वित्त पोषण के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और चरण–II के लिए (जेएनपीटी–वड़ोदरा और रेवाड़ी–दादरी) जेआईसीए के साथ इंजीनियरी सेवाएं ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 54 बड़े और महत्त्वपूर्ण पुलों के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। पूर्वी डीएफसी पर, खुर्जा–भाउपुर खंड के मूल्यांकन के लिए, लुधियाना–खुर्जा–भाउपुर–मुगलसराय खंड के विश्व बैंक से प्रस्तावित वित्तपोषण के लिए मार्च, 2011 का लक्ष्य रखा गया है। मुगलसराय–सोननगर खंड आर दानकुनी से चंदनपुर में कार्य शुरू कर दिया गया है। पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी को 2016–17 में चालू किए जाने का लक्ष्य है और परियोजना के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी दक्षिण मध्य रेलवे से नहीं गुजरती हैं।

(घ) मौजूदा पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के टर्मिनल वर्ष के लिए माल लदान के लक्ष्य को 993 मिलियन टन रखा गया है।

(ङ) जनवरी, 2011 तक माल लदान, लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

आंकड़े

मिलियन (टन में)

क्षेत्रीय रेलवे	2010–11 के प्रारंभिक बजटीय लक्ष्य	जनवरी 2011 तक समानुपाती लक्ष्य	जनवरी 2011 तक वास्तविक माल लदान
मध्य	60.40	49.65	44.74
पूर्व	56.27	45.99	44.24
पूर्व मध्य	85.00	69.89	72.12
पूर्व तट	112.50	91.48	89.93
उत्तर	46.00	38.00	38.56
उत्तर मध्य	9.50	7.79	7.24
पूर्वोत्तर	1.75	1.45	1.41
पूर्वोत्तर सीमा	11.75	9.29	9.35
उत्तर पश्चिम	18.65	15.25	14.88
दक्षिण	37.50	30.72	28.60
दक्षिण मध्य	93.25	76.43	78.47
दक्षिण पूर्व	127.50	104.20	101.85
दक्षिण पूर्व मध्य	140.50	115.12	116.37
दक्षिण पश्चिम	47.23	38.55	29.06
पश्चिम	62.25	51.49	52.05
पश्चिम मध्य	32.20	26.27	25.87
कोंकण	1.75	1.43	1.23
कुल	944.00	773.00	755.97

इटानगर से रेल संपर्क

1354. **श्री एस. एस. रामासुब्बू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों और इटानगर के बीच रेल संपर्क बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसके क्रियान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जा रही खान-पान सुविधाएं

1355. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से खान-पान सेवा वापस लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने खान-पान सुविधा प्रदान करने हेतु आईआरसीटीसी के बदले अन्य वैकल्पिक आवश्यक संसाधनों को जुटाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने खान-पान सेवा प्रारंभ करने के लिए आवश्यक संख्या में खान-पान स्टाफ सहित रसोई उपलब्ध कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खान-पान की सुविधा को प्रभावी बनाने के लिए कौन से अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम मुख्यतः फूड प्लाजा, फूड कोर्टों और फास्ट फूड इकाइयों तथा पर्यटन संबंधी गतिविधियों को चलाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) दिनांक 21.07.2010 की खानपान नीति 2010 में निम्नलिखित पर जोर दिया गया है :

★ नीति में सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के कार्य को आईआरसीटीसी से क्षेत्रीय रेलों को अंतरित कर पर्यवेक्षण और निगरानी में सुधार अपेक्षित है और एक समग्र पर्यवेक्षण और खानपान संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण के संबंध में क्षेत्रीय रेलों के विस्तृत और वृहत्तर नेटवर्क का दोहन करने का प्रयत्न करती है।

★ नई खानपान नीति गुणवत्ता, कम मूल्यों पर स्वच्छ भोजन पर जोर देते हुए खानपान को एक यात्री सेवा के रूप में स्वीकार करती है।

★ रेल कर्मचारियों जो गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच करेंगे और एक समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक कदम उठाएंगे, को नियुक्त कर बेस किचनों सहित चुनिंदा खानपान इकाइयों में धीरे-धीरे क्षेत्रीय रेलों को शामिल किए जाने वाले एक संस्थागत तंत्र के द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है।

★ रिफ्रेशमेंट रूम, स्टैंड अलोन आउटलेटों और वेंडिंग स्टॉलों के साधनों द्वारा जनता भोजन और जनाहार (इकोनोमी काम्बो-मील) मुहैया कराकर यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए सामर्थ्य योग्य दरों पर गुणवत्ता वाले भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

★ इकाइयों की ऊपरी सीमा को पुनः भाषित किया गया है और एकाधिकार को हटाने के लिए कड़े उपाय किए गए हैं। लाइसेंस फीस को निश्चित करने की प्रणाली को यौक्तिबद्ध किया गया है। सामान्य खानपान इकाइयों की कार्यकाल और नवीकरण को सुप्रवाहित किया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल परियोजनाएं

1356. **श्री इज्यराज सिंह** :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से संबंधित नई रेल लाइन आमान परिवर्तन,

विद्युतीकरण आदि जैसी अनुमोदित, प्रारंभ की गई, पूर्ण की गई लंबित तथा प्रारंभ की जाने वाली रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राज्य के लिए पहले ही अनुमोदित हो चुकी परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले स्वीकृत, लंबित और पूर्ण परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम (लंबाई किमी. में)	प्रत्याशित लागत 2010–11 (करोड़ रुपए में)	स्थिति एवं पूराप करने की लक्ष्य तिथि, (टीडीसी), जहां कहीं निर्धारित हो
1	2	3	4
नई लाइनें			
1.	अजमेर–पुष्कर (31.4)	106.2	कार्य समाप्त
2.	बांगुरग्राम–रास (27.8)	144.57	समग्र वास्तविक प्रगति–1 प्रतिशत
3.	दौसा–गंगापुरसिटी (92.67)	410.08	समग्र वास्तविक प्रगति–28 प्रतिशत दौसा–डीडवाना (35.44 किमी.) 2011–12 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है
4.	रामगंजमंडी–भोपाल (262)	1225.9	समग्र वास्तविक प्रगति–25 प्रतिशत, रामगंजमंडी–झालावाड़ (26.5 किमी.) 2010–11 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है
5.	कोलायत फलौदा (111.39)	172.723	कार्य पूर्ण और चालू हो गया है
आमान परिवर्तन			
6.	अहमदाबाद–हिम्मतनगर–उदयपुर (299.2)	742.88	कार्य शुरू हो गया है
7.	अजमेर–फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी (294.97)	770	कार्य पूर्ण और चालू हो गया है
8.	भिलड़ी–समदड़ी (223)	490	कार्य पूर्ण और चालू हो गया है
9.	गंगापुर सिटी तक विस्तार सहित धौलपुर–सिरमुत्रा (144.6)	622.41	प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं
10.	कोटा तक विस्तार सहित ग्वालियर–शिवपुरकलां (284)	1176.1	प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं
11.	जयपुर–रिंगस–चुरू एवं सीकर–लोहाररू (320.04)	653.54	सीकर–चुरू (90.46 किमी.) को 2011–12 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है
12.	रतनगढ़–सरदारशहर के सामग्री आशोधन सहित सदुलपुर–बीकानेर और रतनगढ़–देगाना (438)	695	रतनगढ़–बीकानेर (141.06 किमी.) कार्य पूर्ण। सदुलपुर–रतनगढ़ और रतनगढ़–देगाना : कार्य पूर्ण हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है

1	2	3	4
13.	श्रीगंगानगर–सरूपसर (116)	258.59	समग्र वास्तविक प्रगति–90 प्रतिशत टीडीसी–2011–12
14.	सूरतपुरा–हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर (240.95)	449	श्रीगंगानगर–हनुमानगढ़ के लिए टीडीसी (67 किमी) : 2011–12
15.	आगरा फोर्ट–बांदीकुई (311)	215.84	कार्य पूर्ण और चालू हो गया है
16.	उदयपुर से उमरा तक विस्तार के लिए सामग्री आशोधन और मवली–नाथद्वारा के आमान परिवर्तन के लिए सहित अजमेर–चित्तौड़गढ़–उदयपुर (327)	566	अजमेर–उदयपुर कार्य पूर्ण और चालू हो गया है। मवली–नाथद्वारा : कार्य समाप्त
17.	फुलेरा–जोधपुर–पीपर रोड–बिलारा (41.14)	47.2	कार्य पूर्ण और चालू हो गया है
18.	रेवाड़ी–सादुलपुर (141) एवं सदुलपुर–हिसार (70)	734	कार्य पूर्ण और चालू हो गया है।
दोहरीकरण			
19.	आबू रोड–सरोत्रा रोड (23.12)	103.94	प्रारंभिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं
20.	अलवर–हरसौली (34.86)	90.79	कार्य पूर्ण
21.	भगत की कोठी–लूनी (28.12)	97.36	प्रारंभिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं
22.	दौसा–बांदीकुई (29.04)	85.34	कार्य पूर्ण और चालू हो गया है
23.	जयपुर–दौसा (61.28)	148.38	कार्य पूर्ण और चालू हो गया है
24.	हरसौली–रेवाड़ी (39.35)	110.95	समग्र वास्तविक प्रगति–68 प्रतिशत टीडीसी–2010–11
25.	केशवगंज–स्वरूपगंज (26.48)	92.3	प्रारंभिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं
26.	सरोत्रा रोड–करजोदा (23.59)	115	प्रारंभिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं
27.	स्वरूपगंज–आबू रोड (25.36)	105.68	प्रारंभिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं
28.	जयपुर–फुलेरा (54.75)	124.5	कार्य पूर्ण और चालू हो गया है
रेल विद्युतीकरण			
29.	बीना–कोटा (309)	199.49	कार्य समाप्त & खंड को विद्युतीकरण कर दिया गया है
30.	मथुरा–अलवर (121)	99.71	टीडीसी : 2012–13

(ख) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वार्षिक रूप से धन मुहैया कराया जाता है।

(ग) हाल ही में अनुमोदित परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण सहित प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

[अनुवाद]

केंद्रीय विद्यालय

1357. श्री पी. बलराम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देशभर में अपनी भूमि पर केंद्रीय विद्यालय के सहयोग से विद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संभावित लाभ/उद्देश्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्रियान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी, हां। रेल मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सिविल क्षेत्र में 50 केंद्रीय विद्यालयों का विकास करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम रेल कर्मचारियों के बच्चों के साथ-साथ रेलवे कॉलोनियों के आस-पास रहने वाले आम नागरिकों के बच्चों के लिए भी बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराएगा।

एससीआर में नई रेलवे लाइन

1358. श्री आधि शंकर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार आदिलाबाद-महुर-पोहरा देवी-वासिम के बीच दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत नई रेलवे लाइन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे के पास चालू परियोजनाओं का भारी बकाया कार्य है और संसाधनों की उपलब्धता सीमित है।

[हिन्दी]

आईएवाई

1359. श्री दिलीप सिंह : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान कच्चे आवासों के उन्नयन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) इस योजना हेतु राज्यों द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है तथा वर्ष-वार उक्त धनराशि की मांग कितनी इकाइयों हेतु की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कच्ची इकाइयों के उन्नयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) आवंटन आधारित योजना है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों तथा वास्तविक लक्ष्यों का आवंटन पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है जिसमें आवास की कमी को 75 प्रतिशत तथा गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत वेटैज दिया जाता तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों से किसी प्रकार के अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए कोई निधि विशेष रूप से निर्धारित नहीं की जाती है। आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईएवाई के तहत उपलब्ध कुल निधियों के 20 प्रतिशत हिस्से का उपयोग (क) बीपीएल परिवारों के मौजूदा कच्चे मकानों का उन्नयन करने तथा (ख) प्रतिवर्ष 32,000 रु. तक की आय वाले परिवारों के लिए ऋण सह-सब्सिडी योजना के तहत मकान बनाने के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरन आईएवाई के तहत राज्यवार केंद्रीय निधियों के आवंटन, निधियों की रिलीज, निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा हासिल की गई उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान आईएवाई के तहत वर्ष वार आबंटित, रिलीज की गई निधियों, लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2005–06				2006–07				2007–	
		वित्तीय (रु. लाख में)		वास्तविक★ (मकानों की सं.)		वित्तीय (रु. लाख में)		वास्तविक★ (मकानों की सं.)		वित्तीय (रु. लाख में)	
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	लक्ष्य	उपलब्धि	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	लक्ष्य	उपलब्धि	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज
1.	आंध्र प्रदेश	24399.42	24609.65	130130	132521	25939.14	26089.14	138342	146403	36027.75	36201
2.	अरुणाचल प्रदेश	9949.43	711.88	4603	5327	1018.68	1056.18	4939	4600	1395.30	1874.15
3.	असम	20994.23	21465.64	101790	104353	2252.46	22544.21	109214	125441	30853.66	32429.53
4.	बिहार	72020.72	62437.06	384111	331651	76565.57	77769.32	408350	349053	106344.49	95693.97
5.	छत्तीसगढ़	37773.17	4473.57	20124	26578	4011.28	4011.28	21393	20818	5571.39	5571.39
6.	गोवा	150.28	136.95	801	615	159.77	135.45	852	1115	221.90	188.12
7.	गुजरात	11966.03	11959.28	63819	65602	12721.14	12721.15	67846	65195	17668.82	17668.82
8.	हरियाणा	1680.04	2008.33	8960	9743	1786.06	1762.99	9526	10375	2480.72	2480.72
9.	हिमाचल प्रदेश	592.56	755.75	2873	3031	629.95	629.95	3054	3317	874.96	874.96
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1840.52	2001.35	8924	8231	1956.67	1885.71	9487	10667	2717.68	2717.68
11.	झारखंड	6423.93	8823.34	3426	75403	6829.31	6054.58	36423	57246	9485.46	9485.46
12.	कर्नाटक	9400.43	9639.02	50136	56944	9993.64	9993.64	53299	49088	13880.51	13880.51
13.	केरल	5227.51	5169.28	27880	36413	5557.39	5557.4	29639	30817	7718.85	7718.85
14.	मध्य प्रदेश	7504.14	9592.17	40022	59420	7977.69	7996.44	42548	54544	11080.48	11201.37
15.	महाराष्ट्र	14714.56	14960.66	78478	94274	15643.12	16097.35	83430	78427	21727.25	21914.89
16.	मणिपुर	824.15	876.39	3996	4962	884.26	662.34	4287	3460	1211.19	837.46
17.	मेघालय	1435.38	918.84	6959	6678	1540.07	750.95	7467	4183	2109.47	590.62

विवरण

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान आईएवाई के तहत वर्ष वार आबंटित, रिलीज की गई निधियों, लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

08		2008–09				2009–10			
वास्तविक★ (मकानों की सं.)		वित्तीय (रु. लाख में)		वास्तविक★ (मकानों की सं.)		वित्तीय (रु. लाख में)		वास्तविक★ (मकानों की सं.)	
लक्ष्य	उपलब्धि	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	लक्ष्य	उपलब्धि	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	लक्ष्य	उपलब्धि
192148	194861	72179.18	82082.9	192132	266654	75900.82	85639.11	371982	434733
6765	6422	2795.31	3483.08	6770	7236	2935.66	3336.76	10873	6026
149593	150776	6111.32	68352.61	149699	112706	64914.87	66736.67	240446	181162
567171	430864	213056.38	239781.53	567125	484197	224039.39	200854.99	1098001	653214
29714	30093	11160.96	15849.04	29712	30023	11737.44	16279.9	57520	58449
1183	735	444.56	289.24	1183	586	467.49	467.49	2291	1864
94234	110908	35398.42	35837.53	94226	122412	37223.48	41574.95	182429	166760
13231	13398	49699.56	5031.21	13229	13302	5226.21	5244.96	25611	24138
4242	4029	1752.75	1805.54	4242	4501	1843.31	1863.81	8212	9295
13177	15361	5444.59	712.93	13176	13211	5725.42	5725.42	25508	18594
50589	45936	19000.94	29692.35	50585	56180	19983.33	30160.35	97926	87524
74029	39990	2780.81	28209.02	74023	87051	29242.52	30227.03	143311	15817
41167	37094	15463.92	15655.73	41162	53133	16261.55	16261.55	79695	51590
59096	60222	22196.88	23436.36	59091	74651	23343.61	24086.27	114396	96877
115879	126117	43527.03	47024.34	115869	118611	45773.50	47443.24	224323	207695
5872	3379	2426.47	1640.08	5877	514	2548.30	2065.92	9439	3296
10228	2271	4226.04	2138.36	10235	5619	4438.24	3783.31	16440	9875

विवरण

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान आईएवाई के तहत वर्ष वार आबंटित, रिलीज की गई निधियों, लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2005–06				2006–07				2007–	
		वित्तीय (रु. लाख में)		वास्तविक★ (मकानों की सं.)		वित्तीय (रु. लाख में)		वास्तविक★ (मकानों की सं.)		वित्तीय (रु. लाख में)	
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	लक्ष्य	उपलब्धि	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	लक्ष्य	उपलब्धि	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज
18.	मिजोरम	305.89	331.12	1483	2183	328.20	294.27	1591	2178	449.55	451.92
19.	नागालैंड	949.84	928.2	4605	7949	1019.11	634.89	4941	6321	1395.90	1240.58
20.	उड़ीसा	14149.75	15047.54	75465	87070	15042.66	15042.66	80228	81345	20893.26	20280.02
21.	पंजाब	2077.71	1523.88	11081	7868	2208.83	1544.07	11780	8250	3067.91	3067.91
22.	राजस्थान	6013.11	6494.31	32070	38471	6392.56	6617.51	34094	33397	8878.84	8888.57
23.	सिक्किम	181.66	197.04	881	1296	194.91	194.92	945	1554	266.97	230.71
24.	तमिलनाडु	9768.97	9999.13	52101	66434	10385.44	10385.44	55389	27919	14424.69	14424.69
25.	त्रिपुरा	1849.42	2070.92	8967	11902	1984.31	3357.26	9621	10612	2717.96	2745.03
26.	उत्तर प्रदेश	32348.75	35470.31	172527	185541	34390.12	34445.43	183414	165469	47765.59	46720.92
27.	उत्तराखंड	1621.77	1806.85	7863	21722	1724.11	1714.48	8359	17239	2394.68	2394.68
28.	पश्चिम बंगाल	19518.40	1355.7	104098	99259	20750.10	20745.29	110667	1288318	28820.51	26044.64
29.	अ.नि.द्वीप समूह	309.46	0	1238	90	328.99	0	1316	62	456.94	312.73
30.	दादरा नगर हवेली	51.56	25.78	206	101	54.82	0	219	77	76.13	38.07
31.	दमन व दीव	23.07	0	92	6	24.52	0	98	8	34.06	0
32.	लक्षद्वीप	20.00	32.64	80	48	21.26	21.26	85	88	29.54	29.54
33.	पुदुचेरी	154.14	0	617	238	163.86	37.5	655	261	227.59	37.5
	कुल	273240.00	273822.58	1441241	1551923	290753.00	290753.06	1533498	1498367	403270.00	388237.01

★उपलब्धि में, उन्नयति किए गए मकान भी शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान आईएवाई के तहत वर्ष वार आबंटित, रिलीज की गई निधियों, लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

08		2008–09				2009–10			
वास्तविक★ (मकानों की सं.)		वित्तीय (रु. लाख में)		वास्तविक★ (मकानों की सं.)		वित्तीय (रु. लाख में)		वास्तविक★ (मकानों की सं.)	
लक्ष्य	उपलब्धि	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	लक्ष्य	उपलब्धि	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	लक्ष्य	उपलब्धि
2180	1918	900.61	1250.85	2181	5179	945.84	1267.79	3504	4851
6768	7491	2796.52	3959.18	6773	24717	2936.92	3996.01	10878	11645
111431	140853	41856.94	46082.17	111422	62447	44016.50	46025.72	215715	170766
16362	17992	6145.95	6204.31	16361	11700	6463.27	6463.27	31674	27108
47354	42517	17787.41	18111.46	47350	52654	18705.35	18869.6	91670	86992
1294	1533	534.84	578.85	1295	1774	561.69	561.69	2080	1819
76932	103379	28897.78	29414.38	76925	94160	30388.96	30547.07	148929	169753
13178	12945	5445.08	6696.99	13187	26389	5718.48	6368.57	21182	8322
254750	264296	95690.39	97568.5	254729	267543	100629.31	101479.94	493156	483949
11611	18766	4797.21	4856.72	11610	12696	5044.94	5044.94	22476	20373
153709	107575	57738.89	57212.41	153697	123808	60717.10	60727.47	297564	230155
1828	297	639.67	92.55	1828	124	962.66	98.04	2750	242
305	121	106.58	53.29	305	41	160.40	80.2	458	0
136	12	47.68	0	136	0	71.75	0	205	0
118	97	59.15	59.88	118	190	62.21	62.21	229	88
910	101	318.6	0	910	52	479.48	239.74	1370	47
2127184	1992340	807425.49	879579.39	2127165	2134061	849470.00	863573.99	4052243	3385619

[अनुवाद]

यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में पड़े जहरीले अपशिष्ट की सफाई

1360. श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में पड़े जहरीले अपशिष्ट के त्वरित सफाई तथा भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को स्वच्छ पेजयल प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार में संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की। निगरानी समिति यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) संयंत्र स्थल में एवं इसके आसपास आवश्यक उपचारी कार्रवाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को गिनरानी एवं सहयोग सेवाएं प्रदान करेगी। भारत सरकार ने 'प्रदूषक भुगतान करेगा' सिद्धांत पर नुकसान के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों/कंपनियों से मुआवजा दावा को लंबित रखते हुए लगभग 310 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि से उपचारी कार्रवाई पर आने वाली लागत को प्रथम दृष्ट्या वहन करने का निर्णय भी लिया है।

भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2006 से यूसीआईएल संयंत्र स्थल के आसपास के 14 इलाकों में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति के लिए जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरणीय मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अधीन 14.18 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान में इन इलाकों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। भारत सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी के रूप में 37.5 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की है।

[हिन्दी]

पट्टा अवधि पर पेट्रोल पंप

1361. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने पेट्रोल पंपों के पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) क्या इन पेट्रोल पंपों को दोबारा पट्टे पर देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) से संबंधित 505 ऐसे खुदरा बिक्री कें द्र (आरओज) हैं जिनका पट्टा गत तीन वर्षों के दौरान समाप्त हो गया है। आरओ स्थलों को पट्टे पर लेना एक जारी रहने वाली गतिविधि है और यह ओएमसीज के खुदरा नेटवर्क का विस्तार करने तथा उसे बनाए रखने के लिए सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया का एक भाग है। ओएमसीज द्वारा पट्टा अवधि की समाप्ति पर, दोनों पक्षों को परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर, आरओ स्थल के पट्टे का नवीकरण करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

एसएसपी पर अधिकतम खुदरा मूल्य की सीमा को हटाना

1362. श्री राम सिंह राठवा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सिंगल सुपर फॉस्फेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य की सीमा को हटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तर्क क्या है और एसएसपी के अधिकतम खुदरा मूल्य को हटाने से पूर्व तथा पश्चात् मूल्य में हुआ अंतर कितना है तथा इसका देश में कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

रसायन और उरर्वक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) भारत सरकार 1.5.2010 से सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) उर्वरक के लिए पोषक–तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन कर रही है। इससे पहले सरकार ने

एसएंसपी के लिए 3400 रु. प्रति मी. टन के अखिल भारतीय एक–समान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की घोषणा की थी जो 1.5.2008 से लागू हुई थी और 30.9.2009 तक जारी रही। इस अवधि के दौरान, एसएसपी पर राजसहायता अन्य लागत के साथ–साथ रॉक फास्फेट और सल्फर की आदान लागत के आधार पर उपलब्ध कराई जाती थी। तथापि, सरकार ने 1.10.2009 से 2000 रु. प्रति मी. टन की तदर्थ राजसहायता की घोषणा की और एसएसपी के उत्पादकों/विपणनकर्ताओं को कोई भी एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी। यह 30.4.2010 तक जारी रहा। इस अवधि के दौरान विभिन्न उत्पादकों/आयातकों द्वारा 4200 रु. प्रति मी. टन से 5000 रु. प्रति मी. टन (औसत 4600 रु. प्रति मी. टन) तक एमआरपी घोषित की गई थी। एमएसएसपी सहित नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए एनबीएस नीति शुरू करने के बाद सरकार ने राजसहायता इस तरीके से निर्धारित करने का निर्णय लिया कि उर्वरकों की एमआरपी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। वर्ष 2010–11 के लिए एसएसपी हेतु 4400 रु. प्रति मी. टन की राजसहायता निर्धारित की। चूंकि एसएसपी की राजसहायता में काफी वृद्धि हुई इसलिए एसएसपी के उत्पादकों/विपणनकर्ताओं को वर्ष 2010–11 के दौरान 3200 रु. प्रति मी. टन मूल्य पर एसएसपी (पाऊडरयुक्त) की बिक्री करने के लिए उर्वरक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) करके एनबीएस प्रणाली में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।

एनबीएस के अंतर्गत, पिछले वर्ष की तुलना में एसएसपी के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि और भी अधिक हो रही है। अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक 23.28 लाख मी. टन एसएसपी का उत्पादन हुआ था जो अप्रैल, 2010 से दिसंबर, 2010 तक की इसी अवधि में बढ़कर 25.20 लाख मी. टन हो गया है।

एसएसपी के उत्पादन और खपत में वृद्धि होना भारतीय कृषि के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि एसएसपी में सल्फर और कैल्शियम होता है जो मृदा के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण पोषकतत्व है।

पंजीकृत आईटी कंपनियां

1363. श्री पी. के. बिजू : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत पंजीकृत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा सृजित कुल राजस्व कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) विवरण–I संलग्न है।

(ख) विवरण–II संलग्न है।

विवरण–I

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31.01.2011 के अनुसार संख्या
1	2
अंडमान एवं निकोबार	2
आंध्र प्रदेश	9582
अरुणाचल प्रदेश	7
असम	193
बिहार	315
चंडीगढ़	519
छत्तीसगढ़	131
दमन एवं दीव	4
दिल्ली	11740
दादरा एवं नगर हवेली	3
गोवा	123
गुजरात	2205
हिमाचल प्रदेश	62
हरियाणा	654
झारखंड	185
जम्मू एवं कश्मीर	107
कर्नाटक	6830
केरल	1725
महाराष्ट्र	11080
मेघालय	27
मणिपुर	8

1	2
मध्य प्रदेश	657
मिजोरम	1
नागालैंड	8
उड़ीसा	502
पंजाब	451
पुडुचेरी	109
राजस्थान	954
तमिलनाडु	7074
त्रिपुरा	8
उत्तर प्रदेश	1199
उत्तराखंड	125
पश्चिम बंगाल	2234
कुल	58824

विवरण–II

वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों द्वारा कर पूर्व कुल लाभ, अदा किया गया कर एवं कर पश्चात् लाभ

(करोड़ रुपए)

वित्त वर्ष	कर पूर्व लाभ	अदा किया गया कर	कर पश्चात् लाभ
2007–08	19003.53	3468.68	15534.85
2008–09	11831.11	3705.11	8126.00
2009–10	20257.03	7896.32	12360.71

होशियारपुर से ऊना के बीच रेल लाइन

1364. श्री रवनीत सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेजो दोआब, होशियारपुर (पंजाब) से ऊना (हि.प्र.) के बीच रेलवे लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना को तेजी से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) ऊना–होशियारपुर और ऊना–जैजो दोआबा नई लाइनों के लिए हाल ही में अलग से दो सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं। परियोजनाओं को अभी स्वीकृत नहीं किया गया है।

आर्कटिक अभियान

1365. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्कटिक में पहला भारतीय अभियान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभियान दल की संरचना और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या दल के अन्य देशों के सहयोग से कार्य करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आर्कटिक में अनुसंधान हेतु स्थायी स्टेशन की स्थापना करने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(छ) अभियान से प्राप्त परिणाम के कब तक सामने आने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक वैज्ञानिक प्रयास के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दीर्घकालिक वैज्ञानिक अनुसंधान की शुरूआत सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 2007 में नार्वे के स्पाइटबर्जेन द्वीपसमूह पर निएलिजुंड के लिए भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक अभियान प्रारंभ किया। प्रथम आर्कटिक अभियान में पांच सदस्यों वाले वैज्ञानिकों के अंतर–विषयी संबंधी और अंतर संस्थान दल में राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीएओआर), गोवा; सैलूलर एवं मोलिक्यूलर बाईलोजी (सीसीएमबी), हैदराबाद; भारतीय उष्णदेशीय मौसम–विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे; और लखनऊ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शामिल हैं।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम के उद्देश्य हैं :

(i) उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में भूमंडलीय उष्मन के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए भारतीय/विदेशी उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए आर्कटिक में समुद्र हिम को अभिलक्षित करना;

(ii) आर्कटिक का व्यापक हिमनद विज्ञान संबंधी अध्ययन जिनममें न केवल उपग्रह से प्राप्त आंकड़े शमिल किए जाएंगे बल्कि धरातल पर लिए गए माप भी शामिल होंगे;

(iii) आर्कटिक हिमनद का गतिकी और द्रव्यमान बजट पर अनुसंधान। अनुसंधान का प्रमुख केंद्रबिंदु समुद्र–स्तर परिवर्तन और फिऑर्डों और लघुखाड़ियों में मीठा पानी के इनपुट पर हिमनद का प्रभाव होगा;

(iv) मानवजनित गतिविधियों से उनकी अनुक्रिया की तुलना में आर्कटिक की वनस्पति एवं जीवजंतुओं का विस्तृत रूप से मूल्यांकन और पर्यावरण के विषय में दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों से जीवन रूपों का तुलनात्मक अध्ययन;

(v) समुद्र हिम जीवाणु की प्रजातियों का अध्ययन;

(vi) आर्कटिक महासागर के तलछटों पर व्यापक समस्थानिकीय, रासायनिक और सूक्ष्मजीवाश्मेय अययन पूरा करने के लिए उनकी प्रतिक्रिया और पहले के जलवायु परिवर्तनों का पुनर्निवेशन आंकना;

(vii) वायुमंडलीय ऐरोसोल तथा आयनों का माप;

(viii) कार्बन मोनोऑक्साइड का हिम पैक उत्पादन और उसकी परिवर्तनीयता;

(ix) तट के निकट पर्यावरण का कार्बन चक्र;

(x) आर्कटिक में भारत की प्रत्यक्ष और प्रभावी उपस्थिति को सुनिश्चित करना तथा ध्रुवीय क्षेत्रों और उसके आस–पास के महासागरों में देश के सामरिक हित को बनाए रखना।

(ग) और (घ) जी, हां। ध्रुवीय अनुसंधान में सहयोग पर मंत्रालय के स्वायत्त अभिकरण राष्ट्रीय अंटार्कटिक तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीएओआर) और नार्वेजियन ध्रुवीय संस्थान (एनपीआई) के बीच 1 जुलाई, 2008 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ङ) और (च) आर्कटिक में नार्वे के स्वालवर्ड क्षेत्र के नि–एलिजुंड में 'हिमाद्रि' नामक अनुसंधान स्टेशन 1 जुलाई, 2008 को स्थापित किया गया। तब से नि–एलिजुंड के आस–पास के क्षेत्र में वर्ष की विभिन्न ऋतुओं के दौरान विभिन्न विषयों अर्थात हिमनद विज्ञान, पुरा जलवायु विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान आदि पर अनुसंधान किए गए। इस समय अनुसंधान की प्रकृति के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। वर्ष 2007 से चार आर्कटिक अभियान (अंतर विषयात्मक तथा वैज्ञानिकों की बहु संस्थागत दल को मिलाकर बना) भेजे जा चुके हैं।

(छ) नि–एलिजुंड क्षेत्र में पहले आर्कटिक अभियान के परिणामों से निम्नलिखित बातों का पता चला है :

(i) नि–एलिजुंड में ऐरोसोल की कुल संख्या, सांद्रता तथा आकार वितरण का पवन गति और पवन दिशा के साथ सही सहसंबंध का पता चलता है;

(ii) आर्कटिक ग्रीष्म अवधि के दौरान ब्रह्माण्डीय विकिरण के कारण से आयनन की प्रचुरता से विद्युत चालकता में कोई दैनिक परिवर्तनशीलता दिखाई नहीं देती है;

(iii) मिडट्री लोव इनब्रीन ग्लेशियर से प्राप्त, तलछट और जल नमूनों से प्राप्त जीवाणु नामतः एक्टीनोबैक्टीरिया, बैसिली, फ्लावोबैक्टीरिया और प्रोटोबैक्टीरिया चार प्रजातियां हैं तथा हिम पिघलन और

समुद्र के अभिसरण बिंदु पर जीवाणुओं की प्रचुरता रहती है।

आर्कटिक में किए जा रहे अध्ययनों का लक्ष्य, वहां की बहुत ही ठंडी जलवायु की प्रक्रियाओं और परिघटनाओं के साथ समूचे स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल को समझने के लिए संपर्क यदि कोई है, और महत्त्व को समझने का है।

उर्वरकों के उत्पादन पर प्रभाव

1366. डॉ. क्रुपारानी किल्ली : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र की वर्तमान स्थिति का देश में उर्वरकों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संभावित आकलन क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) जी, हां। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के कुछ उत्पादक मिस्र से रॉक फॉस्फेट का आयात करते हैं। सामान्यतः मिस्र से वार्षिक आयात लगभग 9 लाख मी. टन है। यूरिया, सल्फर और अमोनिया भी कुछ मात्रा में आयात किए जाते हैं। इसके अलावा, हमारे देश में उर्वरक उद्योग के लिए कच्चे माल को समुद्री रास्ते से नौ-परिवहन के लिए मिस्र के पास स्वेज नहर मुख्यमार्ग है। मिस्र की वर्तमान स्थिति के कारण ऐसा समझा जाता है कि उर्वरक आदानों का आयात पर कुछ समय के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उर्वरक के कच्चे माल जैसे रॉक फॉस्फेट, सल्फर और अमोनिया का आयात खुली सामान्य सूची में शामिल है। ऐसी आशा की जाती है कि हमारे स्वदेशी उर्वरक उद्योग इस स्थिति के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोतों से इन आदानों का आयात करेंगे।

अतिरिक्त भूमि

1367. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त रेल भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव में राज्यों को उक्त भूमि वापस किए जाने की संभावना शामिल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) रेलों को खाली रेल भूमि की आवश्यकता अपने विकास कार्यों जैसे दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन एवं यातायात सुविधा संबंधी कार्यों, कारखानों, माल गलियारों आदि को बनाने के लिए होती है।

खाली भूमि, जिसकी रेलों का तत्काल अपने भविष्य के परिचालनिक उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है, को वाणिज्यिक विकास, जहां कहीं संभव हो, सहित अंतरिम अवधि में वैकल्पिक उपयोग के लिए चिन्हित कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

एनईआर में आमान परिवर्तन

1368. श्री कमल किशोर 'कमांडो' : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तर पूर्व रेलवे के अंतर्गत बहराइच से नानपारा के रास्ते नेपालगंज तक आमान परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) नानपारा नेपालगंज सहित गोंडा-बहराइच-मैलानी-सीतापुर-लखनऊ (479.90 किमी) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण 1998-99 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण किए गए मार्ग पर गोंडा-बहराइच खंड (60 किमी) के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है जिसमें मिट्टी, छोटे पुलों, गिट्टी आदि से संबंधित कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। मार्च, 2010 तक 18. 24 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) इस परियोजना को पूरा किए जाने की समयावधि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

जल निकायों का संरक्षण

1369. श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तालाबों और जलाशयों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में रखरखाव की कमी के कारण तालाबों और जलाशयों जैसे पारंपरिक अंतर्देशीय जल निकायों को होने वाले नुकसान के प्रति अवगत है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा अंतर्देशीय जल निकायों को बचाने हेतु राष्ट्रीय नीति बनाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) राज्य सरकारों की सहायता से लघु सिंचाई गणना (2005) में अभिज्ञात की गई लोक स्वामित्व वाले जल निकायों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) इन स्कीमों के तहत जल निकायों का रखरखाव मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा करना होता है। Xवीं योजना अवधि के दौरान भारत सरकार ने 15 राज्यों के 26 जिलों में 1098 जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के संबंध में 300 करोड़ रुपए के परिव्यय की प्रायोगिक स्कीम का अनुमोदन किया था जिसका वहन केंद और राज्य द्वारा 3 : 1 के अनुपात में किया जाना है। प्रायोगिक स्कीम के तहत 1085 जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण संबंधी कार्य पूरा हो चुका है तथा प्रशासनिक कारणों की वजह से 13 जल निकायों का कार्य रोक दिया गया है। भारत सरकार ने जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी दो राज्य क्षेत्रीय स्कीमों यथा (I) एक को 1500 करोड़ रुपये के परिव्यय की बाह्य सहायता (II) दूसरी 1250 करोड़ रुपए के परिव्यय की घरेलू सहायता वाली परियोजना का कार्यान्वयन करने हेतु अनुमोदन किया है। टैंकों सहित वर्तमान प्रणालियों का आधुनिकीकरण और पुनर्वास पहले ही राष्ट्रीय जल नीति, 2002 का एक भाग है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	लोक स्वामित्व वाले जल निकायों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	67236
2.	अरुणाचल प्रदेश	186
3.	असम	170
4.	बिहार	12345
5.	छत्तीसगढ़	32486
6.	गोवा	137
7.	गुजरात	2742
8.	हरियाणा	12
9.	हिमाचल प्रदेश	361
10.	जम्मू एवं कश्मीर	312
11.	झारखंड	16552
12.	कर्नाटक	22582
13.	केरल	2977
14.	मध्य प्रदेश	7947
15.	महाराष्ट्र	16429
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	87
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	18250
21.	पंजाब	7
22.	राजस्थान	1844
23.	सिक्किम	423
24.	तमिलनाडु	25107
25.	त्रिपुरा	122
26.	उत्तर प्रदेश	70

1	2	3
27.	उत्तरांचल	5188
28.	पश्चिम बंगाल	5350
29.	अंडमान एवं निकोबार	4
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा एवं नागर हवेली	12
32.	दिल्ली	0
33.	पुदुचेरी	198
	कुल	239138

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों का आवंटन

1370. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में आज की तिथि अनुसार स्थापित पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आवंटित पंपों और गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ग) चालू वर्ष में कितनी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां आवंटित की गईं;

(घ) क्या आवंटित एजेंसियों के विरुद्ध रद्द/बंद करने की कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं; और

(च) गैस एजेंसियों का स्थायी आवंटन कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) दिनांक 1.2.2011 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में स्थापित खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज)/पेट्रोल पंपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की संख्या नीचे दी गई है :

खुदरा बिक्री केंद्र		एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स	
कुल	अन.जाति/अनु.ज.जा.	कुल	अनु.जाति/अनु.ज.जा.
37929	4814	9491	1931

(ग) से (ङ) चालू वर्ष के दौरान ओएमसीज द्वारा 3066 आरओज और 844 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स आबंटित की गई हैं। इस दौरान 15 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को बंद/समाप्त कर दिया गया है। बंद किए गए/समाप्त वितरक के उपभोक्ताओं को रीफिल आपूर्तियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकटवर्ती वितरक के माध्यम से की जाती है।

(च) ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को चालू करने के लिए निश्चित समय-सीमा बता पाना कठिन है क्योंकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स स्थापित करने की प्रक्रिया में डीलरों/वितरकों के चयन के लिए विज्ञापनों को जारी करना, आवेदनों और साक्षात्कारों का आयोजन करना, योग्यता सूचियां जारी करना, चयनित उम्मीदवारों के संबंध में क्षेत्र जांच-पड़ताल, आशय पत्र जारी करना, विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों आदि से विभिन्न अनुमोदनों/अनापत्ति प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना जैसे विभिन्न कदम शामिल हैं।

गजरौला से मैनपुरी तक रेलवे लाइन

1371. श्री देवेन्द्र नागपाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गजरौला जंक्शन से संभल हातिम सराय के रास्ते मैनपुरी तक रेलवे लाइन संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) संभल हातिम सराय के रास्ते गजरौला-मैनपुरी नई लाइन के लिए सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। परियोजना अभी स्वीकृत नहीं है।

[अनुवाद]

सीसीआई

1372. **श्री खगेन दास** : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपना संवैधानिक कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान आयोग द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए और निपटाए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 एवं धारा 4, जिसका संबंध प्रतिस्पर्धा विरोधी करार तथा प्रभावपूर्ण पद के दुरूपयोग से है, को अधिसूचित कर दिया गया है और दिनांक 20 मई, 2009 से लागू हो गया है।

(ग) निांक 01.01.2010 से दिनांक 31.12.2010 की अवधि के दौरान 96 मामले पंजीकृत हुए हैं एवं 43 मामलों का निपटान हो गया है।

पीएमजीएसवाई

1373. **श्री रुद्रमाधव राय** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के पास उड़ीसा में पहले से घोषित पांच जिलों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों/जिलों को वामपंथी उग्रवाद (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म) से गंभीर रूप से प्रभावित घोषित करने और बेहतर संपर्क हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कुछ और सड़क परियोजनाएं संस्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो 2009–10 और 2010–11 के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) क्या सामग्रियों की लागत में वृद्धि के कारण परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत को पूरा करने हेतु कदम उठाए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों/जिलों का निर्धारण, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पांच जिलों के अलावा, नक्सली हिंसा से प्रभावित चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में समेकित कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा के 10 और जिलों को निर्धारित किया गया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यक्रम दिशा–निर्देशों में छूट दी गई है और इन क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली सभी बसावटों पर कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज हेतु विचार किया जाएगा। इसके अलावा, इन सड़कों पर 75 मीटर तक के पुलों के निर्माण का वित्त पोषण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(ख) अब पात्र हो गई बसावटों की श्रेणियों से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, उड़ीसा में इन जिलों के लिए पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू वर्ष के दौरान 209 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है, जिसे इन जिलों में केवल इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

(ग) राज्यों द्वारा उठाए गए लागत में वृद्धि संबंधी मुद्दे की जांच की गई है। पीएमजीएसवाई दिशा–निर्देशों के अनुसार, सामान्यतया कार्यों को 12 महीने की अवधि में पूरा किया जाना होता है, इसलिए इस कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले ठेके नियत कीमत वाले ठेके होते हैं। राज्य किसी चरण/बैच के संबंध में समग्र राज्य के लिए टेंडर प्रीमियम के मूल्य का आकलन कर सकते हैं और इस राशि के भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल राशि से अधिक होने की स्थिति में बढ़ी हुई राशि (टेंडर प्रीमियम) का निर्वाह संबंधित राज्य द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

साबरमती रेलवे स्टेशन

1374. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने साबरमती रेलवे स्टेशन के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ड्रिप सिंचाई

1375. श्री हरीश चौधरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई सुविधा प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी नहीं, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सी ए डी डब्ल्यू एम) कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, सी ए डी डब्ल्यू एम कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड चैनलों के निर्माण के विकल्प के रूप में स्प्रिंकलर/ड्रिप केंद्रीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रावधान उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि कृषि और बागवानी विभागों द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें ड्रिप सिंचाई सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।

एसजीएसवाई

1376. श्री के. डी. देशमुख : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बोलाघाट और सिवानी क्षेत्रों से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान निधियों के केंद्रीय अंश की रिलीज के लिए प्रस्ताव दोनों जिलों से प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान बालाघाट एवं शिवनी के लिए केंद्रीय आबंटन एवं रिलीजों को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :

(रुपये लाख में)

वर्ष	बोलाघाट		सिओनी	
	केंद्रीय आंबटन	केंद्रीय रिलीज	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज
2007–08	498.92	498.92	288.03	288.03
2008–09	589.82	589.02	340.51	340.51
2009–10	604.81	579.98 (अथशेष के कारण की गई कटौती की वजह से)	349.16	168.07

विपणन के लिए, वर्ष 2008–09 के दौरान जिलों में तीन ग्रामीण हाट बनाने के लिए प्रायोगिक जिलों में बालाघाट एवं शिवनी सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों के प्रति जिला 16.875 लाख रु. की दर से निधियों के केंद्रीय हिस्से की प्रथम किस्त रिलीज की गई थी। वर्ष 2010–11 के दौरान ग्रामीण हाटों के निर्माण के लिए दूसरी किस्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव इस मंत्रालय के दो जिलों से प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए दूसरी किस्त के रूप में प्रति जिला 16.875 लाख रु. की दर से प्रति जिला इन जिलों के लिए 33.75 लाख रु. रिलीज किए गए।

(ग) एसजीएसवाई के अंतर्गत बालाघाट एवं शिवनी जिलों के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रिश्वत देना

1377. **श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** भारतीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रिश्वत देना के बारे में 29 जुलाई, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 859 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ और उद्यमों पर ठेका प्रदान करने की एवज में विदेशी कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप लगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : (क) से (ग) भारतीय सरकारी उपक्रमों को रिश्वत देने के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 859, दिनांक 29 जुलाई, 2010 के उत्तर में यह कहा गया था, ''संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से जानकारी मांगी गई है।''

'टाइम्स ऑफ इंडिया', दिनांक 8 जुलाई, 2010 तथा 'इकॉनामिक टाइम्स', दिनांक 7 जुलाई, 2010 के समाचार मद के अवलोकन के बाद एनटीपीसी तथा बीएचईएल से जानकारी एकत्र की गई है जो क्रमशः विद्युत मंत्रालय तथा भारी उद्योग विभाग से संबद्ध हैं।

विद्युत मंत्रालय, एनटीपीसी लि. का प्रशासनिक मंत्रालय है और उसने यह सूचित किया है कि एनटीपीसी लि. ने 'प्रेस प्रकाशनी' के माध्यम से इन आरोपों का खंडन किया है जो दिनांक 8.7.2010 के 'इंडियन एक्सप्रेस' तथा अन्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। भेल के प्रशासनिक विभाग अर्थात भारी उद्योग विभाग ने यह सूचित किया है कि इस संबंध में बीएचईएल के किसी अधिकारी का नाम नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वाहन ईंधन नीति

1378. **श्रीमती जे. शांता** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियां स्वच्छ ईंधन का प्रयोग शुरू करने की 1 अप्रैल 2010 की समय-सीमा को पूरा करने में विफल रही है जैसा कि वर्ष 2003 की वाहन ईंधन नीति में निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 3.10.2003 को आयोजित अपनी बैठक में 1.4.2010 से लागू आटो ईंधन नीति में 13 पहचाने गए शहरों (सिकंदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, सोलापुर और लखनऊ सहित दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बेंगलूर, हैदराबाद) में भारत चरण (बीएस)-IV और शेष देश में बीएस-III (पेट्रोल और डीजल) प्रारंभ किए जाने थे। तदनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 13 पहचाने गए शहरों में बीएस-IV पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति तथा गोवा में बीएस-III पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। तथापि, आटो ईंधन की मांग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होने, आपूर्ति संबंधी बाधाओं और बड़ी मात्रा में उत्पादों के परिवहन सहित जटिल संभारतंत्रीय मुद्दों के कारण मंत्रिमंडल ने दिनांक 23.4.2010 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 1 अक्तूबर, 2010 के बीच चरणबद्ध ढंग से बीएस-III एमएस/एचएसडी की शुरूआत करने को अनुमोदित कर दिया था। तदनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2010 और 22 सितम्बर, 2010 के बीच पूरे देश (13 शहरों के अतिरिक्त) में भारत चरण-III आटो ईंधनों की शुरूआत कर दी गई थी।

उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

1379. **श्री एम. के. राघवन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो सीओई की स्थापना की प्रकृति, भूमिका और पात्रता का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने संस्थानों की सीओई के रूप में मान्यता दी गई है;

(घ) अब तक ऐसे सीओई की स्थापना के क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इससे प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान बाधित होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) जी, हां। ''पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना'' स्कीम का लक्ष्य पॉलीमर्स के क्षेत्र में संलग्न वर्तमान शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना करना है। उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के चुनिंदा क्षेत्रों में मौजूदा वैश्विक ज्ञान के विश्लेषण एवं प्रचार–प्रसार के लिए एक विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है। संस्थानों से प्राप्त विस्तृत प्रस्तावों का मूल्यांकन विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया गया है ताकि 11वीं योजना अवधि में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए संस्थानों के नाम को अंतिम रूप दिया जा सके। अगले तीन वर्षों की अवधि में दो पूर्ण रूप से संचालित उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना की जाएगी।

(ङ) और (च) प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान प्लास्टिक की थैलियों और उनके अव्यवहारिक रूप से बिखराव तक ही सीमित है। उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ–साथ, बायो–पॉलीमर एवं बायो–डिग्रेडेबल पॉलीमर का विकास तथा पुनःचक्रण प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषण है जिससे इन मुद्दों के समाधान के लिए रणनीति विकसित करने में मद मिलेगी।

पनधारा प्रबंधन परियोजनाएं

1380. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में शुरू की गई पनधारा प्रबंधन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण और कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें अब 26.2.2009 से 'समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भूमि संसाधन विभाग के वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत विगत पांच वर्षों (अर्थात् वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक) के दौरान आरंभ की गई वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाओं का ब्यौरा (उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता सहित) निम्नुनसार है–

कार्यक्रम को नाम	आंध्र प्रदेश			कर्नाटक		
	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई परियोजनाओं का क्षेत्र (लाख है. में)	जारी की गई कुल निधियां (करोड़ रुपये)	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई परियोजनाओं का क्षेत्र (लाख है. में)	जारी की गई कुल निधियां (करोड़ रुपये)
डीडीपी#	282	1.41	117.61	418	2.09	177.52
डीपीएपी#	702	3.51	244.62	530	2.65	215.40
आईडब्ल्यूडीपी#	44	2.61	192.01	44	2.30	161.30
आईडब्ल्यूएमपी★	110	4.73	30.68	119	4.92	81.00

डीडीपी, डीपीएपी और आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत वर्ष 2007–08 से कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की जा रही हैं।

★ अईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत वर्ष 2009–10 से ही परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं।

कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में बृहत कृषि प्रबंधन की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत दो वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों अर्थात् वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम (एनडब्ल्यूडीपीआरए) तथा नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों (आरवीपी एवं एफपीआर) के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्यान्वित कर रहा है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आरंभ की गई वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाओं का ब्यौरा (उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता सहित) निम्नानुसार है–

कार्यक्रम के नाम	आंध्र प्रदेश			कर्नाटक		
	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई परियोजनाओं का क्षेत्र (लाख है. में)	जारी की गई कुल निधियां (करोड़ रुपये)	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई परियोजनाओं का क्षेत्र (लाख है. में)	जारी की गई कुल निधियां (करोड़ रुपये)
आरवीपी एवं एफपीआर	34	0.50	32.01	37	1.30	70.32
एनडब्ल्यूडीपीआरए	190	0.95	19.89★★	34 (कलस्टर)	0.78	101.75★★

★★एन. डब्ल्यू. डी. पी. आर. ए. के मामले में उल्लिखित वास्तविक आंकड़े 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं तथा वित्तीय आंकड़े वर्ष 2005–06 से संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

....(व्यवधान)

इस समय श्री के. चन्द्रशेखर राव और श्रीमती एम. विजय शान्ति आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

....(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा पटल पर पत्र रखे जाएं, श्री वीरभद्र सिंह।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एकएक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्येलेयर का वर्ष 2009–2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 3923/15/11)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2009–10 के वार्षिकप्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्ट्टियूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2009–10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3924/15/11)

'(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) हिंदुस्तान ऑर्गनिक केमिकल्स लिमिटैड, रायगढ़ के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान ऑर्गनिक केमिकल्स लिमिटेडद्व रायगढ़ का वर्ष 2009–2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए, संख्या एल.टी. 3925/15/11)

(ख) (एक) हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009–2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3926/15/11)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2009–2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3927/15/11)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2010 जो 20 दिसंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 986(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 जो 20 दिसंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 987 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता

के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकर द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009–2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए*, संख्या एल.टी. 3930/15/11)

(ख) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009–2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथ अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 3911/15/11)

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

''कि यह सभा लोक सभा की सिफारिशों से सहमत है कि दोनों सभाओं की 30 सदस्यीय संयुक्त समिति, जिसमें लोक सभा से 20 तथा राज्य सभा से 10 सदस्य शामिल होंगे, गठित की जाए–

(एक) वर्ष 1998 से 2009 तक दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण में, उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा नीति निर्धारण और तत्पश्चात् उनके निर्वचन की जांच करना जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय और उनके परिणाम शामिल हैं;

(दो) वर्ष 1998 से 2009 तक दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और विपथन, यदि कोई हों, और उनके परिणामों की जांच करना; और

(तीन) दूरसंचार लाइसेंसों के आवंटन और मूल्य निर्धारण नीति के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं का निरूपण सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करना।

जैसाकि लोक सभा द्वारा 24 फरवरी, 2011 को स्वीकृत प्रस्ताव में दर्शाया गया है तथा 25 फरवरी, 2011 को इस सभा को सूचित किया गया है और यह संकल्प करती है कि यह सभा उक्त समिति से सहयोजित होती है तथा उक्त समिति में कार्य करने के लिए इस सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित 10 सदस्यों को नियुक्त करती है–

1. प्रो. पी. जे. कुरियन
2. श्रीमती जयंती नटराजन
3. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल
4. श्री तिरुची शिवा
5. डॉ. योगेंद्र पी. त्रिवेदी
6. श्री एस.एस. अहलुवालिया
7. श्री रवि शंकर प्रसाद
8. श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह
9. श्री सतीश चंद्र मिश्र
10. श्री सीताराम येचुरी

अपराह्न 12.01½ बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, मुझे इस सभा को यह सूचित करना है कि मुझे झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदय श्री अर्जुन मुंडा का लोक सभा की सदस्यता से

त्यागपत्र देने संबंधी दिनांक 26 फरवरी, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। मैंने 26 फरवरी, 2011 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

लोक सभा की सभापति तालिका में नामांकन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री बेनी प्रसाद वर्मा के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप, अब से सभापति तालिका के सदस्य नहीं हैं।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियम के नियम 9(1) के अधीन मैंने श्री सतपाल महाराज को इस रिक्त पद के लिए नामानिर्दिष्ट कर दिया है।

अपराह्न 12.03 बजे

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

14वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी) : अध्यक्ष महोदया, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

15वें से 18वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूं :

(एक) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010–11) के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010–11) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010–11) के बारे में आठवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(चार) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010–11) के बारे में नौवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : **श्री बसुदेव आचार्य** : उपस्थित नहीं।

अपराह्न 12.03½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री शैलेंद्र कुमार (कौशाम्बी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं : ''कि यह सभा दिनांक 1 मार्च, 2011 को इस सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा दिनांक 1 मार्च, 2011 को सभा में प्रस्तत कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें–(रेल), 2010–11

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 11

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं वर्ष 2010–11 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा संस्करण संस्कृत) प्रस्तुत करती हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3932/15/11)

अपराह्न 12.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले★

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे अपनी–अपनी पर्चियां व्यक्तिगत से 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर रख सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए निर्धारित समय के भीतर पर्चियां प्राप्त हो गई हैं और शेष को व्ययगत माना जाएगा।

(एक) दिल्ली का बैरवा और बलाई जातियों के लोगों को एक ही जाति के रूप में मानने तथा उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (करौली धौलपुर) : मैं आपका ध्यान राजस्थान के प्रवासी बैरवा समाज की ओर दिलाना चाहता हूं जो वर्तमान में दिल्ली में लगभग 17 लाख की आबादी के साथ निवास करती है। राजस्थान में जाति परिवर्तन से पूर्व यह जाति अन्य नाम से अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती थी परंतु सन् 1956 में बैरवा जाति को भारतीय संविधान में राजस्थान में एक अलग जाति की मान्यता दी गई फिर उसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हुआ।

राजधानी दिल्ली में बैरवा जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी. सी.) का दर्जा दिया हुआ है जबकि बैरवा जाति के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया और जाति परिवर्तन से पूर्व नाम 'बलाई' से ही वह आज तक अनुसूचित जाति की सुविधा प्राप्त कर रहा है। यह मांग दिल्ली सरकार तथा भारत सरकार से पिछले तीन दशक से बैरवा समाज के लोग करते आ रहे हैं, परंतु सरकारी तकनीकी कारण से एक जाति दो नामों से दिल्ली में जानी जाती है। जाति परिवर्तन के पश्चात् बैरवा समाज के लोग अपने आपको बैरवा कहलाने लगे परंतु सरकारी रिकार्ड में आज भी एक नाम 'बलाई' है तथा दूसरा नाम 'बैरवा' है। एक नाम से वह अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है दूसरे नाम से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के रूप में जाना जाता है।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बलाई/बैरवा को एक ही श्रेणी अनुसूचित जाति के रूप में सम्मिलित कराने की कृपा करें ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके।

(दो) कोट्टापुरा–मंगलौर राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण शुरू कराए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : केएल बारहमासी नदियों की भूमि है, जो राज्य के चारों तरफ से गुजरती हैं। देश में जलमार्गों के विकास हेतु इतना अधिक अनुकूल और को राज्य नहीं हो सकता। आज केरल बल्लरपद, कोची स्थित देश में सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल का केंद्र है, जिसे हाल में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। समर्पित जलमार्ग के विकास से सस्ते परिवहन की व्यवस्था में सफलता मिलेगी। आज कोल्लम और कोट्टापुरम के बीच राष्ट्रीय जल मार्ग (रा. जलमार्ग 3) है। कोट्टापुरम–मंगलौर–राष्ट्रीय जल मार्ग हेतु अंतर्देशीय–जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सर्वेक्षण कराए जा चुके हें तथापि, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यह सुझाव है कि कोट्टापुरमा–मंगलौर लाइन पर कार्य तत्काल शुरू किया जाना चाहिए जिसमें इसे गहरा करना, चौड़ा बनाने और मजबूतर करना भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जहां कहीं समुचित उपयोग हेतु आवश्यकता है जो केरल के उत्तरी भाग के विकास को बढ़ावा देने के अतिरिक्त परिवहन लागत को घटाएगा विशेषरूप से तब जब केरल उपभोक्ता राज्य है।

(तीन) लक्षद्वीप के अन्द्रोथ द्वीप में एक हवाईअड्डे का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता।

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप) : मैं सरकार का ध्यान लक्षद्वीप में अंड्रोठ में विमानपत्तन के प्रस्तावित निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव गत 16 वर्षों से लंबित है। लक्षद्वीप को मुख्यभूमि से इसके भौगोलिक अलगाव के कारण भारत के संविधान की अनुसूची

★सभा पटल पर रखे माने गए।

5 के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इन द्वीपों को मुख्यभूमि से अलग–थलग रहने से बचाने के लिए विमानपत्तन अति आवश्यक है। सरकार को दूर–दराज की द्वीपों और मुख्यभूमि के बीच के अंतर को मिटाना केवल विमानपत्तन बनाकर ही संभव है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध और आग्रह करता हूं कि वह इन द्वीपों की अत्यधिक दूरी के मद्देनजर स्थानीय निवासियों के कल्याण और द्वीपों के विकास हेतु विमानपत्तन का निर्माण करने के लिए संबद्ध प्राधिकारियों को तत्काल निदेश दें।

(चार) बिहार के किशनगंज जिले और अन्य संलग्न क्षेत्रों में क्षय रोग तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को समुचित चिकित्सा सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद असरारूल हक (किशनगंज) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान बिहार प्रदेश के सीमांचल इलाके और विशेष तौर पर किशनगंज जिले में भयानक जानलेवा बीमारियां जैसे हृदय, गुर्दे, वृक्क संबंधी बीमारियों, कैंसर एवं तपेदिक रोगियों की बढ़ती हुई संख्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

सीमांचल पर अवस्थित जनपदों में तपेदिक के रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। यह क्षेत्र बिहार राज्य के अत्यंत पिछड़े इलाकों में शुमार रहा है। गरीबी एवं कुपोषण इस क्षेत्र की नियति रही है। विकास की रोशनी अभी भी इस क्षेत्र से कोसों दूर है। तपेदिक रोग का आतंक पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। इलाके में चिकित्सा सुविधाएं नगण्य हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का भी गहरा अभाव है एवम् जहां चिकित्सा केंद्र उपलब्ध भी हैं वहां चिकित्सक, नर्स एवम् बुनियादी चिकित्सा संबंधी उपकरणों की भारी कमी है। परिणामस्वरूप गरीब जनता को इलाज के लिए सुदूर पटना या राजधानी दिल्ली तक आना पड़ता है। यह सारा प्रक्रम एक दुश्चक्र की भांति गरीब एवं निरीह जनता की समस्याओं को और जटिल बना रहा है।

उपरोक्त के संबंध में मंत्री महोदय से अनुरोध है कि संपूर्ण मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम इस क्षेत्र में भेजी जाए जो रिसर्च करके इन बीमारियों के फैलने के कारणों का पता लगाए और इनकी रोकथाम के लिए शीघ्र व्यवस्था करे। स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय दल भी वहां भेजा जाए और एक बड़ा अस्पताल बनाने की व्यवस्था की जाए।

(पांच) सरकारी कार्यालयों और विभागों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता।

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.) : राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए समितियों का गठन किया जाता है तथा प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है जिस पर सार्वजनिक धन का व्यय होता है। इन सारे प्रयासों के बाद भी हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज बढ़ने के स्थान पर कम होता जा रहा है।

राजभाषा हिंदी के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बनवाए गए राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का पालन केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, उसके नियंत्रण के निगमों एवं कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सांसदों द्वारा हिंदी में लिखे पत्रों का उत्तर भी उन्हें अंग्रेजी में दिया जा रहा है।

ऐसी दशा में राजभाषा को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने हेतु संविधान एवं राजभाषा अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों को दृढ़ता से लागू किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इन प्रावधानों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही भी राजभाषा हिंदी को संरक्षित करने की दृष्टि से आवश्यक है।

(छह) मध्य प्रदेश में चंद्रपुरा से ओरछा तक सड़क और पुलों का निर्माण केंद्रीय सड़क निधि से कराए जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेंद्र कुमार (टीकमगढ़) : मध्य प्रदेश के अंतर्गत ओरछा एवं खजुराहो विश्व प्रसिद्ध केंद्र हैं। जहां समूचे विश्व के अनेक राष्ट्रों के पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में झांसी से सड़क मार्ग से ओरछा एवं खजुराहो जाते हैं। टीकमगढ़ से ओरछा सड़क को केंद्रीय सड़क निधि से बनाया गया है किंतु पृथ्वीपुर के आगे चंद्रपुरा से ओरछा तक लगभग 8 किलोमीटर सड़क को बगैर बनाए छोड़ दिया गया है। यह क्षेत्र वनभूमि में आता है किंतु इस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बहुत पहले सिंगल लेन की जो सड़क बनाई गई थी वह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वन विभाग की अनुमति नहीं होने से सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया है तथा इस 8 किलोमीटर के क्षेत्र में जामनी एवं बेतवा नदी पर दो संकीर्ण पुल भी हैं जिनकी अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा नया निर्माण प्रतीक्षारत है किंतु उनका कार्य भी वन विभाग को एन.ओ.सी. नहीं मिलने से नहीं हो पा रहा है।

अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ओरछा में पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय सड़क निधि सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने एवं प्रस्तावित पुलों का निर्माण कराने हेतु वन विभाग की आपत्ति को दूर कराकर स्वीकृति दिलाने का सहयोग करें।

(सात) क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारे की तर्ज पर नागपुर–रायपुर–राउरकेला–पारादीप औद्योगिक गलियारे का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता।

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : केंद्र सरकार एक महत्त्वाकांक्षी योजना दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) के नाम से स्वीकृत कर क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के पूर्णतः कार्यान्वित होने के बाद जिन क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन होगा वह क्षेत्र आर्थिक और औद्योगिक रूप से अत्यंत समृद्ध एवं सक्षम हो जाएंगे जिसका सीधा फायदा उस क्षेत्र की जनता को होगा और उन राज्यों को होगा जहां से वह कॉरीडोर गुजरेगा। इसी तरह से एक योजना नागपुर–रायपुर–राऊरकेला–पारादीप के लिए बनाई जानी चाहिए जिसे एन.आर.पी. कॉरीडोर के नाम से जाना जाए। उक्त सभी क्षेत्र उन राज्यों में आते हैं और इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनका शुमार किया जा सकता है। इस योजना के इन क्षेत्रों में लागू होने से दोतरफा प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ेगा। क्षेत्र के विकास एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण के साथ नक्सली समस्या का भी एक सामाजिक और आर्थिक निदान स्वयंमेव प्राप्त हो जाएगा।

अतः यह उचित होगा कि सरकार इस विषय पर शीघ्रातिशीघ्र गंभीरता से विचार करे और इसे कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों और क्षेत्र के सांसदों की एक बैठक बुलाएं।

(आठ) राज्य के भीतर तथा बाहर प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार को पर्याप्त मात्रा में कोयले का आवंटन किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा (बंगलौर उत्तर) : कर्नाटक सरकार की चार ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित करके राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने की योजना है। इस परियोजना का निष्पादन कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निजी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम में किए जाने की योजना है। ये परियोजनाएं रायचूर में चेरमासिक और येल्लापुरा गुलबर्ग और छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हैं और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इन परियोजनाओं हेतु कोयला आबंटित करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार द्वारा कोयला अब तक आबंटित नहीं किया गया है। जब तक कोयला आबंटित नहीं किया जाएगा तब तक पर्यावरण और वन मंत्रालय अनुमति प्रमाण–पत्र जारी नहीं करेगा। अनुमान है कि कर्नाटक को इन ताप विद्युत परियोजनाओं हेतु लगभग एक करोड़ टन कोयले की आवश्यकता होगी।

कर्नाटक को तेज औद्योगिकरण और जनता के लिए विद्युत की आवश्यकता है। इस समाज कर्नाटक अन्य राज्यों से विद्युत खरीद रहा है। उपर्युक्त विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से विद्युत हेतु कर्नाटक की अन्य राज्यों पर निर्भरता में काफी कमी आएगी।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार की मांग स्वीकार करे ताकि पर्यावरण और वन मंत्रालय से आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

(नौ) उत्तर–मध्य रेलवे में गुना–इटावा रेल परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (भिंड) : उत्तर मध्य रेलवे की गुना इटावा रेल परियोजना काफी विलंब हो जाने के बाद भी अभी पूरी नहीं हुई है जिससे रेलवे मंत्रालय को करोड़ों रुपए का नुकसान एवं भिंड, इटावा, ग्वालियर और आम जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, विलंब के कारण इसकी लागत भी बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्रालय/केंद्र सरकार निर्माण एजेंसियों की मीटिंग बुलाए और इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए जिससे जनता इसका पूरा लाभ ले सके।

(दस) झारखंड में कोनार बांध परियोजना के निर्माण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : झारखंड में कोनार बांध परियोजना पर 3 मेगावाट की पनबिजली परियोजना स्थापित करने हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट का परामर्श संबंधी कार्य दामोदर घाटी निगम को सौंपा गया था और शुल्क के आधार पर एन.एच.पी.सी. ने अगस्त, 2004 में डीवीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हाल ही में विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सी.डब्ल्यू.सी., झारखंड के सिंचाई विभाग तथा डी.वी.सी. के एक दल ने बांध स्थल पर पावर हाउस

निर्माण के प्रस्ताव के संदर्भ में स्थल के निरीक्षण हेतु कोनार बांध परियोजना का दौरा किया था। पुनः दल ने सिफारिश की है कि सुरक्षा पहलू के संबंध में कोनारबांध की वर्तमान स्थिति की जांच पहले विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। इन सारे कार्यों में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की राशि व्यय की गई, परंतु वर्षों पूर्व उक्त प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

अतः सरकार से आग्रह है कि कोनार बांध परियोजना कार्य को शीघ्र पूरा कराने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

(ग्यारह) देश में खाद्यान्न भंडारण की सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज) : खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों और संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की घोषणा की ओर अगर ध्यान न दिया गया तो वर्ष 2011 में विकासशील देशों में अनाज महंगे हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में 75 फीसदी लोगों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं जो भूखे या आधे पेट खाना खाकर काम चला रहे हैं। क्योंकि महंगाई इतनी अधिक हो गई है कि वे आवश्यक खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि जिस देश में 70 से 80 फीसदी जनता प्रति दिन 20 रुपए खर्च करने की स्थिति में हो तो वह भला भरपेट भोजन कैसे कर सकती है।

वहीं दूसरी ओर देश में खाद्यान्न सड़ रहे हैं और मा. सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने व जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर भी सरकार नीतिगत मामले की बात कह कर आवश्यक कदम नहीं उठाती।

खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए देश में सरकारी क्षेत्र में मात्रा 525 कोल्ड स्टोरेज हैं जो हर तरह से अपर्याप्त हैं फिर भी सरकार खाद्यान्नों की स्टोरेज क्षमता में इजाफा करने में गंभीर नहीं दिखती है।

देश के दूर–दराज क्षेत्रों को छोड़ दें और देश की राजधानी की बात करें तो हर वर्ष तकरीबन एफ.सी.आई. के गोदामों में 10 करोड़ रुपए का अनाज बरसात में भीगकर बर्बाद हो जाता है।

मेरा आग्रह है कि भूखों को पर्याप्त खाद्यान्न मिले और महंगाई पर अंकुश लगा रहे इसके लिए आवश्यक है कि खाद्यान्नों की स्टोरेज क्षमता को सरकार अविलंब बढ़ाए जिससे खाद्यान्न सुरक्षित रहे और जरूरत के समय जनता के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

(बारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जापानी इंसेफलाइटिस के लिए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया) : उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एवं बिहार के कुछ सीमावर्ती इलाकों में जापानी इन्सेफेलाइटिस दिमागी बुखार का प्रकोप कई सालों से हर साल होता आ रहा है जिससे प्रकोप के समय रोजाना पांच या छः व्यक्ति इस बीमारी से मरते हैं। यह बीमारी कई सालों से लगातार देवरिया के इलाके के आस–पास के जिलों में एवं गोरखपुर तक रहती है परंतु देवरिया जिले से सटे जिले में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा रहता है। जलवायु एवं कुछ वातावरण के चलते दिमागी बुखार का प्रकोप हर साल होता है और कभी–कभी तो यह महामारी का रूप भी ले लेती है। सरकारी प्रयासों से इलाज किए जाते हैं परंतु यह बीमारी हर साल क्यों पैदा होती है और इसके क्या कारण हैं एवं इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है इसके समाधान हेतु मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जापानी इन्सेफेलाइटिस दिमागी बीमारी से संबंधित अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए क्योंकि इस बीमारी का केंद्र बिंदु देवरिया जिला है और इसी जिले में ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जापानी इन्सेफेलाइटिस दिमागी बीमारी संबंधित अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ही स्थापित किया जाए जिससे इस बीमारी का सघन अध्ययन किया जा सके।

(तेरह) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में डीआरडीओ का एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर लाना चाहता हूं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा गत वर्ष धर्मपुरी में राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण का अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की पहल की गई थी। इस प्रयोजनार्थ तमिलनाडु की राज्य सरकार ने उक्त कार्य हेतु रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को आबंटन हेतु भूमि की पहचान की थी। डीआरडीओ के एक दल ने भी धर्मपुरी के नेक्कुंधी में स्थल का निरीक्षण किया है। धर्मपुरी तमिलनाडु राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में से एक जिला है। यह पहल इस अति पिछड़े जिले में लगभग 15000 व्यक्तियों हेतु रोजगार का सृजन करने का स्वर्णिम अवसर था। राज्य सरकार और जिला

प्रशासन ने धर्मपुरी में इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने हेतु डीआरडीओ के द्वारा अपेक्षित पूरा ब्यौरा उपलब्ध करना था। तथापि, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा इस बहुप्रतिक्षठित अनुसंधान केंद्र को धर्मपुरी में स्थापित करने के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे धर्मपुरी में डीआरडीओ का अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के मामले में तेजी लाएं, ताकि तमिलनाडु के औद्योगिक रूप से पिछड़े इस जिले के लोगों को रोजगार मिल सके और इससे धर्मपुरी जिले को पिछड़े जिले से विकसित जिले में बदलने में भी मदद मिलेगी।

(चौदह) बिहार के बक्सर और चौसा क्षेत्रों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के संरक्षण और विकास की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : बिहार के बक्सर एवं चौसा पौराणिक एवं ऐतिहासिक काल से विख्यात स्थान रहे हैं। बक्सर विश्वामित्र का आश्रम एवं राम की ज्ञानभूमि रही है तथा चौसा में देश की कई लड़ाइयां एवं युद्ध हुए हैं। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थान का संरक्षण तथा वर्द्धन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होते हुए भी आज यह सुविधाओं से वंचित है। बक्सर में गंगा तट पर बना हुआ ऐतिहासिक किला जहां केंद्रीय सरकार ने लाइट एंड साउंड कार्यक्रम की व्यवस्था कर न केवल बक्सर का बल्कि देश के ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी वह भी समाप्त हो गई है।

अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों का तय प्रतिष्ठा के अनुरूप संरक्षण एवं वर्द्धन करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद सं. 13 और 14 को एक साथ लिया जाएगा।

हम रेल बजट पर चर्चा आरंभ करते हैं।

योगी आदित्य नाथ।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ जी, आप रेलवे बजट पर चर्चा शुरू कीजिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री योगी आदित्य नाथ।

[हिन्दी]

आप रेलवे बजट पर बोलिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी, आप बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएं, रेलवे बजट पर चर्चा होने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)*★

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ जी, आप बोलिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थापित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री गोपीनाथ मुंडे जी, आप बोलिए।

★कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सिर्फ गोपीनाथ मुंडे जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

....(व्यवधान)

अपराह्न 12.30½ बजे

इस समय श्री के. चंद्रशेखर राव और श्रीमती एम. विजय शान्ति आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : अध्यक्ष महोदया, सीवीसी पी.जे. थॉमस की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का एक गंभीर फैसला आया है और उन्होंने सीवीसी पी.जे. थॉमस की नियुक्ति इल्लीगल ठहराई है और यह फैसला आ चुका है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके बारे मं स्टेटमेंट दे और सदन को इसके बारे में अवगत कराए कि थॉमस की नियुक्ति में कहां गलती हो गई?....*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि....(व्यवधान) जो ट्रेजरी बैंच के लोग हैं, ...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है।....(व्यवधान) सबसे पहले मैं ट्रेजरी बैंच के भाइयों से कहना चाहता हूं। आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप इधर चेयर की ओर उन्मुख होकर बोलिए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हो गया। आप अपनी सीट पर जाइए। आपको बाद में बुलाएंगे।

....(व्यवधान)

श्री शरद यादव : एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। चंद्रशेखर राव जी, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।....*(व्यवधान)* क्या आप एक मिनट मेरी बात भी नहीं सुनेंगे?....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगी परंतु पहले आपको अपने–अपने स्थान पर वापस जाना होगा।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, हम तेलंगाना के हक में हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि सारे माननीय सदस्य रेलवे बजट पर बोलने के लिए बैचेन और परेशान हैं। आपने अपना मुद्दा उठा लिया।....*(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुनिए।....*(व्यवधान)* सरकार में कांग्रेस पार्टी का कोई है कि नहीं है?....*(व्यवधान)*

श्री के.आर.जी. रेड्डी (भोंगीर) : अध्यक्ष महोदया, हमारे तेलंगाना में 400 आदमी मर गए हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यदि आप रेल बजट पर चर्चा शुरू करने में सहयोग देंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगी। श्री के.आर. जी. रेड्डी मैं आपको अभी बोलने की अनुमति दूंगी। यदि आप अभी बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। श्री चंद्रशेखर राव यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप भी बोल सकते हैं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अगर आप अभी बोलना चाहते हैं, तो आप संक्षेप में बोल लीजिए और चंद्रशेखर राव जी, आप भी संक्षेप में बोल लीजिए और उसके बार हाउस को चलाएंगे। अभी हाउस को चलाने के लिए आप बोल लीजिए और आप भी बोल लीजिए। फिर हाउस को चलाएंगे। रेलवे बजट पर चर्चा होनी है।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यदि आप बोलना चाहते हैं तो कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए और तब बोलिए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपने स्थान पर जाइए और फिर बोलिए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपने स्थान पर जाइए और फिर बोलिए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं आपसे बोलने के लिए कह रही हूं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री चंद्रशेखर राव, आप को भी अपने स्थान पर जाना होगा।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....(व्यवधान)★

अध्यक्ष महोदया : लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.30 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

इस समय श्रीमती विजया शांति और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

....(व्यवधान)

★कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ, आप बोलिए।

....(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में विशेष रूप से जनता बहुत विह्वल और आकुल है और इसीलिए आप इन्हें यहां से बोलने का अवसर दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ आडवाणी जी की बात रिकार्ड पर जाएगी बाकी और किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

....(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहता हूं कि तेलंगाना चाहने वाले लोग यह भी चाहेंगे कि संसद के माध्यम से ठीक प्रकार से तेलंगाना मिले और यदि तेलंगाना के नाम पर संसद की कार्यवाही रुकती रहेगी तो उससे तेलंगाना के जो समर्थक हैं, उनके मन में भी विपरीत भावना पैदा होगी। इसीलिए आप दोनों से अनुरोध है कि आप दोनों अपने स्थानों पर चले जाएं।....*(व्यवधान)* यदि आप नहीं जाएंगे तो वे लोग भी नहीं जाएंगे। आप दोनों चलिए।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आइटम नम्बर 9, श्री बसुदेव आचार्य।

अपराह्न 2.02 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैं विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1953 के कतिपय उपबंधों के अतिक्रमण के कारण विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया के महासचिव श्री डी.पी. दुबे द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

★कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे साथियों से कह रहे हैं कि वे यहां से चले जाएं और अपनी–अपनी बात कहें। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार को पता नहीं है कि बात क्या है? ये लोग क्या नई बात कहेंगे, सारा तेलंगाना कह रहा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहती हूं....*(व्यवधान)* मैं आपकी बात कर रही हूं....*(व्यवधान)* मैं आपकी बात कर रही हूं, आप जरा रुकिए।....*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह (सतना) : वह आपकी बात कह रही हैं, आप जरा सुनिए।....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, आपने अभी पीठ से यह कहा कि हमारे साथी अपनी जगह जाएं और पांच–पांच मिनट बोलकर अपनी बात रख दें। मैं आपके माध्मय से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि क्या सरकार को इनकी बात पता नहीं है, जो ये पांच मिनट अपनी बात कहेंगे। पूरा तेलंगाना जलकर अपनी बात कह रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि तेलंगाना में सारा काम ठप पड़ा है। मुख्यमंत्री जी को तनख्वाह नहीं मिली है क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। आज कांग्रेस के एक मंत्री ने वहां रेजिग्नेशन दिया है। इनकी कौन सी बात है जो ये नहीं कहेंगे? सरकार को इनकी बात पता है। हमें सरकार से केवल एक आश्वासन चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कहें कि इसी सत्र में वे तेलंगाना का बिल लाएंगे। मैं दस बार कह चुकी हूं कि हम उस बिल को पारित करवाएंगे। सरकार रोज–रोज यह तमाशा करवा रही है। इनके अपने दल के लोग खड़े होते हैं और संसद को बंद करते हैं।....*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री खड़े हों।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक हे। अब आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके लोग खड़े हैं। आपके मंत्री जी ने रिजाइन किया है। आपके मुख्यमंत्री को तनख्वाह नहीं मिली है। सारा तेलंगाना जल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपकी बात हो गई है।

....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो पूरी बात तेलंगाना कह रहा है, क्या वह इनके कान को सुनाई नहीं दे रही है? पूरा तेलंगाना चिल्ला–चिल्लाकर जो बात कह रहा है, वह इन्हें सुनाई नहीं दे रही है जो ये अपनी बात कहेंगे। सरकार खड़ी हो और इसके बारे में कहे।

महोदय, आप उन्हें निर्देशित कीजिए कि वे यहां आश्वासन दें कि वे तेलंगाना का बिल इसी सत्र से लेकर आएंगे और अभी सदन चल जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : उन्हें अपने–अपने स्थान पर वापस जाने दीजिए।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप तेलंगाना का बिल लाइए। ....*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, सरकार इस पर जवाब दे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न तीन बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.0½ बजे

इस समय श्रीमती एम. विजय शांति और श्री के. चंद्रशेखर राव आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, श्री गुरुदास दासगुप्त अपनी बात रखना चाहते हैं। हम उनकी बात सुनें।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : वे आपकी ही बात रखा रहे हैं। श्री गुरुदास दासगुप्त कृपया अब अपनी बात रखें।

....(व्यवधान)

अपराह्न 3.01 बजे

इस समय श्रीमती एम. विजय शांति सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गईं।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा पंद्रह मिनट के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.01¾ बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 3.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.15 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

....(व्यवधान)

अपराह्न 3.15 बजे

इस समय श्री के. चंद्रशेखर राव और श्रीमती एम. विजय शांति आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात अपने स्थान से कहें।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया सभा को चलने दीजिए।

....(व्यवधान)

श्री गुरुदास दास गुप्त (घाटल) : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।*....(व्यवधान)*

सभापित महोदय : कृपया सभा चलने दीजिए।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सरकार से कहूंगा। बाद में मैं आपकी बात अवश्य रखूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। कृपया सभा में शिष्टाचार बनाए रखें।

....(व्यवधान)

अपराह्न 3.16 बजे

(इस समय श्री के. चंद्रशेखर राव और श्रीमती एम. विजय शांति सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सही नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

....(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं श्री चंद्रशेखर राव से अपील करता हूं कि वे अपने स्थान पर वापस जाएं।*....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आप दोनों से अपील करता हूं कि आप अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....(व्यवधान)★

सभापति महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही चलने दीजिए।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....(व्यवधान)★

सभापति महोदय : सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.17 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 4 मार्च, 2011/13 फाल्गुन, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित★★ हुई।

★कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

★★ लगातार व्यवधान के कारण सभा उस दिन के लिए स्थगित की गई।

अनुबंध–I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री एम. के. राघवन	101
	श्री गजानन ध. बाबर	
2.	श्री सी. आर. पाटिल	102
	श्री हरिन पाठक	
3.	श्री मुध गौड यास्खी	103
	श्री एकनाथ महोदय गायकवाड	
4.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	104
5.	श्री राधा मोहन सिंह	105
	श्रीमती मीना सिंह	
6.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	106
7.	श्री आधि शंकर	107
	श्री एस. अलागिरी	
8.	श्री तकाम संजय	108
	श्री रायापति सांबासिवा राव	
9.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	109
	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	
10.	डॉ. संजय जायसवाल	110
	श्री खगेन दास	
11.	श्री ए. सम्पत	111
12.	श्री एंटो एंटोनी	112
	श्री आनंदराव अडसुल	
13.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	113
	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	
14.	श्री सोनवणे प्रताप नाराणराव	114
15.	श्री इज्यराज सिंह	115
	श्री वैजयंत पांडा	
16.	डॉ. किरोड़ीलाल मीणा	116
17.	श्री पी. विश्वनाथन	117
	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	
18.	श्री सी. शिवासामी	118
19.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	119
	श्री दुष्यंत सिंह	
20.	श्री हरीश चौधरी	120
	श्री किसनभाई वी. पटेल	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1338
2.	श्री आधि शंकर	1358
3.	श्री आनंदराव अडसुल	1338
4.	श्री हंसराज गं. अहीर	1169, 1271, 1347
5.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1306
6.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	1290
7.	श्री अनंत कुमार	1314
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1273, 1326, 1330
9.	श्री घनश्याम अनुरागी	1237
10.	श्री टी.आर. बालू	1247
11.	श्री गजानन ध. बाबर	1323, 1325
12.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1201
13.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	1225
14.	श्री रमेश बैस	1241, 1316
15.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1310

1	2	3
16.	डॉ. बलीराम	1192
17.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	1183,1324, 1325, 1336
18.	श्री सुदर्शन भगत	1295, 1319
19.	श्री ताराचंद भगोरा	1225, 1277
20.	श्री शिवराज भैया	1250, 1271
21.	श्री समीर भुजबल	1198
22.	श्री पी.के. बिजू	1189, 1322, 1363
23.	श्री हेमानंद बिसवाल	1170, 1219
24.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1297
25.	श्री जितेंद्र सिंह बुंदेला	1219, 1324
26.	श्री सी. शिवासामी	1321
27.	श्री हरीश चौधरी	1356, 1375
28.	श्री जयंत चौधरी	1274, 1297
29.	डॉ. महेंद्रसिंह पी. चौहाण	1180, 1184, 1271, 1330, 1360
30.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	1162, 1342
31.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	1180, 1304
32.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1191, 1365
33.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1239
34.	श्री भूदेव चौधरी	1217, 1324
35.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1205
36.	श्री भक्त चरण दास	1224
37.	श्री खगेन दास	1327
38.	श्री राम सुन्दर दास	1280
39.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1318
40.	श्री मिलिंद देवरा	1197
41.	श्री के.डी. देशमुख	1157, 1376
42.	श्रीमती रमा देवी	1233, 1300
43.	श्री के.पी. धनपालन	1221
44.	श्री आर. धुवनारायण	1291
45.	श्री निशिकांत दुबे	1234
46.	श्रीमी प्रिया दत्त	1333
47.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1253
48.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1317
49.	श्री गजेंद्र सिंह राजुखेड़ी	1248
50.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1287
51.	श्री एल. राजा गोपाल	1303
52.	श्री डी.वी. सदानंद गौडा	1258
53.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1260
54.	शेख. सैदुल हक	1264
55.	श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा	1268
56.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1239, 1344
57.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	1312
58.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1219, 1254
59.	श्री बद्रीराम जाखड़	1185, 1225, 1361
60.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	1255, 1324
61.	श्री हरिभाऊ जावले	1188
62.	श्रीमती जयाप्रदा	1243, 1319, 1331, 1332
63.	श्री कैलाश जोशी	1167
64.	श्री महेश जोशी	1296

1	2	3
65.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1327, 1330
66.	श्री प्रहलाद जोशी	1196, 1324
67.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	1182, 1359
68.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	1230
69.	श्री पी. करुणाकरन	1233, 1262, 1333
70.	श्री वीरेंद्र कश्यप	1269
71.	श्री राम सिंह कस्वां	1289, 1324, 1328
72.	श्री लाल चंद कटारिया	1337
73.	श्री कौशलेंद्र कुमार	1161, 1231
74.	श्री चंद्रकांत खैरे	1178, 1336
75.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	1195, 1366
76.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1320
77.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	1200, 1325, 1333, 1368
78.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1236
79.	श्री मिथिलेश कुमार	1181
80.	श्री विश्व मोहन कुमार	1265, 1333
81.	श्री पी. कुमार	1321
82.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	1322
83.	श्री यशवंत लागुरी	1158, 1271, 1340
84.	श्री पी. लिंगम	1251, 1319
85.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1179, 1319, 1139, 1355
86.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1194, 1319
87.	श्री नरहरि महतो	1164
88.	श्री प्रदीप माझी	1308
89.	श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	1218, 1273
90.	श्री जोस के. मणि	1276
91.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1281
92.	श्री भरत राम मेघवाल	1193, 1225
93.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1338
94.	श्री गोविंद प्रसाद मिश्र	1239
95.	श्री पी.सी. मोहन	1171, 1264
96.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1241
97.	श्री सुरेंद्र सिंह नागर	1220
98.	श्री देवेंद्र नागपाल	1206, 1339, 1371
99.	श्री पी. बलराम	1153, 1320, 1353, 1357
100.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1256, 1334
101.	श्री नामा नागेश्वर राव	1283
102.	श्री इंदर सिंह नामधारी	1252, 1332
103.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1202, 1369
104.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	1319
105.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	1278
106.	श्री संजय निरुपम	1261
107.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1318, 1377
108.	श्री जगदम्बिका पाल	1282
109.	श्री वैजयंत पांडा	1320, 1327
110.	श्री प्रबोध पांडा	1266
111.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1265, 1272, 1293, 1333
112.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1155, 1219, 1245, 1350

1	2	3
113.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1228, 1309
114.	श्री कमलेश पासवान	1319
115.	श्री देवजी एम. पटेल	1242
116.	श्री आर.के. सिंह पटेल	1242
117.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1180, 1209, 1374
118.	श्री बाल कुमार पटेल	11336
119.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1308
120.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	1302
121.	श्री ए. टी. नाना पाटील	1271, 1328
122.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1317
123.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	1305
124.	श्रीमती कमला देवी पटले	1203, 1370
125.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1204, 1245
126.	श्री नित्यानंद प्रधान	1320, 1327
127.	श्री प्रेमचंद गुड्डू	1210
128.	श्री प्रेमदास	1270
129.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1218, 1244
130.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	1325
131.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	1186
132.	श्री एम.के. राघवन	1379
133.	श्री अब्दुल रहमान	1218
134.	श्री रमाशंकर राजभर	1313
135.	श्री एम.बी. राजेश	1299, 1319
136.	श्री पूर्णमासी राम	1226
137.	प्रो. राम शंकर	1223
138.	श्री रामकिशुन	1161, 1163, 1231, 1333, 1343
139.	श्री रमेश राठौड़	1214
140.	श्री रामसिंह राठवा	1187, 1218, 1362
141.	श्री अशोक कुमार रावत	1151
142.	श्री रुद्र माधव राय	1207, 1332, 1373
143.	श्री के.आर.जी. रेड्डी	1176, 1353
144.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1208, 1233
145.	श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी	1317, 1323
146.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1280
147.	श्री महेंद्र कुमार राय	1286
148.	श्री एस. अलागिरी	1329, 1330
149.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1199, 1333, 1367
150.	श्री एस. आर. जेयदुरई	1257
151.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1177, 1324, 1354
152.	श्रीमती सुशीला सरोज	1324
153.	श्री तूफानी सरोज	1246
154.	श्री तथागत सत्पथी	1159, 1323
155.	श्री हमदुल्लाह सईद	121
156.	श्री अर्जुन चरण सेठी	1284
157.	श्रीमती जे. शांता	1212, 1378
158.	डॉ. अरविंद कुमार शर्मा	1165, 1331
160.	श्री नीरज शेखर	1243, 1319, 1331, 1332
161.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1152, 1346
162.	श्री राजू शेट्टी	1240

1	2	3
163.	श्री एंटो एंटोनी	1322
164.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1211
165.	डॉ. भोला सिंह	1259
166.	श्री भूपेंद्र सिंह	1173, 1324, 1348
167.	श्री दुष्यंत सिंह	1225
168.	श्री गणेश सिंह	1301
169.	श्री इज्यराज सिंह	1158, 1356
170.	श्री जगदानंद सिंह	1232
171.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	1334
172.	श्री पशुपति नाथ सिंह	1154
173.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1319, 1339
174.	श्री राकेश सिंह	1156, 1336
175.	श्री रवनीत सिंह	1190, 1364
176.	श्री उदय सिंह	1172
177.	श्री यशवीर सिंह	1243, 1319, 1331, 1332
178.	चौधरी लाल सिंह	1227
179.	श्री रेवती रमण सिंह	1264
180.	श्री राधे मोहन सिंह	1280
181.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1326
182.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1300
183.	श्री उदय प्रताप सिंह	1292, 1337
184.	श्री उमाशंकर सिंह	1319
185.	डॉ. संजय सिंह	1219, 1222
186.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1233, 1239, 1245
187.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1233, 1315
188.	श्री के. सुधाकरण	1215, 1322
189.	श्री ई.जी. सुगावनम	1161, 1272, 1341
190.	श्री के. सुगुमार	1311, 1338
191.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1256, 1334
192.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1166, 1322, 1324, 1336, 1345
193.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1351
194.	श्री मानिक टैगोर	1287, 1298
195.	श्रीमती अन्नू टंडन	1288
196.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1279
197.	श्री मनीष तिवारी	1235
198.	श्री जगदीश ठाकोर	1294
199.	श्री आर. थामराई सेलवन	1160
200	डॉ. एम. तम्बिदुरई	1285
201.	श्री पी.टी. थॉमस	1249, 1322, 1323
202.	श्री मनोहर तिरकी	1168, 1218
203.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1280
204.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1263, 1335
205.	श्री हर्ष वर्धन	1328
206.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1186, 1233
207.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1216
208.	श्री सज्जन वर्मा	1267
209.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1263, 1335
210.	श्री वीरेंद्र कुमार	1275

1	2	3
211.	श्री पी. विश्वनाथ	1245, 1349
212.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1172, 1175, 1352
213.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	1229
214.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	1329, 1336
215.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1307, 1323, 1333, 1338
216.	श्री दिनेश चंद्र यादव	1273
217.	श्री ओम प्रकाश यादव	1327
218.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1272
219.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1174
220.	श्री मधु गौड यास्खी	1317
221.	योगी आदित्यनाथ	1238

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	114
कॉर्पोरेट कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
विधि और न्याय	:	103, 108
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
अल्पसंख्यक कार्य	:	104
पंचायती राज	:	110
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	102, 112, 119, 120
रेल	:	105, 109, 111, 118
ग्रामीण विकास	:	115, 116, 117
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
जल संसाधन	:	101, 106, 107, 113

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	1157, 1163, 1164, 1202, 1211, 1212, 1216, 1218, 1237, 1241, 1259, 1268, 1304, 1323, 1327, 1343, 1346, 1352, 1360, 1362, 1366, 1379
कार्पोरेट कार्य	:	1181, 1195, 1363, 1372
पृथ्वी विज्ञान	:	1273, 1302, 1365
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1173, 1176, 1191, 1228, 1282, 1291, 1377
विधि और न्याय	:	1154, 1178, 1179, 1187, 1233, 1236, 1245, 1247, 1254, 1312, 1317, 1318, 1321, 1330, 1332
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	1151, 1155, 1171, 1214, 1224, 1234, 1286
अल्पसंख्यक मामले	:	1160, 1167, 1244, 1262, 1314, 1349

पंचायती राज	:	1182, 1258, 1288, 1296, 1297, 1344
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियक और प्राकृतिक गैस	:	1184, 1199, 1204, 1208, 1219, 1231, 1235, 1239, 1242, 1250, 1263, 1264, 1266, 1275, 1299, 1300, 1324, 1325, 1328, 1329, 1335, 1337, 1338, 1339, 1361, 1370, 1378
रेल	:	1159,1161, 1162, 1165, 1166, 1177, 1180, 1185, 1186, 1190, 1194, 1198, 1203, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1213, 1217, 1221, 1223, 1223, 1226, 1229, 1238, 1240, 1248, 1249, 1252, 1255, 1256, 1260,1265, 1267, 1272, 1278, 1284, 1290, 1292, 1293, 1294, 1298, 1301, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311, 1313, 1315, 1322, 1326, 1331, 1333, 1340, 1341, 1342, 1345, 1348, 1350, 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1364, 1367, 1368, 1371, 1374
ग्रामीण विकास	:	1152, 1156, 1170, 1172, 1174, 1175, 1183, 1188, 1192, 1193, 1200, 1201, 1215, 1220, 1225, 1227, 1246, 1251, 1261, 1269, 1271, 1274, 1276, 1281, 1289, 1310, 1316, 1319, 1320, 1336, 1359, 1373, 1376, 1380
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1189, 1230, 1279, 1295
जल संसाधन	:	1153, 1158, 1168, 1169, 1197, 1222, 1232, 1243, 1253, 1277, 1280, 1283, 1285, 1334, 1369, 1375

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।